ಕ–ರೈಡ್
ಕೆ – ರೈಡ್

रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी (कर्नाटक) लिमिटेड

(कर्नाटक सरकार एवं रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उपक्रम)



24वीं वार्षिक रिपोर्ट

2024–25

गलियारा (कॉरिडोर)–4 की प्रगति अपडेट (हीलालिगे – राजनकुंटे):





कनक लाइन पर सिविल निर्माण कार्य जारी हैं, जिसमें सिंगेना अग्रहारा के पास लघु पुल संख्या 481, जक्कूर के पास प्रारंभिक परीक्षण पाइल और सिंगेना अग्रहारा के पास अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए राफ्टिंग शामिल हैं।

एसईएमयू – गलियारा (कॉरिडोर)–2 और गलियारा (कॉरिडोर)–4 का प्रगति अपडेट





हुस्कुर स्टेशन पर आरवीएनएल संयुक्त उद्यम (बीएसटीपी पैकेज सी–4) के कामगारों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच, जागरूकता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर नामांकन कार्यशाला के लिए चिकित्सा शिविर और यशवंतपुर से चिक्कबनवारा के बीच ईएचएस वॉक का आयोजन।

रेल पटरी दोहरीकरण परियोजना: यशवंतपुर – चन्नासंद्रा (21.70 किमी) के बीच कार्य प्रगति





एलओजीएच (स्टेशन मास्टर) एसएम भवन की पेंटिंग पूरी हो गई है, यशवंतपुर बाईपास पर पुल संख्या 591 की पाइल कैप कास्टिंग पूरी हो गई है, और बानसवाड़ी स्टेशन पर ब्लैंकेटिंग का काम पूरा हो गया है।

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

(रेल इंफ्रास्ट्रकक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

24वीं वार्षिक रिपोर्ट – 2023–24

विषय–सूची

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मंडल	4
2.	24वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	5
3.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निदेशक की रिपोर्ट	9–39
4.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की स्वतंत्र वित्तीय विवरण रिपोर्ट	40–55
5.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरण	56–100
6.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	101–110
7.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के समेकित वित्तीय विवरण	111–155
8.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	156
9.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के समेकित लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	157
10.	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	158–160

पंजीकृत कार्यालय:

संपर्क सौधा, पहली मंजिल, सर्वे नंबर 8, (बी.ई.पी. परिसर)

ओरियन मॉल के सामने, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजीनगर, पहला ब्लॉक, बेंगलुरु – 560010

www.kride.in

निगमित (कॉरपोरेट) जानकारी

निदेशक मंडल

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	डॉ. शालिनी रजनीश, आईएएस	अध्यक्ष
2.	श्री. तुषार गिरि नाथ, आईएएस	नामित निदेशक, कर्नाटक सरकार
3.	श्री. लक्ष्मण सिंह, आईआरएसई	प्रबंध निदेशक, के–राइड
4.	डॉ. विशाल आर, आईएएस	नामित निदेशक, कर्नाटक सरकार
5.	डॉ. जे. रविशंकर, आईएएस	नामित निदेशक, कर्नाटक सरकार
6.	श्री संजीव कुमार गर्ग, आईआरएसई	नामित निदेशक, रेल मंत्रालय
7.	श्री सी.एम रंगनाथ, आईआरएसई	नामित निदेशक, रेल मंत्रालय
8.	श्रीमती कुसुमा हरि प्रसाद, आईआरएएस	नामित निदेशक, रेल मंत्रालय
9.	श्री राजेश कुमार सिंह, आईआरएसई	पूर्णकालिक निदेशक
10.	श्री अवधेश, मेहता, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीपीए	पूर्णकालिक निदेशक

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्रीमती अर्चना एम कुलकर्णी, एसीएस कंपनी सचिव – केआरआईडीई अनुपालन अधिकारी	**श्री अवधेश मेहता,** सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीपीए मुख्य वित्तीय अधिकारी केआरआईडीई

लेखा परीक्षक

सांविधिक लेखा परीक्षक **पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी,** वीरबासाना गौड़ा–पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेंगलुरु	आंतरिक लेखा परीक्षक **एसवीए एंड एसोसिएट्स** चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेंगलुरु	सचिवीय लेखा परीक्षक **मिलिंद कुलकर्णी एंड एसोसिएट्स,** प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पुणे

बोर्ड समितियाँ

लेखा परीक्षा समिति	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	प्रबंधन समिति
श्री तुषार गिरि नाथ, आईएएस अध्यक्ष	**श्री तुषार गिरि नाथ,** आईएएस अध्यक्ष	**श्री तुषार गिरि नाथ,** आईएएस अध्यक्ष
श्री लक्ष्मण सिंह, आईआरएसई सदस्य	**श्री लक्ष्मण सिंह,** आईआरएसई सदस्य	**श्री लक्ष्मण सिंह,** आईआरएसई सदस्य
डॉ. विशाल आर, आईएएस सदस्य	**डॉ. विशाल आर,** आईएएस सदस्य	**डॉ. विशाल आर,** आईएएस सदस्य
श्री सी.एम.रंगनाथ, आईआरएसई सदस्य	**श्री सी.एम.रंगनाथ,** आईआरएसई सदस्य	**श्री सी.एम.रंगनाथ,** आईआरएसई सदस्य
श्रीमती कुसुम हरि प्रसाद, आईआरएसई सदस्य	**श्री अवधेश मेहता** सदस्य	**श्रीमती कुसुम हरि प्रसाद,** आईआरएसई सदस्य

बैंकर्स

केनरा बैंक बेंगलुरु प्राइम कॉर्पोरेट शाखा, बेंगलुरु–560001	**आईडीबीआई बैंक** 11, पहला क्रॉस, गांधीनगर पी.बी. नं.9931, बेंगलुरु –560009	**आईसीआईसीआई बैंक** लिमिटेड ब्राँच, नं.17, सेकण्ड मेन व्यालीकावल, सदाशिवनगर बेंगलुरु –560003

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

शेयरधारकों के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स रेल विकास ढांचा कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के शेयरधारकों की 24वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 20.12.2025 को दोपहर 1.00 बजे कमरा नंबर 313, तीसरी मंजिल, विधान सौधा, बेंगलुरु – 560001 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी: –

सामान्य कार्यसूची

1. **वित्तीय विवरणों को अपनाना:**

निम्नलिखित को प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना:

(क) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्वतंत्र वित्तीय विवरण, साथ ही निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; और

(ख) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, साथ ही लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट।
साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत लेखापरीक्षित एवं लेखापरीक्षित विभाग से प्राप्त टिप्पणियाँ।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, इसे एक साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए: यह संकल्प लिया जाता है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण, साथ ही उनसे संलग्न सभी अनुसूचियाँ और टिप्पणियाँ, जो बैठक में प्रस्तुत की गई हैं, को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
इसके अलावा यह भी संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों (वैधानिक और सचिवालय) की रिपोर्टों को सीएजी (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) के प्रमाण पत्र सहित एतद्द्वारा अपनाया जाता है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया जाए और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के इसे साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए: यह संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) और 142 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा समय–समय पर संशोधित किए गए अन्य सभी प्रावधानों तथा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़ी जाने वाली अन्य आवश्यक अनुमतियों के अनुसार, मेसर्स पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेंगलुरु (फर्म पंजीकरण संख्या 004135S) को 4,00,000/– रुपये प्रति वर्ष (चार लाख रुपये मात्र) का पारिश्रमिक, साथ ही लागू वैधानिक करों का भुगतान किया जाए, जिनकी नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई थी। (सी एंड एजी) सीए.वी/सीओवाई/कर्नाटक, आरआईडीकेएल (1)/590 दिनांक 11.09.2025 को वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए रखे गए वित्तीय अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने हेतु नियुक्ति को एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

विशेष कार्यसूची :

3. श्री लक्ष्मण सिंह (डीआईएन: 11417363) को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और उन्हें देय पारिश्रमिक निर्धारित करना:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत प्रबंध निदेशक की नियुक्ति संबंधी विशेष कार्यसूची के संदर्भ में स्पष्टीकरण

संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196(4) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के सदस्य कंपनी की चौबीसवीं वार्षिक आम बैठक में श्री लक्ष्मण सिंह, आईआरएसई की प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित, पुष्टि और अनुमोदित करते हैं।

दिनांक : 01.12.2025 **नियुक्ति पदनाम** : प्रबंध निदेशक

कार्यकाल : नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष नियुक्ति प्राधिकारी के अगले आदेश तक। अधिकार और कर्तव्य: निदेशक मंडल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और देखरेख के अधीन, कंपनी के सभी मामलों, जिनमें दिन–प्रतिदिन के मामले भी शामिल हैं, की देखरेख करना।

वेतनमान : भारत सरकार के रेलवे बोर्ड के ग्रुप ए अधिकारी के लिए लागू वेतन और भत्ते, जैसा कि 20.12.2025 को आयोजित 112वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड संकल्प संख्या 03/बीओडी–112/2025–26 में निर्धारित किया गया है।

हितों का ज्ञापन : नियुक्त होने वाले प्रबंध निदेशक के अलावा, कोई भी निदेशक नोटिस के मद संख्या 3 में रुचि नहीं रखता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के लिए

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 20.12.2025

हस्ताक्षर/–
अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव

टिप्पणियाँ: 1. बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के स्थान पर बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। संलग्न प्रॉक्सी फॉर्म को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर देना चाहिए।
2. कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के तहत वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है।
3. रूट मैप संलग्न है।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

उपस्थिति पर्ची

24वीं वार्षिक आम बैठक 20 दिसंबर 2025 को आयोजित हुई

नाम:

पता:

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं मेसर्स का पंजीकृत शेयरधारक/पंजीकृत शेयरधारक का प्रतिनिधि हूं। रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (KRIDE) की 24वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी उपस्थिति दर्ज कराई जाती है, जो **20.12.2025 को दोपहर 1.00 बजे कमरा नंबर 313, तीसरी मंजिल, विधान सौधा, बेंगलुरु – 560001,** कर्नाटक में आयोजित हुई।

प्रथम/एकमात्र धारक/प्रतिनिधि **द्वितीय धारक/प्रतिनिधि**

नोट: कृपया अपना नाम, पता भरें और इस उपस्थिति पर्ची पर हस्ताक्षर करके इसे हॉल के प्रवेश द्वार पर जमा कर दें।

फॉर्म संख्या: MGT–11

प्रॉक्सी फॉर्म

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) के अनुसार
और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार

CIN: U60100K-2000SGC028171

कंपनी का नाम : रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: संपर्क सौधा, पहली मंजिल, सर्वे संख्या 8, (बी.ई.पी. परिसर), ओरियन मॉल के सामने, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजीनगर प्रथम ब्लॉक, बेंगलुरु – 560 010

सदस्यों के नाम:

पंजीकृत पता:

ईमेल आईडी:

फोलियो संख्या/ग्राहक आईडी:

डीपी आईडी:

मैं, उपर्युक्त कंपनी के इक्विटी शेयर का सदस्य होने के नाते, एतद्द्वारा निम्नलिखित को नियुक्त करता/करती हूँ:

1. नाम: .....

पता: .....

ईमेल आईडी: .....

हस्ताक्षर:....., या उनकी अनुपस्थिति में

2. नाम: .....

पता: .....

ईमेल आईडी: .....

हस्ताक्षर:....., या उनकी अनुपस्थिति में

3. नाम: .....

पता: .....

ईमेल आईडी: .....

हस्ताक्षर:....., या उनकी अनुपस्थिति में

कंपनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक में, जो कि आयोजित होने वाली है, मेरी ओर से मतदान करने और उपस्थित होने के लिए (मतदान में) अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ। 20.12.2025 को दोपहर 1:00 बजे, समिति कक्ष संख्या 313, तीसरी मंजिल, विधान सौधा में, यदि कोई स्थगन होता है, तो नीचे दिए गए प्रस्तावों के संबंध में बैठक में उपस्थित रहें:

राजस्व स्टाम्प चिपकाएँ

प्रस्ताव संख्या 1 से 2

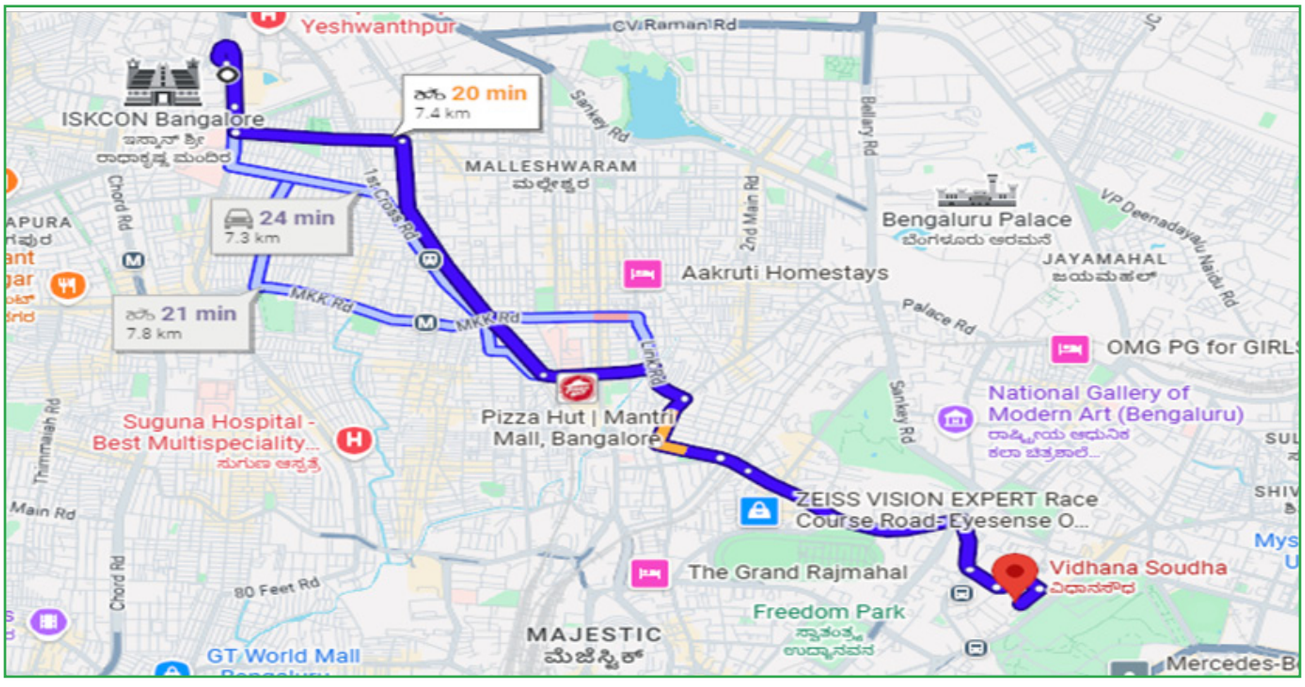
दिनांक ..... 20 ..... को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि धारक(कों) के हस्ताक्षर

नोट:
यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए विधिवत भरा जाना चाहिए और बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

बैठक स्थल का मार्ग मानचित्र



पता:
संपर्क सौधा, पहली मंजिल, सर्वे नंबर 8, (बी.ई.पी. परिसर), ओरियन मॉल के सामने,
डॉ. राजकुमार रोड, राजाजीनगर प्रथम ब्लॉक, बेंगलुरु – 560 010
पहचान चिह्न (लैंडमार्क) : ओरियन मॉल के सामने

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड



प्रति,

सदस्यगण

निदेशकों की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के अनुसार

आपके निदेशकगण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित विवरण, उस तिथि का बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण, तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित अपनी तेईसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न हैं।

1. **प्रारंभिक:**

रेलवे मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर, कंपनी का पुनर्गठन कर्नाटक सरकार और रेलवे मंत्रालय के बीच 51:49 के इक्विटी अनुपात में राज्य संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया, जैसा कि दिनांक 17.10.2018 के संशोधित शेयरधारक समझौते में दर्शाया गया है। राज्य संयुक्त उद्यम के रूप में के-राइड के पुनर्गठन के मद्देनजर, कंपनी की गतिविधियों/दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

क) रेलवे परियोजनाओं और/या ऐसी परियोजनाओं का विकास, वित्तपोषण और कार्यान्वयन, जिनके लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की आवश्यकता हो सकती है और जो महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी/क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है;

ख) रेलवे परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जांच के लिए सर्वेक्षण करना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना;

ग) रेलवे परियोजनाओं (बोर्ड या पक्षों द्वारा पहचानी गई) की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया करना;

घ) रेलवे परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सहायक कंपनियों/विशेष प्रयोजन वाहनों का निगमन और वित्तपोषण करना। और

ङ) उपर्युक्त में विशेष रूप से उल्लेखित कार्यों के अलावा, ऐसे सभी कार्यों को करना जो समझौते में उल्लिखित पक्षों के आशय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

2. **वित्तीय मुख्य बिंदु:**

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय परिणाम नीचे संक्षेप में दिए गए हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	चालू वर्ष 31.03.2025	पिछला वर्ष 31.03.2024	चालू वर्ष 31.03.2025	पिछला वर्ष 31.03.2024
परिचालन से आय	**21,920.52**	**18,855.36**	**21,920.52**	**18,855.36**
अन्य आय:				
बैंक जमा पर ब्याज	1,577.52	3,451.04	1,577.52	3,451.04
आयकर वापसी पर ब्याज	44.65	32.86	44.65	32.86
सुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज	11.06	7.02	11.06	7.02
स्वीकृत सुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज	102.67	56.50	102.67	56.50
अन्य विविध आय	42.26	23.75	42.26	23.75
कुल आय	**23,698.68**	**22,426.53**	**23,698.68**	**22,426.53**

Less: Total Expenses : Prior period items	22,696.25	21,254.80	20,159.64	17,539.06
Profit before Tax	1,002.44	1,171.72	998.19	1,170.33
Less: Tax Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
Deferred Tax	(28.86)	(203.97)	(28.86)	(203.97)
Profit / (Loss) after Tax	1,031.30	1,375.69	1,027.05	1,374.30
Other Comprehensive Income	18.28	(5.06)	18.28	(5.06)
Total Comprehensive Income for the Year	**1,049.58**	**1,370.64**	**1,045.33**	**1,369.25**

समेकित वित्तीय विवरण

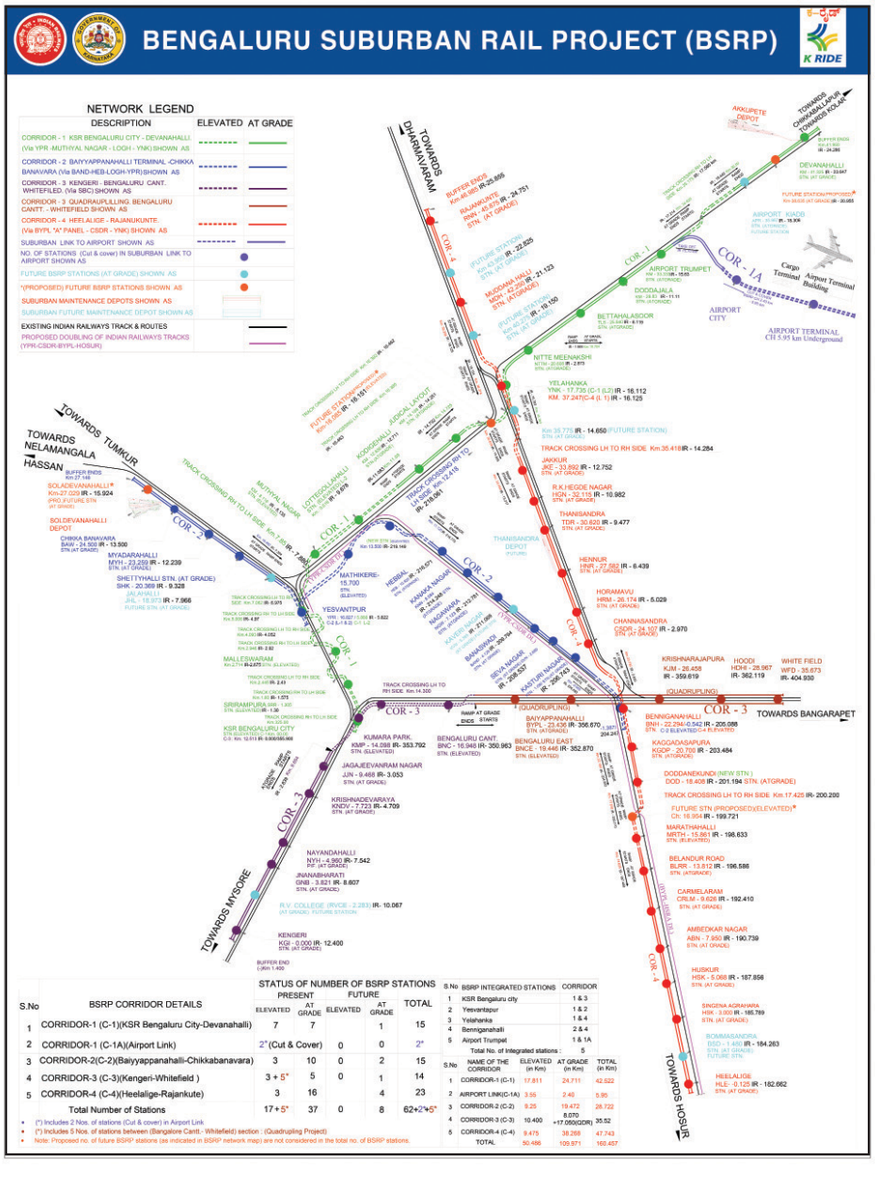
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा मानक (एएस) 21 के प्रावधानों के अनुसार, समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

3. कंपनी की स्थिति:

निम्नलिखित परियोजनाएं K-RIDE को निष्पादन के लिए सौंपी गई हैं।

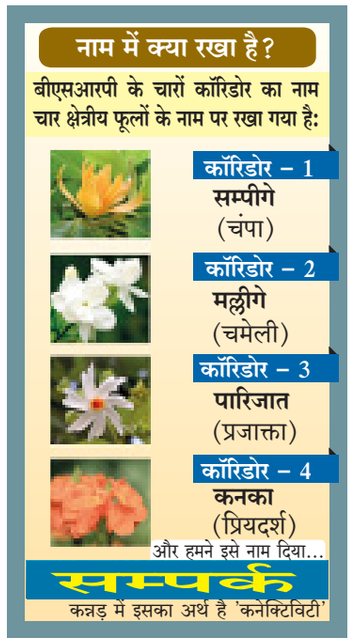
1. बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) – 148.17 किमी
2. दो रेलवे दोहरीकरण परियोजनाएं

बैय्यप्पनहल्ली – होसुर (48 किमी) यशवंतपुर – चन्नासंद्रा (21.7 किमी)



बीएसआरपी का उद्देश्य बेंगलुरु शहर को उसके उपनगरों और सैटेलाइट टाउनशिप से जोड़ना है और पूरा होने पर यह प्रतिदिन लगभग 9.84 लाख यात्रियों को परिवहन प्रदान करेगा, जिससे बेंगलुरु शहर के सड़क यातायात पर दबाव कम होगा।

बीएसआरपी परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 जून 2022 को रखी गई थी, जिसमें परियोजना को 40 महीनों में पूरा करने का आश्वासन दिया गया था। के–राइड देश की सबसे एकीकृत, अत्याधुनिक उपनगरीय रेल पहल है और राष्ट्रीय उपनगरीय रेल नीति –2018 के तहत पहली परियोजना भी है। के–राइड इस चुनौती को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।



1. लंबाई: बीएसआरपी परियोजना में कुल 148.17 किलोमीटर की लंबाई वाले 4 कॉरिडोर, 57 स्टेशन और 2 रखरखाव डिपो शामिल हैं।

कॉरिडोर	खंड	लंबाई (किलोमीटर में)
1	बेंगलुरु – देवनहल्ली + हवाई अड्डा कनेक्टिविटी	41.40
2	बैय्यप्पनहल्ली – चिक्कबनवारा	25.01
3	केंगेरी – व्हाइटफील्ड	35.52
4	हीललिगे – राजनुकुंटे	46.24
	कुल	**148.17**

2. परियोजना समावेशन : बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना को भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से 21.10.2020 को मंजूरी दी गई है।

3. मूल लागत : ₹15,767 करोड़ रुपये + रोलिंग स्टॉक के लिए अतिरिक्त लागत (पीपीपी के आधार पर)।

4. जारी की गई कुल राशि : ₹1065.42 करोड़ रुपये (भारत सरकार) + 500 करोड़ रुपये (रेलवे मंत्रालय) बीएसआरपी के लिए = कुल 1565.42 करोड़ रुपये।

5. भौतिक प्रगति : 16.5% (दिनांक 30.04.2025 तक)

6. वित्तीय प्रगति: 10.85% और संचयी व्यय 1711.31 करोड़ रुपये

7. भूमि अधिग्रहण की स्थिति : डीएफआर के अनुसार भूमि की आवश्यकता (एकड़ में क्षेत्रफल)

गलियारा (कॉरिडोर)	रेलवे भूमि	निजी भूमि	राज्य सरकार की भूमि	कुल भूमि
कॉरिडोर – 1	115.59	12.09	17.99	145.67
कॉरिडोर – 2	53.60	28.56	9.44	91.6
कॉरिडोर – 3	42.12	20.71	2.55	65.38
कॉरिडोर – 4	115.50	40.29	4.77	160.56
डिपो	-	-	118.26	118.26
कुल भूमि एकड़ में	**326.81**	**101.70**	**153.029**	**581.5**

कॉरिडोर–2: भूमि अधिग्रहण का विवरण नीचे दिया गया है:

रेलवे भूमि: रेलवे भूमि की आवश्यकता को घटाकर 85.707 एकड़ कर दिया गया और 02.04.2024 को इसे पट्टे पर दिया गया। रेलवे भूमि के भीतर मौजूदा 266 अतिक्रमण (5 मंदिरों सहित) रेलवे द्वारा हटाए जाने हैं, जिनमें से 13 को हटा दिया गया है और शेष पर काम चल रहा है।

इसे रेलवे द्वारा मंजूरी दी जानी है।

ख) कॉरिडोर–4: रेलवे भूमि: लगभग 115.472 एकड़ रेलवे भूमि 02.04.2024 को पट्टे पर दी गई

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: 2019/जेवी सेल/केआरआईडीई/बीएसटीपी/ईबीआर/07/भाग–2 दिनांक 04.12.23 के अनुसार, क्षेत्रीय रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वे डीपीआर के अनुसार पूरी रेलवे भूमि, यानी 326.81 एकड़, कॉरिडोर की परवाह किए बिना के–आरआईडीई को सौंप दें ताकि कार्य में कोई बाधा न आए। कॉरिडोर–1 और 3 के सरेखण को अंतिम रूप देने के बाद परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि की मात्रा का निर्धारण बाद में सीमा नियम के अनुसार किया जाएगा।

ग) कॉरिडोर–1: 25.11.23 को एसबीसी डिवीजन को 94.79 एकड़ (डीपीआर: 115.59 एकड़) के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया गया, निजी और सरकारी भूमि का अधिग्रहण प्रगति पर है।

घ) डिपो–1: (देवनहल्ली डिपो–51 एकड़) – सरकारी भूमि – 5 एकड़, ओएम 30.11.22 को जारी किया गया। वन भूमि – 46 एकड़, स्थिति: चरण–1 पूरा हो चुका है, अधिग्रहण प्रगति पर है।

ङ) डिपो–2: (सोलादेवनहल्ली डिपो – 26 एकड़): अधिग्रहीत।

1. निविदा की स्थिति:

बीएसआरपी के लिए निम्नलिखित निविदाएं आवंटित की गई हैं: कुल राशि ₹4617.85 करोड़ रुपये।

क) बीएसआरपी के लिए सामान्य परामर्श कार्य 03.03.2022 को ईजीआईएस–एईकॉम–एलबीसीपीएल संयुक्त उद्यम को ₹196.98 करोड़ रुपये की लागत पर दिया गया।

(ख) कॉरिडोर 2 (बैयप्पनहल्ली से चिक्कबनवारा) के लिए सिविल कार्य 26.08.2022 को मेसर्स एल एंड टी को ₹859.97 करोड़ की लागत पर दिया गया है, पूर्णता अवधि– 27 महीने।

(ग) कॉरिडोर 4 के लिए सिविल कार्य: ₹1040.51 करोड़ रुपये की लागत पर 30 महीने की अवधि में पूरा करने के लिए अनुबंध दिया गया। अनुबंध ज्ञापन दिनांक 30.12.23 को जारी किया गया।

(घ) सी–2ए स्टेशन (8 नग), मेसर्स एनसीसी लिमिटेड को 31.12.2024 को ₹501.25 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य पर 24 महीने की अवधि में पूरा करने के लिए अनुबंध दिया गया।

(ङ) सी–4ए स्टेशन (9 नग), केएफडब्ल्यू द्वारा वित्त पोषित, मेसर्स आरवीएनएल–रितविक संयुक्त उद्यम को 18.02.2025 को ₹554.51 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य पर अनुबंध दिया गया।

(च) सी–2बी स्टेशन (4 नग), मेसर्स आईटीडी सेम को 26.03.2025 को ₹525.7 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य पर 24 महीने की अवधि में पूरा करने के लिए अनुबंध दिया गया।

(स) कर्नाटक फॉर वर्थ (घषथ) द्वारा वित्तपोषित उ–4इ स्टेशन (9) का ठेका 24.04.2025 को M/s NCC लिमिटेड को 580.75 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य पर दिया गया।

निम्नलिखित बोलियां आमंत्रित की गईं:

(क) पीपीपी मोड पर रोलिंग स्टॉक के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) निविदा 30.12.2023 को आमंत्रित की गई और खोली गई। पीपीपी मोड पर निविदा आमंत्रित की गई, लेकिन प्रयास असफल रहा।

04.12.2024 को कर्नाटक सरकार ने इक्विटी पर रोलिंग स्टॉक की खरीद के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। कुल लागत 4270 करोड़ रुपये है और कर्नाटक सरकार का हिस्सा ₹2135 करोड़ रुपये है। रेलवे बोर्ड से जल्द ही निर्णय आने की उम्मीद है। KRIDE चेन्नई स्थित ICF के माध्यम से ट्रेनों की खरीद की संभावना भी तलाश रहा है।

(ख) ईआईबी और केएफडब्ल्यू द्वारा वित्तपोषित **कॉरिडोर–1ए** के लिए (बैंगलोर शहर–येलहंका से) निविदा सी1ए के रूप में 26.07.24 को आमंत्रित की गई और 30.10.24 को खोली गई। चार बोलियां प्राप्त हुईं, तकनीकी मूल्यांकन अनुमोदन के लिए ईआईबी को प्रस्तुत किया गया। कोई भी बोलीदाता योग्य नहीं पाया गया, निविदा रद्द की जा रही है और के–राइड बोर्ड के अनुमोदन से इसे पुनः आमंत्रित किया जाएगा।

(ग) **कॉरिडोर–2 ट्रैक बिछाने** के लिए निविदा दस्तावेज 27.08.24 को आमंत्रित किया गया, 29.10.24 को खोला गया, 4 बोलियां प्राप्त हुईं, वित्तीय बोली 11.04.25 को खोली गई। मेसर्स राही एल1 के रूप में उभरीं, ईआईबी से अनुमोदन प्राप्त हुआ, प्रबंधन समिति के अनुमोदन से एलओए जारी किया जाएगा।

ख. **एचएच रेल 1080 ग्रेड** (159 करोड़) की खरीद के लिए निविदा 05.09.24 को आमंत्रित की गई और 31.01.25 को खोली गई, तकनीकी मूल्यांकन अनुमोदन के लिए ईआईबी को प्रस्तुत किया गया।

ग. डिपो के लिए **880 ग्रेड रेल** की खरीद के लिए निविदा 06.09.24 को आमंत्रित की गई और 13.11.24 को खोली गई। वित्तीय बोली 11.04.25 को खोली गई। मेसर्स जिंदल एल1 के रूप में उभरीं, वित्तीय मूल्यांकन के अधीन।

घ. **सोलादेवनहल्ली डिपो** के लिए निविदा 24.09.24 को आमंत्रित की गई और 09.12.24 को खोली गई। वित्तीय बोलियां खोली गईं, जिसमें मे.केपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एल1के रूप में उभरी। वित्तीय मूल्यांकन अनुमोदन के लिए ईआईबी को प्रस्तुत किया गया।

ङ. केएफडब्ल्यू द्वारा वित्तपोषित सभी कॉरिडोर के लिए **सिग्नलिंग और दूरसंचार निविदा** 21.10.24 को आमंत्रित की गई थी। केआरआईडीई बोर्ड और केएफडब्ल्यू के अनुमोदन से सी2 और 4 के लिए निविदा पुनः आमंत्रित की जा रही है।

च. **ट्रैक्शन और विद्युत आपूर्ति निविदा** 26.11.24 को आमंत्रित की गई और 15.07.25 को खोली गई।

छ. **सी4 ट्रैक बिछाने** के लिए निविदा 10.04.25 तक आमंत्रित की गई और 30.06.25 को खोली गई।

ज. 5 आरयूबी/आरओबी निविदा के लिए निविदाएं 2 पैकेजों में 17.04.25 को आमंत्रित की गईं और 30.05.25 को खोली गईं।

प्रक्रियाधीन निविदाएँ:

क. **अक्कूपेटे डिपो:** निविदा आमंत्रित करने हेतु केएफडब्ल्यू को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

ख. **सी2 और सी4 के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर:** निविदा आमंत्रित करने हेतु केएफडब्ल्यू को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

ग. **सी1बी (येलाहांका से देवनहल्ली) की निविदा** तैयार की जा रही है।

2. भौतिक प्रगति (किमी में): शून्य

11. **कार्य स्थिति:** बीएसआरपी परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 20 जून 2022 को रखी गई, और परियोजना को 40 महीनों में पूरा करने का आश्वासन दिया गया। केआरआईडीई इस चुनौती का सामना करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

12. **प्रगति:**

(क) तकनीकी – रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आयाम अनुसूची (एसओडी) और डिजाइन आधार रिपोर्ट, जो सभी डिजाइनों के लिए मूलभूत दस्तावेज हैं।

(ख) सरेखण योजनाएँ।

* **कॉरिडोर – 2:** चिक्कबनवारा से बैयप्पनहल्ली तक, एसडब्ल्यूआर/मुख्यालय द्वारा 19.06.23 को अनुमोदित।
* **चिक्कबनवारा से सोलादेवनहल्ली डिपो तक:** एसबीसी डिवीजन को 18.08.23 और 17.08.24 को तथा सीएन/बीएनसी को 25.07.24 और 14.03.25 को प्रस्तुत किया गया। सीएन/बीएनसी की सहमति के बाद योजना को एसबीसी डिवीजन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और अंतिम अनुमोदन के लिए एसडब्ल्यूआर/मुख्यालय को भेजा जाएगा। अनुमोदन प्रतीक्षित है।
* **यशवंतपुर–लोट्टेगोल्लाहल्ली (डबल डेकर):** एसडब्ल्यूआर/मुख्यालय (हेडक्वार्टर) को 16.04.24 एव 21.12.24 को भेजा गया तथा एसबीसी डिवीजन को 16.01.25 और 24.03.25 को प्रस्तुत किया गया। एसबीसी डिवीजन से अनुमोदन प्रतीक्षित है तु अंतिम मंजूरी के लिए एसडबल्यूआर/हेडक्वार्टर को पुन: प्रस्तुत किया जाएगा।

कॉरिडोर – 4: हीलालिगे से बैयप्पनहल्ली के बीच चौगुनी चौड़ाई के लिए 23.01.2024 को एसडब्ल्यूआर/मुख्यालय द्वारा अनुमोदित।

* **कॉरिडोर –1:**

- एसबीसी से वाईपीआर: पहली बार 06.07.2022 को प्रस्तुत किया गया। सीएन/बीएनसी द्वारा 10.03.2025 को अनुमोदित, अंतिम बार 28.02.2025 को प्रस्तुत किया गया, एसबीसी विभाग से अनुमोदन प्रतीक्षित।
- वाईपीआर–एलओजीएच: पहली बार 06.07.2022 को प्रस्तुत किया गया और अंतिम बार 28.04.2025 को प्रस्तुत किया गया, मुख्यालय से अनुमोदन प्रतीक्षित।
- एलओजीएच–वाईएनके: पहली बार 06.07.2022 को प्रस्तुत किया गया और अंतिम बार 24.03.2025 को प्रस्तुत किया गया, एसबीसी विभाग से अनुमोदन प्रतीक्षित।
- वाईपीआर–डीएचएल खंड: पहली बार 06.07.2022 को प्रस्तुत किया गया, बीएसआरपी सरेखण को एसबीसी डिवीजन द्वारा अनुमोदित कर 27.03.2025 को मुख्यालय को प्रस्तुत किया गया (छठी प्रस्तुति), अनुमोदन प्रतीक्षित है।

* **कॉरिडोर–1 (हवाई अड्डा):** ट्रम्पेट से केआईएएल हवाई अड्डे तक: बीआईएएल के साथ सरेखण को अंतिम रूप दिया गया। आगे एसडब्ल्यूआर को प्रस्तुत किया गया, अनुमोदन प्रतीक्षित है।
* **कॉरिडोर–3:**

- **केजीआई–एसबीसी:** पहली बार 15.03.2024 को प्रस्तुत किया गया और अंतिम बार 28.04.2025 को प्रस्तुत किया गया, सीएन/बीएनसी से अनुमोदन प्रतीक्षित है।
- **एसबीसी–बीएनसी:** पहली बार 15.03.2024 को प्रस्तुत किया गया और अंतिम बार 25.02.2025 को प्रस्तुत किया गया, जीएसयू/एसबीसी से अनुमोदन प्रतीक्षित है।
- उपरोक्त सहमति प्राप्त होने के बाद योजना को एसबीसी विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और अंतिम अनुमोदन के लिए एसडब्ल्यूआर/मुख्यालय को भेजा जाएगा।

एसडब्ल्यूआर में अन्य अतिरिक्त मुद्दे/समायोजन लंबित हैं–

* **कॉरिडोर–2:**

- **बीएडब्ल्यू–एसडीवीएल:** पहला आवेदन 18.08.2023 को और अंतिम आवेदन 14.03.2025 को जमा किया गया, सीएन/बीएनसी से अनुमोदन प्रतीक्षित है।
- **डबल डेकर:** पहला आवेदन 16.04.2024 को और अंतिम आवेदन 17.05.2025 को जमा किया गया, एसबीसी डिवीजन से अनुमोदन प्रतीक्षित है।
- **एचईबी–बैंड:** पहला आवेदन 17.10.2024 को और अंतिम आवेदन 07.05.2025 को जमा किया गया, मुख्यालय से अनुमोदन प्रतीक्षित है (मुख्यालय ने एसबीसी डिवीजन से मार्ग बदलने का सुझाव दिया है)।
- **बैंड के पास आईआर डायवर्जन:** पहला आवेदन 23.12.2024 को और अंतिम आवेदन 23.04.2025 को जमा किया गया, एसबीसी डिवीजन से अनुमोदन प्रतीक्षित है।
- **आईआर शंटिंग नेक डायवर्जन:** पहली बार 09.01.2025 को और आखिरी बार 22.04.2025 को प्रस्तुत किया गया, एसबीसी डिवीजन से अनुमोदन प्रतीक्षित है।

* **कॉरिडोर 4:** राजनकुंटे – बेट्टाहलसुरु को जोड़ने वाला सरेखण

घ) भौतिक कार्य प्रगति: कॉरिडोर 2:

- पाइल्स– 596/1761, पाइल कैप्स– 66/379, पियर– 46/287, पियर कैप: 48/287, यू–गर्डर: 140/370 नग, आई–गर्डर: 37/858 नग पूर्ण।
- LC–143 और 141 पर RUB का निर्माण कार्य और उह:5+411 तथा उह:6+512 पर अतिरिक्त ठणइ का निर्माण कार्य आंशिक रूप से पूरा हो चुका है, जबकि डउ–140 पर कार्य प्रगति पर है।
- लघु पुल (कुल: 44): पूर्ण – 4, आंशिक रूप से पूर्ण – 17।
- ERS (12.45 किमी): 4047 मीटर पूर्ण और 3170 मीटर कार्य प्रगति पर है।
- वृक्ष काटने की अनुमति प्राप्त हो गई है। प्रगति 1134/2797 (40.5% पूर्ण)
- वृक्ष प्रत्यारोपण: प्रगति 71/267 (26.6% पूर्ण)
- बेस्कॉम और केपीटीसीएल द्वारा विद्युत उपयोगिता और एचटी लाइन को स्थानांतरित करने का कार्य चल रहा है। 60% कार्य पूर्ण।

(ई) भौतिक प्रगति: कॉरिडोर – 4

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोगिताओं को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है: 67% कार्य पूर्ण।
- विद्युत उपयोगिता को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है: 15.5% पूर्ण।
- सरेखण स्वीकृत।
- लघु पुल 18/83, 15 कार्य प्रगति पर। रिटेनिंग वॉल: 0.6/12 किमी कार्य प्रगति पर।
- मृदा सर्वेक्षण, उपयोगिता स्थानांतरण, वृक्ष कटाई, वृक्ष प्रत्यारोपण कार्य प्रगति पर हैं।
- 18 में से 10 स्थानों पर परीक्षण पाइल का कार्य पूरा हो चुका है।
- कास्टिंग यार्ड और बैचिंग प्लांट चालू होने की प्रक्रिया में हैं।

(एफ) C-2A, 2B और C-4B तथा 4B स्टेशनों के लिए सर्वेक्षण, भू–तकनीकी जांच, डिजाइन, वृक्ष कटाई आदि जैसी पूर्व–निर्माण गतिविधियां M/s ITD CEM, M/s NCC Ltd एवं M/s RVNL-RPPL जेवी द्वारा शुरू कर दिया गया है।

(स) कॉरिडोर – 1 और 3

- सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भू–तकनीकी जांच पूरी हो चुकी है।
- उ–1: प्रारंभिक कार्य पूरे हो चुके हैं।
- कॉरिडोर–1 का मार्ग दो राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों, देवनहल्ली किले और देवनहल्ली के पास स्थित टीपू के जन्मस्थान के विनियमित क्षेत्र से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय पर्यटन विभाग (एनएमए) ने विरासत प्रभाव आकलन (एचआईए) रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी है। एनएमए से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
- भूमि अधिग्रहण किया जाएगा और उसके बाद सी1बी और सी3 के लिए निविदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी।

12. **निधि: बीएसआरपी परियोजना की कुल लागत 15767 करोड़ रुपये है।**

ऋण समझौता हो गया है।

क. केएफडब्ल्यू, जर्मनी से 15.12.2023 को 500 मिलियन यूरो का ऋण।

ख. ईआईबी से 14.06.24 को 300 मिलियन यूरो का ऋण।

संयुक्त उद्यम में इक्विटी:

(राशि ₹ में)

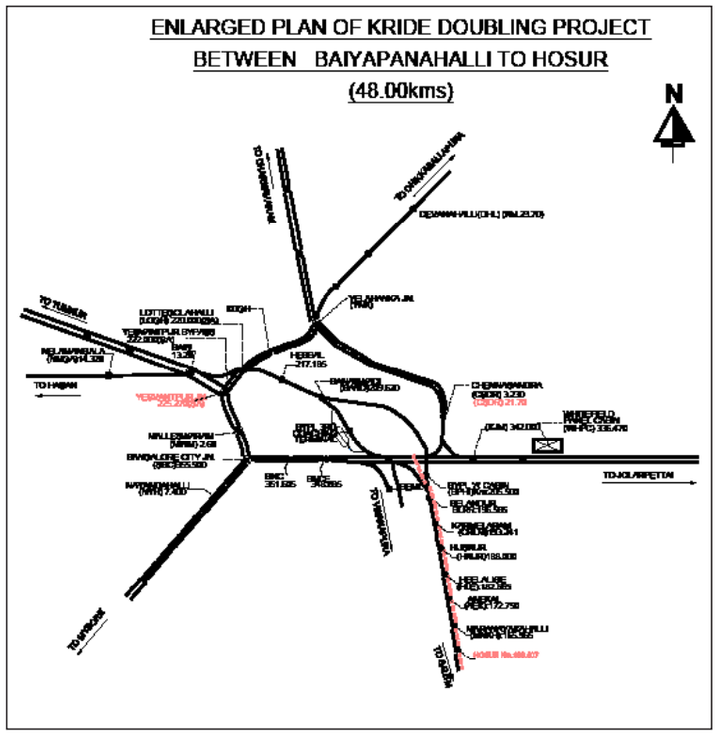
क्रम सं.	मद	राज्य सरकार (कर्नाटक)	एमओआर	कुल
1	31 दिसंबर, 2022 तक जारी की गई इक्विटी (पिछला वित्तीय वर्ष)	15,30,00,000/-	14,70,00,000/-	30,00,00,000/-
2	पिछले महीने जारी की गई इक्विटी (नवंबर 2023 तक)	5,00,00,00,000/-	4,80,39,21,570/-	9,90,39,21,570/-
3	2022–23 के दौरान जारी की गई इक्विटी पिछले महीने तक (दिसंबर 2023 तक)	-	-	-
	कुल प्राप्त इक्विटी	**5,15,30,00,000/-**	**4,95,09,21,570/-**	**10,10,39,21,570/-**

नोट: रेलवे इक्विटी को बीएसआरपी के तहत अनुदान के रूप में माना गया है ताकि भारत सरकार और ₹19,60,78,430/– रुपये के बीच 51:49 के शेयरधारिता पैटर्न को बनाए रखा जा सके।

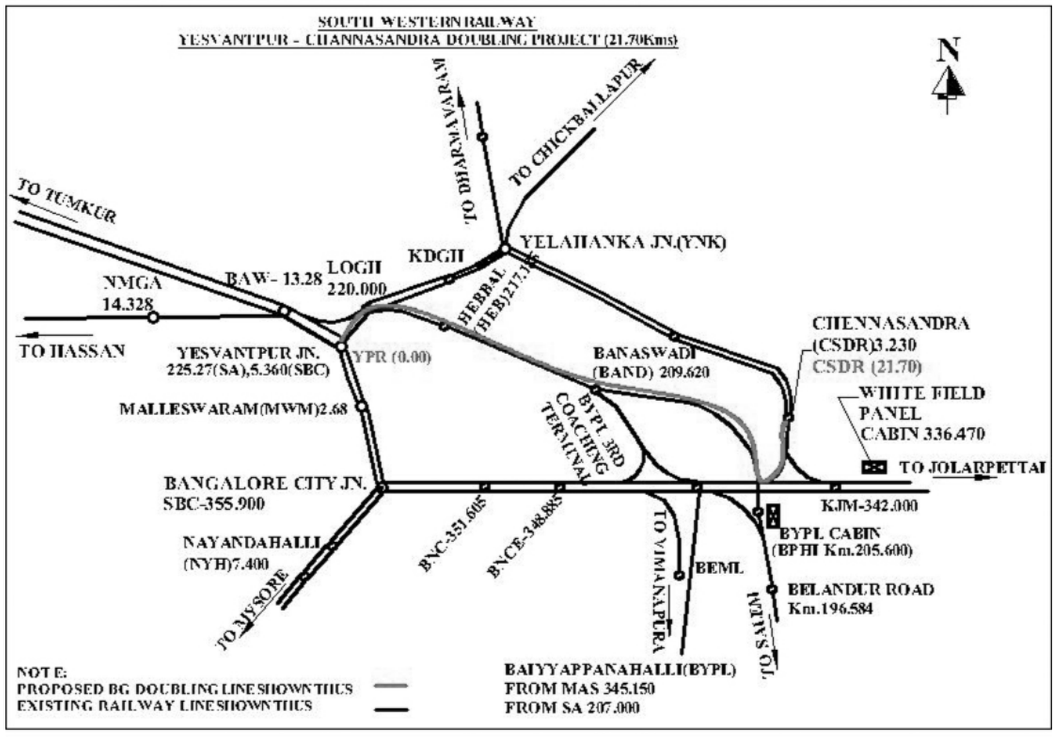
दो दोहरीकरण परियोजनाएं

1. बैय्यप्पनहल्ली – होसुर (48 किमी)
2. यशवंतपुर – चन्नासंद्रा (21.70 किमी)

बैय्यप्पनहल्ली – होसुर (48 किमी)



यशवंतपुर – चन्नासंद्रा (21.70 किमी)



1. लंबाई और मूल स्वीकृत लागत: दो दोहरीकरण परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	दोहरीकरण परियोजनाएं	किलोमीटर	कुल स्वीकृत लागत	कुल स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)
1	बैयप्पनहल्ली– होसुर	48.00	498.73	**812.83**
2	यशवंतपुरा– चन्नासंद्रा	21.70	314.10	

कर्नाटक सरकार एवं रेलवे मंत्रालय के बीच 50:50 के अनुपात में लागत साझाकरण के आधार पर वित्तपोषित दोहरीकरण परियोजनाओं की लागत:

1. शामिल होने का वर्ष : 2018 (जून 2020 में रेलवे से KRIDE को हस्तांतरित)
2. संचयी व्यय : मार्च 2025 तक ₹706.40 करोड़ रुपये
3. संचयी प्राप्त राशि : ₹534.83 करोड़ रुपये (कर्नाटक सरकार द्वारा ₹100 करोड़ एवं रेलवे मंत्रालय द्वारा ₹434.83 करोड़ रुपये)
4. भूमि अधिग्रहण : हेब्बल के पास 2.28 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया।
5. निविदाओं की स्थिति : के–राइड ने दो दोहरीकरण परियोजनाओं की सभी निविदाएं आमंत्रित की हैं।
6. भौतिक प्रगति : बीवाईपीएल–एचएसआरए : 78%, वाईपीआर–सीएसडीआर : 46%
7. वित्तीय प्रगति : बीवाईपीएल–एचएसआरए : 74%; वाईपीआर–सीएसडीआर : 42%।

8. दोहरीकरण परियोजनाओं की कार्य स्थिति:

क्र. सं.	परियोजना विवरण	वर्तमान स्थिति	कार्य योजना
1.	यशवंतपुर–चन्नासंद्रा (21.70 किमी) के बीच ट्रैक का दोहरीकरण/ पीएच15 (डीएल) **टीडीसी: मार्च 2027**	एजेंसी निर्माण कार्य, स्टेशन भवन निर्माण कार्य, गिट्टी, ट्रैक लिंकिंग, ओएचई, यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए उपलब्ध है। 1. ब्लैंकेटिंग सहित निर्माण में मिट्टी का काम: 0.50 लाख घन मीटर पूरा हो चुका है। 2. लघु पुलों की संख्या –3 3. स्टेशन भवन की संख्या– 1 **सभी कार्य प्रगति पर हैं।**	**टीडीसी: 2025–26** यशवंतपुर – यशवंतपुर बाईपास – लोटेगोलाहल्ली – हेब्बल + वाईपीआर बाईपास–लोगह चौथी लाइन (10.4 किमी) – दिसंबर 2026 **टीडीसी: 2026–27** हेब्बल–बनासवाड़ी – बैय्यप्पनाहल्ली ए पैनल (11.60 किमी) – मार्च 2027
1.	बैय्यप्पनाहल्ली – होसुर (48 किमी)/पीएच15 (डीएल) के बीच ट्रैक का दोहरीकरण **टीडीसी: फरवरी 2027**	बैय्यप्पनाहल्ली – कर्मेलाराम और हीलालिगे – होसुर के बीच निर्माण कार्य, स्टेशन भवन निर्माण कार्य, गिट्टी, ट्रैक लिंकिंग, ओएचई, यूटिलिटी शिफ्टिंग, बैय्यप्पनाहल्ली – होसुर के बीच प्रमुख पुलों के लिए एजेंसी उपलब्ध है। 1. ब्लैंकेटिंग सहित निर्माण में अर्थवर्क: 3.45 लाख घन मीटर पूरा हुआ 2. लघु पुल: 30 3. आरबी (रोडिंग बोर्ड): 5 नग 4. मुख्य पुल: 3 नग 5. ओवर हेड पाइपलाइन (ओएचपी) पुल: 2 नग का आधारभूत ढांचा पूरा हो चुका है। 6. स्टेशन भवन: 3 नग 7. प्लेटफार्म शेल्टर: 3 नग (प्रत्येक 48 मीटर, 8 मीटर) 8. ट्रैक लिंकिंग के लिए फॉर्मेशन सौंपा गया: 11.6 किमी 9. ट्रैक लिंकिंग: 9.20 किमी पूरी हो चुकी है। **सभी कार्य प्रगति पर हैं।**	**कार्मलराम – हीलालिगे (10.5 किमी) – फरवरी 2023 में चालू हुआ** **टीडीसी: 2025–26** (I) बेल्लादुर रोड – कर्मेलाराम (3.5 किमी) **टीडीसी: 2026–27** (I) अनेकल रोड – मरनायकाना हल्ली (6.90 किमी) – नवंबर 2026 (ii) मरानायकनहल्ली– होसुर (7.60 किमी) – नवंबर'26। (iii) हीलालिगे – अनेकल रोड (10 किमी) – नवंबर'26। (iv) बैय्यप्पनहल्ली – बेलंदूर रोड (9.70 किमी) – फ़रवरी'27।

शेयर पूंजी विवरण:

के–राइड की वर्तमान अधिकृत शेयर पूंजी 5000 करोड़ रुपये है और चुकता शेयर पूंजी 10,10,39,21,570 रुपये है। सभी शेयर 10,10,39,21,570 रुपये की चुकता पूंजी तक जारी किए गए हैं और किसी भी शेयर के जारी न होने का कोई मामला नहीं है।

अ) निदेशक मंडल द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन और वित्तीय व्यवहार्यता हेतु चिन्हित परियोजनाओं की स्थिति:

क्र.सं.	परियोजना का नाम और अवधि	अध्ययन की स्थिति	टीडीसी
1.	धारवाड़–बेलगाम–नई लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण	पूर्ण	डीपीआर एसडब्ल्यूआर को प्रस्तुत

आवश्यक सहायता:

रेल मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार से प्राप्त कुल राशि : 1755.42 करोड़

संचयी व्यय: 1711.31 करोड़

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बजट में आवंटित और जारी की गई राशि।

रेल मंत्रालय : वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बजट में आवंटित राशि: 350 करोड़, प्राप्त राशि: शून्य

कर्नाटक सरकार : वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए बजट में आवंटित राशि: 400 करोड़, प्राप्त राशि: 590 करोड़

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बजट में आवंटित राशि

संचार मंत्रालय: वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बजट में आवंटित राशि: 350 करोड़

कर्नाटक सरकार: वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बजट: 400 करोड़ रुपये।

4. लाभांश:

निदेशक मंडल द्वारा कोई लाभांश अनुशंसित नहीं किया गया है।

5. आरक्षित निधि:

कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य आरक्षित खाते में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

6. पूंजी संरचना :

क. शेयर पूंजी

31 मार्च 2025 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5000 करोड़ रुपये (केवल पांच हजार करोड़ रुपये) है, जिसमें 10 रुपये प्रति शेयर के 500 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं। 31 मार्च 2025 को कंपनी की जारी, अभिस्वीकृत और भुगतानित शेयर पूंजी 1,010.39 करोड़ रुपये (एक हजार दस दशमलव उनतीस करोड़ रुपये) है, जिसमें 10 रुपये प्रति शेयर के 101,03,92,157 शेयर शामिल हैं।

ख. विभेदक अधिकार वाले इक्विटी शेयरों के निर्गमन संबंधी प्रकटीकरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान विभेदक अधिकार वाले कोई इक्विटी शेयर निर्गमन नहीं किए हैं। (ग.) कर्मचारी स्टॉक विकल्प निर्गमन संबंधी

ग. कर्मचारी स्टॉक विकल्प शेयरों के निर्गमन संबंधी प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत कोई शेयर निर्गमन नहीं किए हैं।

घ. स्वेट इक्विटी शेयरों के निर्गमन संबंधी प्रकटीकरण

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई स्वेट इक्विटी शेयर निर्गमन नहीं किए हैं।

7. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

8. जमा (डिपाजिट्स):

कंपनी ने रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

9. नियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्ण और प्रमुख आदेशों का विवरण:

नियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण और प्रमुख आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की निरंतरता और भविष्य में उसके संचालन को प्रभावित करता हो।

10. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता:

कंपनी के पास एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है जो संसाधनों के अनुकूलन और सुरक्षा, वित्तीय और परिचालन संबंधी जानकारी की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में उच्च स्तर का आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

11. वार्षिक विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 एवं धारा 92(3) के संशोधित प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणों की प्रतियां कंपनी की वेबसाइट https://kride.in पर उपलब्ध हैं तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 का वार्षिक विवरण एमसीए में दाखिल करने के बाद कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

12. निदेशक और बैठकें:

क. बोर्ड बैठकों और समिति बैठकों की संख्या और तिथियां तथा प्रत्येक निदेशक द्वारा उपस्थित बैठकों की संख्या:

क) बोर्ड बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के अनुसार निदेशक मंडल की 6 (छह) बैठकें आयोजित की गईं, जिनका सारांश नीचे दिया गया है। दो बैठकों के बीच समय अंतराल पर विचार करते समय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन किया गया।

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि तक निदेशकों की कुल संख्या	उपस्थिति	
			उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
1	31.08.2024	9	7	78
2	12.11.2024	9	9	100
3	15.11.2025	9	8	89
4	17.12.2024	10	9	90
5	03.02.2025	10	9	90
6	17.03.2025	10	8	80

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	भाग लेने के लिए पात्र बोर्ड बैठकों की कुल संख्या	उपस्थित बैठकों की कुल संख्या
1.	डॉ. शालिनी रजनीश, आईएएस	6	6
2.	श्री. उमाशंकर एसआर, आईएएस	2	2
3.	डॉ. मंजुला एन, आईएएस	6	6
4.	डॉ. विशाल रवि, आईएएस	6	6
5.	डॉ. संजीव कुमार गर्ग, आईआरएसई	5	4
6.	श्री. धनंजय सिंह, आईआरएसई	1	1
7.	श्री. आशुतोष माथुर, आईआरएसई	6	6
8.	श्रीमती दीपा कोटनिस, आईआरएएस	6	6
9.	श्री राजेश कुमार सिंह, आईआरएसई	6	6
10.	श्री अवधेश मेहता, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीपीए	6	6

ख) समिति बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, निम्नलिखित समिति बैठकें आयोजित की गईं –

प्रबंधन समिति

लेखापरीक्षा समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

प्रबंधन समिति :

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि पर सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थिति	
			उपस्थित सदस्यों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
1	28.05.2024	5	5	100
2	29.07.2024	5	5	100
3	13.12.2024	5	5	100

लेखा समिति :

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि पर सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थिति	
			उपस्थित सदस्यों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
1	29.07.2024	4	4	100
2	13.12.2024	4	4	100

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :

क्रम संख्या	बैठक की तिथि	बैठक की तिथि पर सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थिति	
			उपस्थित सदस्यों की संख्या	उपस्थिति का प्रतिशत
1	07.10.2024	4	4	100
2	07.12.2024	4	4	100

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग लेने के लिए अधिकृत बैठकों की संख्या 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक या समाप्ति की तिथि तक, जैसा भी मामला हो, मानी जाएगी।

ख. निदेशकों और केएमपी में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड और केएमपी के गठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति/समाप्ति	प्रभावी तिथि
1	सीतापुरारामैयाहुमाशंकर	निदेशक	नियुक्ति	01/06/2024
2	एसएन श्रीनिवास	कंपनी सचिव	समाप्ति	15/06/2024
3	अर्चना कुलकर्णी	कंपनी सचिव	नियुक्ति	01/07/2024
4	शालिनी रजनीश	निदेशक	नियुक्ति	31/08/2024
5	रजनीश गोयल	निदेशक	समाप्ति	31/08/2024
6	श्री संजीव कुमार गर्ग	नामित निदेशक	नियुक्ति	26/11/2024
7	श्री धनंजय सिंह	नामित निदेशक	समाप्ति	26/11/2024
8	सुश्री शालिनी रजनीश	नामित निदेशक	नियुक्ति	29/08/2024
9	श्री रजनीश गोयल	नामित निदेशक	समाप्ति	29/08/2024

ग. बोर्ड मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (पी) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के उपनियम 4 के तहत बोर्ड मूल्यांकन संबंधी प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियों/संयुक्त उद्यम कंपनियों को इससे छूट प्राप्त है।

घ. निदेशकों की घोषणा

वर्ष के दौरान कंपनी के सभी निदेशकों को बोर्ड की सभी बैठकों की सूचना विधिवत रूप से दी जा चुकी है।

बोर्ड की बैठकें विधिवत आयोजित की गईं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार किया गया और रखा गया है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी लागू रजिस्टर/रिकॉर्ड बनाए रखे हैं और उनमें निर्धारित समय के भीतर प्रविष्टियाँ की हैं।

13. सचिवीय मानक:

निदेशकों ने सभी लागू सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ये प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से कार्यरत हैं।

14. सदस्यों की बैठक:

कंपनी की 23वीं वार्षिक आम बैठक 17 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी।

15. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

क. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है; ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत किया जा सके;

ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने वार्षिक खातों को निरंतर संचालन के आधार पर तैयार किया है; और

ङ. कंपनी के गैर–सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण, अधिनियम की धारा 134(5) के उपखंड (ई) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं; और

ष. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित थीं।

16. धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों और निवेशों का विवरण:

वर्ष के दौरान, धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था। अतः उक्त धारा के अंतर्गत विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं।

17. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण:

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188(1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं थी।

18. बैलेंस शीट की तिथि और निदेशकों की रिपोर्ट की तिथि के बीच यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हो:

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

19. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

चूंकि कंपनी ने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा व्यय से संबंधित जानकारी को शून्य माना जा सकता है।

20. जोखिम प्रबंधन नीति:

यद्यपि कंपनी लंबे समय से जोखिम को कम करने के सिद्धांत का पालन कर रही है, जैसा कि हर उद्योग में सामान्य है, अब यह एक अनिवार्यता बन गई है।

मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ सतत व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करना और व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की रिपोर्टिंग, मूल्यांकन और समाधान में सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

सामान्य जोखिमों में मुख्य रूप से विनियम, प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक जोखिम, प्रौद्योगिकी अप्रचलन, निवेश, वित्तीय जोखिम, राजनीतिक जोखिम, निष्ठा जोखिम और कानूनी जोखिम शामिल हैं।

नीति के अनुसार, इन जोखिमों का आकलन किया जाता है और इन्हें कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति और इसकी नीति:

वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी की शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ रुपये से अधिक हो गई थी, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कंपनी पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान लागू होते हैं। अतः सीएसआर समिति का विधिवत गठन निम्नानुसार किया गया है:

1. डॉ. मंजुला.एन, आईएएस – अध्यक्ष
2. डॉ. विशाल.आर, आईएएस – सदस्य
3. श्री आशुतोष माथुर, आईआरएसई – सदस्य

हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के प्रावधान, जो कंपनी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अर्जित औसत शुद्ध लाभ के कम से कम दो प्रतिशत को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुपालन में खर्च करने से संबंधित हैं, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसत शुद्ध लाभ के नकारात्मक होने के कारण लागू नहीं होते हैं। अर्जित शुद्ध लाभ की राशि का उपयोग सीएसआर के लिए किया जाएगा और इसका विधिवत अनुपालन समय रहते किया जाएगा।

22. सतर्कता तंत्र की स्थापना पर प्रकटीकरण:

कंपनी के पास सतर्कता तंत्र नीति और व्हिसल ब्लोअर नीति है।

23. लेखा परीक्षक और उनकी रिपोर्ट

क. वैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेसर्स पी.के. सुब्रमणियन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बेंगलुरु (FRN: 004135S) को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी का स्वतंत्र वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में प्रतिबद्ध राय का आधार के अंतर्गत उल्लिखित आपत्तियों का प्रबंधन द्वारा उचित उत्तर दिया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए के–राइड के स्वतंत्र और समेकित वित्तीय विवरणों तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तरों का विवरण इस प्रकार है:

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए के–राइड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ

क्र.सं.	प्रतिबद्ध राय का आधार	प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ
1.	के–राइड मुख्य रूप से रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में संलग्न है और इससे संबंधित निधियों का संचालन कर रही थी। हालांकि, पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को कर्नाटक सरकार (इसके बाद जीओके कहा जाएगा) और रेल मंत्रालय (इसके बाद एमओआर कहा जाएगा) से बैंगलोर उपनगरीय रेलवे परियोजना (इसके बाद बीएसआरपी परियोजना कहा जाएगा) के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ प्राप्त होने लगीं। प्राप्त निर्देशों के अनुसार, के–राइड ने बीएसआरपी परियोजना के निष्पादन के लिए बीआरआईडीई को अपनी सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया है। इस बीच, बीएसआरपी परियोजना के लिए जीओके और एमओआर से प्राप्त निधियों को; बीएसआरपी परियोजना के निष्पादन के लिए एक सहायक कंपनी बनाने के बावजूद, कंपनी ने जीओके और एमओआर से प्राप्त निधियों को कंपनी की शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया है। हालांकि घठखऊ इडठझ परियोजना का संचालन कर रही है, फिर भी इडठझ की पूरी धनराशि और उससे संबंधित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को इठखऊ को हस्तांतरित करने पर चर्चा चल रही है। इस मुद्दे पर न तो कोरिया सरकार और न ही चजठ की ओर से कोई स्पष्टता है। चजठ को शेयर आवंटित करके कंपनी ने चजठ को अपने मौजूदा परिचालन का 49% हिस्सा शेयरधारक बना दिया है, जो कि उचित नहीं था। इससे घठखऊ के माध्यम से इडठझ परियोजना के कार्यान्वयन की निरंतरता पर संदेह पैदा हो गया है। इसका लेखांकन, शेयरधारिता और कंपनी के संचालन आदि से संबंधित मुद्दों पर प्रभाव पड़ेगा। स्पष्टता के अभाव में, हम कंपनी पर पड़ने वाले वित्तीय और अन्य प्रभावों का सटीक आकलन करने में असमर्थ हैं।	प्रशासनिक कारणों से, के–राइड ने बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी)/बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना (बीएसटीपी) के कार्यान्वयन के संबंध में अपना कारोबार जारी रखा और दोनों सरकारों द्वारा स्वीकृत निधि पैटर्न (अर्थात् 51% के–राइड और 49% के–राइड) के आधार पर संबंधित सरकारों (यानी कर्नाटक सरकार और परिवहन मंत्रालय) से निधि प्राप्त की। हालांकि, 110वीं बोर्ड बैठक में यह संकल्प लिया गया है कि बीएसआरपी/बीएसटीपी परियोजना से संबंधित सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को के–राइड से बाय–राइड को हस्तांतरित कर दिया जाए, जिसका गठन विशेष रूप से बीएसआरपी/बीएसटीपी के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए किया गया है। यह पूरी प्रक्रिया अगले छह से नौ महीनों के भीतर पूरी हो जाएगी। आवश्यक कार्रवाई जारी है। इसलिए, बीएसआरपी व्यवसाय की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड की स्वीकृति और सरकार के निर्देशों के अनुसार, परियोजना और उससे संबंधित सभी परिसंपत्तियां, देनदारियां, संविदात्मक दायित्व, अधिकार और जिम्मेदारियां एक चालू व्यवसाय के रूप में बीआई–राइड को हस्तांतरित की जा रही हैं। हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी होने तक, के–राइड बीएसआरपी/बीएसटीपी से संबंधित अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखेगी और लागू लेखा मानकों और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक लेखांकन प्रक्रियाएं की जाएंगी। साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोहरीकरण परियोजनाओं का निष्पादन के–राइड द्वारा जारी रहेगा।

2.	कंपनी दक्षिण-पश्चिम रेलवे (संक्षेप में SWR) की दो रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। कंपनी राजस्व की पहचान के लिए वर्तमान लागत विधि/इनपुट विधि के आधार पर पूर्णता प्रतिशत विधि का पालन कर रही है। चूंकि कंपनी इनपुट विधि का उपयोग कर रही है, इसलिए वर्तमान अनुमानित लागत के आधार पर राजस्व की पहचान करना उचित है। हालांकि, कंपनी 14-07-2022 की अनुमोदित लागत के आधार पर राजस्व की पहचान कर रही है। कंपनी तथा SWR के बीच 14.07.2022 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, विस्तृत रिपोर्ट और विस्तृत अनुमान में कोई भी परिवर्तन SWR द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। कंपनी ने वर्तमान दरों के आधार पर एक विस्तृत संशोधित अनुमानित लागत प्रस्तुत की है, जिसे तकनीकी टीम द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है, और इसे MOR को प्रस्तुत किया गया है। मूल अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। **(लाख रुपये में)** **परियोजना का नाम** / **यशवंतपुर-चन्नासंद्रा दोहरीकरण** / **बैयप्पनहल्ली-होसूर दोहरीकरण** मूल अनुमान दिनांक 14-07-2022 / 31,411 / 49,873 संशोधित अनुमान एमओआर को प्रस्तुत किया गया, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ / 68,357 / 1,16,077 **अंतर** / **-36,946** / **-66,204** हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, संशोधित अनुमानित लागत को अभी तक एसडब्ल्यूआर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। संशोधित अनुमोदित अनुमानित लागत के अभाव में, हम राजस्व और लाभ पर इसके प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा ही रहा।	राजस्व को अनुमोदित अनुमान (14.07.2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, यानी वित्तीय वर्ष 2022-23) के आधार पर मान्यता दी गई है और इसका विवरण लेखा-पत्रों में दिया गया है। हालांकि, के-राइड ने लागत वृद्धि और जीएसटी दर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान तैयार किया है, जिसे अनुमोदन के लिए एसडब्ल्यूआर को प्रस्तुत किया गया है। एसडब्ल्यूआर और कर्नाटक सरकार के अनुमोदन के बाद, इस पर तदनुसार विचार किया जाएगा।
3.	प्रतिनिधित्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ 1031.30 लाख रुपये है, जिसमें 1,577.52 लाख रुपये की बैंक ब्याज आय शामिल है। कंपनी एक कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, पर्यवेक्षण शुल्क का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करने के लिए बाध्य है और सामान्य व्यवसाय संचालन के दौरान परिचालन हानि नहीं उठा सकती। हालांकि, ब्याज आय को छोड़कर, कंपनी को कर पूर्व 546.22 लाख रुपये की हानि हुई है। हानि का मुख्य कारण यह है कि कंपनी ने रेल मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन हेतु अपनी तकनीकी टीम द्वारा विधिवत अनुमोदित विस्तृत संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक, रेल मंत्रालय ने संशोधित अनुमान को अनुमोदित नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व और प्राप्य शेष राशि में कमी आई है। पूर्ण जानकारी के अभाव में, हम कम राजस्व और संबंधित प्राप्य राशि के मूल्य का सटीक आकलन करने में असमर्थ हैं। इससे आगामी वित्तीय वर्षों में औद्योगिक आचार संहिता (खपव -ड) संबंधी समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि औद्योगिक आचार संहिता के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित खातों में किए गए किसी भी समायोजन को उन वित्तीय वर्षों पर लागू किया जाना चाहिए और पिछले वित्तीय वर्षों के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।	राजस्व को अनुमोदित स्वीकृत अनुमान/विस्तृत रिपोर्ट (14.07.2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23) के आधार पर मान्यता दी गई है और इसका विवरण खातों के नोटों में दिया गया है। हालांकि, के-राइड ने लागत वृद्धि और जीएसटी दर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान तैयार किया है, जिसे अनुमोदन के लिए एसडब्ल्यूआर को प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद, एसडब्ल्यूआर और कर्नाटक सरकार के अनुमोदन के बाद, इस पर तदनुसार विचार किया जाएगा। वित्तीय विवरण संख्या 32(क) में दिए गए विवरण के अनुसार, आनुपातिक लागत सहित बीएसआरपी से संबंधित सभी व्यय पूंजीगत कार्य प्रगति में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जबकि दोहरीकरण/प्रशासनिक एवं सामान्य ओवरहेड व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं। (अर्थात्, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक एवं सामान्य ओवरहेड जैसे सहायक विभागों से संबंधित व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।)
	निर्दिष्ट मार्गों पर रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना रेल मंत्रालय (संक्षेप में एमओआर) और कर्नाटक सरकार (संक्षेप में जीओके) की संयुक्त भागीदारी से केआरआईडीई द्वारा की जा रही है। एमओआर और जीओके दोनों ने परियोजना में समान अनुपात में योगदान दिया है। कार्यप्रणाली यह है कि केआरआईडीई सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार रेल मंत्रालय को चालान जारी करेगा। इन चालानों के बदले एमओआर और जीओके दोनों से धनराशि प्राप्त की जाएगी।	

4.	यद्यपि GOK अपनी 50% हिस्सेदारी दे रहा है, फिर भी KRIDE द्वारा सभी बिलिंग समझौते की शर्तों के अनुसार चजठ को ही की जाएगी। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऋजघ सीधे KRIDE को धनराशि सौंपेगा। KRIDE द्वारा बिल जारी किए जाने पर MOR अपना हिस्सा जारी करेगा। विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से और कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष चित्रण करने के लिए, कंपनी को MOR और GOK के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार अनुबंध राजस्व का लेखा–जोखा रखना होगा। चूंकि प्रत्येक भागीदार परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि का 50% योगदान देता है, इसलिए आदर्श रूप से कंपनी के प्राप्य शेष में यह दर्शाया जाना चाहिए कि GOK और MOR से कितनी धनराशि प्राप्त होनी है। जैसा कि खातों से देखा जा सकता है, चजठ ने बिल जारी किए जाने पर अपना हिस्सा जारी कर दिया है। हालांकि, अनुबंध राजस्व लेखांकन, जारी की गई धनराशि और प्राप्य शेष राशि के संबंध में ऋजघ या चजठ से कोई लिखित बैलेंस पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ है। KRIDE के लिए, MOR और GOK बाहरी ग्राहकों की तरह हैं, और KRIDE GOK के बजट आवंटन से बाध्य नहीं है। सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में कंपनी को Ind AS 115 के अनुसार राजस्व का लेखा–जोखा करना होता है और प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त होने वाली राशि को लेखा–पुस्तकों में दर्शाना होता है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक दोहरीकरण परियोजनाओं के संबंध में निष्पादित कार्य और प्राप्त/प्राप्य धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है: **दोहरीकरण** | **अनुमानित (रूपये)** | **31.03.2025 तक व्यय** | **31.03.2025 तक जारी राशि** | **कमी/ अतिरिक्त** **रेल मंत्रालय** | 40,642 | 35,336 | 10,000 | 25,336 **कर्नाटक सरकार** | 40,642 | 35,336 | 43,483 | –8,147 | **81,283** | **70,672** | **53,483** | **17,189** हमारे विचार में MOR ने अतिरिक्त धन जारी किया है, और GOK को KRIDE को अपना बकाया चुकाना होगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि MOR से प्राप्त अतिरिक्त राशि अग्रिम राशि है या राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रस्तुत विवरण के अनुसार GOK ने आज की तारीख में 10000 लाख रुपये दिए हैं और प्राप्त होने वाली शेष राशि रु. है। 25,336 लाख रुपये। यह मानते हुए कि एमओआर ने 8,147 लाख रुपये अतिरिक्त जारी किए हैं, कंपनी को एमओआर से प्राप्त अग्रिम और संबंधित शेष राशि को 25,336 लाख रुपये के रूप में दिखाना होगा। इससे खातों के सही और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण पर असर पड़ा है क्योंकि चालू परिसंपत्तियों को 25,336 लाख रुपये कम दिखाया गया है और चालू देनदारियों को 8,147 लाख रुपये कम दिखाया गया है।	बजट में निर्धारित राशि (उस वर्ष के लिए और उपलब्ध धनराशि के आधार पर) के अनुसार धनराशि जारी की जाएगी। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान केवल 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार से कोई अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। के–राइड द्वारा कर्नाटक सरकार से आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत आधिकारिक पत्रों के माध्यम से धनराशि की कमी का हवाला दिया जा रहा है। अस्थायी व्यवस्था के रूप में के–राइड ने कार्य लक्ष्य और संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए दोहरीकरण परियोजना के लिए बीएसआरपी निधि से 171.89 करोड़ रुपये का उपयोग किया है, क्योंकि दोनों परियोजनाओं को कर्नाटक सरकार और अनुसंधान मंत्रालय द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया गया है। यह राशि कर्नाटक सरकार से दोहरीकरण परियोजना के लिए धनराशि प्राप्त होने पर बीएसआरपी परियोजना में वापस कर दी जाएगी। प्राप्त राशि का लेखा–जोखा केवल निधि जारी करने के लिए सरकारी आदेश (जीओ) जारी होने पर ही किया जाएगा। (चूंकि, निधियों की रिहाई सरकार के पास उपलब्ध निधियों पर निर्भर करेगी और विभिन्न मापदंडों पर आधारित होगी, भले ही बजट आवंटित किया गया हो)। तदनुसार, केवल बजट आवंटन के आधार पर किसी भी प्राप्य राशि को मान्यता नहीं दी जाएगी; मान्यता तभी दी जाएगी जब किसी सरकारी आदेश द्वारा उस विशेष वर्ष में रिहाई को मंजूरी देने का उचित आश्वासन दिया गया हो।
5.	इसके अलावा, चूंकि कर्नाटक सरकार ने अपना बकाया भुगतान नहीं किया है, इसलिए ठेकेदार को देय राशि उस सीमा तक बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन हमारी जांच में पाया गया कि बीएसआरपी परियोजना के संबंध में कर्नाटक सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया गया है और परिणामस्वरूप ठेकेदारों को कोई बकाया राशि देय नहीं है। बीएसआरपी परियोजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि से ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए कंपनी प्रबंधन को कर्नाटक सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी, क्योंकि धनराशि कर्नाटक सरकार के विशिष्ट बजटीय आवंटन से आवंटित की जाती है और चूंकि यह कर्नाटक विधानसभा में अनुमोदित है तथा परियोजना–विशिष्ट धनराशि प्राप्त होती है, इसलिए एक परियोजना से दूसरी परियोजना में धनराशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण कर्नाटक सरकार से लिखित अनुमोदन के बिना 25,336 लाख रुपये की धनराशि का हस्तांतरण हुआ है।	

		प्राप्तियों का लेखा-जोखा केवल निधियों की रिहाई के लिए सरकारी आदेश (जीओ) जारी होने पर ही किया जाएगा। (चूंकि, निधियों की रिहाई सरकार के पास निधियों की उपलब्धता और विभिन्न मापदंडों पर निर्भर करेगी, भले ही बजट आवंटित किया गया हो)। तद्नुसार, केवल बजट आवंटन के आधार पर किसी भी प्राप्य को मान्यता नहीं दी जाएगी; मान्यता तभी दी जाएगी जब किसी विशेष वर्ष में निधियों की रिहाई को मंजूरी देने वाले जीओ द्वारा उचित आश्वासन दिया गया हो।
6.	कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना से संबंधित मूल लागत अनुमान में, विद्युत, सिग्नलिंग और दूरसंचार तथा ओएचई जैसे अलग-अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में त्रुटियां हैं। 269.92 लाख रुपये के शुद्ध अंतर को कुल अनुमानित लागत में जोड़ा गया है। हालांकि, अनुमानित लागत में इन परिवर्धनों या कटौतियों के कारण निर्देशन एवं सामान्य शुल्कों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विद्युत, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तथा विद्युत एवं विद्युत विद्युत (ओएचई) जैसे अलग-अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में उल्लिखित दिशा एवं सामान्य प्रभारों की सटीक राशि ही राजस्व की गणना के लिए मानी जाती है। इस संबंध में, हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का सटीक आकलन करने में असमर्थ हैं। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अभी तक अनसुलझी है।	चूंकि मूल स्वीकृत अनुमान में दिशा एवं सामान्य प्रभार (डी एंड जी) शामिल है, इसलिए राजस्व की गणना स्वीकृत अनुमान/डीपीआर के आधार पर की जाती है। हालांकि, संशोधित/संशोधित दिशा एवं सामान्य प्रभार (विभागीय प्रभार) को संशोधित अनुमान में शामिल किया गया है, जो अनुमोदन की प्रक्रिया में है।
7.	कंपनी ने बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका अधिनियम, 2020 के तहत कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि पर संपत्ति कर की देयता का निर्धारण नहीं किया है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम लाभ पर इसके प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा ही रहा है।	के-राइड के नाम पर खाता हस्तांतरण पूरा होने पर संपत्ति कर का आकलन किया जा सकता है। अधिग्रहित संपत्तियों के खातों को के-राइड के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। खाता हस्तांतरण पूरा होने पर भूमि विभाग द्वारा संपत्ति कर का निर्धारण किया जाएगा और बहीखातों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। बीबीएमपी कार्यालय में हाल ही में हुए सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण खाता हस्तांतरण की प्रक्रिया अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है और वर्तमान में आगे हस्तांतरण संभव नहीं है। हालांकि, शेष मामलों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई चल रही है और खाता पंजीकरण में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में के-राइड के प्रबंध निदेशक द्वारा बीबीएमपी के विशेष आयुक्त (राजस्व) को दिनांक 03.02.2025 को एक पत्र लिखकर के-राइड के पक्ष में खाता हस्तांतरण प्रक्रिया को सुगम और तेज बनाने के लिए प्रणाली में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।
8.	कंपनी दोहरीकरण परियोजना से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रही है, लेकिन सीजीएसटी /केजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट के लिए पात्र न होने के बहाने बीएसआरपी परियोजना से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा रही है। हालांकि, चूंकि बीएसआरपी परियोजना को एक अलग इकाई को हस्तांतरित किया जाना है, हमारे विचार में कंपनी रेल मंत्रालय को कार्य अनुबंध की आपूर्ति कर रही है तथा रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार से प्राप्त निधियों से न्यासी क्षमता में पूंजीगत व्यय कर रही है। इसलिए, कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकती थी। इसके अलावा, दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए आवंटित सामान्य व्यय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है और इसे लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया गया है। जानकारी के अभाव में, हम लाभ पर प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं। बीएसआरपी परियोजना से संबंधित इनपुट 3,365.57 लाख रुपये है। इस मामले की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी और यह अनसुलझा है।	वर्तमान में के-राइड दो दोहरीकरण परियोजनाओं के साथ-साथ बीएसआरपी परियोजना को भी कार्यान्वित कर रही है। के-राइड ने दोहरीकरण परियोजना से संबंधित जीएसटी इनपुट का दावा किया है, जबकि बीएसआरपी परियोजना से संबंधित इनपुट का दावा नहीं किया गया है, क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के तहत इसे अवरुद्ध कर दिया गया है। बीएसआरपी परियोजनाओं से संबंधित इनपुट और व्यय को पूंजीगत निर्माणाधीन परियोजना (डब्ल्यूआईपी) में शामिल किया गया है, जिस पर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(3) के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास का दावा तब किया जाएगा जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाएगी। के-राइड ने अपने कर सलाहकार से प्राप्त विशेषज्ञ राय के आधार पर दोहरीकरण परियोजना के लिए आवंटित सामान्य व्यय पर जीएसटी इनपुट का दावा नहीं किया है।

9.	कंपनी ने शेयर पूंजी में हस्तांतरण के बाद 16,541.82 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष राशि, भारत सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (भारत सरकार से अग्रिम – बीएसआरपी परियोजना – भूमि अधिग्रहण) के रूप में दर्शाया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को भारत सरकार से बीएसआरपी परियोजना – भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम के रूप में 59,000 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। भारत सरकार के दिनांक 05–12–2024 के पत्र के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि 16,541.82 लाख रुपये की राशि को अधीनस्थ ऋण माना जाना चाहिए। शेष 59,000 लाख रुपये की राशि के लिए, भारत सरकार से इसे अधीनस्थ ऋण या अनुदान–सहायता के रूप में मानने की कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। हमारी राय में भूमि अधिग्रहण के लिए भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम राशि 59,000 लाख रुपये को, सरकारी अनुदान लेखांकन संबंधी औद्योगिक अधिनियम 20 – आस्थगित सरकारी अनुदान के अनुच्छेद 12 और 13 के अनुसार पूंजीगत व्यय के लिए सरकारी अनुदान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित सरकारी अनुदानों का कम आकलन और दीर्घकालिक ऋणों का 17,101.25 लाख रुपये तथा अन्य इक्विटी का 41,898.75 लाख रुपये का अधिक आकलन हुआ है, और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii के खंड ii का अनुपालन भी नहीं हुआ है।	कर्नाटक सरकार के सरकारी आदेश संख्या UDD 27 PRJ 2020, बेंगलुरु दिनांक 07.07.2020 और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के स्वीकृति आदेश संख्या 2019/JV Cell/KRIDE/BSTP/EBR/07 दिनांक 21.10.2020 के अनुसार रेल परियोजना (BSRP) के लिए भूमि और पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास की लागत कर्नाटक सरकार द्वारा अधीनस्थ ऋण के माध्यम से वहन की जानी है। चूंकि, K-RIDE को भूमि अधिग्रहण के मद में धनराशि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए स्वीकृत निधि पैटर्न के आधार पर इसे K-RIDE के लेखा बही में अधीनस्थ ऋण (दीर्घकालिक उधार) के रूप में दर्ज किया गया है।
10.	कंपनी को 31.03.2024 तक शेयर आवेदन राशि के रूप में MOR से 50,000 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। कुल 50,000 लाख रुपये की राशि में से कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान शेयर पूंजी में 48,039.22 लाख रुपये स्थानांतरित किए हैं और शेष 1,960.79 लाख रुपये को दीर्घकालिक ऋणों के अंतर्गत एमओआर–बीएसआरपी से अनुदान के रूप में दिखाया गया है। हमारी राय में उपरोक्त शेष 1,960.79 लाख रुपये को आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि का कम आकलन और दीर्घकालिक ऋणों का 1,960.79 लाख रुपये का अधिक आकलन हुआ है, और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii के खंड ii का अनुपालन नहीं हुआ है। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अभी भी अनसुलझा है।	97वीं बोर्ड बैठक में यह संकल्प लिया गया कि K-RIDE में GOK और MOR द्वारा इक्विटी के तहत इक्विटी निवेश के लिए शेयरों का आवंटन K-RIDE के GOK में निहित प्रावधानों के अनुसार 51:49 के अनुपात में होगा, ताकि BSRP के तहत इक्विटी में असमान हिस्सेदारी से बचा जा सके। यह भी संकल्प लिया गया कि BSRP के तहत समय–समय पर जारी की गई GOK की 50% इक्विटी हिस्सेदारी को 51% इक्विटी माना जाएगा और MOR की आनुपातिक 49% इक्विटी की गणना BSRP के तहत समय–समय पर जारी की गई MOR की 50% इक्विटी हिस्सेदारी से की जाएगी और BSRP के तहत समय–समय पर MOR से प्राप्त शेष अतिरिक्त इक्विटी राशि को MOR से अनुदान माना जाएगा। अतः इसे दीर्घकालिक ऋणों के अंतर्गत दर्शाया गया है। 110वीं बोर्ड बैठक में बीएसआरपी परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों को के–राइड से बी–राइड को हस्तांतरित करने का संकल्प लिया गया है। यह पूरी प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी हो जाएगी। आवश्यक कार्रवाई जारी है।
11.	सरकारी आयोग (GOK) और वित्त मंत्रालय (MOR) से प्राप्त अप्रयुक्त धनराशि को कंपनी ने बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया है। 31.03.2025 तक इन सावधि जमाओं पर अर्जित 5166.00 लाख रुपये (शुद्ध राशि) के ब्याज को पूंजीगत कार्य–प्रगति से घटा दिया गया है, जैसा कि लेखा नोटों के नोट संख्या 3(व) में दर्शाया गया है। सरकारी आयोग द्वारा 16,541.82 लाख रुपये तक के अनुदान को अधीनस्थ ऋण के रूप में लेखांकन विधि से अनुमोदित किया गया है, जबकि शेष 59,000 लाख रुपये के लिए सरकार ने अभी तक इसे अनुमोदित नहीं किया है। इसके अलावा 97वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार वित्त मंत्रालय (MOR) से प्राप्त शेयर आवेदन राशि के शेष को अनुदान के रूप में माना गया है और इसे भी अभी तक वित्त मंत्रालय (MOR) द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। अतः धनराशि की सही प्रकृति के अभाव में हम पूंजीगत कार्य–प्रगति से घटाई गई ब्याज आय के लेखांकन विधि के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज था और अभी तक अनसुलझा है।	बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) के लिए स्वीकृत वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार कर्नाटक सरकार के आदेश संख्या यूडीडी 27 पीआरजे 2020, बेंगलुरु दिनांक 07.07.2020 और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के स्वीकृति आदेश संख्या 2019/जेवी सेल/के आरआईडीई/बीएसटीपी/ईबीआर/07 दिनांक 21.10.2020 के अनुरूप बीएसआरपी के लिए भूमि तथा पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना की लागत कर्नाटक सरकार द्वारा अधीनस्थ ऋण के माध्यम से वहन की जानी है। 660 करोड़ रुपये की राशि को कर्नाटक सरकार द्वारा अधीनस्थ ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है। हालांकि, 660 करोड़ रुपये में से 500 करोड़ रुपये को इक्विटी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान अर्जित एफडी ब्याज बीएसआरपी परियोजना के लिए प्राप्त इक्विटी फंड बैलेंस से है, इसलिए इसे लाभ एवं हानि विवरण में अप्रत्यक्ष आय के रूप में दर्शाया गया है।

12.	कंपनी ने कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (केवीएएफएसयू) से 27,36,17,300/- रुपये में भूमि का अधिग्रहण किया है (भुगतान 13/04/2023 को किया गया और कब्जा 04/05/2023 को लिया गया)। कार्यालय नोट के क्रमांक 54 के अनुसार, कंपनी को परिसर की दीवार का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है। कंपनी ने परिसर की दीवार के निर्माण लागत के लिए देयता का निर्धारण नहीं किया है और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए हम पूंजीकृत भूमि की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं। इस मामले की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी और यह अनसुलझा है।	कंपाउंड वॉल के निर्माण लागत की देयता का निर्धारण तभी किया जा सकता है जब संबंधित अलाइनमेंट पर निर्माण कार्य शुरू हो जाए और साइट पर आवश्यकता के आधार पर कंपाउंड वॉल की लंबाई निर्धारित की जा सके। इसलिए, संबंधित अलाइनमेंट पर निर्माण कार्य शुरू होने और इंजीनियरिंग विभाग से इसकी पुष्टि होने के बाद ही प्रावधान बनाया जाएगा।
13.	31 मार्च 2025 तक, लेखा संबंधी नोट्स के नोट संख्या 25 के अनुसार, मेसर्स आरएमएनआईएल एंड बीआईडीपीएल (जेवी), हैदराबाद से 570.41 लाख रुपये की राशि अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत सुरक्षा जमा के रूप में दर्ज है, हालांकि ठेकेदार से वास्तव में इसकी वसूली नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां इस राशि से अधिक दर्शायी गई हैं। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 तक, लेखा संबंधी नोट्स के नोट संख्या 14 के अनुसार, 299.54 लाख रुपये की राशि अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वसूली - आरएमएनआईएल एंड बीआईडीपीएल (जेवी) के रूप में दर्ज है। कंपनी ने खुलासा किया है कि यह राशि असुरक्षित और संदिग्ध मानी जाती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, चालू परिसंपत्तियों और लाभ को 299.54 लाख रुपये से अधिक दर्शाया गया है। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा ही रहा।	वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न ऋण समझौतों के माध्यम से मेसर्स आरएमएनआईएल-बीआईडीपीएल संयुक्त उद्यम को दिए गए कुल 5 अनुबंधों को के-राइड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यों की धीमी प्रगति के कारण समाप्त कर दिया है। तदनुसार, प्रस्तुत पूर्ण प्रदर्शन गारंटी को भुना लिया गया है और चालू बिलों से वसूल की गई सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लिया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान के-राइड के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। सभी 5 अनुबंधों के अंतिम बिल पीएमसी/आरआईटीईएस से प्राप्त हो चुके हैं और केआरआईडीई द्वारा इनकी जाँच की जा रही है। बिलों की जाँच के बाद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
14.	31 मार्च 2025 तक, लेखा संबंधी नोट्स के नोट संख्या 25 के अनुसार, मेसर्स बावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंगलोर से वसूल की गई सुरक्षा जमा राशि अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत 74.28 लाख रुपये की राशि के रूप में दर्ज है। यह राशि वास्तव में ठेकेदार से वसूल नहीं की गई है, जबकि कंपनी की नीति के अनुसार अनुबंध समाप्त होने पर इसे जब्त कर लिया जाना चाहिए था और आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां 74.28 लाख रुपये से अधिक दिखाई दे रही हैं। इस मामले की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी और यह अनसुलझा है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 तक उसी ठेकेदार से संबंधित प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में 18.30 लाख रुपये की राशि नोट संख्या 25 के अनुसार अन्य चालू देनदारियों में सुरक्षा जमा के अंतर्गत शामिल है। यह राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है, जबकि कंपनी की नीति के अनुसार इसे जब्त कर लिया जाना चाहिए था और आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां 18.30 लाख रुपये से अधिक दर्शायी गई हैं। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।	मेसर्स बावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित कुल 2 अनुबंध, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न ऋण अनुबंधों के माध्यम से दिए गए थे, के-राइड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यों की धीमी प्रगति के कारण समाप्त कर दिए गए हैं। तदनुसार, प्रस्तुत पूर्ण प्रदर्शन गारंटी को भुना लिया गया है और चालू बिलों से वसूल की गई सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली गई है और इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान के-राइड के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। सभी अनुबंधों के अंतिम बिल पीएमसी/आरआईटीईएस से प्राप्त हो गए हैं और के-राइड द्वारा उनकी जांच की जा रही है। बिलों की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
15.	हम निम्नलिखित शेष राशियों के वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं, जिनकी पुष्टि उन पक्षों द्वारा नहीं की गई है जिन्हें शेष राशियों की सीधी पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे। (₹ लाख रुपये में) **खाते का विवरण** | **पुष्टि के लिए भेजे गए पत्रों में कवर की गई राशि** | **राशि जिसके लिए पुष्टि प्राप्त हुई है** | **राशि जिसके लिए पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है** व्यापार देय | 612.74 | 158.40 | 454.34 व्यापार प्राप्य | 12,163.07 | - | 12,163.07	31.03.2025 तक के शेषों के लिए पुष्टिकरण पत्र सभी लेनदारों को भेजा गया है, जिसमें यह नोट है कि यदि यह पत्र/ई-मेल प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो K-RIDE शेष राशि को स्वतः पुष्टिकरण मान लेगा।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए के–राइड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट में वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ

क्रम सं.	योग्य राय का आधार	प्रबंधन के उत्तर
1.	दोहरीकरण परियोजना के विद्युत कार्य (वाईपीआर–सीएचएन) और सिग्नलिंग कार्य (बीवाईपीएल–एचएसआर) के संबंध में वास्तविक व्यय अनुमानित लागत से क्रमशः 195.21 लाख रुपये और 1,063.05 लाख रुपये अधिक हैं। अतिरिक्त व्यय के लिए एसडब्ल्यूआर से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 03/2022 दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से जीएसटी दर 12% से बढ़कर 18% होने के तुरंत बाद कोई संशोधित अनुमानित लागत प्राप्त नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप समय पर संशोधित अनुमानित लागत प्राप्त करने में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त रही है।	अनुमोदित स्वीकृत अनुमान/डीपीआर के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर 14.07.2022 यानी वित्तीय वर्ष 2022–23 को हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, रेलवे द्वारा वर्ष 2018 में तैयार किए गए उपरोक्त स्वीकृत अनुमान के आधार पर दोहरीकरण का कार्य के–राइड को हस्तांतरित किया गया था। वर्तमान में के–राइड के कार्यकारी अनुभाग ने लागत वृद्धि और जीएसटी दर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान तैयार किया है और अनुमोदन के लिए एसडब्ल्यूआर (एमओआर) को प्रस्तुत किया है। एमओआर एवं केके सरकार के अनुमोदन के बाद इस पर तदनुसार विचार किया जाएगा।
2.	14 जुलाई 2022 को दोहरीकरण परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन के क्रमांक 6 के अनुसार, परियोजना जुलाई 2020 से 36 महीनों के भीतर पूरी की जानी थी। आज तक, परियोजना पूरी नहीं हुई है। अवधि विस्तार के लिए लिखित में कोई पारस्परिक सहमति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने के लिए विस्तार प्राप्त करने में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।	दोहरीकरण के लिए समझौता ज्ञापन की समझौते की शर्तों (क्रम संख्या 1) के अनुसार, यह समझौता ज्ञापन तब तक वैध रहेगा जब तक कि दोनों परियोजनाएं दोष दायित्व अवधि/रखरखाव अवधि सहित सभी पहलुओं में पूरी नहीं हो जातीं और पूर्णता रिपोर्ट विधिवत तैयार नहीं हो जाती और दोनों पक्षों द्वारा सहमत नहीं हो जाती। उपरोक्त के मद्देनजर, समझौता ज्ञापन अभी भी वैध है। हालांकि, अवधि विस्तार के लिए दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति समय रहते प्राप्त कर ली जाएगी।
3.	दोहरीकरण परियोजना से संबंधित 14 जुलाई 2022 के समझौता ज्ञापन संख्या 14 के अनुसार, अंतिम स्थान सर्वेक्षण के बाद रेलवे को आवश्यक भूमि का विवरण प्रस्तुत किया जाना था। दोनों दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे परियोजना के पूरा होने में देरी हो सकती है।	रेलवे द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण किया जा चुका है। दोहरीकरण परियोजनाओं में कोई बड़ा भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं है। हालांकि, यदि किसी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होती है, तो उस पर मामले–दर–मामले आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
4.	कंपनी के पास पक्षों से नियमित अंतराल पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कोई उचित नियंत्रण प्रणाली नहीं है।	31.03.2025 तक की शेष राशि की पुष्टि के लिए सभी लेनदारों को पत्र भेजा गया है, जिसमें यह नोट शामिल है कि यदि इस पत्र/ई–मेल की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो के–राइड शेष राशि की स्वतः पुष्टि मान लेगा।
5.	हम आपका ध्यान हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के पैरा 5 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें 25,336 लाख रुपये की धनराशि इडठझ परियोजना से रेलवे दोहरीकरण परियोजना में स्थानांतरित की गई है।	अस्थायी व्यवस्था के रूप में, K-RIDE ने कार्य लक्ष्य और संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए दोहरीकरण परियोजना के लिए BSRP निधि का उपयोग किया है, क्योंकि दोनों परियोजनाओं को कर्नाटक सरकार और रेलवे मंत्रालय द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। के–राइड से दोहरीकरण परियोजना के लिए धनराशि प्राप्त होने पर यह राशि बीएसआरपी परियोजना को वापस कर दी जाएगी।

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए के-राइड के समेकित वित्तीय विवरण पर वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाए

क्रम सं.	योग्य राय का आधार	प्रबंधन के उत्तर
1.	ँहोल्डिंग कंपनी मुख्य रूप से रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में लगी हुई है और इससे संबंधित निधियों का संचालन कर रही थी। हालाँकि, पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान होल्डिंग कंपनी ने बैंगलोर उपनगरीय रेलवे परियोजना (इसके बाद बीएसआरपी परियोजना) के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार (इसके बाद जीओके कहा जाएगा) और रेल मंत्रालय (इसके बाद एमओआर कहा जाएगा) से निधियाँ प्राप्त करना शुरू कर दिया। प्राप्त निर्देशों के अनुसार, होल्डिंग कंपनी ने बीएसआरपी परियोजना के निष्पादन के लिए बीआरआईडीई को अपनी सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया है। इस बीच, बीएसआरपी परियोजना के लिए जीओके और एमओआर से प्राप्त निधियाँ; बीएसआरपी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक सहायक कंपनी बनाने के बावजूद, होल्डिंग कंपनी ने जीओके और एमओआर से प्राप्त धनराशि को होल्डिंग कंपनी की शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया है। यद्यपि होल्डिंग कंपनी बीएसआरपी परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है, फिर भी संपूर्ण बीएसआरपी धनराशि और संबंधित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को बीआरआईडीई को हस्तांतरित करने के लिए बातचीत चल रही है। इस मुद्दे पर जीओके और एमओआर दोनों की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। एमओआर को शेयर आवंटित करके, होल्डिंग कंपनी ने एमओआर को अपने मौजूदा परिचालन का 49% शेयरधारक बना दिया है, जो कि उचित नहीं था। इससे होल्डिंग कंपनी के माध्यम से बीएसआरपी परियोजना के कार्यान्वयन की निरंतरता पर संदेह उत्पन्न हो गया है। इसका लेखांकन संबंधी मुद्दों, शेयरधारिता संबंधी मुद्दों और व्यवसाय की निरंतरता संबंधी मुद्दों आदि पर प्रभाव पड़ता है। स्पष्टता के अभाव में, हम होल्डिंग कंपनी पर पड़ने वाले वित्तीय और अन्य प्रभावों का सटीक आकलन करने में असमर्थ हैं।	प्रशासनिक कारणों से, के-राइड ने बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी)/बेंगलुरु उपनगरीय परिवहन परियोजना (बीएसटीपी) के कार्यान्वयन के संबंध में अपना कारोबार जारी रखा और दोनों सरकारों द्वारा स्वीकृत निधि पैटर्न (अर्थात् 51% के.जी. और 49% के.जी.) के आधार पर संबंधित सरकारों (अर्थात् 51% के.जी. और 49% के.जी.) से निधि प्राप्त की। हालांकि, 110वीं बोर्ड बैठक में यह संकल्प लिया गया है कि बीएसआरपी/बीएसटीपी परियोजना से संबंधित सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को के-राइड से बीआई-राइड को हस्तांतरित कर दिया जाए, जिसका गठन विशेष रूप से बीएसआरपी/बीएसटीपी के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए किया गया है। यह पूरी प्रक्रिया अगले छह से नौ महीनों के भीतर पूरी हो जाएगी। आवश्यक कार्रवाई जारी है। इसलिए, बीएसआरपी व्यवसाय की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड की स्वीकृति और सरकार के निर्देशों के अनुसार, परियोजना और उससे संबंधित सभी परिसंपत्तियां, देनदारियां, संविदात्मक दायित्व, अधिकार और जिम्मेदारियां एक चालू व्यवसाय के रूप में बीआई-राइड को हस्तांतरित की जा रही हैं। हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी होने तक, के-राइड बीएसआरपी/बीएसटीपी से संबंधित अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखेगी और लागू लेखा मानकों और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक लेखांकन प्रक्रियाएं की जाएंगी। साथ ही, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दोहरीकरण परियोजनाओं का निष्पादन के-राइड द्वारा जारी रहेगा।
2.	होल्डिंग कंपनी दक्षिण-पश्चिमी रेलवे (संक्षेप में डथठ) की दो रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। होल्डिंग कंपनी राजस्व की पहचान के लिए लागत व्यय विधि/इनपुट विधि के आधार पर पूर्णता प्रतिशत विधि का पालन कर रही है। चूंकि होल्डिंग कंपनी इनपुट विधि का उपयोग कर रही है, इसलिए वर्तमान अनुमानित लागत के आधार पर राजस्व की पहचान करना उचित है। हालांकि, होल्डिंग कंपनी 14-07-2022 को स्वीकृत लागत के आधार पर राजस्व की पहचान कर रही है। होल्डिंग कंपनी और डथठ के बीच 14.07.2022 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, विस्तृत रिपोर्ट और विस्तृत अनुमान में कोई भी परिवर्तन डथठ द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। होल्डिंग कंपनी ने वर्तमान दरों के आधार पर एक विस्तृत संशोधित अनुमानित लागत प्रस्तुत की है, जिसे तकनीकी टीम द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है, और इसे चजठ को सौंप दिया गया है। मूल अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच निम्नलिखित अंतर हैं।	राजस्व की मान्यता स्वीकृत अनुमान (14.07.2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, यानी वित्तीय वर्ष 2022-23) के आधार पर की गई है और इसका विवरण लेखा-पत्रों में दिया गया है। हालांकि, के-राइड ने लागत वृद्धि और जीएसटी दर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान तैयार किया है, जिसे अनुमोदन के लिए एसडब्ल्यूआर को प्रस्तुत किया गया है। एसडब्ल्यूआर और कर्नाटक सरकार के अनुमोदन के बाद, इस पर तदनुसार विचार किया जाएगा।

	(₹ लाख रुपये में) | परियोजना का नाम	यशवंतपुर–चन्नासंद्रा दोहरीकरण	बैयप्पनहल्ली–होसूर दोहरीकरण
मूल अनुमान दिनांक 14–07–2022	31,411	49,873
संशोधित अनुमान एमओआर को प्रस्तुत किया गया, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ	68,357	1,16,077
अंतर	**–36,946**	**–66,204** | हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज तक संशोधित अनुमानित लागत को एसडब्ल्यूआर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। संशोधित अनुमोदित अनुमानित लागत के अभाव में, हम राजस्व और लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा है।	
3.	रिपोर्टिंग अवधि के लिए शुद्ध लाभ 1,027.05 लाख रुपये है, जिसमें 1,577.52 लाख रुपये की बैंक ब्याज आय शामिल है। होल्डिंग कंपनी एक कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, पर्यवेक्षण शुल्क का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करती है और सामान्य व्यवसाय संचालन के दौरान परिचालन हानि नहीं उठा सकती है। हालांकि, ब्याज आय को छोड़कर, होल्डिंग कंपनी को करों से पहले 550.47 लाख रुपये की हानि हुई है। हानि का मुख्य कारण यह है कि होल्डिंग कंपनी ने रेल मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन के लिए अपनी तकनीकी टीम द्वारा विधिवत अनुमोदित एक विस्तृत संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक रेल मंत्रालय ने संशोधित अनुमान को अनुमोदित नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व और प्राप्य शेष राशि में कमी आई है। पूर्ण जानकारी के अभाव में हम कम राजस्व की सीमा और संबंधित प्राप्य राशि के मूल्य का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हैं। इससे आगामी वित्तीय वर्षों में भारतीय लेखा मानकों संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इंड एएस के अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित खातों में किए गए किसी भी समायोजन को उन वित्तीय वर्षों पर लागू किया जाना चाहिए और पिछले वित्तीय वर्षों के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।	राजस्व की मान्यता स्वीकृत अनुमान/डीपीआर (14.07.2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, यानी वित्तीय वर्ष 2022–23) के आधार पर की गई है और इसका विवरण खातों के नोटों में दिया गया है। हालांकि, के–राइड ने लागत वृद्धि और जीएसटी दर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान तैयार किया है, जिसे अनुमोदन के लिए एसडब्ल्यूआर को प्रस्तुत किया गया है। एसडब्ल्यूआर और कर्नाटक सरकार के अनुमोदन के बाद, इस पर तदनुसार विचार किया जाएगा। वित्तीय नोट संख्या 32(क) में दिए गए विवरण के अनुसार, आनुपातिक लागत सहित बीएसआरपी से संबंधित सभी व्यय पूंजीगत कार्य प्रगति में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जबकि दोहरीकरण/प्रशासनिक और सामान्य ओवरहेड व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं। (अर्थात, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन जैसे सहायक विभागों से संबंधित व्यय और सामान्य ओवरहेड व्यय लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।)
4.	निर्दिष्ट मार्गों पर रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना होल्डिंग कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय (संक्षेप में एमओआर) और कर्नाटक सरकार (संक्षेप में जीओके) की संयुक्त भागीदारी से चलाई जा रही है। एमओआर और जीओके दोनों ने परियोजना में समान अनुपात में योगदान दिया है। कार्यप्रणाली यह है कि होल्डिंग कंपनी सहमत शर्तों के अनुसार रेल मंत्रालय को चालान जारी करेगी। इन चालानों के बदले एमओआर और जीओके दोनों से धनराशि प्राप्त की जानी होगी। यद्यपि जीओके अपने 50% शेयर का योगदान दे रही है, फिर भी होल्डिंग कंपनी द्वारा सभी बिलिंग समझौते की शर्तों के अनुसार एमओआर को की जाएगी। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीओके सीधे होल्डिंग कंपनी को धनराशि सौंपेगी। होल्डिंग कंपनी द्वारा बिल जारी किए जाने पर एमओआर अपना हिस्सा जारी करेगी। विवेक के तौर पर और होल्डिंग कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष चित्रण करने के लिए, होल्डिंग कंपनी को होल्डिंग कंपनी, एमओआर और जीओके के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार अनुबंध राजस्व का हिसाब देना होगा।	बजट में निर्धारित राशि (उस वर्ष के लिए और उपलब्ध धनराशि के आधार पर) के अनुसार धनराशि जारी की जाएगी। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कर्नाटक सरकार ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान केवल 100 करोड़ रुपये ही जारी किए हैं और दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए कर्नाटक सरकार से कोई और धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। के–राइड द्वारा कर्नाटक सरकार से आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और धनराशि की कमी का हवाला देते हुए आधिकारिक पत्रों के माध्यम से उससे संपर्क किया जा रहा है। अस्थायी व्यवस्था के रूप में के–राइड ने कार्य लक्ष्य और संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए दोहरीकरण परियोजना के लिए बीएसआरपी निधि से 171.89 करोड़ रुपये का उपयोग किया है, क्योंकि दोनों परियोजनाओं को कर्नाटक सरकार और अनुसंधान मंत्रालय द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया गया है। यह राशि कर्नाटक सरकार से दोहरीकरण परियोजना के लिए धनराशि प्राप्त होने पर बीएसआरपी परियोजना में वापस कर दी जाएगी।

	चूंकि प्रत्येक प्रतिभागी परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि का 50% योगदान देता है, इसलिए होल्डिंग कंपनी के प्राप्य शेष में आदर्श रूप से कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण होना चाहिए। जैसा कि खातों से देखा जा सकता है, रेल मंत्रालय ने बिल जारी होने पर अपना हिस्सा जारी कर दिया है। हालांकि, अनुबंध राजस्व, जारी की गई धनराशि और प्राप्य शेष के संबंध में कर्नाटक सरकार या चजठ से कोई लिखित शेष पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। K-RIDE के लिए रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार बाहरी ग्राहकों की तरह हैं, और के-राइड कर्नाटक सरकार के बजट आवंटन से बाध्य नहीं है। सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में कंपनी को भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व का लेखा-जोखा करना होता है और प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त होने वाली धनराशि को लेखा-पुस्तकों में दर्शाना होता है। होल्डिंग कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोहरीकरण परियोजनाओं के संबंध में 31 मार्च 2025 तक निष्पादित कार्य और प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है: **दोहरीकरण** | **अनुमानित (रूपये)** | **31.03.2025 तक व्यय** | **31.03.2025 तक जारी राशि** | **कमी/ अतिरिक्त** **रेल मंत्रालय** | 40,642 | 35,336 | 10,000 | 25,336 **कर्नाटक सरकार** | 40,642 | 35,336 | 43,483 | -8,147 | **81,283** | **70,672** | **53,483** | **17,189** हमारे विचार में रेल मंत्रालय ने अतिरिक्त धन जारी किया है, और कर्नाटक सरकार को के-राइड को अपना बकाया चुकाना होगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि रेल मंत्रालय से प्राप्त अतिरिक्त राशि अग्रिम राशि है या राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रस्तुत विवरण के अनुसार कर्नाटक सरकार ने आज की तारीख में 10000 लाख रुपये दिए हैं और प्राप्य शेष राशि 25,336 लाख रुपये है। मान लीजिए कि रेल मंत्रालय ने 8,147 लाख रुपये अतिरिक्त जारी किए हैं। कंपनी को रेल मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम राशि और उसके अनुरूप शेष राशि 25,336 लाख रुपये दिखानी होगी। इससे खातों के सही और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण पर असर पड़ा है, क्योंकि चालू परिसंपत्तियों को 25,336 लाख रुपये कम दिखाया गया है और चालू देनदारियों को 8,147 लाख रुपये कम दिखाया गया है।	सरकारी आदेश (जीओ) जारी होने पर ही प्राप्य राशि का लेखा-जोखा किया जाएगा। (चूंकि, बजट आवंटित होने के बावजूद, निधियों की उपलब्धता और विभिन्न मापदंडों के आधार पर ही निधियों की रिहाई होगी)। इसलिए, केवल बजट आवंटन के आधार पर किसी भी प्राप्य राशि को मान्यता नहीं दी जाएगी; मान्यता तभी दी जाएगी जब किसी विशेष वर्ष में निधियों की रिहाई को मंजूरी देने वाले जीओ द्वारा उचित आश्वासन दिया गया हो।
5.	इसके अतिरिक्त, चूंकि भारत सरकार ने अपना बकाया नहीं चुकाया है, इसलिए ठेकेदार को देय राशि उस सीमा तक बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन हमारे सत्यापन से पता चला कि बीएसआरपी परियोजना के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया गया है और परिणामस्वरूप ठेकेदारों को कोई बकाया राशि देय नहीं है। बीएसआरपी परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधियों से ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए, होल्डिंग कंपनी प्रबंधन को कर्नाटक सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी, क्योंकि ये निधियां कर्नाटक सरकार के निर्दिष्ट बजटीय आवंटन से आवंटित की जाती हैं और चूंकि इन्हें कर्नाटक विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है और परियोजना-विशिष्ट निधियां प्राप्त होती हैं, इसलिए एक परियोजना से दूसरी परियोजना में निधियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप होल्डिंग कंपनी को प्राप्त वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण कर्नाटक सरकार की लिखित अनुमति के बिना 25,336 लाख रुपये की निधियों का हस्तांतरण हुआ है।	
6.	होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना से संबंधित मूल लागत अनुमान में विद्युत, सिग्नलिंग और दूरसंचार तथा ओएचई जैसे अलग-अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में त्रुटियां हैं। 269.92 लाख रुपये के शुद्ध अंतर को कुल अनुमानित लागत में जोड़ दिया गया है। हालांकि, अनुमानित लागत में इन परिवर्धनों या कटौतियों के कारण दिशा एवं सामान्य शुल्कों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विद्युत, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तथा विद्युत एवं	चूंकि मूल स्वीकृत अनुमान को दिशा एवं सामान्य घटक सहित पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है, इसलिए राजस्व को अनुमोदित स्वीकृत अनुमान/डीपीआर के आधार पर मान्यता दी जाती है। हालांकि, संशोधित/सुधारित दिशा एवं सामान्य शुल्क (विभागीय शुल्क) को संशोधित अनुमान में शामिल किया गया है, जो अनुमोदन की प्रक्रिया में है।

	विद्युत (ओएचई) जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में उल्लिखित दिशा एवं सामान्य शुल्कों की सटीक राशि को ही राजस्व की मान्यता के लिए विचारणीय माना जाता है। इस संबंध में हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं। इस मामले की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी और यह अनसुलझी बनी हुई है।	
7.	होल्डिंग कंपनी ने होल्डिंग कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि पर बृहत् बेंगलुरु महानगर अधिनियम, 2020 के तहत संपत्ति कर की देयता का निर्धारण नहीं किया है। वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी द्वारा संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।	होल्डिंग कंपनी ने बृहत् बेंगलुरु महानगर अधिनियम, 2020 के तहत संपत्ति कर की देयता का निर्धारण नहीं किया है। के–राइड के नाम पर कथा हस्तांतरण पूरा होने पर संपत्ति कर का आकलन किया जा सकता है। अधिग्रहित संपत्तियों के संपत्ति खातों को के–राइड के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। कथा हस्तांतरण पूरा होने पर, भूमि विभाग द्वारा संपत्ति कर की गणना की जाएगी और बहीखातों में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। बीबीएमपी कार्यालय में हाल ही में हुए सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण, खाता हस्तांतरण की प्रक्रिया अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है और फिलहाल आगे हस्तांतरण संभव नहीं है। हालांकि, शेष मामलों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई चल रही है और खाता पंजीकरण में तेजी लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में के–राइड के प्रबंध निदेशक ने बीबीएमपी के विशेष आयुक्त (राजस्व) को दिनांक 03.02.2025 को एक पत्र जारी कर के–राइड के पक्ष में खाता हस्तांतरण प्रक्रिया को सुगम और त्वरित बनाने के लिए सिस्टम में उपयुक्त संशोधन करने का अनुरोध किया है।
8.	होल्डिंग कंपनी दोहरीकरण परियोजना से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय के संबंध में जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रही है और सीजीएसटी/केजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट के लिए पात्र न होने के बहाने बीएसआरपी परियोजना से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा रही है। हालांकि, चूंकि बीएसआरपी परियोजना को एक अलग इकाई को हस्तांतरित किया जाना है, हमारे विचार में होल्डिंग कंपनी रेल मंत्रालय को निर्माण अनुबंध की आपूर्ति कर रही है और एमआरओ और जीओके से प्राप्त निधियों से न्यासी क्षमता में पूंजीगत व्यय कर रही है। इसलिए, होल्डिंग कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकती थी। इसके अलावा, दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए आवंटित सामान्य व्यय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है और इसे लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया गया है। जानकारी के अभाव में, हम लाभ पर प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं। बीएसआरपी परियोजना के संबंध में इनपुट 3,365.57 लाख रुपये है। इस मामले की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी और यह अनसुलझा है।	वर्तमान में के–राइड दो दोहरीकरण परियोजनाओं के साथ–साथ बीएसआरपी परियोजना को भी कार्यान्वित कर रही है। के–राइड ने दोहरीकरण परियोजना से संबंधित जीएसटी इनपुट का दावा किया है, जबकि बीएसआरपी परियोजना से संबंधित इनपुट का दावा नहीं किया गया है, क्योंकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के तहत इसे अवरुद्ध कर दिया गया है। बीएसआरपी परियोजनाओं से संबंधित इनपुट और व्यय को पूंजीगत निर्माणाधीन परियोजना (डब्ल्यूआईपी) में शामिल किया गया है, जिस पर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16(3) के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास का दावा तब किया जाएगा जब परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाएगी। के–राइड ने अपने कर सलाहकार से प्राप्त विशेषज्ञ राय के आधार पर दोहरीकरण परियोजना के लिए आवंटित सामान्य व्यय पर जीएसटी इनपुट का दावा नहीं किया है।
9.	होल्डिंग कंपनी ने शेयर पूंजी में हस्तांतरण के बाद 16,541.82 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष राशि, भारत सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (भारत सरकार से अग्रिम – बीएसआरपी परियोजना – भूमि अधिग्रहण) के रूप में दर्शाया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी को भारत सरकार से बीएसआरपी परियोजना – भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम के रूप में 59,000 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। भारत सरकार के दिनांक 05–12–2024 के पत्र के अनुसार, 16,541.82 लाख रुपये की राशि को अधीनस्थ ऋण माना जाना चाहिए। शेष 59,000 लाख रुपये की राशि के लिए, भारत सरकार से इसे अधीनस्थ ऋण या अनुदान–सहायता के रूप में मानने के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।	बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) के लिए स्वीकृत वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार कर्नाटक सरकार के आदेश संख्या यूडीडी 27 पीआरजे 2020, बेंगलुरु दि. 07.07.2020 और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के स्वीकृति आदेश संख्या 2019/जेवी सेल/केआरआईडीई/बीएसटीपी/ईबीआर/07 दि. 21.10.2020 के अनुरूप बीएसआरपी के लिए भूमि और पुनर्निर्माण की लागत कर्नाटक सरकार द्वारा अधीनस्थ ऋण के माध्यम से वहन की जानी है। चूंकि केआरआईडीई को भूमि अधिग्रहण के मद में धनराशि प्राप्त हो चुकी है, इसलिए इसे स्वीकृत वित्तपोषण पैटर्न के आधार पर केआरआईडीई के लेखा बही में अधीनस्थ ऋण (दीर्घकालिक ऋण) के रूप में दर्ज किया गया है।

	हमारी राय में, भूमि अधिग्रहण के लिए भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम राशि 59,000 लाख रुपये को, सरकारी अनुदान लेखांकन संबंधी औद्योगिक अधिनियम 20 - आस्थगित सरकारी अनुदान के अनुच्छेद 12 और 13 के अनुसार, पूंजीगत व्यय के लिए सरकारी अनुदान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित सरकारी अनुदानों का अवमूल्यन और दीर्घकालिक ऋणों का 17,101.25 लाख रुपये तथा अन्य इक्विटी का 41,898.75 लाख रुपये का अतिमूल्यांकन हुआ है, और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii के खंड ii का अनुपालन भी नहीं हुआ है।	
10.	होल्डिंग कंपनी को 31.03.2024 तक शेयर आवेदन राशि के रूप में एमओआर से 50,000 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। कुल 50,000 लाख रुपये में से, होल्डिंग कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शेयर पूंजी में 48,039.22 लाख रुपये हस्तांतरित किए हैं और शेष 1,960.79 लाख रुपये को दीर्घकालिक उधार के तहत एमओआर - बीएसआरपी से अनुदान के रूप में दिखाया गया है। हमारी राय में, उपरोक्त शेष 1,960.79 लाख रुपये को आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि का कम आकलन और दीर्घकालिक उधार का 1,960.79 लाख रुपये का अधिक आकलन हुआ है, और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii के खंड ii का अनुपालन नहीं हुआ है। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।	97वीं बोर्ड बैठक में यह संकल्प लिया गया कि के-राइड में कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय द्वार बीएसआरपी के तहत इक्विटी निवेश के लिए शेयरों का आवंटन के-राइड के AOA में निहित प्रावधानों के अनुसार 51:49 के अनुपात में होगा और बीएसआरपी के तहत इक्विटी में असमान हिस्सेदारी से बचा जा सकेगा। यह भी संकल्प लिया गया कि बीएसआरपी के तहत समय-समय पर जारी की गई कर्नाटक सरकार की 50% इक्विटी को 51% इक्विटी माना जाएगा और रेल मंत्रालय की आनुपातिक 49% इक्विटी की गणना बीएसआरपी के तहत समय-समय पर जारी की गई रेल मंत्रालय की 50% इक्विटी से की जाएगी और बीएसआरपी के तहत समय-समय पर रेल मंत्रालय से प्राप्त शेष अतिरिक्त इक्विटी राशि को रेल मंत्रालय से अनुदान माना जाएगा। इसलिए, इसे दीर्घकालिक ऋणों के अंतर्गत दर्शाया गया है। 110वीं बोर्ड बैठक में बीएसआरपी परियोजना से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों को के-राइड से बी-राइड में स्थानांतरित करने का संकल्प लिया गया है। पूरी प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। आवश्यक कार्रवाई जारी है।
11.	सरकारी आयोग (जीओके) और एमओआर से प्राप्त अप्रयुक्त धनराशि को होल्डिंग कंपनी ने बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया है। 31.03.2025 तक इन सावधि जमाओं पर अर्जित 5166.00 लाख रुपये (शुद्ध राशि) के ब्याज को लेखा नोटों के नोट संख्या 3(डी) में उल्लिखित पूंजीगत कार्य-प्रगति से घटा दिया गया है। सरकारी आयोग द्वारा 16,541.82 लाख रुपये तक के अनुदान को अधीनस्थ ऋण के रूप में लेखांकन रूप से अनुमोदित किया गया है, जबकि शेष 59,000 लाख रुपये के लिए सरकार ने अभी तक अनुमोदन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, 97वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार, एमओआर से प्राप्त शेयर आवेदन राशि को अनुदान माना गया है और इसे अभी तक एमओआर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। अतः, निधियों की सही प्रकृति के अभाव में, हम ब्याज आय के लेखांकन उपचार के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं, जिसे पूंजीगत कार्य-प्रगति से घटाया गया है। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा है।	बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) के लिए स्वीकृत वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार, कर्नाटक सरकार के आदेश संख्या यूडीडी 27 पीआरजे 2020, बेंगलुरु दिनांक 07.07.2020 और रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के स्वीकृति आदेश संख्या 2019/जेवी सेल/के आरआईडीई/बीएसटीपी/ईबीआर/07 दिनांक 21.10.2020 के अनुरूप, बीएसआरपी के लिए भूमि और पुनर्निर्माण एवं पुनर्निर्माण की लागत कर्नाटक सरकार द्वारा अधीनस्थ ऋण के माध्यम से वहन की जानी है। 660 करोड़ रुपये की राशि को कर्नाटक सरकार द्वारा अधीनस्थ ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है। हालांकि, 660 करोड़ रुपये में से 500 करोड़ रुपये को इक्विटी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अर्जित एफडी ब्याज बीएसआरपी परियोजना के लिए प्राप्त इक्विटी फंड बैलेंस से है, इसलिए इसे लाभ एवं हानि विवरण में अप्रत्यक्ष आय के रूप में दिखाया गया है।
12.	होल्डिंग कंपनी ने कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (KVAFSU) से 27,36,17,300/- रुपये में भूमि का अधिग्रहण किया है, (भुगतान 13.04.2023 को किया गया और कब्ज़ा 04.05.2023 को प्राप्त हुआ)। कार्यालय नोट के क्रमांक 54 के अनुसार होल्डिंग कंपनी को परिसर की दीवार का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है। होल्डिंग कंपनी ने परिसर की दीवार के निर्माण लागत के लिए देयता का निर्धारण नहीं किया है और इसके लिए कोई प्रावधान भी नहीं किया है। इसलिए हम पूंजीकृत भूमि की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं। इस मामले की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी और यह अनसुलझी बनी हुई है।	परिसर की दीवार के निर्माण लागत के लिए देयता का निर्धारण तभी किया जा सकता है जब संबंधित सरेखण कार्य पर निर्माण कार्य शुरू हो जाए और साइट पर आवश्यकता के आधार पर परिसर की दीवार की लंबाई का निर्धारण किया जा सके। अतः उक्त सरेखण कार्य पर निर्माण कार्य शुरू होने और इंजीनियरिंग विभाग से इसकी पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही यह प्रावधान बनाया जाएगा।

13.	31 मार्च 2025 तक, लेखा संबंधी नोट्स के नोट संख्या 25 के अनुसार, मेसर्स आरएमएनआईएल और बिडपीएल (संयुक्त उद्यम), हैदराबाद से 570.41 लाख रुपये की राशि अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत सुरक्षा जमा के रूप में शामिल है, हालांकि ठेकेदार से वास्तव में इसकी वसूली नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां इस राशि से अधिक दर्शायी गई हैं। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा है।	मेसर्स आरएमएनआईएल–बिडपीएल संयुक्त उद्यम से संबंधित कुल 5 अनुबंध, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभिन्न ऋण अनुबंधों के माध्यम से दिए गए थे, वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यों की धीमी प्रगति के कारण के–राइड द्वारा समाप्त कर दिए गए हैं। तदनुसार, प्रस्तुत पूर्ण प्रदर्शन गारंटी भुना ली गई है और चालू बिलों से वसूल की गई सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली गई है और इसे वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान K-RIDE के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।
	इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 तक, खातों पर नोट्स के नोट संख्या 14 के अनुसार, 299.54 लाख रुपये की राशि अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वसूली – ठचछ्खडः और इखउङ्गडः (संयुक्त उद्यम) के रूप में दर्ज की गई है। होल्डिंग कंपनी ने खुलासा किया है कि यह राशि असुरक्षित और संदिग्ध मानी जाती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, चालू परिसंपत्तियों और लाभ को 299.54 लाख रुपये से अधिक दर्शाया गया है। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।	सभी 5 अनुबंधों के अंतिम बिल पीएमसी/आरआईटीईईएस से प्राप्त हो चुके हैं और केआरआईडीई द्वारा इनकी जाँच की जा रही है। बिलों की जाँच के बाद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वसूली संबंधी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
14.	31 मार्च 2025 तक, लेखा संबंधी नोट्स के नोट संख्या 25 के अनुसार, मेसर्स बावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंगलोर से वसूल की गई सुरक्षा जमा राशि को अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह राशि वास्तव में ठेकेदार से वसूल नहीं की गई है, जबकि कंपनी की नीति के अनुसार अनुबंध समाप्त होने पर इसे जब्त कर लिया जाना चाहिए था और आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां 74.28 लाख रुपये से अधिक दर्शाई गई हैं। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है। इसके अलावा, 31 मार्च 2025 तक, उसी ठेकेदार से संबंधित प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में 18.30 लाख रुपये की राशि नोट संख्या 25 के अनुसार अन्य चालू देनदारियों में सुरक्षा जमा के अंतर्गत शामिल है। यह राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है, जबकि कंपनी की नीति के अनुसार इसे जब्त कर लिया जाना चाहिए था और आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां 18.30 लाख रुपये से अधिक दिखाई गई हैं। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।	मेसर्स बावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित कुल 2 अनुबंध। वित्तीय वर्ष 2020–21 में विभिन्न ऋण समझौतों (एलओए) के माध्यम से अनुबंधित ठेकों को के–राइड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यों की धीमी प्रगति के कारण समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, प्रस्तुत पूर्ण प्रदर्शन गारंटी को भुना लिया गया है और चालू बिलों से वसूल की गई सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लिया गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान के–राइड के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है। सभी अनुबंधों के अंतिम बिल पीएमसी/आरआईटीईईएस से प्राप्त हो गए हैं और के–राइड द्वारा उनकी जांच की जा रही है। बिलों की जांच के बाद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वसूली की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
15.	होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों में दर्ज निम्नलिखित शेष राशियों का इंड एएस कॉन के समेकित वित्तीय विवरणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हम पता नहीं लगा सकते हैं। इन शेष राशियों की पुष्टि उन पक्षों द्वारा नहीं की गई है जिन्हें शेष राशियों की सीधी पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे। (₹ लाख रुपये में) खाते का विवरण | पुष्टि के लिए भेजे गए पत्रों में कवर की गई राशि | राशि जिसके लिए पुष्टि प्राप्त हुई है | राशि जिसके लिए पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है व्यापार देय | 612.74 | 158.40 | 454.34 व्यापार प्राप्य | 12,163.07 | – | 12,163.07	31.03.2025 तक के शेष के लिए पुष्टिकरण पत्र सभी लेनदारों को भेजा गया है, जिसमें यह नोट है कि यदि यह पत्र/ई–मेल प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो घठखअए शेष राशि को स्वतः पुष्टिकरण मान लेगा।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए के-राइड के समेकित वित्तीय विवरणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वैधानिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रियाएँ,

क्रम सं.	योग्य राय का आधार	प्रबंधन के उत्तर
1.	होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना के विद्युत कार्य (वाईपीआर-सीएचएन) और सिग्नलिंग कार्य (बीवाईपीएल-एचएसआर) के संबंध में, वास्तविक व्यय अनुमानित लागत से क्रमशः 195.21 लाख रुपये और 1,063.05 लाख रुपये अधिक हैं। अतिरिक्त व्यय के लिए एसडब्ल्यूआर से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 03/2022 दिनांक के अनुसार जीएसटी दर 12% से 18% होने के तुरंत बाद कोई संशोधित अनुमानित लागत प्राप्त नहीं की गई है। 13.07.2022। इसके परिणामस्वरूप, संशोधित अनुमानित लागत समय पर प्राप्त करने में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त रही।	अनुमोदित स्वीकृत अनुमान/डीपीआर के अनुसार, समझौता ज्ञापन पर 14.07.2022 यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 को हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, दोहरीकरण का कार्य के-राइड को उपरोक्त अनुमोदित अनुमान के आधार पर हस्तांतरित किया गया था, जिसे रेलवे ने वर्ष 2018 में तैयार किया था। वर्तमान में, के-राइड के कार्यकारी अनुभाग ने लागत वृद्धि और जीएसटी दर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए संशोधित अनुमान तैयार किया है और अनुमोदन के लिए एसडब्ल्यूआर (एमओआर) को प्रस्तुत किया है। एमओआर और आरओके सरकार के अनुमोदन पर, इस पर तदनुसार विचार किया जाएगा।
2.	होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना से संबंधित दिनांक 14 जुलाई 2022 के समझौता ज्ञापन के क्रमांक 6 के अनुसार, परियोजना जुलाई 2020 से 36 महीनों के भीतर पूरी की जानी थी। आज तक, परियोजना पूरी नहीं हुई है। अवधि विस्तार के लिए लिखित में कोई पारस्परिक सहमति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने के लिए विस्तार प्राप्त करने में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।	दोहरीकरण के लिए समझौता ज्ञापन की समझौते की शर्तों (क्रम संख्या 1) के अनुसार यह समझौता ज्ञापन तब तक वैध रहेगा जब तक कि दोनों परियोजनाएं दोष दायित्व अवधि/रखरखाव अवधि सहित सभी पहलुओं में पूरी नहीं हो जातीं और पूर्णता रिपोर्ट विधिवत तैयार नहीं हो जाती तथा दोनों पक्षों द्वारा सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। उपरोक्त के मद्देनजर समझौता ज्ञापन अभी भी वैध है। हालांकि, अवधि विस्तार के लिए दोनों पक्षों की पारस्परिक सहमति समय रहते प्राप्त कर ली जाएगी।
3.	होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना से संबंधित 14 जुलाई 2022 के समझौता ज्ञापन संख्या 14 के अनुसार, अंतिम स्थान सर्वेक्षण के बाद रेलवे को भूमि की आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत किया जाना था। दोनों दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे परियोजना के पूरा होने में देरी हो सकती है।	रेलवे द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण किया जा चुका है। दोहरीकरण परियोजनाओं में कोई बड़ा भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं है। हालांकि, यदि किसी भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो उस पर मामले-दर-मामले आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
4.	होल्डिंग कंपनी के पास पक्षों से नियमित अंतराल पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कोई उचित नियंत्रण प्रणाली नहीं है।	31.03.2025 तक की शेष राशि की पुष्टि के लिए सभी लेनदारों को पत्र भेजा गया है, जिसमें यह नोट लिखा है कि यदि इस पत्र/ई-मेल की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो के-राइड शेष राशि को स्वतः पुष्टि मान लेगा।
5.	हम आज ही प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के पैरा 4 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 25,336 लाख रुपये की धनराशि इडठझ परियोजना से रेलवे दोहरीकरण परियोजना में स्थानांतरित की गई है।	अस्थायी व्यवस्था के रूप में, के-राइड ने दोहरीकरण परियोजना के लिए BSRP निधि का उपयोग कार्य लक्ष्य और संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए किया है, क्योंकि दोनों परियोजनाओं को कर्नाटक सरकार और रेलवे मंत्रालय द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया जा रहा है। के-राइड से दोहरीकरण परियोजना के लिए धनराशि प्राप्त होने पर यह राशि बीएसआरपी परियोजना को वापस कर दी जाएगी।

ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा जारी टिप्पणियाँ प्राप्त करना आवश्यक है। पूरक लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, सी एंड एजी ने धारा 143(6)(ख) के तहत आवश्यक टिप्पणियाँ और शून्य रिपोर्ट कंपनी को जारी की है, जिसे कंपनी के सदस्यों के ध्यानार्थ कंपनी की 24वीं वार्षिक आम बैठक में रखा गया है। सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक – ख के रूप में संलग्न है।

ग) लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखापरीक्षा

कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों और तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष के कारोबार को ध्यान में रखते हुए, धारा 148 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। अतः विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

घ) सचिवीय लेखा परीक्षक

चूंकि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक एवं प्रबंधकीय कार्मिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अंतर्गत आती है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से मिलिंद कुलकर्णी एंड एसोसिएट्स, पीसीएस को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था और उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रपत्र संख्या एमआर 3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है। इस सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नक – खख के रूप में संलग्न है।

ङ) लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अनुसार, लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की है।

24. लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और प्रबंधन समिति की संरचना:

क) लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 01.07.2024 को किया गया था। 31.03.2025 तक लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री उमाशंकर एस. आर – समिति के अध्यक्ष
2. डॉ. विशाल आर – समिति के सदस्य
3. श्री आशुतोष माथुर – समिति के सदस्य
4. श्रीमती दीपा कोटनिस – समिति के सदस्य
5. डॉ. मंजुला एन – विशेष आमंत्रित सदस्य

इसके अलावा श्री उमाशंकर एस.आर. आईएएस की सेवानिवृत्ति के कारण K-RIDE के बोर्ड में निदेशक के परिवर्तन के परिणामस्वरूप 30.04.2025 से बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया है:

1. श्री तुषार गिरि नाथ – समिति के अध्यक्ष
2. डॉ. विशाल आर – समिति के सदस्य
3. श्री. आशुतोष माथुर – समिति के सदस्य
4. श्रीमती. दीपा कोटनिस – समिति के सदस्य
5. डॉ. मंजुला एन – विशेष। निमंत्रण पत्र

लेखापरीक्षा समिति की बैठक वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर दो बार हुई:

1. 29.07.2024
2. 13.12.2024

सदस्यों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

नाम	पदनाम	श्रेणी	वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित
श्री उमाशंकर एस. आर	अध्यक्ष	गैर–कार्यकारी एवं मनोनीत निदेशक	2	2
डॉ. विशाल आर	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं मनोनीत निदेशक	2	2
श्री आशुतोष माथुर	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं मनोनीत निदेशक	2	2
श्रीमती दीपा कोटनीस	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं मनोनीत निदेशक	2	2
डॉ. मंजुला एन	विशेष आमंत्रित	गैर–कार्यकारी एवं मनोनीत निदेशक	2	2

ख) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन 01.07.2024 को किया गया था। एन एंड आर समिति में 31.03.2025 तक निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री. उमाशंकर एस. आर – समिति के अध्यक्ष
2. डॉ. मंजुला एन – समिति की सदस्य
3. श्री. आशुतोष माथुर – समिति के सदस्य
4. श्री. अवधेश मेहता – समिति के सदस्य

इसके अलावा श्री उमाशंकर एस.आर. (आईएएस) की सेवानिवृत्ति के कारण के–राइड के बोर्ड में निदेशक के परिवर्तन के परिणामस्वरूप 30.04.2025 से बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया है:–

1. श्री. तुषार गिरि नाथ – समिति के अध्यक्ष
2. डॉ. मंजुला एन – समिति की सदस्य
3. श्री. आशुतोष माथुर – समिति के सदस्य
4. श्री अवधेश मेहता – समिति के सदस्य

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर तीन बार हुईं :–

1. 12.07.2024
2. 07.10.2024
3. 07.12.2024

नाम	पदनाम	श्रेणी	वर्ष 2024–25 के दौरान - आयोजित बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित
श्री उमाशंकर एस. आर.	अध्यक्ष	गैर–कार्यकारी एवं मनोनीत निदेशक	3	3
डॉ. मंजुला एन.	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं मनोनीत निदेशक	3	3
श्री आशुतोष माथुर	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं मनोनीत निदेशक	3	3
श्री अवधेश मेहता	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं मनोनीत निदेशक	3	3

ग) प्रबंधन समिति

दिनांक 01.07.2024 को प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। 31.03.2025 तक प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री. उमाशंकर एस. आर – समिति के अध्यक्ष
2. डॉ. मंजुला एन – समिति की सदस्य
3. श्री. आशुतोष माथुर – समिति के सदस्य
4. श्रीमती. दीपा कोटनिस – समिति के सदस्य
5. डॉ. विशाल आर – समिति के सदस्य

इसके अलावा श्री उमाशंकर एस.आर.(आईएएस) की सेवानिवृत्ति के कारण के–राइड के बोर्ड में निदेशक के परिवर्तन के परिणामस्वरूप 30.04.2025 से बोर्ड की प्रबंधन समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया है:

1. श्री. तुषार गिरिनाथ – समिति के अध्यक्ष
2. डॉ. मंजुला एन – समिति की सदस्य
3. श्री. आशुतोष माथुर – समिति के सदस्य
4. श्रीमती दीपा कोटनीस – समिति की सदस्य
5. डॉ. विशाल आर – समिति के सदस्य

प्रबंधन समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर तीन बार हुईं:

1. 28.05.2024
2. 29.07.2024
3. 13.12.2024

नाम	पदनाम	श्रेणी	वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	
			आयोजित	उपस्थित
श्री राकेश सिंह	अध्यक्ष	गैर–कार्यकारी एवं नामित निदेशक	1	1
श्री उमाशंकर एस.आर.	अध्यक्ष	गैर–कार्यकारी एवं नामित निदेशक	2	2
श्री आशुतोष माथुर	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
श्रीमती दीपा कोटनीस	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
डॉ. मंजुला एन	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3
डॉ. विशाल आर	सदस्य	गैर–कार्यकारी एवं नामित निदेशक	3	3

25. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

26. सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगी कंपनियों का विवरण

कंपनी ने मेसर्स की चुकता पूंजी में 2 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हासन मंगलौर रेल विकास कंपनी लिमिटेड (1.786% चुकता पूंजी), विशेष प्रयोजन वाहन (रेलवे मंत्रालय, कर्नाटक सरकार और रणनीतिक निवेशकों का संयुक्त उद्यम) में से एक है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) के कार्यान्वयन हेतु 100% सहायक परियोजना एसपीवी कंपनी, यानी मेसर्स बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड – बी–राइड में 10 लाख रुपये का निवेश किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं वाला विवरण, निर्धारित प्रारूप एओसी–1 में संलग्न है, जिसे अनुलग्नक–खखख के रूप में दिया गया है।

27. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत खुलासे

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार, कार्यस्थल का प्रत्येक नियोक्ता लिखित आदेश द्वारा एक समिति का गठन करेगा जिसे आंतरिक शिकायत समिति के नाम से जाना जाएगा। कंपनी विशाखा दिशा–निर्देशों का पूर्णतः पालन करती है। कंपनी ने झजडकअधिनियम और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

विवरण	शिकायतों की संख्या
वित्तीय वर्ष 2024–25 की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0
वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	1
वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1
लंबित शिकायतों की संख्या वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में	0

28. **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का अनुपालन**

कंपनी पुष्टि करती है कि उसने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के सभी प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया है और वर्ष के दौरान पात्र महिला कर्मचारियों को सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए हैं।

29. **वित्तीय वर्ष के समापन पर कर्मचारियों की संख्या**

महिला	37
पुरुष	105
ट्रांसजेंडर	0

30. **सामान्य खुलासे:**

आपके निदेशक यह बताते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में किसी खुलासे या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ:

क. लाभांश, मतदान या अन्य किसी भी प्रकार के भिन्न अधिकारों वाले इक्विटी शेयरों का निर्गमन।

ख. कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी योजना के तहत शेयरों (स्वयं के इक्विटी शेयरों सहित) का निर्गमन नहीं किया गया है। ग. कंपनी के पास कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए न्यासियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए धन उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है।

घ. वर्ष के दौरान दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

ङ. वर्ष के अंत में कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं है। च. स्वतंत्र निदेशक की घोषणा लागू नहीं है क्योंकि कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। छ. कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई एकमुश्त निपटान नहीं किया है, इसलिए एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण लागू नहीं होते हैं।

31. **आभार व्यक्त करना**

के-राइड ने अवसंरचना विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, शहरी भूमि परिवहन निदेशालय (डीएलटीएल), वित्त विभाग/कर्नाटक सरकार, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हसन मंगलौर रेल विकास कंपनी (एचएमआरडीसी) और मेसर्स आरआईटीईएस लिमिटेड के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं। निदेशक मंडल इन सभी से प्राप्त सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है।

बोर्ड के आदेशानुसार
रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के लिए

हस्ताक्षर/–
डॉ. शालिनी रजनीश, आईएएस
अध्यक्ष

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 20.12.2025

परिशिष्ट–3

फॉर्म संख्या एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसार, नियम 5 के साथ पढ़ा जाए) सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग–क: सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में जानकारी रुपये (000 रुपये) में राशि के साथ प्रस्तुत की जानी है)

सहायक कंपनी का नाम	बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड
सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि यदि सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है, तो उसकी रिपोर्टिंग अवधि इस प्रकार होगी:	6 जनवरी 2021
विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में, संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
शेयर पूंजी	1,000.00
आरक्षित और अधिशेष	(780.87)
कुल परिसंपत्तियां	238.85
कुल देनदारियां	238.85
निवेश	00
टर्नओवर	00
कर से पूर्व लाभ	(424.64)
कर प्रावधान	00
कर पश्चात लाभ	(424.64)
प्रस्तावित लाभांश	00
शेयरधारिता का विस्तार (प्रतिशत में)	100%

भाग–ख: सहयोगी और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण

सहायक कंपनी का नाम	
1. सहयोगी या संयुक्त उद्यमों का नाम 2. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि 3. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी या संयुक्त उद्यमों के शेयर **शेयरों की संख्या** सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (प्रतिशत में) 4. महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण 5. सहयोगी/संयुक्त उद्यम को समेकित न करने का कारण 6. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के लिए आबंटित शुद्ध संपत्ति 7. वर्ष का लाभ या हानि i. समेकन में विचारित ii. समेकन में शामिल नहीं 8. उन सहयोगी या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है 9. उन सहयोगी या संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिसमापन या विक्रय हो चुका है	जानकारी शून्य है, वित्तीयवर्ष 2024–25 के दौरान K-RIDE की कोई सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं हैं।

निष्पक्ष प्रस्तुति ढांचे के अनुसार तैयार की गई कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति,

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के सदस्यगण।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट।

योग्य राय

हमने **रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड** (कंपनी) (जिसे आगे के-राइड कहा गया है) के संलग्न स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र (बैलेंस शीट), लाभ एवं हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। यह रिपोर्ट 27 अक्टूबर 2025 को जारी हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का स्थान लेती है, जो कंपनी के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक के अनुसार तैयार किए गए स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर आधारित थी और जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में संशोधित किया गया था।

हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के 'प्रतिबद्ध राय का आधार' अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी को उसी प्रकार से प्रदान करते हैं और भारतीय लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की स्थिति, लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं।

योग्यता संबंधी राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा कार्य संपन्न किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा संबंधी लेखापरीक्षा अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्यता संबंधी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

योग्य राय उत्पन्न करने वाले मामले

1. के-राइड मुख्य रूप से रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संलग्न है और इनसे संबंधित निधियों का संचालन कर रही थी। हालांकि, पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को कर्नाटक सरकार (इसके बाद GOK कहा जाएगा) तथा रेल मंत्रालय (इसके बाद MOR कहा जाएगा) से बैंगलोर उपनगरीय रेलवे परियोजना (इसके बाद BSRP परियोजना कहा जाएगा) के क्रियान्वयन के लिए निधि प्राप्त होने लगी। प्राप्त निर्देशों के अनुसार के-राइड ने BSRP परियोजना के क्रियान्वयन के लिए B-RIDE को अपनी सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया है। इस बीच, BSRP परियोजना के क्रियान्वयन के लिए सहायक कंपनी बनाने के बावजूद, कंपनी ने जीओके और एमओआर से प्राप्त निधियों को अपनी शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया है। के-राइड द्वारा बीएसआरपी परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने के बावजूद संपूर्ण BSRP निधियों और संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों को B-RIDE को हस्तांतरित करने के लिए बातचीत चल रही है। इस मुद्दे पर न तो जीओके और न ही एमओआर की ओर से कोई स्पष्टता है। MoR को शेयर आवंटित करके कंपनी ने MoR को अपने मौजूदा परिचालन का 49% हिस्सा शेयरधारक बना दिया है, जो कि उचित नहीं था। इससे K-RIDE के माध्यम से BSRP परियोजना के कार्यान्वयन की निरंतरता पर संदेह पैदा हो गया है। इसका लेखांकन, शेयरधारिता और कंपनी के संचालन आदि पर प्रभाव पड़ेगा। स्पष्टता के अभाव में, हम कंपनी पर पड़ने वाले वित्तीय और अन्य प्रभावों का सटीक आकलन करने में असमर्थ हैं।
2. कंपनी दक्षिण-पश्चिमी रेलवे (संक्षेप में SWR) की दो रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। कंपनी राजस्व की पहचान के लिए लागत व्यय विधि/इनपुट विधि के आधार पर पूर्णता प्रतिशत विधि का पालन कर रही है। चूंकि कंपनी इनपुट विधि का उपयोग कर रही है, इसलिए वर्तमान अनुमानित लागत के आधार पर राजस्व की पहचान करना उचित है। हालांकि, कंपनी 14-07-2022 की अनुमोदित लागत के आधार पर राजस्व की पहचान कर रही है। कंपनी और SWR के बीच 14.07.2022 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, विस्तृत अनुमान रिपोर्ट (DPR) और विस्तृत अनुमान में कोई भी परिवर्तन SWR द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। कंपनी ने वर्तमान दरों के आधार पर एक विस्तृत संशोधित अनुमानित लागत (MOR) प्रस्तुत की है, जिसे तकनीकी टीम द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। मूल अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच निम्नलिखित अंतर हैं।

(₹लाखों में)

परियोजना का नाम	यशवंतपुर–चन्नासंद्रा दोहरीकरण	बैयप्पनहल्ली–होसुर दोहरीकरण
मूल अनुमान दिनांक 14–07–2022	31,411	49,873
संशोधित अनुमान एमओआर को प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।	68,357	1,16,077
अंतर	**-36,946**	**-66,204**

हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार आज तक संशोधित अनुमानित लागत को एसडब्ल्यूआर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। संशोधित अनुमोदित लागत के अभाव में, हम राजस्व और लाभ पर इसके प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं।

यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।

3. रिपोर्टिंग अवधि के लिए शुद्ध लाभ ₹1031.30 लाख रुपये है, जिसमें ₹1577.52 लाख रुपये की बैंक ब्याज आय शामिल है। कंपनी एक कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, पर्यवेक्षण शुल्क का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करती है और सामान्य व्यवसाय संचालन के दौरान परिचालन हानि नहीं उठा सकती है। हालांकि, ब्याज आय को छोड़कर कंपनी को करों से पहले ₹ 546.22 लाख रुपये की हानि हुई है। हानि का मुख्य कारण यह है कि कंपनी ने रेल मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन के लिए अपनी तकनीकी टीम से विधिवत अनुमोदित विस्तृत संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक, रेल मंत्रालय ने संशोधित अनुमान को अनुमोदित नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व और प्राप्य शेष राशि में कमी आई है। पूर्ण जानकारी के अभाव में, हम कम राजस्व की सीमा और संबंधित प्राप्य राशि के मूल्य का निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हैं। इससे आगामी वित्तीय वर्षों में इंड एएस संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित खातों में किए गए किसी भी समायोजन को उन वित्तीय वर्षों पर लागू किया जाना चाहिए और पिछले वित्तीय वर्षों के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

4. निर्दिष्ट मार्गों पर रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना रेल मंत्रालय (संक्षेप में एमओआर) और कर्नाटक सरकार (संक्षेप में जीओके) की संयुक्त भागीदारी से के–राइड द्वारा की जा रही है। एमओआर और जीओके दोनों ने परियोजना में समान अनुपात में योगदान दिया है। कार्यप्रणाली यह है कि के–राइड सहमत शर्तों के अनुसार रेल मंत्रालय को बिल जारी करेगी। इन बिलों के बदले एमओआर एवं जीओके दोनों से धनराशि प्राप्त की जाएगी।

यद्यपि जीओके अपने 50% हिस्से का योगदान दे रही है, फिर भी के–राइड द्वारा सभी बिलिंग समझौते की शर्तों के अनुसार एमओआर को की जाएगी। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार जीओके सीधे के–राइड को धनराशि सौंपेगी। के–राइड द्वारा बिल जारी किए जाने पर एमओआर अपना हिस्सा जारी करेगी।

विवेक के तौर पर और कंपनी के कामकाज का सही और निष्पक्ष चित्रण करने के लिए कंपनी को रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार अनुबंध राजस्व का हिसाब रखना होगा। चूंकि प्रत्येक प्रतिभागी परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि का 50% योगदान देता है, इसलिए आदर्श रूप से कंपनी के प्राप्य शेष में यह दिखना चाहिए कि जीओके और एमओआर से कितनी धनराशि प्राप्त होनी है।

खातों से पता चलता है कि एमओआर ने बिल जारी होने पर अपना हिस्सा जारी कर दिया है। हालांकि, अनुबंध राजस्व, जारी की गई धनराशि और प्राप्य शेष राशि के संबंध में जीओके या एमओआर से कोई लिखित बैलेंस पुष्टिकरण प्राप्त नहीं किया गया है। के–राइड के लिए एमओआर और जीओके बाहरी ग्राहकों की तरह हैं, और के–राइड जीओके के बजट आवंटन से बाध्य नहीं है। सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में कंपनी को भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व का लेखा–जोखा करना होता है और प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त होने वाली प्राप्य राशि को लेखा–पुस्तकों में दर्शाना होता है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक दोहरीकरण परियोजनाओं के संबंध में निष्पादित कार्य और प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹लाखों में)

दोहरीकरण	अनुमानित व्यय	31.03.2025 तक व्यय	31.03.2025 तक जारी की गई राशि	कमी/ (अधिकता)
कर्नाटक सरकार	40,642	35,336	10000	25,336
रेल मंत्रालय	40,642	35,336	43,483	-8,147
	81,283	70,672	53,483	17,189

हमारे विचार में, एमओआर ने अतिरिक्त धनराशि जारी की है, और जीओके को केआरआईडीई को अपना बकाया चुकाना होगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि एमओआर से प्राप्त अतिरिक्त राशि अग्रिम राशि है या राजस्व के रूप में दर्ज की जानी चाहिए। प्रस्तुत विवरण के अनुसार, जीओके ने आज की तारीख में ₹10,000 लाख रुपये दिए हैं और प्राप्य राशि ₹25,336 लाख रुपये है। यह मानते हुए कि एमओआर ने ₹8,147 लाख रुपये अतिरिक्त जारी किए हैं, कंपनी को एमओआर से प्राप्त अग्रिम राशि और संबंधित शेष राशि को ₹25,336 लाख रुपये के रूप में दिखाना होगा। इससे खातों के सही और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण पर असर पड़ा है, क्योंकि चालू परिसंपत्तियों को ₹25,336 लाख रुपये कम दिखाया गया है और चालू देनदारियों को ₹ 8,147 लाख रुपये कम दिखाया गया है।

5. इसके अलावा चूंकि जीओके ने अपना बकाया नहीं चुकाया है, इसलिए ठेकेदार को देय राशि उस सीमा तक बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन हमारी जाँच में पाया गया कि बीएसआरपी परियोजना के संबंध में कर्नाटक सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया गया है। और परिणामस्वरूप ठेकेदारों को कोई बकाया राशि देय नहीं है। बीएसआरपी परियोजनाओं के

लिए निर्धारित धनराशि से ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए, कंपनी प्रबंधन को कर्नाटक सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी, क्योंकि धनराशि कर्नाटक सरकार के निर्दिष्ट बजटीय आवंटन से आवंटित की जाती है और चूंकि इसे कर्नाटक विधानसभा में अनुमोदितकिया गया है और परियोजना-विशिष्ट धनराशि प्राप्त हुई है, इसलिए एक परियोजना से दूसरी परियोजना में धनराशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण कर्नाटक सरकार की लिखित स्वीकृति के बिना ₹ 25,336 लाख रुपये की धनराशि का हस्तांतरण हुआ है।

6. कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना से संबंधित मूल लागत अनुमान में, विद्युत, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तथा विद्युत विद्युत (ओएचई) जैसे अलग-अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में त्रुटियां हैं।₹269.92 लाख रुपये का शुद्ध अंतर कुल अनुमानित लागत में जोड़ दिया गया है। हालांकि, अनुमानित लागत में इन परिवर्धनों या कटौतियों के कारण दिशा एवं सामान्य शुल्कों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राजस्व की मान्यता के लिए केवल विद्युत, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तथा ओएचई जैसे अलग-अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में उल्लिखित दिशा एवं सामान्य शुल्कों की सटीक राशि पर ही विचार किया जाता है। इस संबंध में हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं।

इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझी बनी हुई है।

7. कंपनी ने बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका अधिनियम, 2020 के तहत कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि पर संपत्ति कर की देयता का निर्धारण नहीं किया है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का सटीक आकलन करने में असमर्थ हैं।

इस मामले का उल्लेख 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी किया गया था और यह अभी तक अनसुलझा है।

8. कंपनी दोहरीकरण परियोजना से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रही है, लेकिन सीजीएसटी/केजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट के लिए पात्र न होने का बहाना बनाकर बीएसआरपी परियोजना से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा रही है। हालांकि, चूंकि बीएसआरपी परियोजना को एक अलग इकाई को हस्तांतरित किया जाना है, हमारे विचार में कंपनी रेल मंत्रालय को कार्य अनुबंध की आपूर्ति कर रही है और रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार से प्राप्त निधियों से न्यासी क्षमता में पूंजीगत व्यय कर रही है। इसलिए, कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकती थी। इसके अलावा, दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए आवंटित सामान्य व्यय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है और इसे लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया गया है। जानकारी के अभाव में, हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं। बीएसआरपी परियोजना से संबंधित इनपुट ₹ 3,365.57 लाख रुपये है।

इस मामले की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी और यह अनसुलझा है।

9. कंपनी ने शेयर पूंजी में हस्तांतरण के बाद ₹16,541.82 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष राशि, भारत सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (भारत सरकार से अग्रिम - बीएसआरपी परियोजना - भूमि अधिग्रहण) के रूप में दर्शाया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को भारत सरकार से बीएसआरपी परियोजना - भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम के रूप में ₹59,000 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। भारत सरकार के दिनांक 05-12-2024 के पत्र के अनुसार ₹16,541.82 लाख रुपये की राशि को अधीनस्थ ऋण माना जाना चाहिए। शेष ₹59,000 लाख रुपये की राशि के लिए, भारत सरकार से इसे अधीनस्थ ऋण या अनुदान-सहायता के रूप में मानने के संबंध में कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

हमारी राय में भूमि अधिग्रहण के लिए भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम राशि ₹59,000 लाख रुपये को, सरकारी अनुदान लेखांकन संबंधी औद्योगिक एएस 20- आस्थगित सरकारी अनुदान के अनुच्छेद 12 और 13 के अनुसार, पूंजीगत व्यय के लिए सरकारी अनुदान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित सरकारी अनुदानों का कम आकलन और दीर्घकालिक ऋणों का ₹17,101.25 लाख रुपये तथा अन्य इक्विटी का ₹41,898.75 लाख रुपये का अधिक आकलन हुआ है, और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii के खंड ii का अनुपालन भी नहीं हुआ है।

10. कंपनी को 31.03.2024 तक शेयर आवेदन राशि के रूप में वित्त मंत्रालय से ₹50,000 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। कुल ₹50,000 लाख रुपये की राशि में से, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शेयर पूंजी में ₹48,039.22 लाख रुपये हस्तांतरित किए हैं और शेष ₹1,960.79 लाख रुपये को दीर्घकालिक ऋणों के अंतर्गत एमओआर - बीएसआरपी से अनुदान के रूप में दिखाया है।

हमारी राय में उपरोक्त शेष ₹1,960.79 लाख रुपये को आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि का कम आकलन और दीर्घकालिक ऋणों का ₹1,960.79 लाख रुपये का अधिक आकलन हुआ है, और साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii के खंड ii का अनुपालन नहीं हुआ है।

यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।

11. कंपनी ने भारत सरकार और वित्त मंत्रालय से प्राप्त अप्रयुक्त धनराशि को बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया है। 31.03.2025 तक इन सावधि जमाओं पर अर्जित ₹5166.00 लाख रुपये (शुद्ध राशि) के ब्याज को लेखा नोटों के नोट संख्या 3(घ) में उल्लिखित पूंजी कार्य-प्रगति से घटा दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा ₹16,541.82 लाख रुपये तक के अनुदान को अधीनस्थ ऋण के रूप में लेखांकन रूप से स्वीकृत किया गया है, जबकि शेष ₹59,000 लाख रुपये के लिए भारत सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। इसके अलावा 97वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार वित्त मंत्रालय से प्राप्त शेयर आवेदन राशि के शेष को अनुदान के रूप में माना गया है और वित्त मंत्रालय ने अभी तक इसे स्वीकृत नहीं किया है। अतः, निधियों की सही प्रकृति के अभाव में, हम इसके प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

पूंजीगत कार्य प्रगति से घटाई गई ब्याज आय का लेखांकन उपचार। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा है।

12. कंपनी ने कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (केवीएएफएसयू) से ₹27,36,17,300/– रुपये में भूमि का अधिग्रहण किया है (भुगतान 13/04/2023 को किया गया और कब्जा 04/05/2023 को लिया गया)। कार्यालय नोट के क्रमांक 54 के अनुसार कंपनी को परिसर की दीवार का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है। कंपनी ने परिसर की दीवार के निर्माण लागत के लिए देयता का निर्धारण नहीं किया है और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, हम पूंजीकृत भूमि की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।

इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह मामला अभी भी अनसुलझा है।

13. 31 मार्च 2025 तक, लेखा संबंधी नोट्स के नोट संख्या 25 के अनुसार, मेसर्स आरएमएनआईएल एंड बीआईडीपीएल (जेवी), हैदराबाद से प्राप्त ₹570.41 लाख रुपये की राशि अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत सुरक्षा जमा के रूप में दर्ज है, हालांकि ठेकेदार से वास्तव में इसकी वसूली नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां इस राशि से अधिक दर्शायी गई हैं। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझी ही रही।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2025 तक, लेखा संबंधी नोट्स के नोट संख्या 14 के अनुसार ₹299.54 लाख रुपये की राशि अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वसूली – आरएमएनआईएल एंड बीआईडीपीएल (जेवी) के रूप में दर्ज है। कंपनी ने खुलासा किया है कि यह राशि असुरक्षित और संदिग्ध मानी जाती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, चालू परिसंपत्तियाँ और लाभ ₹299.54 लाख रुपये से अधिक दर्शाए गए हैं। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।

14. 31 मार्च 2025 तक लेखापरीक्षा नोट्स के नोट संख्या 25 के अनुसार मेसर्स बावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंगलोर से वसूल की गई ₹74.28 लाख रुपये की राशि अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत सुरक्षा जमा के रूप में शामिल है। यह राशि वास्तव में ठेकेदार से वसूल नहीं की गई है, जबकि कंपनी की नीति के अनुसार अनुबंध समाप्त होने पर इसे जब्त कर लिया जाना चाहिए था और आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप चालू देनदारियाँ और चालू परिसंपत्तियाँ ₹74.28 लाख रुपये से अधिक दर्शाई गई हैं। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2025 तक उसी ठेकेदार से संबंधित प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के रूप में ₹18.30 लाख रुपये की राशि नोट संख्या 25 के अनुसार अन्य चालू देनदारियों में सुरक्षा जमा के अंतर्गत शामिल है। यह राशि अभी तक वसूल नहीं की गई है, जबकि कंपनी की नीति के अनुसार इसे जब्त कर लिया जाना चाहिए था और आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां ₹ 18.30 लाख रुपये से अधिक दर्शायी गई हैं।

इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अभी तक अनसुलझी है।

15. हम निम्नलिखित शेष राशियों के वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं, जिनकी पुष्टि उन पक्षों द्वारा नहीं की गई है जिन्हें शेष राशियों की सीधी पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए हैं।

(लाख रुपये में)

खाते का विवरण	पुष्टि के लिए भेजे गए पत्रों में कवर की गई राशि	राशि जिसके लिए पुष्टि प्राप्त हुई है	राशि जिसके लिए पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है
व्यापार देय	612.74	158.40	454.34
व्यापार प्राप्य	12,163.07	–	12,163.07

महत्वपूर्ण बिंदु

वित्तीय विवरणों के नोट्स में हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. केआईएडीबी के माध्यम से अधिग्रहित ₹44,086.01 लाख रुपये की भूमि, बीडीए से अधिग्रहित ₹642.99 लाख रुपये की भूमि, बीडब्ल्यूएसएसबी से अधिग्रहित ₹86.67 लाख रुपये की भूमि, एलआईडीकेएआर से अधिग्रहित ₹361.63 लाख रुपये की भूमि और केवीएएफएसयू से अधिग्रहित ₹2,736.17 लाख रुपये की भूमि के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं, जैसा कि खातों के नोट्स के नोट संख्या 3 के व्याख्यात्मक नोट के में दर्शाया गया है।

ख. कंपनी भूमि अधिग्रहण के लिए केआईएडीबी को अग्रिम भुगतान कर रही है। चालू वर्ष के अंत में अग्रिम राशि के रूप में ₹23,769.41 लाख रुपये का शेष है। KIADB ने कुल 2,34,743.45 वर्ग मीटर भूमि अधिसूचित की है, जिसमें से 1,05,364.02 वर्ग मीटर भूमि के लिए KIADB ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया है और 31.03.2025 तक इसे पूंजीकृत किया गया है। शेष 1,29,379.43 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है और इस भूमि का मूल्य खातों के नोट संख्या 3 के व्याख्यात्मक नोट सी में उल्लिखित उपरोक्त अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 31.03.2025 तक KIADB के माध्यम से निजी पक्षों से (अनिवार्य अधिग्रहण के तहत) अधिग्रहित 1,91,593.21 वर्ग मीटर भूमि में से, जिसका पंजीकरण अभी कंपनी के नाम पर होना बाकी है, 3,776.13 वर्ग मीटर भूमि विवादित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होती है। चूंकि कंपनी एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग इस कंपनी पर लागू नहीं होती है।

वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत है, या हमारी जानकारी लेखापरीक्षा में प्राप्त हुई है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

अन्य सूचनाओं को पढ़ने पर, यदि हमें उसमें कोई महत्वपूर्ण त्रुटि मिलती है, तो हमें इस मामले की सूचना प्रशासन के प्रभारी अधिकारियों को देनी होगी और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

स्वतंत्र भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ:

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के अंतर्गत उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिसमें भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह सहित) का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करना शामिल है, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) और संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अनुसार निर्धारित मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना भी शामिल है। और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि स्वतंत्र इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हैं, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर संचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करने और संचालन आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

स्वतंत्र इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वतंत्र इंड एएस वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हैं, और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मौजूद होने पर भी हमेशा महत्वपूर्ण त्रुटि का पता चल जाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत बयान उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, इन स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

ऑडिट मानकों (एसए) के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानों के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के अनुरूप ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करते हैं, और अपनी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण गलत बयान का पता न चलने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत बयान की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों व संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय लेखांकन पद्धति के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करें कि क्या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जिनसे कंपनी के चालू व्यवसाय के रूप में बने रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी का चालू व्यवसाय के रूप में बने रहना बंद हो सकता है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और यह निर्धारित करें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

हम लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय–सीमा के साथ–साथ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में पाई जाने वाली कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, के संबंध में शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए उत्तरदायी पक्षों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद किया है जिनका हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी।

अन्य मामले

1. पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा मेसर्स प्रकाश एस.डी एंड कंपनी द्वारा किया गया है। उन्होंने 10 सितंबर, 2024 को मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की। बाद में, उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के आलोक में 8 नवंबर, 2024 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय जारी की। हमने अपनी राय तैयार करते समय उनकी सशर्त राय पर विचार किया है।

   इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अंतर्गत जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार, हम अनुलग्नक–ए में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, बताई गई आपत्ति को छोड़कर, कंपनी द्वारा विधिवत उचित लेखा–पुस्तकों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित बैलेंस शीट, लाभ–हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा–पुस्तकों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्वतंत्र इंड एएस वित्तीय विवरण, उल्लिखित अपवाद को छोड़कर, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

ङ) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया परिशिष्ट – ख में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 39 देखें।

ii. जैसा कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के 'प्रतिबद्ध राय का आधार' अनुभाग में उल्लेख किया गया है, हमारा मानना है कि यदि कंपनी को एसडब्ल्यूआर से परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत प्राप्त नहीं होती है, तो दीर्घकालिक अनुबंधों पर पर्याप्त संभावित नुकसान होगा। कंपनी ने कोई डेरिवेटिव अनुबंध नहीं किया है।

iii. खातों की पुस्तकों के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, बैलेंस शीट की तिथि तक कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई बकाया राशि हस्तांतरित नहीं की जानी है।

iv.

(अ) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में प्रकट की गई जानकारी के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों), जिनमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (मध्यस्थ), को कोई भी धनराशि अग्रिम, उधार या निवेश नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से, शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में प्रकट की गई जानकारी के अलावा, कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था (विदेशी संस्थाओं सहित) (वित्तपोषक पक्ष) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषक पक्ष द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई वस्तु प्रदान करेगी; और

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त उप-खंड (क) और (ख) के अंतर्गत दिए गए कथनों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही किसी लाभांश की सिफारिश की है। इसलिए, अधिनियम की धारा 123 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ज) अधिनियम की धारा 143(5) के तहत आवश्यकतानुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर, जिसे हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम परिशिष्ट सी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों का विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषय के संबंध में:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा निदेशकों को देय कुल अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक को संदर्भित करती है। भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सुविधा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रही है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

5. दिनांक 30 सितंबर 2025 की फॉर्म एमआर-3 में सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि

क. दो बोर्ड बैठकों के बीच अंतराल: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 की उपधारा 1 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को अपने निगमन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल की पहली बैठक आयोजित करनी होगी और उसके बाद प्रति वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करनी होंगी कि दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल न हो। हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी ने 2 मार्च, 2024 को और उसके बाद 31 अगस्त, 2024 को बोर्ड बैठक आयोजित की, इसलिए दोनों बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल था।

ख. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्ति पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका कारोबार एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों का पालन करना होगा। हमारे अवलोकन के अनुसार, सीएसआर प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं और कंपनी सीएसआर प्रावधानों का पालन करने की प्रक्रिया में है।

ग. एसोसिएशन के नियमों का अनुपालन: कंपनी ने अनुच्छेद 32 के तहत अपेक्षित -झएद का गठन नहीं किया है।

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एफआरएन: 004135एस
हस्ताक्षर/-
(सी.ए. वीरबासन गौड़ा)
साझेदार, एमआरएन: 20869
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेएक्सएआई5456

दिनांक: 04.12.2025
स्थान: बेंगलुरु

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट–क
रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 में अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत संदर्भित।

1)

क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक जानकारी और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं। हालांकि, कंपनी ने केआईएडीबी के माध्यम से बीएसआरपी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है। हालांकि, अधिग्रहण की सीमा और कंपनी के नाम पर भूमि का हस्तांतरण अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों का सत्यापन किया गया। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है। ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

व) जैसा कि हमें बताया गया है, इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जिनमें कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं, जो निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपये में)	किसके नाम पर क्या	प्रवर्तक, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी के नाम पर	धारण अवधि (किस तारीख से)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
भूमि – KIADB केआईएडीबी	43,142.62 (कॉरिडोर–2)	केआईएडीबी KIADB	हाँ – जीओके	वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
	943.39 (कॉरिडोर–4)		हाँ – जीओके		
भूमि – BDA बीडीए	642.99	बीडीए BDA	हाँ – जीओके	31.01.2024	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
भूमि – BWSSB बीडबल्यूएसएसबी	86.67	बीडबल्यूएसएसबी BWSSB	हाँ – जीओके	10.11.2022	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
भूमि – LIDKAR लिडकर	361.63	लिडकर LIDKAR	हाँ – जीओके	21.11.2022	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है
भूमि – KVAFSU केवीएएफएसयू	2,736.17	केवीएएफएसयू KVAFSU	हाँ – जीओके	04.05.2023	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

*31.03.2025 तक घख–उह के माध्यम से निजी पक्षों से (अनिवार्य अधिग्रहण के तहत) अधिग्रहित की गई 1,91,593.21 वर्ग मीटर भूमि में से, जिसका पंजीकरण अभी तक कंपनी के नाम पर नहीं हुआ है, 3,776.13 वर्ग मीटर भूमि विवादित है।

जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 ऑफ 1988) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

च) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

(छ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके तहत सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का चरणबद्ध सत्यापन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का सत्यापन किया गया। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता उचित है। ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

2)

क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है। प्रबंधन द्वारा अपनाई गई इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएँ और कवरेज कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त हैं। भौतिक स्टॉक और बहीखातों के बीच सत्यापन पर पाई गई विसंगतियाँ इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक नहीं हैं।

ख) कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय, बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर, कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। अतः, इस बात की रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के पास दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या विवरण कंपनी के बहीखातों से मेल खाते हैं, जैसा कि आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के अनुसार है।

3) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में निवेश नहीं किया है, न ही कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है, और न ही किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम ऋण, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित, दिया है। इसलिए, खंड 3(iii)(र) से 3(iii) (f) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4) जैसा कि हमें बताया गया है कंपनी ने न तो कोई ऋण दिया है, न ही कोई निवेश किया है और न ही कोई गारंटी/सुरक्षा दी है, इसलिए आदेश के खंड 3 (iv) के अनुसार अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

5) हमारी राय में कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है; इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और अधिनियम की धारा 73 से 76 या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता, जैसा कि आदेश के खंड 3 (v) के अनुसार है।

6) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

7)

क) अभिलेखों के हमारे चयनात्मक सत्यापन और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक देय राशियों को संबंधित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। उपरोक्त मदों के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2025 तक देय तिथि से छह महीने से अधिक समय से बकाया नहीं थी, सिवाय नीचे उल्लिखित मदों के:

(i) राष्ट्रीय पेंशन योजना: 8,26,986 रुपये।

ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपखंड (क) में उल्लिखित कोई भी वैधानिक देय राशि किसी विवाद के कारण जमा नहीं की गई है।

8) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे कोई लेन-देन नहीं हैं जो लेखा-पुस्तकों में दर्ज नहीं हैं और आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या घोषित किए गए हैं।

9)

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या उन पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। हालांकि, कंपनी ने बीएसआरपी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण प्राप्त किया है। कंपनी ने रेलवे दोहरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 25,336 लाख रुपये की राशि का हस्तांतरण किया है।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

10) क) किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(a) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने मौजूदा शेयरधारकों को अधिकार आधार पर शेयर आवंटित किए हैं और अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का अनुपालन लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी ने निजी आवंटन के आधार पर कोई शेयर जारी नहीं किए हैं।

11)

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दाखिल नहीं की गई है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12) यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, धारा 3(xii)(a), 3(xii)(b) और 3(xii)(c) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और लागू लेखा मानकों के अनुसार, इनका विवरण इंड एएस वित्तीय विवरणों आदि में प्रकट किया गया है।

14)

क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

ख) हमने लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

15) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है।

16)

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (2 ऑफ 1934) की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां नहीं की हैं।

ग) हमारी राय में, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(c) और 3(xvi)(d) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

17) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

18) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है। हालांकि, पूर्व वैधानिक लेखा परीक्षकों ने सी एंड एजी के निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्ति ले ली है।

19) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु और अपेक्षित प्राप्ति तिथियों तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की तिथियों, स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जिसके कारण कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम इस बात की कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का भुगतान कंपनी द्वारा समय पर किया जाएगा।

20) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं। कंपनी सीएसआर नीति के निर्माण और सीएसआर समिति के गठन सहित सीएसआर की आवश्यकताओं का अनुपालन करने की प्रक्रिया में है।

21) हमारी राय में खंड 3(xxi) स्वतंत्र इंड एएस वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं होता है।

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एफआरएन: 004135एस
हस्ताक्षर/–
(सी.ए. वीरबासन गौड़ा)
साझेदार, एमआरएन: 20869
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेएक्सएआई5456

दिनांक: 04.12.2025
स्थान: बेंगलुरु

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परिशिष्ट – बी

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड ('कंपनी') के स्वतंत्र इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत।

हमने रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड ('कंपनी') के 31 मार्च, 2025 तक के इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा, उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी के व्यवसाय के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने वाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसे इस प्रकार निष्पादित करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण खामी के मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण इंड एएस वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(i) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी के लेनदेन और परिसंपत्तियों के निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।

(ii) यह उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन द्वारा उल्लंघन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतियाँ हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल पाता है। साथ ही,

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान लगाना भविष्य की अवधियों में यह जोखिम बना रहता है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

योग्य राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर नीचे वर्णित महत्वपूर्ण कमियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित हैं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर और हमारे ऑडिट के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां पाई गई हैं:

1. दोहरीकरण परियोजना के विद्युत कार्य (वाईपीआर–सीएचएन) और सिग्नलिंग कार्य (बीवाईपीएल–एचएसआर) के संबंध में, वास्तविक व्यय अनुमानित लागत से क्रमशः₹195.21 लाख रुपये और ₹1,063.05 लाख रुपये अधिक हैं। अतिरिक्त व्यय के लिए एसडब्ल्यूआर से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 03/2022 दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से जीएसटी दर 12% से बढ़कर 18% होने के तुरंत बाद संशोधित अनुमानित लागत प्राप्त नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप समय पर संशोधित अनुमानित लागत प्राप्त करने में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त रही है।

   परियोजना जुलाई 2020 से 36 महीनों के भीतर पूरी होनी थी। आज तक, परियोजना पूरी नहीं हुई है। अवधि विस्तार के लिए कोई लिखित पारस्परिक सहमति नहीं है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने के लिए विस्तार प्राप्त करने में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।

3. दोहरीकरण परियोजना से संबंधित दिनांक 14 जुलाई 2022 के समझौता ज्ञापन के क्रमांक 14 के अनुसार अंतिम स्थान सर्वेक्षण के बाद रेलवे को भूमि की आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत किया जाना था। दोनों दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे परियोजना के पूरा होने में देरी हो सकती है।

4. कंपनी के पास नियमित अंतराल पर पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कोई उचित नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

5. हम आज ही की हमारी रिपोर्ट के पैरा 5 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें बीएसआरपी परियोजना से रेलवे दोहरीकरण लाइन परियोजना में ₹25,336 लाख रुपये की धनराशि का हस्तांतरण किया गया है।

   कंपनी के 31 मार्च, 2025 के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करते समय हमने ऊपर उल्लिखित और रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है, और ये महत्वपूर्ण कमियां कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एफआरएन: 004135एस
हस्ताक्षर/–
(सी.ए. वीरबासन गौड़ा)
साझेदार, एमआरएन: 20869
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेएक्सएआई5456

दिनांक: 04.12.2025
स्थान: बेंगलुरु

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित परिशिष्ट।

क. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

	सामान्य निर्देश	टिप्पणियाँ
1.	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या ट्रस्टों के माध्यम से कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए किए गए सभी निवेशों, चाहे वे सूचीबद्ध हों या गैर-सूचीबद्ध, का उचित मूल्यांकन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, इंड एएस के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्यांकन दृष्टिकोण, इसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा, जिसमें किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयान की रिपोर्ट शामिल होगी।	मूल्यांकन दृष्टिकोण तर्कसंगत है और इंड एएस आवश्यकताओं के अनुरूप है। निवेशों के वहन मूल्य में कोई महत्वपूर्ण विचलन या गलत बयानबाजी नहीं देखी गई।
2.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण का खातों की अखंडता पर क्या प्रभाव पड़ता है, साथ ही यदि कोई वित्तीय प्रभाव हो, तो उसका भी उल्लेख करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार टैली सॉफ़्टवेयर में किए गए लेन-देन, जिनमें यदि कोई सुधार हो, तो वे भी शामिल हैं, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की पूर्व स्वीकृति से किए जाते हैं। टैली सॉफ़्टवेयर में जवाबदेही और प्रविष्टियों का रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता-वार लॉगिन बनाए गए हैं। हमारी राय में, स्टॉक मूल्यांकन पद्धति के आधार पर इन्वेंट्री का सटीक मूल्यांकन करने के लिए इन्वेंट्री का मात्रात्मक विवरण लेखांकन सॉफ़्टवेयर में ही रखा जाना चाहिए।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित लेखांकन/उपयोग किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	**निधियों के लेखांकन के संबंध में:** हम कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के योग्य राय का आधार पैराग्राफ के पैरा 9 और 10 का संदर्भ देते हैं। कंपनी ने कुछ सरकारी अनुदानों और शेयर आवेदन राशि का उचित वर्गीकरण नहीं किया है। यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में एक महत्वपूर्ण खामी को दर्शाता है। **निधियों के उपयोग के संबंध में** कंपनी ने रेल मंत्रालय (MOR) और कर्नाटक सरकार (GoK) से BSRP परियोजना के अंतर्गत प्राप्त परियोजना-विशिष्ट निधियों के उचित लेखांकन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित नहीं किए हैं। 31 मार्च 2025 तक, GoK से प्राप्त होने वाली ₹25,336 लाख रुपये की राशि को मान्यता नहीं दी गई है और MOR से जारी की गई ₹8,147 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि को अग्रिम के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तियों और देनदारियों का गलत विवरण हुआ है। इसके अलावा, यह पाया गया कि BSRP परियोजना के लिए GoK से प्राप्त निधियों का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए त्रेह्य से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया है, हालांकि ऐसी निधियों को कर्नाटक विधानसभा द्वारा अनुमोदित परियोजना-विशिष्ट आवंटन के रूप में स्वीकृत किया गया था। यह लिखित स्वीकृति के बिना ₹25,336 लाख रुपये तक की निधियों के गबन को दर्शाता है।
4.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हाँ, तो **(क)** क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? **(ख)** क्या कंपनी ने अपनी डेटा संपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	हाँ, कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान कर ली है और उसके पास एक संरचित जोखिम प्रबंधन ढांचा मौजूद है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ आंशिक रूप से संरेखित - जोखिम हीट मैप, नियंत्रण संकेतक और डेटा मूल्यांकन विधियों को लागू करके सुधार संभव है। डेटा संपत्तियों की पहचान नियंत्रण स्तर (आईटी सुरक्षा, पहुंच, बैकअप) पर की जाती है, लेकिन उनका औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

5.	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एसईबीआई, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी–आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को स्पष्ट किया जाए।	चूंकि कंपनी एक गैर–सूचीबद्ध इकाई है, इसलिए एसईबीआई (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और अन्य एसईबीआई विनियम लागू नहीं होते हैं। उपलब्ध अभिलेखों और सूचनाओं की हमारी समीक्षा के आधार पर, कंपनी ने एमसीए, डीपीई, आरबीआई, टीआरएआई, सीईआरटी–आईएन, मीतवाई और एनपीसीआई के अन्य सभी लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया है, जहां भी लागू हो। किसी भी प्रकार की भौतिक विसंगति के मामले सामने नहीं आए।

क. अतिरिक्त उप–निर्देश:

i. अनुलग्नक–ख के अनुसार नकद और बैंक शेष से संबंधित सभी मदों का सत्यापन किया जाएगा और विशिष्ट गैर–अनुपालनों के मामलों की रिपोर्ट दी जाएगी।

टिप्पणी: अनुलग्नक–ख में रिपोर्ट किया गया है।

ii. क्या कंपनी के पास गबन/धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली है और क्या हानि, यदि कोई हो, लेखा पुस्तकों में उचित रूप से दर्ज की गई है? अस्पष्ट शेष/निलंबित मद के अंतर्गत संचालित शेषों का विवरण भी जांचा जा सकता है।

टिप्पणी: हमारी राय में, कंपनी के पास गबन/धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली है। हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमें गबन/धोखाधड़ी के कारण हुई हानि का कोई मामला नहीं मिला है।

iii. क्या अनुबंध में निर्धारित मील के पत्थर के अनुसार कार्यों के निष्पादन की निगरानी के लिए एक प्रणाली मौजूद है और लागत वृद्धि, यदि कोई हो, अनुबंधों से राजस्व/हानि आदि के प्रभाव को लेखा पुस्तकों में उचित रूप से दर्ज किया गया है?

टिप्पणियाँ: हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, समझौते में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कार्यों के निष्पादन की निगरानी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। हालांकि, यह प्रणाली संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में हमारी टिप्पणियाँ निम्न हैं:

दोहरीकरण परियोजना पर टिप्पणियाँ:

1. कंपनी दक्षिण–पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) की दो दोहरीकरण परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। पूर्णता का प्रतिशत कंपनी और एसडब्ल्यूआर के बीच दिनांक 14.07.2022 को हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में सहमत मूल अनुमानित लागत के आधार पर परिकलित किया जाता है। कंपनी और एसडब्ल्यूआर के बीच दिनांक 14.07.2022 के एमओयू के अनुसार, डीपीआर और विस्तृत अनुमान में कोई भी परिवर्तन एसडब्ल्यूआर द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। आज तक संशोधित अनुमानित लागत को एसडब्ल्यूआर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। वर्तमान में राजस्व केवल दिनांक 14.07.2022 के अनुमोदित एमओयू के आधार पर ही मान्यता प्राप्त है। संशोधित अनुमानित लागत के अभाव में, हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं।
2. दोहरीकरण परियोजना से संबंधित मूल लागत अनुमान में, विद्युत, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तथा विद्युत विद्युत (ओएचई) जैसे अलग–अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में त्रुटियाँ हैं। इन अंतरों को कुल अनुमानित लागत में आवश्यकतानुसार जोड़ा या घटाया गया है। हालांकि, अनुमानित लागत में इन जोड़–घटावों के कारण दिशा एवं सामान्य शुल्कों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राजस्व की गणना के लिए केवल विद्युत, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार तथा ओएचई जैसे अलग–अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में उल्लिखित दिशा एवं सामान्य शुल्कों की सटीक राशि पर ही विचार किया जाता है। इस संबंध में, हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं।
3. दोहरीकरण परियोजना के विद्युत कार्य (वाईपीआर–सीएचएन) और सिग्नलिंग कार्य (बीवाईपीएल–एचएसआर) के संबंध में, वास्तविक व्यय अनुमानित लागत से क्रमश₹ 195.21 लाख रुपये और ₹ 1,063.05 लाख रुपये अधिक हैं। अतिरिक्त व्यय के लिए एसडब्ल्यूआर से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। एसडब्ल्यूआर से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण, हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते।
4. दोहरीकरण परियोजना से संबंधित प्रतिशत पूर्णता विधि के तहत राजस्व को मान्यता देने के लिए, कुल अनुमानित लागत (जिसमें मूल अनुमान के अनुसार जीएसटी घटक शामिल है) से 12% जीएसटी दर घटाई जाती है, जबकि वर्तमान जीएसटी दर 18% है। 18% जीएसटी सहित संशोधित अनुमानित लागत उपलब्ध न होने के कारण, हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन नहीं कर सकते।
5. दोहरीकरण परियोजना से संबंधित दिनांक 14 जुलाई 2022 के समझौता ज्ञापन के क्रमांक 6 के अनुसार, परियोजना जुलाई 2020 से 36 महीनों के भीतर पूरी होनी थी। आज तक, परियोजना पूरी नहीं हुई है। अवधि बढ़ाने के लिए कोई लिखित पारस्परिक सहमति नहीं है।

6. दोहरीकरण परियोजना से संबंधित दिनांक 14 जुलाई 2022 के समझौता ज्ञापन के क्रमांक 14 के अनुसार, अंतिम स्थान सर्वेक्षण के बाद रेलवे को भूमि की आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत किया जाना था। दोनों दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।

बीएसआरपी परियोजना पर टिप्पणी:

7. कंपनी, जो मुख्य रूप से रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में संलग्न थी, ने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार (जीओके) और रेल मंत्रालय (एमओआर) से बैंगलोर उपनगरीय रेलवे परियोजना (बीएसआरपी) के कार्यान्वयन के लिए निधि प्राप्त करना शुरू कर दिया है। प्राप्त निर्देशों के अनुसार कंपनी ने बीएसआरपी परियोजना के निष्पादन के लिए B-RIDE नामक एक सहायक कंपनी भी स्थापित की है। सहायक कंपनी के गठन के बावजूद बीएसआरपी परियोजना के लिए जीओके और एमओआर से प्राप्त निधि को कंपनी की शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया गया है।

इसके अलावा रेल मंत्रालय को शेयर आवंटित करके, कंपनी ने रेल मंत्रालय को अपने समग्र संचालन में 49% शेयरधारक बना दिया है, जिसकी स्थापना के समय परिकल्पना नहीं की गई थी। वर्तमान में संपूर्ण बीएसआरपी निधि और संबंधित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को B-RIDE को हस्तांतरित करने के लिए बातचीत जारी बताई जा रही है। हालांकि, अंतिम कार्यान्वयन ढांचे के संबंध में कर्नाटक सरकार या रेल मंत्रालय दोनों की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है।

हमारे विचार में यह स्थिति निम्नलिखित के संबंध में अनिश्चितता पैदा करती है:

क. के–राइड के माध्यम से बीएसआरपी परियोजना के कार्यान्वयन की निरंतरता,

ख. प्राप्त और शेयर पूंजी में परिवर्तित निधियों का लेखांकन उपचार,

ग. रेल मंत्रालय की हिस्सेदारी का शेयरधारिता पैटर्न और नियंत्रण संबंधी निहितार्थ, और

घ. बीएसआरपी कार्यान्वयन के संबंध में के–राइड के संभावित निरंतर संचालन संबंधी विचार।

8. कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार ठेकेदार मेसर्स एल एंड टी ने कंपनी के खिलाफ ₹47,881.75 लाख रुपये की राशि का दावा करते हुए मध्यस्थता का मामला दायर किया है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

iv. व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अग्रिम और इसी प्रकार के शेषों की पुष्टि पर टिप्पणी करें।

टिप्पणी:

निम्नलिखित शेषों के वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव का हम पता लगाने में असमर्थ हैं, जिनकी पुष्टि उन पक्षों द्वारा नहीं की गई है जिन्हें शेषों की सीधी पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे।

(₹ लाखों में)

खाते का विवरण	पुष्टि के लिए भेजे गए पत्रों में कवर की गई राशि	राशि जिसके लिए पुष्टि प्राप्त हुई है	राशि जिसके लिए पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है
व्यापार देय	612.74	158.40	454.34
व्यापार प्राप्य	12,163.07	–	12,163.07

v. क्या कंपनी के पास परित्यक्त परियोजनाओं पर लागत की पहचान और उसके लिए प्रावधान/बकाया सुनिश्चित करने की कोई प्रणाली है?

टिप्पणी: कंपनी ने किसी भी परियोजना को परित्यक्त परियोजना के रूप में चिह्नित नहीं किया है। इसलिए हमारी राय में, प्रावधान/बकाया की आवश्यकता नहीं है।

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 004135एस

हस्ताक्षर/–
(सी.ए. वीरबासन गौड़ा)
साझेदार,
एमआरएन: 208698
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेएक्सएआई5456

दिनांक: 04.12.2025
स्थान: बेंगलुरु

परिशिष्ट – 1

क्रम संख्या	चेकलिस्ट में आइटम	टिप्पणियाँ
	क्या उपर्युक्त शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सभी बैंक खाते/स्थिर जमा बैंकों में उचित प्राधिकरण और अनुमोदन के साथ खोले गए हैं?	हाँ
	क्या बैंक समाधान विवरण तैयार करने की आवधिक प्रणाली थी और क्या उन्हें लेखापरीक्षा के लिए सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया गया था?	हाँ
	क्या मुख्य खाते और सभी सहायक बैंक खातों का बैंक समाधान किया गया था?	हाँ
	क्या बैंक खातों के संचालन का प्राधिकरण एक ही हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया था?	बैंक खाते के संचालन का प्राधिकरण संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को दिया गया था।
	क्या स्थिर जमा की पूरी अवधि के लिए ब्याज को लेखा-पुस्तकों में दर्ज किया गया था?	हाँ
	क्या समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया गया है?	कंपनी के अधिकारियों ने 30.06.2024, 30.09.2024, 31.12.2024 और 31.03.2025 को सत्यापन किया था।
	क्या बैलेंस शीट में दर्शाई गई नकद राशि, नकद के भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र से मेल खाती है?	हाँ
	क्या सावधि जमा का कोई रजिस्टर है जिसमें राशि, परिपक्वता तिथियां, ब्याज दरें और ब्याज भुगतान की तिथियां दर्ज हों?	हाँ
	क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती प्रणाली है कि सावधि जमा पर ब्याज नियत तिथियों पर प्राप्त हो?	हाँ
	क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अनुवर्ती प्रणाली है कि सावधि जमा की परिपक्व राशि का हस्तांतरण बिना किसी देरी के हो?	हाँ
	क्या सभी खातों (सबस्टेज खाता, चालू खाता और सावधि जमा) के लिए बैंकों से समय-समय पर बैंक पुष्टिकरण विवरण प्राप्त किए जाते हैं?	नवीनतम पुष्टिकरण विवरण 31.03.2025 को वर्ष के अंत में प्राप्त किए जाते हैं।
	क्या सभी बैंक शेषों के संबंध में शेष राशि की पुष्टिकरण बैंक विवरणों से मेल खाती है?	हाँ
	क्या सावधि जमा रजिस्टर के अनुसार सावधि जमा और ब्याज बैंक द्वारा जारी पुष्टिकरण/प्रमाणपत्र से मेल खाते हैं?	हाँ
	क्या बैंकों से प्राप्त पुष्टिकरण विवरण प्रमाणित हैं और बैंक के लेटरहेड पर हैं?	पुष्टिकरण संबंधित बैंकों के लेटरहेड पर प्राप्त हुए हैं।
	उपरोक्त जांच में यदि कोई अंतर पाया गया, तो क्या उसे अगले वर्ष समायोजित किया गया?	ऐसा कोई मामला नहीं है।
	क्या जांच किए गए मामलों में बैंकों से बाहरी पुष्टिकरण प्राप्त किए गए थे? यदि हां, तो कृपया उनका विवरण दें।	नहीं। अनुरोध पत्र कंपनी द्वारा जारी किए गए थे। हालांकि, वित्तीय संस्थानों ने पुष्टिकरण पत्र सीधे हमारी फर्म को नहीं भेजे हैं।
	क्या उपरोक्त में से कोई भी चूक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट में उजागर हुई है?	लागू नहीं

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
एफआरएन: 004135एस

हस्ताक्षर/–
(सी.ए. वीरबासन गौड़ा)
साझेदार, एमआरएन: 208698
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेएक्सएआई5456

दिनांक: 04.12.2025
स्थान: बेंगलुरु

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड का
दिनांक 31 मार्च 2025 तक का तुलन–पत्र (बैलेंस शीट)

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	1 अप्रैल 2023 तक
I. परिसंपत्तियाँ				
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियाँ				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3(क)	55,591.05	35,831.56	6,568.62
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3(घ)	40,694.37	14,904.82	4,910.51
(ग) उपयोग का अधिकार प्राप्त परिसंपत्तियाँ	3(ग)	23.21	120.11	184.70
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3(ख)	2.03	3.02	6.53
(ङ) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3(ङ)	648.81	306.79	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश	4	210.00	210.00	210.00
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	100.55	92.67	82.14
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	6	232.83	203.97	-
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	7	46,073.31	20,939.89	24,387.01
(2) चालू परिसंपत्तियाँ				
(क) भंडार	8	1,354.14	1,743.40	1,804.93
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(ळ) व्यापार प्राप्य	9	12,163.07	9,555.93	-
(ळळ) नकद और नकद समतुल्य	10	32,770.89	35,701.16	14,531.69
(ळळळ) अन्य बैंक शेष	11	-	20,100.00	38,000.00
(ळीं) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	20.30	26.50	25.39
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	245.06	881.22	782.17
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	4,911.61	3,957.60	10,840.70
कुल संपत्ति		**1,95,041.24**	**1,44,578.65**	**1,02,334.37**
II. इक्विटी और देनदारियां				
(1) इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	1,01,039.22	1,01,039.22	3,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	16	59,707.42	16,593.44	14,810.04
(2) आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	17	-	-	5,000.00
(3) देनदारियां				
(i) गैर–चालू देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	18	23,351.95	5,958.54	51,855.82
(ख) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	19	9.00	29.05	145.90
(ii) पट्टा देनदारियां	20	990.63	1,573.22	1,115.03
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	21	151.55	159.11	108.51
(ख) अन्य गैर–चालू देनदारियां	22	211.97	154.43	83.39
(ग) प्रावधान				
(ii) चालू देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां				
(i) उधार	23	0.19	0.21	-
(ii) पट्टा देनदारियां	19	20.05	141.33	116.82
(iii) व्यापार देय	24			
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		147.38	385.48	175.97
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		498.77	509.18	678.42
(ख) अन्य चालू देनदारियां	25	7,135.08	16,467.58	24,158.51
(ग) प्रावधान	22	1,778.04	1,567.85	1,085.97
कुल इक्विटी और देनदारियां		**1,95,041.24**	**1,44,578.65**	**1,02,334.37**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2			
साथ में संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।	01-73			

इसी दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एफआरएन: 004135एस
हस्ताक्षर/–
(सी.ए. वीरबासन गौड़ा)
साझेदार, एमआरएन: 208698
स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेडबल्यूबीएल6957

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए28063

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड का
दिनांक 31 मार्च 2025 तक का तुलन–पत्र (बैलेंस शीट)

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व:		21,920.52	18,855.36
परिचालन से राजस्व	**26**	1,778.17	3,571.17
अन्य आय	**27**		
कुल आय		**23,698.68**	**22,426.53**
व्यय:			
परिचालन व्यय	**28**	20,159.64	17,539.06
कर्मचारी लाभ व्यय	**29**	1,254.19	889.21
वित्तीय लागत	**30**	568.53	2,083.92
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**31**	8.98	9.75
अन्य व्यय	**32**	704.90	732.86
कुल व्यय		**22,696.25**	**21,254.80**
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ		1,002.44	1,171.72
असाधारण मद		-	-
कर से पूर्व लाभ		**1,002.44**	**1,171.72**
कर व्यय:			
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर	**6**	(28.86)	(203.97)
कर पश्चात लाभ		**1,031.30**	**1,375.69**
अन्य व्यापक आय/(हानि)			
क. (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		18.28	(5.06)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
ख. वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)		**18.28**	**(5.06)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**1,049.58**	**1,370.64**
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य 10):			
मूल		0.10	0.55
तनुकृत		0.10	0.55
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या			

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2

साथ में संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं। 01–73

इसी दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।
पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एफआरएन: 004135एस

हस्ताक्षर/–
(सी.ए. वीरबासन गौड़ा)
साझेदार, एमआरएन: 208698

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेडबल्यूवीएल6957

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए28063

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

अ) इक्विटी शेयर पूंजी

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि – 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्कथन शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
इक्विटी शेयर पूंजी	1,01,039	-	-	-	1,01,039

पूर्ववर्ती (पिछली) रिपोर्टिंग अवधि – 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष	पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्कथन शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष
इक्विटी शेयर पूंजी	3,000	-	-	98,039	1,01,039

ब) अन्य इक्विटी

	आरक्षित और अधिशेष							
	टिप्पणी	सामान्य आरक्षित	धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित	धारा 45–IC के अंतर्गत विशेष आरक्षित	पूंजी आरक्षित	अन्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
1 अप्रैल, 2023 को शेष		-	-	-	-	14,066.50	2,119.23	16,185.73
वर्ष के लिए अतिरिक्त आय		-	-	-	-	412.77	-	412.77
घटाएँ: हस्तांतरण		-	-	-	-	-		-
अन्य व्यापक आय		-	-	-	-	18.28	(5.06)	13.23
31 मार्च, 2024 को शेष		**-**	**-**	**-**	**-**	**14,479.26**	**2,114.18**	**16,611.72**
वर्ष के लिए अतिरिक्त आय		-	-	-	-	42,064.40	1,031.30	43,095.70
घटाएँ: हस्तांतरण		-	-	-	-	-		
अन्य व्यापक आय		-	-	-	-	-		
31 मार्च, 2025 को शेष		**-**	**-**	**-**	**-**	**56,561.95**	**3,145.48**	**59,707.42**

संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
इसी दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 208698

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेडबल्यूवीएल6957

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

हस्ताक्षर/–
अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए28063

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड का
नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अ. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		
गैर–परिचालन मामलों के लिए समायोजन:	1,002.44	1,171.72
–मूल्यह्रास और परिशोधन	8.98	9.75
–ब्याज व्यय	568.53	2,083.92
–ब्याज आय	(1,778.17)	(3,571.17)
–अक्षांशीय लाभ/हानि	18.28	(5.06)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**(179.93)**	**(310.83)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
– व्यापार प्राप्य में कमी/वृद्धि	(2,607.14)	(9,555.93)
– इन्वेंट्री में कमी/वृद्धि	389.26	61.53
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/वृद्धि	(1.69)	(11.63)
– अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/वृद्धि	(954.01)	6,883.10
– अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में कमी/वृद्धि	(25,133.42)	3,447.11
– जमा खाते में कमी/वृद्धि–चालू परिसंपत्तियों में कमी/वृद्धि (परिपक्वता 3 महीने से अधिक)	20,100.00	17,900.00
– उधारों में कमी/वृद्धि	636.16	(99.05)
– व्यापार देयताओं में कमी/वृद्धि	(0.02)	0.21
– अन्य चालू देनदारियों में कमी/वृद्धि	(248.51)	40.27
– अल्पकालिक प्रावधानों में कमी/वृद्धि	(9,332.50)	(7,690.92)
– पट्टा देनदारियों में कमी/वृद्धि	210.19	481.88
– अन्य वित्तीय देनदारियों में कमी/वृद्धि	(141.33)	(92.35)
– दीर्घकालिक प्रावधानों में कमी/वृद्धि	(582.59)	458.19
	57.53	71.03
	(7.53)	50.60
परिचालन से प्राप्त नकद राशि	**(17,795.54)**	**11,633.20**
–प्रत्यक्ष करों का भुगतान		
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त/उपयोग की गई शुद्ध नकदी (–)	**(17,795.54)**	**11,633.20**
ब. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
आल परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जिसमें CWIP और पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं (शुद्ध)	(45,803.30)	(39,507.71)
आल परिसंपत्तियों की बिक्री	1.15	2.02
ब्याज आय	1,778.17	3,571.17
निवेश गतिविधियों से प्राप्त/उपयोग की गई शुद्ध नकदी (इ)	**(44,023.99)**	**(35,934.52)**
स. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गमन	-	98,039.22
स्वामियों की इक्विटी में परिवर्तन		
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	(5,000.00)
दीर्घकालिक ऋण और अनुदान से प्राप्त राशि	59,457.79	(45,484.50)
ब्याज व्यय	(568.53)	(2,083.92)
वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त/उपयोग की गई शुद्ध नकदी (सी)	**58,889.26**	**45,470.79**
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी (– + इ + उ)	**(2,930.27)**	**21,169.47**
नकदी और नकदी समतुल्य (प्रारंभिक शेष)	**35,701.16**	**14,531.69**
नकदी और नकदी समतुल्य (अंतिम शेष)	**32,770.89**	**35,701.16**
नकद और नकद समतुल्य के घटक		
क) हाथ में नकद	0.12	0.12
ख) बैंकों में शेष राशि:		
चालू खाता और बचत खाते	32,770.78	32,701.04
जमा खाता (परिपक्वता अवधि 3 महीने से कम)	-	3,000.00
हाथ में चेक/ड्राफ्ट	-	-
	32,770.89	**35,701.16**

इसी दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।
पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 208698

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेडबल्यूवीएल6957

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए28063

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1: कंपनी संबंधी जानकारी:

सितंबर 2000 में कर्नाटक सरकार (GoK) और रेल मंत्रालय (MoR) ने कर्नाटक में चिन्हित रेलवे परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड - K-RIDE नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

कंपनी का उद्देश्य संसाधन जुटाना, यातायात गारंटी सुनिश्चित करना और परियोजना वित्तपोषण में रणनीतिक साझेदारों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। कर्नाटक सरकार ने रेलवे परियोजना विकास से संबंधित विभिन्न सहायक मामलों के उद्देश्यपूर्ण समाधान के लिए शहरी विकास के प्रभारी स्थानीय संगठनों/निकायों के साथ समन्वय करने हेतु नवंबर 2000 में बैंगलोर में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कंपनी को निगमित किया।

कर्नाटक सरकार ने सरकारी आदेश संख्या IDD 59 NSW 2009 दिनांक 17 अगस्त, 2009 के माध्यम से कंपनी को चिन्हित रेलवे परियोजनाओं के आवश्यक समन्वय और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने तथा कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया।

वर्तमान में कंपनी को बेंगलुरु में प्रमुख बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए दो दोहरीकरण परियोजनाओं, (i) बैयप्पनहल्ली – होसुर (48 किमी) और (ii) यशवंतपुर – चन्नासंद्रा (21.7 किमी) के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने का दायित्व भी सौंपा गया है। ये परियोजनाएं लागत साझाकरण के आधार पर (50% कर्नाटक सरकार और 50% रेल मंत्रालय से) एसडबल्यूआर से के–राइड को हस्तांतरित की गई हैं।

रेल मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर, 17.10.2018 के संशोधित शेयरधारक समझौते के अनुसार, कंपनी का पुनर्गठन कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय के बीच 51:49 के इक्विटी अनुपात में राज्य संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया। के–राइड के राज्य संयुक्त उद्यम के रूप में पुनर्गठन के मद्देनजर, कंपनी की गतिविधियों/दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

क) व्यवहार्य रेलवे परियोजनाओं और/या ऐसी परियोजनाओं का विकास, वित्तपोषण और कार्यान्वयन, जिनके लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण की आवश्यकता हो सकती है और जो महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी/क्षमता वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, जैसा कि पक्षों द्वारा सहमति दी गई है;

ख) रेलवे परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जांच के लिए सर्वेक्षण करना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना;

ग) रेलवे परियोजनाओं (बोर्ड या पक्षों द्वारा पहचानी गई) की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया करना;

घ) रेलवे परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सहायक कंपनियों/विशेष प्रयोजन वाहनों का निगमन और वित्तपोषण; और

ङ) ऊपर विशेष रूप से उल्लेखित न की गई ऐसी सभी कार्रवाइयां करना, जो समझौते में निर्धारित पक्षों के आशय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

नोट 2 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी का आधार – मापन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां – अनुपालन विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित, और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जहां भी लागू हो, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट/घोषणाओं पर भी विचार किया गया है, जिन्हें कंपनी द्वारा लगातार अपनाया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष तक की सभी अवधियों के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी (खाते) नियम, 2014 (भारतीय जीएएपी या पूर्ववर्ती जीएएपी) के साथ मिलकर अपने एसएफएस तैयार किए हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण हैं। कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की जानकारी के लिए खातों के नोट्स देखें।

चूंकि ये कंपनी के भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण हैं, इसलिए भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के प्रथम–प्रथम अपनाने के लिए इंड एएस – 101 लागू किया गया है। इंड एएस में परिवर्तन ने कंपनी की पूर्व में रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह को कैसे प्रभावित किया है, इसका स्पष्टीकरण खातों के नोट्स में दिया गया है।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा:

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है, और सभी मूल्यों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा इंगित किया गया हो।

चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण:

कंपनी बैलेंस शीट में संपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। किसी संपत्ति को चालू संपत्ति तब माना जाता है जब वह:

सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने की उम्मीद हो, या बेची या उपयोग की जानी हो; मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो; रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो; या नकद या नकद समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीनों के बाद किसी देनदारी के निपटान के लिए विनिमय या उपयोग पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर–चालू संपत्ति माना जाता है।

किसी देनदारी को चालू संपत्ति तब माना जाता है जब वह:

सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद हो;

मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो; इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीने के भीतर होना तय है, या

रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देनदारी के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है। अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन चक्र:

परिचालन चक्र परिसंपत्तियों के प्रसंस्करण हेतु अधिग्रहण और नकद एवं नकद समतुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। कंपनी ने बारह महीने को अपना परिचालन चक्र निर्धारित किया है।

2.3 मापन का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित के:

(i) वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिनका मापन उचित मूल्य पर किया जाता है (वित्तीय उपकरणों के संबंध में लेखांकन नीति देखें)।

(ii) परिभाषित लाभ योजना – योजना परिसंपत्तियाँ जिनका मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

उचित मूल्यों के मापन के लिए प्रयुक्त विधियों पर वित्तीय विवरणों के नोट्स में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.4 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ बनानी पड़ती हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर समीक्षा की जाती है और लेखांकन अनुमानों में संशोधन को भावी रूप से मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात या साकार होते हैं।

महत्वपूर्ण अनुमानों या निर्णयों से संबंधित क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा लागत घटकों की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि का निर्धारण: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण कंपनी की परिसंपत्ति आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आवधिक मूल्यह्रास के लिए प्रभार परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि, उपयोगी जीवन अवधि के अंत में अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि का निर्धारण करने के बाद निकाला जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन अवधि और अवशिष्ट मूल्य प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यह्रास विधि के साथ इनकी समीक्षा की जाती है। उपयोगी जीवन अवधि समान परिसंपत्तियों के ऐतिहासिक अनुभव के साथ–साथ भविष्य की उन घटनाओं के पूर्वानुमान पर आधारित होती है जो उनकी जीवन अवधि को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन। उपयोगी जीवन अवधि के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधियों में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है। यह भी आकलन किया जाता है कि किन घटकों और लागतों को पूंजीकृत किया जा सकता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियों तथा लागत घटकों की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि का निर्धारण: आवधिक परिशोधन के लिए प्रभार परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि और परिशोधन विधि का निर्धारण करने के बाद निकाला जाता है। संपत्ति के अधिग्रहण के समय प्रबंधन द्वारा उसकी उपयोगी जीवन अवधि निर्धारित की जाती है और समय–समय पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, परिशोधन विधि सहित इसकी समीक्षा की जाती है। उपयोगी जीवन अवधि समान संपत्तियों के ऐतिहासिक अनुभव के साथ–साथ भविष्य की उन घटनाओं के पूर्वानुमान पर आधारित होती है जो उनकी जीवन अवधि को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन।

ग) प्रावधान: प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में तकनीकी मूल्यांकन और पिछले अनुभव के आधार पर एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, वहां प्रावधान को अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को उचित छूट दर के साथ छूट देकर निर्धारित और बनाए रखा जाता है, जहां भी लागू हो। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, वहां समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ) आकस्मिक देनदारियां : अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी संभावित देनदारी, जिसका अस्तित्व केवल कंपनी के पूर्ण नियंत्रण से बाहर की एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर ही पुष्ट होगा, आकस्मिक देनदारी के अंतर्गत प्रकट की जाती है। अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी वर्तमान देनदारी, जिसे मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता देनदारी के निपटान के लिए होगी या देनदारी की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, उसे भी आकस्मिक देनदारी के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देनदारी की ऐसी मदों की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

ङ) सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ योजनाएं : कर्मचारी लाभ देनदारियों का मापन बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है, जिसमें मृत्यु दर और निकासी दर के साथ-साथ छूट दरों, वेतन वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर में भविष्य के विकास से संबंधित मान्यताएं शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसकी देनदारियों के मापन के लिए उपयोग की गई मान्यताएं उचित और प्रलेखित हैं। हालांकि, इन मान्यताओं में किसी भी बदलाव का परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

च) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास परीक्षण : पीपीई की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन मान्यताओं में किसी भी बदलाव का वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास हो सकता है।

छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान : कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान किस हद तक की जा सकती है, यह कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमाओं के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण विवेक की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्यों का मापन

कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार वित्तीय उपकरणों का मापन उचित मूल्यों पर किया जाना आवश्यक है। कंपनी ने उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक नियंत्रण ढांचा स्थापित किया है। कंपनी उचित मूल्य निर्धारण के लिए परिस्थितियों के अनुरूप और पर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता वाली मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है, जिससे प्रासंगिक प्रत्यक्ष इनपुट का अधिकतम उपयोग और अप्रत्यक्ष इनपुट का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित होता है।

प्रबंधन नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट की समीक्षा करता है। मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर उचित मूल्यों को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

स्तर 1 इनपुट : सक्रिय बाजार में उद्धृत, असमायोजित मूल्य।

स्तर 2 इनपुट : उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकने वाले इनपुट।

स्तर 3 इनपुट : अप्रत्यक्ष इनपुट।

2.5 राजस्व मान्यता:

राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहां तक यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है, जिसमें अनुबंध में परिभाषित भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखा जाता है और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या शुल्कों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य परियोजना कार्यों से प्राप्त राजस्व को निम्नलिखित प्रकार से मान्यता दी जाती है:

(i) उन अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, जहाँ समय के साथ निष्पादन दायित्वों की पूर्ति हो जाती है और जहाँ प्रतिफल के मापन या वसूली के संबंध में कोई अनिश्चितता नहीं होती, उसे पूर्णता प्रतिशत विधि के अनुसार मान्यता दी जाती है।

(ii) रेलवे और रेलवे मंत्रालय द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्तपोषित दोहरीकरण कार्य। के-राइड और एसडब्ल्यूआर के बीच दिनांक 14.07.2022 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार डीपीआर और विस्तृत अनुमान में कोई भी परिवर्तन के-राइड द्वारा पूर्ण दस्तावेज और लागत विवरण प्रस्तुत करने के बाद उचित समयावधि के भीतर मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार एसडब्ल्यूआर द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। वर्तमान में राजस्व पूर्व स्वीकृत अनुमान के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

समझौते के परिसंपत्तियों का चालू करना और अधिग्रहण शीर्षक के अंतर्गत, चालू करने के तुरंत बाद सभी परिसंपत्तियों को रखरखाव के लिए रेलवे द्वारा अधिग्रहित माना जाएगा। इस प्रकार, संपूर्ण दोहरीकरण परियोजना परिसंपत्तियाँ रेलवे की हैं और तदनुसार रेलवे/आईआरएफसी पर चालान जारी किए जा रहे हैं।

व्यय/प्रावधानों को लेखा-पुस्तकों में तभी दर्ज किया जाता है जब किए गए कार्य को माप-पुस्तकों में दर्ज कर लिया गया हो और अभियंता/नामित अधिकारियों द्वारा उसका सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कर दिया गया हो। वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित परियोजना व्यय और पीवीसी राशि, जिनका संबंधित अभियंताओं द्वारा 30.04.2025 तक प्रमाणीकरण किया गया हो और जो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान किए गए कार्य से संबंधित हों, उन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 के व्यय और राजस्व की मान्यता के लिए विचार किया जाता है।

ब्याज आय

ब्याज आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

अन्य आय

अन्य आय/जुर्माने को कंपनी को प्राप्त होने पर ही मान्यता दी जाती है।

2.6 भूमि:

विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूस्वामियों द्वारा कंपनी को सौंपी गई और कंपनी द्वारा कब्जे में ली गई भूमि को कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेख के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, भूमि पर कब्जा लेने के समय ही पूंजीकृत कर दिया गया है।

यदि कोई बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति है, तो उसे देय तिथि पर ही दर्ज और पूंजीकृत किया जाएगा, क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

भूमि लागत में क्षतिपूर्ति, पंजीकरण और स्वामित्व तथा पुनर्वास/पुनर्वास से संबंधित अन्य वैधानिक और आकस्मिक शुल्क तथा अधिग्रहण/कब्जे की तिथि तक का ब्याज (यदि कोई हो) शामिल है, जो भी पहले हो। अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/दायित्व के अनुरूप भुगतान, जिसमें पट्टे पर ली गई भूमि भी शामिल है, भूमि से संबंधित लागत या मुआवजे के लिए किए गए भुगतान, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत में से ध्वस्त की गई संरचनाओं की बिक्री से प्राप्त राशि को घटाकर, भूमि या पट्टे पर ली गई भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि/सड़क चौड़ीकरण या विद्युत उपयोगिता बिछाने के लिए उपयोग की गई भूमि के लिए अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/दायित्व के अनुरूप भुगतान को उस भूमि पर निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को संचित मूल्यह्रास और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है। क्रय मूल्य निर्धारित करते समय किसी भी व्यापारिक छूट और प्रतिपूर्ति को घटा दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण मद से संबंधित अनुवर्ती व्यय को उसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता है जब वह वर्तमान परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाले भविष्य के लाभों को उसके पूर्व निर्धारित प्रदर्शन मानक से अधिक बढ़ा देता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण मद पर किए गए अन्य सभी व्यय, जिनमें दैनिक मरम्मत एवं रखरखाव व्यय और पुर्जों को बदलने की लागत शामिल है, उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं जिस अवधि के दौरान ये व्यय किए जाते हैं।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण मद को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य का आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है। मान्यता समाप्त होने पर प्राप्त लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। परियोजना निर्माण के लिए सरकार/अन्य एजेंसियों से निःशुल्क प्राप्त भूमि उपयोग की अनुमतियों को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

2.8 अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

संक्रमण तिथि पर अनुमानित लागत के रूप में इसके पिछले GAAP वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त इसकी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों का वहन मूल्य।

अलग से अधिग्रहीत अमूर्त संपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) का प्रारंभिक मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद, अमूर्त संपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर लागत मूल्य पर दर्ज किया जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन तीन वर्षों की अवधि में लिखित मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिसे प्रबंधन द्वारा संपत्ति का उपयोगी जीवन माना जाता है।

अमूर्त संपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और परिशोधन विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और आवश्यकतानुसार भावी समायोजन किया जाता है। बैलेंस शीट की तिथि पर उपयोग के लिए तैयार न होने वाली संपत्तियों की लागत को विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

2.9 पूंजीगत कार्य प्रगति पर:

क) बैलेंस शीट की तिथि पर स्थापना और/या निर्माण के अधीन संपत्तियों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर दर्शाया जाता है।

ख) मूल्य भिन्नताओं सहित दावों को स्वीकृति पर दर्ज किया जाता है।

ग) अंतिम बिल के निपटान पर निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि को दर्ज किया जाता है और लागत से घटाया जाता है।

घ) बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) से सीधे संबंधित व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति मद के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

ङ) बीएसआरपी निधियों और जुटाए गए अग्रिमों से प्राप्त ब्याज आय, वसूल किए गए जुर्माने, निविदा दस्तावेज शुल्क से प्राप्त राशि को पूंजीगत कार्य प्रगति के मूल्य से घटाया गया है।

च) वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार ओडीए और ऋण के लिए देय प्रबंधन शुल्क को पूंजीगत कार्य प्रगति मद में प्रभारित किया गया है।

छ) दोनों परियोजनाओं (बीएसआरपी और दोहरीकरण) से संबंधित सामान्य व्ययों को अलग-अलग किया गया है और आवंटन का आधार लाभ एवं हानि विवरण के नोट्स में विस्तृत रूप से दिया गया है।

2.10 मूल्यह्रास और परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, मूल्यह्रास योग्य राशि तक लिखित मूल्य (WDV) विधि से किया जाता है। मूल्यह्रास, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरी तरह से अपलिखित हो चुका है, तो 5% अवशिष्ट मूल्य या बहीखातों में दर्ज मूल्य को आगे ले जाया जाता है, बिना उस पर कोई और मूल्यह्रास लगाए।

5,000 रुपये से कम (या उसके बराबर) मूल्य पर अधिग्रहीत व्यक्तिगत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, खरीद के वर्ष में ही 100% की दर से, उनके व्यावसायिक जीवन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और इसे पूंजीकृत नहीं किया जाता है। कर्मचारियों को दिए गए मोबाइल हैंडसेट पर कंपनी की नीति के अनुसार 3 वर्षों की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन और तरीका नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

परिसंपत्ति का विवरण	वर्षों की संख्या
संयंत्र एवं मशीनरी	15
कार्यालय उपकरण	5
कंप्यूटर	3
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10
कार्यालय का आंतरिक सज्जा	10
कर्मचारी मोबाइल हैंडसेट (5,000 रुपये से अधिक मूल्य के)	3

2.11 मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास:

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, कंपनी परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की समीक्षा करती है। यदि मूल्यह्रास का कोई संकेत मिलता है, तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और मूल्यह्रास को मान्यता दी जाती है। यदि परिसंपत्ति का मूल्यह्रास उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो लाभ और हानि विवरण में मूल्यह्रास हानि को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहाँ तक मूल्यह्रास वसूली योग्य राशि से अधिक है। मूल्यह्रास के बाद, परिसंपत्ति के संशोधित मूल्यह्रास पर उसके शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। पहले से मान्यता प्राप्त मूल्यह्रास हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या उलट दिया जाता है। हालांकि, उलटफेर के बाद का मूल्य उस मूल्यह्रास से अधिक नहीं बढ़ाया जाता है जो सामान्य मूल्यह्रास लगाने पर प्राप्त होता, यदि कोई मूल्यह्रास नहीं होता।

2.12 विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेनदेन लेनदेन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दरों पर किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न विनिमय अंतरों को लाभ एवं हानि विवरण में उसी वर्ष में दर्ज किया जाता है जिस वर्ष ये अंतर उत्पन्न होते हैं।

2.13 इन्वेंट्री:

इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत और अप्रचलन एवं अन्य हानियों (यदि कोई हो) के लिए प्रावधान करने के बाद प्राप्त शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर FIFO विधि का पालन करते हुए किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत में खरीद की सभी लागतें, रूपांतरण की लागतें और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति तक लाने में हुई अन्य सभी लागतें शामिल होती हैं।

2.14 कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ:

क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

भविष्य निधि/राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सहित परिभाषित अंशदान योजना में भुगतान किया गया/देय अंशदान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है और उपार्जन के आधार पर लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। अर्जित अवकाश के प्रति कंपनी का दायित्व बीमांकिक रूप से निर्धारित किया जाता है और उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

एकांकिक लाभ/हानि तथा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्तियों पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि के बीच का अंतर, आयकर के बाद अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है।

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

अवकाश नकदीकरण:

अक्षले बारह महीनों के भीतर उपयोग किए जाने की अपेक्षित संचित अवकाश को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ माना जाता है। कंपनी ऐसी अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की अपेक्षा करती है।

कंपनी बारह महीनों से आगे ले जाने योग्य संचित अवकाश को मूल्यांकन के लिए दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ मानती है। ऐसे दीर्घकालिक सवैतनिक अवकाशों का प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को तुरंत लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है। कंपनी संचित अवकाश देयता को बैलेंस शीट में चालू देयता के रूप में दर्शाती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों तक इसके निपटान को स्थगित करने का उसे कोई अप्रतिशत अधिकार नहीं है।

प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में, अवकाश वेतन अंशदान प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार संबंधित मूल विभाग को भेजा जाता है। संविदा कर्मचारियों के मामले में एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिनों की दर से भुनाए जा सकने वाले अर्जित अवकाश और/या अनुबंध की समाप्ति के समय जमा अर्जित अवकाश, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुनाए जाने के योग्य हैं, का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ग्रेच्युटी:

ग्रेच्युटी, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, बैलेंस शीट की तिथि पर परियोजना इकाई क्रेडिट विधि के आधार पर किए गए स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित की जाती है। कंपनी अपनी बैलेंस शीट में परिभाषित लाभ योजना के शुद्ध दायित्व को परिसंपत्ति या देयता के रूप में दर्शाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में दर्शाया जाता है। औद्योगिक सतत विकास अधिनियम (Ind AS) के अनुसार, परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में नहीं दर्शाया जाता है। औद्योगिक सतत विकास अधिनियम (OCI) के अनुरूप अनुसूची–III के अनुसार कंपनी परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ और हानि (कर के बाद) को संचित आय में दर्शाती है।

कंपनी की एक परिभाषित लाभ योजना है। प्रत्येक नियमित कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, विकलांगता या मृत्यु पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 x अंतिम प्राप्त मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता) की दर से ग्रेच्युटी का हकदार है।

के–राइड के साथ सीधे संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए समेकित वेतन के 70% x 15/26 की दर से ग्रेच्युटी के हकदार हैं।

प्रतिनियुक्त कर्मचारी:

सरकार/अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ संबंधित मूल संगठन के सेवा नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ अंशदान के रूप में अर्जित राशि को प्रतिनियुक्ति की शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.15 पूर्व भुगतान मदें:

5,000/– रुपये से अधिक के पूर्व भुगतान व्यय की व्यक्तिगत मदों को मान्यता दी जाती है।

2.16 बीमा दावे:

बीमा दावों का लेखा–जोखा बीमा कंपनी द्वारा दावों की स्वीकृति के आधार पर किया जाता है।

2.17 अनुदान सहायता:

संपत्तियों के सृजन के लिए पूंजीगत व्यय हेतु सरकार/गैर–सरकारी या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त अनुदानों को जारी करने के लिए स्वीकृत होने पर मान्यता दी जाती है और प्रारंभ में इन्हें 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। बाद में इन्हें संबंधित परिसंपत्तियों के जीवनकाल में प्रत्येक वर्ष उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी जाती है। जहां कंपनी गैर–मौद्रिक अनुदानों को मान्यता देती है, वहां परिसंपत्ति और अनुदान (जिसे आस्थगित आय के रूप में दिखाया जाता है) को उचित मूल्यों पर सकल रूप से दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के अपेक्षित उपयोगी जीवन और उपभोग के पैटर्न के अनुसार आय विवरण में जारी किया जाता है।

2.18 ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण

कर्नाटक सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (एसडी) का भुगतान केएफडब्ल्यू विकास बैंक द्वारा (वरिष्ठ अवधि ऋण) व्यवस्थित ब्याज सहित ऋण निधि की पूरी राशि चुकाने के बाद किया जाना है। इन ऋणों को दीर्घकालिक ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

2.19 उधार लागत:

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादकता से संबंधित उधार लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उसी अवधि में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है जिस अवधि में वे घटित होती हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो कोई संस्था निधि उधार लेने के संबंध में वहन करती है।

परियोजना के लिए विशेष रूप से उधार ली गई और उससे संबंधित निधि पर हुई उधार लागत में विनिमय दर भी शामिल है।

विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न अंतर, जिन्हें ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में माना जाता है, परियोजना या उसके भाग के चालू होने की तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है और उसके बाद परिसंपत्तियों के वाणिज्यिक संचालन की सीमा तक राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

उस परिसंपत्ति पर पूंजीकृत किए जाने योग्य उधार लागत का निर्धारण उस अवधि के दौरान उस उधार पर हुई वास्तविक उधार लागत में से उस उधार के अस्थायी निवेश पर प्राप्त किसी भी आय को घटाकर किया जाता है।

एक योग्य परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

2.20 आय पर कर (IND AS 12):

आयकर व्यय, जिसमें चालू और आस्थगित कर शामिल हैं, उसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब यह अन्य व्यापक आय (OCI) या सीधे इक्विटी में दर्ज मदों से संबंधित हो, ऐसी स्थिति में इसे अन्य व्यापक आय/इक्विटी में दर्ज किया जाता है।

वर्तमान कर का निर्धारण संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

स्थगित कर को बैलेंस शीट विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जिसमें बैलेंस शीट में किसी परिसंपत्ति या देयता के वहन मूल्य और उसके कर आधार के बीच अस्थायी अंतर का प्रावधान होता है।

स्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या सारतः अधिनियमित कानूनों के आधार पर, अस्थायी अंतर के वास्तविक या निपटान होने पर लागू होने की उम्मीद होती है।

स्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

2.21 नकद और नकद समतुल्य:

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में मौजूद नकद, बैंक बैलेंस और बारह महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियाँ शामिल हैं, जो आसानी से ज्ञात नकद और नकद समतुल्य राशि में परिवर्तित हो सकती हैं और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

2.22 नकद प्रवाह विवरण:

नकद प्रवाह को IND AS-7 के तहत निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके दर्शाया जाता है, जिसके अनुसार असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर–नकद प्रकृति के लेन–देन और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

2.23 वित्तीय उपकरण

पहचान, प्रारंभिक मापन और अपहृत करना

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर प्रारंभिक रूप से मान्यता दी जाती है और उनका मापन किया जाता है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जिन्हें आरंभ में लाभ और हानि (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब अपहृत किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्तीय देनदारी को तब अपहृत किया जाता है जब वह समाप्त, निपटाई, रद्द या समाप्त हो जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और बाद का मापन

आगे के मापन के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता के समय निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

(i) प्रभावी ब्याज दरों (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(ii) लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(iii) अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कम से कम एक बार मूल्यह्रास के लिए समीक्षा की जाती है।

2.24 प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की गणना इस प्रकार की जाती है:

बाजार दरों पर ब्याज देने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ: इन मामलों में ईआईआर साधन की ब्याज दर के समतुल्य होती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के लिए जो उचित मूल्य पर नहीं हैं: एसबीआई–एमसीएलआर/वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उच्चतम उपलब्ध अवधि के लिए आधार दर।

ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण: परियोजना के प्रत्येक चरण के सबसे लंबी अवधि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि पर 10 वर्ष की जी–सेक सममूल्य उपज (FBIL) दर।

उपयोग का अधिकार (ROU) **परिसंपत्तियाँ:** उच्चतम उपलब्ध अवधि के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ड्झख–चउडठ/आधार दर।

2.25 प्रति शेयर आय (Ind AS 33):

मूल प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के शुद्ध लाभ या हानि को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

पतले प्रति शेयर आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के शुद्ध लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी संभावित तनुकरण इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.26 पट्टे:

पट्टेदार के रूप में कंपनी: कंपनी की पट्टा परिसंपत्ति श्रेणियों में मुख्य रूप से भूमि और भवन के पट्टे शामिल हैं। कंपनी अनुबंध की शुरुआत में ही यह आकलन करती है कि कोई अनुबंध पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है। कोई अनुबंध पट्टा तब होता है, या उसमें पट्टा शामिल होता है, जब अनुबंध किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिफल के बदले में प्रदान करता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी निर्दिष्ट रेखांकित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी निम्नलिखित का आकलन करती है:

(I) अनुबंध में एक पहचाने गए अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है,

(ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले लगभग सभी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, और

(iii) कंपनी को अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि पर, कंपनी उन सभी पट्टा समझौतों के लिए एक उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) और एक संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देती है जिनमें वह एक पट्टेदार है, सिवाय उन पट्टों के जो रद्द किए जा सकते हैं और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे।

आरओयू परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, जिसे पट्टा प्रारंभ होने की तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और कोई भी पट्टा प्रोत्साहन घटाया जाता है। आरओयू परिसंपत्तियों को बाद में संचित मूल्यह्रास और हानि हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर मापा जाता है। आरओयू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभ होने की तिथि से सीधी रेखा पद्धति के आधार पर पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

पट्टे की देनदारी का प्रारंभिक मूल्यांकन भविष्य में होने वाले पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। पट्टे के भुगतानों पर निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि यह आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग किया जाता है। बाद में, पट्टे की देनदारी पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाकर, पट्टे की देनदारी का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

पट्टे की अवधि में परिवर्तन या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में परिवर्तन जैसी कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टा देयता का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन में सामान्यतः पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों का भी समायोजन किया जाता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्तियों को बैलेंस शीट में अलग–अलग दर्शाया गया है और पट्टा भुगतानों को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा परियोजनाओं के लिए पूर्ण प्रतिफल का भुगतान करके पट्टे पर अधिग्रहित भूमि पार्सल पर कंपनी का अनंत/स्थायी कब्जा रहेगा और प्रभावी नियंत्रण भी कंपनी के पास रहेगा। कंपनी द्वारा किया गया कुल पट्टा भुगतान, जो लेनदेन मूल्य है, को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत भूमि (आरओयू) के रूप में मान्यता दी गई है।

2.27 रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित होने वाली महत्वपूर्ण समायोजन घटनाओं (जो बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद स्थिति का प्रमाण प्रदान करती हैं) को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है। बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित होने वाली गैर–समायोजनकारी घटनाओं (जो बैलेंस शीट की तिथि के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों का संकेत देती हैं) जो वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, का खुलासा किया जाता है।

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियाँ

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले नोट्स

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

विवरण	(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण					(ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	
	भूमि	फर्नीचर और फिक्स्चर	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	कुल (क)	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल (ख)
लागत							
1 अप्रैल, 2023 को	6,303.06	76.94	123.21	389.07	6,892.27	38.53	38.53
जोड़ें	29,319.33	1.89	21.94	22.24	29,365.40	0.64	0.64
घटाएँ	-	-	1.50	0.52	2.02	-	-
31 मार्च, 2024 को	**35,622.40**	**78.82**	**143.64**	**410.79**	**36,255.65**	**39.17**	**39.17**
जोड़ें	19,776.43	2.74	38.88	24.27	19,842.32		
घटाएँ	-	-	4.79	1.49	6.28		
31 मार्च, 2025 को	**55,398.82**	**81.56**	**177.73**	**433.57**	**56,091.69**	**39.17**	**39.17**
1 अप्रैल, 2023 को संचित मूल्यह्रास/परिशोधन एवं हानि	0.00	35.86	87.11	200.67	323.64	32.00	32.00
वर्ष के लिए शुल्क	0.01	10.87	28.04	62.60	101.51	4.15	4.15
घटाएँ	-	-	0.67	0.39	1.06	-	-
31 मार्च, 2024 को	**0.01**	**46.73**	**114.48**	**262.88**	**424.10**	**36.15**	**36.15**
लाभ-हानि खाते में प्रभारित (नोट-बी)	0.00	0.43	1.13	2.53	4.09	0.05	0.05
सीडबल्यूआईपी में स्थानांतरित (नोट-बी)	0.01	8.20	21.41	48.01	77.63	0.94	0.94
वर्ष के लिए कुल चार्ज	**0.01**	**8.63**	**22.54**	**50.53**	**81.71**	**0.99**	**0.99**
घटाएँ	-		4.12	1.05	5.17	-	-
31 मार्च, 2025 को	**0.01**	**55.36**	**132.90**	**312.36**	**500.64**	**37.14**	**37.14**
नेट ब्लॉक							
31 मार्च, 2023 को	**6,303.06**	**41.08**	**36.09**	**188.40**	**6,568.62**	**6.53**	**6.53**
31 मार्च, 2024 को	**35,622.39**	**32.10**	**29.16**	**147.91**	**35,831.56**	**3.02**	**3.02**
31 मार्च, 2025 को	**55,398.81**	**26.21**	**44.83**	**121.21**	**55,591.05**	**2.03**	**2.03**

नोट संख्या 3 के लिए स्पष्टीकरण

क. इंड एएस 101 पहली बार अपनाने वाली कंपनी को यह विकल्प देता है कि वह इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद का उचित मूल्य पर मूल्यांकन करे और उस उचित मूल्य को उस तिथि पर अनुमानित लागत के रूप में उपयोग करे, या इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य को पिछले जीएएपी के अनुसार जारी रखे और डीकमीशनिंग देनदारियों के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद उसे परिवर्तन की तिथि पर अनुमानित लागत के रूप में उपयोग करे। तदनुसार, कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों का उनके पिछले जीएएपी वहन मूल्य पर मूल्यांकन करने का विकल्प चुना है।

ख. वर्ष के लिए मूल्यह्रास का विभाजन 05:95 के आधार पर किया गया है (अर्थात् दुगुना के लिए 5% और बीएसआरपी के लिए 95% – जो किसी विशेष परियोजना की कुल परियोजना लागत है)। इस प्रकार ₹ 82.70 लाख रुपये का 5% यानी ₹ 4.14 लाख रुपये लाभ-हानि विवरण में प्रभारित किया गया है और शेष 95% यानी ₹ 78.56 लाख पूंजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग. भूमि का अधिग्रहण कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से किया गया है। केआईएडीबी द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 28(8) के माध्यम से के-राइड को भूमि सौंपे जाने के बाद भूमि का स्वामित्व के-राइड को हस्तांतरित माना जाता है।

31.03.2025 तक 189 निजी संपत्तियों (85,578.68 वर्ग मीटर) और 118 सरकारी संपत्तियों (19,785.34 वर्ग मीटर) के लिए केआईएडीबी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर राशि को पूंजीकृत किया गया है। शेष 530 संपत्तियों (1,29,379.43 वर्ग मीटर) के लिए भुगतान प्रक्रियाधीन है और KIADB के पास जमा अग्रिम राशि ₹ 23,769.41 लाख रुपये को शेष संपत्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा।

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियाँ

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले नोट्स

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

केआईएडीबी (कर्नाटक अवसंरचना विकास कंपनी) के माध्यम से (अनिवार्य अधिग्रहण के तहत) अधिग्रहित संपत्तियों की स्थिति 31.03.2025 तक इस प्रकार है:

बीएसआरपी परियोजना कॉरिडोर	अधिग्रहित संपत्तियों की कुल संख्या			कंपनी के नाम पर अभी पंजीकृत होने वाली संपत्तियां			कंपनी के नाम पर खाता पंजीकृत - हो चुकी संपत्तियों की संख्या		
	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
कॉरिडोर-2 (संख्या)	64	422	486	64	375	439	0	47	47
कॉरिडोर-2 (वर्ग मीटर)	9858.13	150641.38	160499.51	9858.13	139550.75	149408.88	0	11090.63	11090.63
केआईएडीबी के माध्यम से (अनिवार्य अधिग्रहण के तहत) अधिग्रहित कुल 486 संपत्तियों (160499.51 वर्ग मीटर) में से 19 संपत्तियाँ (3,776.13 वर्ग मीटर) विवादित हैं।									

बीएसआरपी परियोजना कॉरिडोर	अधिग्रहित संपत्तियों की कुल संख्या			कंपनी के नाम पर अभी पंजीकृत होने वाली संपत्तियां			कंपनी के नाम पर खाता पंजीकृत - हो चुकी संपत्तियों की संख्या		
	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
कॉरिडोर-4 (संख्या)	54	297	351	53	160	213	1	137	138
कॉरिडोर-4 (वर्ग मीटर)	9927.21	64316.73	74243.94	9121.05	33063.28	42184.33	806.16	31253.45	32059.61

घ) कंपनी के नाम पर स्वामित्व का पंजीकरण पूरा होने पर लागू स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क को मान्यता दी जाएगी।

ङ) बैंगलोर उपनगरीय रेलवे परियोजना के लिए मुआवजा और पुनर्वास पैकेज (सीआरपी) नीति को कर्नाटक सरकार द्वारा के-राइड द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में अनुमोदित किया गया है (यह के-राइड की वेबसाइट पर उपलब्ध है)। मुआवजा और पुनर्वास प्रक्रिया और भुगतान अनुमोदित सीआरपी नीति के अनुसार किए जाते हैं और इसे 31.03.2025 तक भूमि विभाग द्वारा प्रमाणित सीमा तक भूमि के रूप में पूंजीकृत किया गया है, उन भूमि के संबंध में जो पहले से ही पुस्तकों में पूंजीकृत हैं।

च) बीडीए (1,100.71 वर्ग मीटर), बीडब्ल्यूएसएसबी (121.9 वर्ग मीटर), लिडकार (2,031.63 वर्ग मीटर) और केवीएएफएसयू (9,151 वर्ग मीटर/2.2613 एकड़) की भूमि के राइड को सौंप दी गई है। हालांकि, पंजीकरण और खाता हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है।

छ) दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बीएसआरपी कॉरिडोर-2 के लिए 85.707 एकड़ और बीएसआरपी कॉरिडोर-4 के लिए 115.472 एकड़ रेलवे भूमि के-राइड को पट्टे पर दी है। यह पट्टा अवधि 35 वर्षों के लिए क्रमशः 22.12.2022 और 02.04.2024 को तय की गई थी। पट्टे का नाममात्र शुल्क 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष है, जैसा कि रेलवे बोर्ड के कार्यालय ज्ञापन में भूमि (उपयोग का अधिकार) के रूप में दर्शाया गया है।

ज) दोनों पट्टा समझौते 02.04.2024 को पंजीकृत किए गए हैं। कंपनी रेलवे भूमि के पट्टे के लिए इंड एएस 116 के तहत दी गई छूट का लाभ उठाती है,क्योंकि यह कम मूल्य वाली संपत्ति है।

झ) केवीएएफएसयू से खरीदी गई भूमि पर खरीद की शर्त के तहत एक चारदीवारी का निर्माण किया जाना है। हालांकि, इस समय के-राइड चारदीवारी के निर्माण के मूल्य का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं है और जब भी यह कार्य शुरू होगा और भुगतान किया जाएगा, तब इसे तदनुसार पूंजीकृत किया जाएगा। कंपनी बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 ऑफ 1988) के तहत कोई बेनामी संपत्ति नहीं रखती है।

ञ) वर्ष के दौरान उपयोग के अधिकार और अमूर्त संपत्तियों सहित किसी भी पीपीई का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

ट) आल संपत्ति के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं

तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में संबंधित मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व विलेख किस के नाम पर हैं	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक का रिश्तेदार अुवा प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से है	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	संपत्ति विवरण (वर्ग मीटर में)	संपत्तियों की संख्या -	विवादित संपत्ति (वर्ग मीटर में)
पीपीई	''भूमि (कॉरिडोर-2)''	43,142.62	निम्न नोट देखें (केआईएडीबी)	नहीं - केआईएडीबी	वित्तीय वर्ष 2021-22 से वितीय वर्ष 2024-2025 तक	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	1,49,408.88	439	3,776.13
पीपीई	''भूमि (कॉरिडोर-2)''	943.39		नहीं - केआईएडीबी		खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	42,184.33	213	-
पीपीई	''भूमि (कॉरिडोर-2)''	642.99	बीडीए	नहीं	31.01.2024	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	1,100.71	1	-
पीपीई	''भूमि (कॉरिडोर-2)''	86.67	बीडबल्यूएसएसबी	नहीं	10.11.2022	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	121.90	1	-
पीपीई	''भूमि (कॉरिडोर-2)''	361.63	लिडकर	नहीं	21.11.2022	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	2,031.63	1	-
पीपीई	ङ''भूमि (कॉरिडोर-2)''	2,736.17	केवीएएफएसयू	नहीं	04.05.2023	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	9,151.00	1	-

नोट: भूमि का अधिग्रहण केआईएडीबी (अनिवार्य अधिग्रहण के तहत) के माध्यम से किया जाता है। भूमि का स्वामित्व के-राइड को हस्तांतरित माना जाता है, जैसे ही केआईएडीबी द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 28(8) के माध्यम से भूमि के-राइड को सौंपी जाती है।

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

नोट 3(सी) – उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ और पट्टा देनदारियाँ

कंपनी ने एक पट्टेदार के रूप में कार्यालय स्थान के लिए कई पट्टा व्यवस्थाएँ की हैं। अधिकांश पट्टे के अनुबंध सामान्य नियमों और शर्तों के तहत किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें एक निश्चित अवधि के लिए पट्टे को बढ़ाने के विकल्प और सामान्य कार्यालय किराये के बाजार की स्थितियों के अनुरूप वृद्धि खंड शामिल होते हैं। नवीनीकरण पर, पट्टे की शर्तों पर पुनर्विचार किया जाता है। कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था इंड एएस 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने की योग्यता रखती है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण विवेक की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे की अवधि और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण विवेक का उपयोग करती है। कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, साथ ही पट्टे को बढ़ाने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि, यदि कंपनी को उस विकल्प का प्रयोग करने का उचित रूप से निश्चितता है; और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि, यदि कंपनी को उस विकल्प का प्रयोग न करने का उचित रूप से निश्चितता है। पट्टे की अवधि बढ़ाने के विकल्प का प्रयोग करने या पट्टा समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग न करने के संबंध में कंपनी की उचित निश्चितता का आकलन करते समय, कंपनी उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करती है जो कंपनी को पट्टा बढ़ाने या पट्टा समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग न करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यदि पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो कंपनी पट्टे की अवधि में संशोधन करती है। पट्टा अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए नोट–(iii) भी देखें।

(i) **बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि**

बैलेंस शीट में उपयोग के अधिकार से संबंधित संपत्तियों की निम्नलिखित राशियाँ दर्शाई गई हैं:

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	01 अप्रैल, 2023 को
सकल वहन राशि			
प्रारंभिक शेष	209.46	184.70	184.70
जोड़ें	-	24.76	-
घटाएँ	-	-	-
अंतिम शेष	**209.46**	**209.46**	**184.70**
संचित परिशोधन			
प्रारंभिक शेष	89.34	-	-
जोड़ें	96.91	89.34	-
घटाएँ	-	-	-
अंतिम शेष	**186.25**	**89.34**	**-**
शुद्ध वहन राशि	**23.21**	**120.11**	**184.70**

पट्टा देयता का स्थानांतरण

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	01 अप्रैल, 2023 को
प्रारंभिक पट्टा देयता	170.38	262.73	-
जोड़ें	-	-	262.73
जोड़ें: अर्जित ब्याज	9.12	42.35	-
घटाएँ: पट्टा भुगतान	-150.45	-134.70	-
समाप्ति पट्टा देयता	**29.05**	**170.38**	**262.73**

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	01 अप्रैल, 2023 को
पट्टा देयताएँ			
वर्तमान	20.05	141.33	116.82
गैर–वर्तमान	9.00	29.05	145.90
कुल	**29.05**	**170.38**	**262.73**

(ii) **लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आरओयू परिसंपत्तियों का परिशोधन**

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को	01 अप्रैल, 2023 को
लाभ एवं हानि में प्रभारित *	4.85	4.47	-
सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित *	92.06	84.88	-
कुल	**96.91**	**89.34**	**-**

*वर्ष के लिए परिशोधन 05:95 के आधार पर विभाजित किया गया है (अर्थात् किसी विशेष परियोजना की कुल लागत, यानी दोहरीकरण के लिए 5% और बीएसआरपी के लिए 95%)। इस प्रकार 96.91 लाख रुपये का 5% यानी 4.85 लाख रुपये लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया गया है और शेष 95% यानी 92.06 लाख रुपये पूंजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(iii) **पट्टा अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय:**

पट्टा अवधि निर्धारित करते समय, प्रबंधन उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो विस्तार विकल्प का प्रयोग करने या समाप्ति विकल्प का प्रयोग न करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। विस्तार विकल्प (या समाप्ति विकल्पों के बाद की अवधि) को पट्टा अवधि में तभी शामिल किया जाता है जब पट्टा विस्तारित होने (या समाप्त न होने) की उचित रूप से निश्चितता हो।

पट्टों के लिए सामान्यत: निम्नलिखित कारक सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं:

– यदि समाप्ति (या विस्तार न करने) के लिए महत्वपूर्ण दंड भुगतान हैं, तो कंपनी आमतौर पर विस्तार (या समाप्ति न करने) के लिए उचित रूप से निश्चित होती है।
– यदि पट्टे पर दी गई संपत्ति में किए गए सुधारों का भविष्य में भी महत्वपूर्ण मूल्य होने की उम्मीद है, तो कंपनी आमतौर पर पट्टे को आगे बढ़ाने (या समाप्त न करने) के बारे में काफी हद तक निश्चित होती है।
– अन्यथा, कंपनी अन्य कारकों पर विचार करती है, जिनमें पट्टे की पिछली अवधियाँ और पट्टे पर दी गई संपत्ति को बदलने के लिए आवश्यक लागत और व्यावसायिक व्यवधान शामिल हैं।

जब कंपनी और पट्टेदाता दोनों को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना, मामूली जुर्माने के साथ पट्टा समाप्त करने का अधिकार होता है, तो पट्टे की लागू अवधि उस समय समाप्त हो जाती है जब दोनों पक्ष अनुबंध और उसके संविदात्मक दायित्वों को समाप्त कर सकते हैं।

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 01.04.2024 को	वर्ष के दौरान जोड़	स्थानांतरण/ हटाना	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 01.04.2025 को
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर:					
	रेल गलियारा:					
	बेंगलुरु उपनगरीय परियोजनाएँ					
1	सरेखण, निर्माण और हवाई अड्डा कनेक्टिविटी	5,543.88	17,873.73	-	-	23,417.61
2	सामान्य प्रभार और आकस्मिक व्यय	8,230.23	4,970.27	-	-	13,200.51
3	भूमि पुनर्स्थापन	31.37	44.92	-	-	76.29
4	स्टेशन भवन	1,220.44	-	-	-	1,220.44
5	कर्षण और विद्युत आपूर्ति सहित ओएचई, एएसएस आदि	6.37	118.20	-	-	124.57
6	डिपो	38.62	197.44	-	-	236.07
7	उपयोगिताएँ और सड़क निर्माण कार्य	4,124.82	1,483.38	-	-	5,608.20
8	भू-तकनीकी जांच और सिविल कार्य,	177.40	-	-	-	177.40
9	वृक्षारोपण जिसमें वृक्षों की कटाई और पुनः रोपण शामिल है	960.90	1,472.70	-	-	2,433.60
10	ब्याज आय – बीएसआरपी	(5,504.13)	(495.93)	-	-	(6,000.06)
11	रोलिंग स्टॉक	74.90	124.84	-		199.74
	कुल	**14,904.82**	**25,789.55**	**-**	**-**	**40,694.37**

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 01.04.2023 को	वर्ष के दौरान जोड़	स्थानांतरण/ हटाना	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 01.04.2025 को
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर:					
	रेल गलियारा:					
	बेंगलुरु उपनगरीय परियोजनाएँ					
1	सरेखण, निर्माण और हवाई अड्डा कनेक्टिविटी	-	5,543.88	-	-	5,543.88
2	सामान्य प्रभार और आकस्मिक व्यय	4,804.73	3,425.50	-	-	8,230.23
3	भूमि पुनर्स्थापन	44.47	13.02	26.12	-	31.37
4	स्टेशन भवन	1,220.44	-	-	-	1,220.44
5	कर्षण और विद्युत आपूर्ति सहित ओएचई, एएसएस आदि	6.25	0.12	-	-	6.37
6	डिपो	-	38.62	-	-	38.62
7	उपयोगिताएँ और सड़क निर्माण कार्य	2,563.96	1,560.86	-	-	4,124.82
8	भू-तकनीकी जांच और सिविल कार्य,	162.96	14.44	-	-	177.40
9	वृक्षारोपण जिसमें वृक्षों की कटाई और पुनः रोपण शामिल है	6.94	953.96	-	-	960.90
10	ब्याज आय – बीएसआरपी	(3,945.38)	(1,558.75)	-	-	(5,504.13)
11	रोलिंग स्टॉक	46.13	28.78	-	-	74.90
	कुल	**4,910.51**	**10,020.43**	**26.12**	**-**	**14,904.82**

CWIP एजिंग शेड्यूल :		दिनांक 31.03.2025				कुल
क्रम संख्या	CWIP	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	प्रगति पर परियोजनाएं	25,789.55	9,994.31	1,154.24	3,756.27	40,694.37
2	बैंगलोर उपनगरीय परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
		25,789.55	**9,994.31**	**1,154.24**	**3,756.27**	**40,694.37**

CWIP एजिंग शेड्यूल :		दिनांक 31.03.2024				कुल
क्रम संख्या	CWIP	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	प्रगति पर परियोजनाएं बैंगलोर उपनगरीय परियोजनाएं	9,994.31	1,154.24	2,486.56	1,269.71	14,904.82
2	अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
		9,994.31	**1,154.24**	**2,486.56**	**1,269.71**	**14,904.82**

स्पष्टीकरण:

भारतीय लेखा मानक (Ind AS)–23 के अनुसार, उधार लागत और ब्याज आय 495.93 लाख (पिछले वर्ष 1,558.75 लाख) को वर्ष के दौरान CWIP में स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे नेट किया जाएगा। परिसंपत्ति के पूंजीकरण के समय उधार लागतों के मुकाबले।

नोट 3(ई). विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

(₹ लाखों में)

	विवरण	दिनांक 01.04.2024 को	वर्ष के दौरान जोड़	स्थानांतरण/ हटाना	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 01.04.2025 को
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ सैप (एसएपी) साफ्टवेयर	306.79	342.02	-	-	648.81
	कुल	**306.79**	**342.02**	**-**	**-**	**648.81**

	विवरण	दिनांक 01.04.2023 को	वर्ष के दौरान जोड़	स्थानांतरण/ हटाना	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 01.04.2024 को
	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ सैप (एसएपी) साफ्टवेयर	-	306.79	-	-	306.79
	कुल	**-**	**306.79**	**-**	**-**	**306.79**

स्पष्टीकरण:

एसएपी सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के लिए किए गए खर्च को विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि उक्त सॉफ्टवेयर विकास के चरण में है।

विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची:		दिनांक 31.03.2025				कुल
	CWIP	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	प्रगति पर परियोजनाएं एसएपी सॉफ्टवेयर	342.02	306.79	-	-	648.81
2	अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
	कुल	**342.02**	**306.79**	**-**	**-**	**648.81**

विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची:		दिनांक 31.03.2024				कुल
	CWIP	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	प्रगति पर परियोजनाएं एसएपी सॉफ्टवेयर	**306.79**	-	-	-	**306.79**
2	अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
	कुल	**306.79**	**-**	**-**	**-**	**306.79**

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

4. गैर–चालू निवेश

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स – गैर–सूचीबद्ध (पूर्ण भुगतान, उचित मूल्य पर जऊख के माध्यम से):			
व्यापार निवेश:	200.00	200.00	200.00
(क) हसन मंगलौर रेल विकास कंपनी 20,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का			
(ख) बाय–राइड (के–राइड की 100% सहायक कंपनी) 1,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का प्रत्येक	10.00	10.00	10.00
	210.00	**210.00**	**210.00**

नोट :

इंड एएस 101 के पैरा डी15 में निर्दिष्ट अनुसार, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश

पहली बार इंड एएस अपनाने वाली कंपनी अपने अलग प्रारंभिक इंड एएस बैलेंस शीट में निवेश का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसी एक राशि पर करती है:

(क) इंड एएस 27 के अनुसार निर्धारित लागत; या

(ख) अनुमानित लागत। ऐसे निवेश की अनुमानित लागत निम्न होगी:

(i) कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों में इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर उसका उचित मूल्य; या

(ii) उस तिथि पर पिछला जीएएपी वहन मूल्य।

पहली बार इंड एएस अपनाने वाली कंपनी प्रत्येक सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी संस्था में अपने निवेश का मूल्यांकन करने के लिए ऊपर दिए गए (i) या (ii) में से किसी एक को चुन सकती है, जिसका मूल्यांकन वह अनुमानित लागत का उपयोग करके करना चाहती है।

तदनुसार, कंपनी ने अपने सभी निवेशों का मूल्यांकन उनके पिछले जीएएपी वहन मूल्य पर करने का विकल्प चुना है।

5. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
सुरक्षा जमा – किराया	**100.55**	**92.67**	**82.14**
	100.55	**92.67**	**82.14**

6. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
i) **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ**			
(क) अवशोषित न हुई मूल्यह्रास	49.88	46.71	-
(ख) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	16.85	14.28	-
(ग) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	37.51	28.92	-
(घ) अन्य	134.44	144.30	-
उप–योग (i)	**238.67**	**234.20**	**-**
ii) **आस्थगित कर देयताएँ**			
(अ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**5.84**	**30.23**	**-**
उप–योग (ii)	5.84	30.23	**-**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**232.83**	**203.97**	**-**

कंपनी के पास ₹203.24 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹192.68 लाख रुपये) का अवशोषित न हुआ मूल्यह्रास है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अवशोषित मूल्यह्रास कर योग्य आय के विरुद्ध असीमित अवधि के लिए समायोजित किया जा सकता है, जबकि ₹1,162.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹1,085.04 लाख रुपये) की अवशोषित न हुई व्यावसायिक हानि, हानि होने की तिथि से अधिकतम आठ वर्षों तक कर योग्य आय के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है। इसलिए व्यावसायिक हानि पर आस्थगित कर को मान्यता नहीं दी गई है।

स्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे उस सीमा तक कम किया जाता है जहाँ तक यह संभावना न रह जाए कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे आस्थगित कर परिसंपत्ति का पूर्ण या आंशिक उपयोग किया जा सके। अपुष्ट आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है और उन्हें उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो जाती है कि भविष्य के कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की अनुमति देंगे।

कर व्यय/(आय) और लेखा लाभ का भारत की घरेलू कर दर से गुणा करके मिलान किया जाता है।

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
कर पूर्व लाभ/(हानि)			
कंपनी की घरेलू कर दर 25.168% (पूर्वोत्तर वर्ष) का उपयोग करके कर	1,002.44	1,171.72	(324.81)
कर प्रभाव :			
ग्रेच्युटी प्रावधान			
छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	16.85	14.28	-
आयकर और कंपनी अधिनियम के तहत अलग-अलग मूल्यह्रास	37.51	28.92	-
दर के कारण प्रभाव	49.88	46.71	-
अन्य	134.44	114.07	-
लाभ एवं हानि विवरण में कुल कर व्यय/(आय)	**238.67**	**203.97**	**-**

7. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
(i) **पूंजी अग्रिम**			
सुरक्षित, अच्छी स्थिति में मानी गई			
जुटाव अग्रिम (बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित)	4,557.67	4,893.01	2,556.59
असुरक्षित, मान्य माना जाएगा			
केआईएडीबी को अग्रिम	23,769.41	3,393.44	20,384.31
बीडीए भूमि के लिए अग्रिम		-	642.99
परिसर (कम्पाऊण्ड) की दीवार का निर्माण - लिडकार (डीसीडब्ल्यू)	74.30	74.30	74.30
परिसर की दीवार का निर्माण - बीडब्ल्यूएसएसबी (डीसीडब्ल्यू)	-	65.00	65.00
जमा अंशदान कार्य - बीडब्ल्यूएसएसबी	4,596.04	1,588.94	-
जमा अंशदान कार्य - केपीटीसीएल	2,720.25	663.59	663.59
कोर-2-बीएसआरपी को रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए अग्रिम	10,261.40	10,261.40	-
ii) **जमा और अन्य**			
सुरक्षा जमा	94.25	0.23	0.23
	46,073.31	**20,939.89**	**24,387.01**

8. इन्वेंट्री

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का स्टॉक			
(लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, उस पर मूल्यांकित)	1,354.14	1,743.40	1,804.93
	1,354.14	1,743.40	1,804.93

9. व्यापार प्राप्य

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
असुरक्षित, अच्छी स्थिति में मानी गई			
व्यापार प्राप्य	12,163.07	9,555.93	-
ऋण बाधित			
व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	-	-	-
घटा हुआ : ऋण भत्ते का प्रावधान हानि	-	-	-
	12,163.07	**9,555.93**	**-**

व्यापार प्राप्य बकाया राशि के आयु निर्धारण अनुसूची के लिए नोट 9ए देखें।

10. नकद और नकद समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
नकद और नकद समतुल्य			
हाथ में नकद	0.12	0.12	0.53
बैंकों में शेष राशि:			
–चालू खाते और बचत खाते	32,770.78	32,701.04	14,531.17
–जमा खाते (परिपक्वता अवधि 3 महीने से कम)	-	3,000.00	-
	32,770.89	**35,701.16**	**14,531.69**

11. अन्य बैंक शेष

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
–जमा खातों में (परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम)*	-	20,100.00	38,000.00
	-	**20,100.00**	**38,000.00**

* उल्लिखित जमा खाते में मौजूद राशि बीएसआरपी परियोजना के लिए निर्धारित एमओआर और जीओके से प्राप्त हुई है।

12. चालू – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
असुरक्षित, अच्छी स्थिति में मानी जाने वाली परिसंपत्तियाँ			
अन्य			
सुरक्षा जमा – किराया	-	7.74	7.74
अन्य अग्रिम			
	20.30	**26.50**	**25.39**

13. चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
टीडीएस क्रेडिट सी/एफ – एसडब्ल्यूआर	11.79	79.99	168.93
आयकर – वापसी योग्य	233.27	801.23	613.24
	245.06	**881.22**	**782.17**

14. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को
सुरक्षित, मान्य माना गया			
भौतिक अग्रिम (क्षतिपूर्ति बांड द्वारा सुरक्षित)	1,081.59	1,134.25	1,717.86
असुरक्षित, मान्य माना गया			
जमा अंशदान कार्य – टीईजीडीसी	-	11.24	11.24
जमा अंशदान कार्य – बीबीएमपी	1,581.37	1.22	-
जमा – मध्यस्थता केंद्र कर्नाटक	-	-	5.54
जमा – वृक्ष अधिकारी एवं डीसीएफ बीबीएमपी बैंगलोर	-	-	94.00
एमओआर से प्राप्य – दोहरीकरण परियोजना	-	-	6,500.00
अग्रिम – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.54	2.54	-
अग्रिम – बीडीए – क्षतिपूर्ति वनीकरण	486.81		
अग्रिम – नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक.	3.84	-	-
एसडब्ल्यूआर से वसूली योग्य – धारवाड़ बेलगाम नई लाइन परियोजना (मेसर्स आरआईटीईएस लिमिटेड द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) और डीपीआर तैयार करने के लिए)	36.51	36.51	36.51
अन्य प्राप्य	2.58	7.22	25.21
पूर्व भुगतान व्यय	95.22	20.92	23.42
उपार्जित ब्याज – बैंक जमा पर	12.95	853.17	1,264.42
उपार्जित ब्याज – जुटाव पर अग्रिम	3.99	8.97	97.92

वैधानिक प्राधिकारियों के पास शेष राशि			
जीएसटी – इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर	1,019.39	1,036.25	-
अग्रिम भुगतान किया गया जीएसटी	222.34	542.68	882.57
अदावाकृत जीएसटी इनपुट	62.93	3.11	182.00
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया			
वसूली–आरएमएनआईएल–बीआईडीपीएल (संयुक्त उद्यम)	299.54	299.54	-
	4,911.61	**3,957.60**	**10,840.70**

15. शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	(₹ लाखों में)	शेयरों की संख्या	(₹ लाखों में)
(I) अधिकृत: 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक शेयर 10 रुपये का (31 मार्च 2024 – 500,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का)	5,00,00,00,000	5,00,000.00	5,00,00,00,000	5,00,000.00
	5,00,00,00,000	**5,00,000.00**	**5,00,00,00,000**	**5,00,000.00**
(ii) जारी, अभिस्वीकृत और भुगतानित: 1,01,03,92,157 इक्विटी शेयर, प्रत्येक शेयर 10 रुपये का (31 मार्च 2024 – 3,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये के)	1,01,03,92,157	1,01,039.22	1,01,03,92,157	1,01,039.22
	1,01,03,92,157	**1,01,039.22**	**1,01,03,92,157**	**1,01,039.22**
(iii) क्रमांक का मिलान शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी बकाया: प्रारंभिक शेयर पूंजी जोड़ें: शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान जारी/ सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी	1,01,03,92,157	1,01,039.22	3,00,00,000 98,03,92,157	3,000.00 98,039.22
	1,01,03,92,157	1,01,039.22	1,01,03,92,157	1,01,039.22
(iv) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक द्वारा धारित शेयर कर्नाटक के राज्यपाल/कर्नाटक सरकार (जीओके) 51% रेल मंत्री/भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार (जीओआई) 49%	51,53,00,000 49,50,92,157	51,530.00 49,509.22	51,53,00,000 49,50,92,157	51,530.00 49,509.22

इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के शेयर हैं, अर्थात् इक्विटी शेयर, जिनका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य लेनदारों को वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों (या) प्रवर्तकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, जिसमें शेयरधारकों/सदस्यों का रजिस्टर भी शामिल है, उपरोक्त शेयरधारिता पैटर्न बैलेंस शीट की तिथि पर शेयरों के कानूनी स्वामित्व को दर्शाता है, जिसमें भारत सरकार/कश्मीर सरकार के नामांकित व्यक्तियों का स्वामित्व भी शामिल है।

1. बैलेंस शीट तैयार करने की तिथि से ठीक पहले के 5 वर्षों की अवधि के दौरान:

(i) किसी भी श्रेणी के शेयर बिना नकद भुगतान प्राप्त किए अनुबंध के अनुसार पूर्ण रूप से भुगतान किए हुए आवंटित नहीं किए गए।

(ii) किसी भी श्रेणी के शेयर नकद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के बदले बोनस शेयरों के रूप में पूर्ण रूप से भुगतान किए हुए आवंटित नहीं किए गए।

(iii) कंपनी द्वारा किसी भी श्रेणी के शेयर वापस नहीं खरीदे गए।

2. कोई भी कॉल बकाया नहीं है।

3. कोई भी शेयर जब्त नहीं किया गया है।

16. अन्य इक्विटी

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
प्रतिधारित आय			
प्रारंभिक शेष	2,114.18	743.54	1,068.35
जोड़ें: चालू वर्ष का लाभ	1,031.30	1,375.69	(324.81)
जोड़ें: वर्ष की अन्य व्यापक आय	18.28	(5.06)	-
अंतिम शेष	**3,163.76**	**2,114.18**	**743.54**
अन्य भंडार			
प्रारंभिक शेष	14,479.26	14,066.50	-
जोड़ें: अन्य व्यापक आय			
ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण पर विचार किया गया ओसीआई	42,064.40	412.77	20,216.72
–अन्य	-	-	(6,150.23)
अंतिम शेष	**56,543.66**	**14,479.26**	**14,066.50**
अंतिम शेष	**59,707.42**	**16,593.44**	**14,810.04**

नोट : अन्य आरक्षित निधि

कंपनी को कर्नाटक सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है। कर्नाटक सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण को इंड एएस सिद्धांतों के अनुसार उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है। उक्त ऋण की अंकित राशि और उचित मूल्य के बीच का अंतर, इंड एएस सिद्धांतों को अपनाने के वर्ष में अन्य इक्विटी/अन्य रिजर्व के अंतर्गत रिजर्व और अधिशेष के रूप में दर्शाया गया है।

17. आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
प्रारंभिक शेष			
जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी	-	5,000.00	5,000.00
	-	(5,000.00)	-
अंतिम शेष	**-**	**-**	**5,000.00**

स्पष्टीकरणात्मक नोट्स :–

1. आज की तिथि पर अधिकृत शेयर पूंजी की शेष राशि ₹398,960.78 लाख रुपये है (पिछले वर्ष की तुलना में ₹497,000.00 लाख रुपये)
2. भारत सरकार और कोरिया सरकार से समान अंशदान प्राप्त होने पर शेयर जारी किए जाएंगे

18. दीर्घकालिक ऋण

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
दीर्घकालिक ऋण – असुरक्षित			
कर्नाटक सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण			
कर्नाटक सरकार से अग्रिम – बीएसआरपी परियोजना – भूमि अधिग्रहण	21,391.17	3,997.76	51,855.82
(भूमि अधिग्रहण के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त धनराशि में से 500 करोड़ रुपये को शेयरों के आवंटन हेतु इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि कर्नाटका सरकार के आदेश संख्या UDD 158 झठग 2020 दिनांक 21.07.2023 और UDD 158 PRJ 2020 P1 दिनांक 8.11.2023 के अनुसार है।)			
(सरकारी आदेश संख्या UDD 27 PRJ 2020 बेंगलुरु दिनांक 07.07.2020 के अनुसार अनुमोदित वित्तपोषण पैटर्न के तहत अधीनस्थ ऋण के रूप में वर्गीकृत।)			
रेल मंत्रालय से अनुदान – बीएसआरपी	1,960.78	1,960.78	-

97वीं बोर्ड बैठक में यह संकल्प लिया गया कि के–राइड में कर्नाटक सरका (जीओके) एवं रेल मंत्रालय (एमओआर) द्वारा बीएसआरपी के तहत इक्विटी निवेश के लिए शेयरों का आवंटन के–राइड के जीओके में निहित प्रावधानों के अनुसार 51:49 के अनुपात में होगा और बीएसआरपी के तहत इक्विटी में असमान शेयरधारिता से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि बीएसआरपी के तहत समय–समय पर जारी की गई कर्नाटक सरकार की 50% इक्विटी हिस्सेदारी को 51% इक्विटी माना जाएगा और एमओआर की आनुपातिक 49% इक्विटी को बीएसआरपी के तहत समय–समय पर जारी की गई एमओआर की 50% इक्विटी हिस्सेदारी में से निकाला जाएगा तथा एमओआर से समय–समय पर प्राप्त शेष अतिरिक्त इक्विटी राशि को एमओआर से अनुदान माना जाएगा।			
	23,351.95	**5,958.54**	**51,855.82**

19. पट्टा देनदारियां

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
गैर–चालू पट्टा देनदारी	9.00	29.05	145.90
	9.00	29.05	145.90
वर्तमान पट्टा देयता	20.05	141.33	116.82
	20.05	**141.33**	**116.82**

20. गैर–चालू – अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
सुरक्षित जमा	990.63	1,573.22	1,115.03
	990.63	**1,573.22**	**1,115.03**

नोट: उचित मूल्यांकन के उद्देश्य से 50 लाख से अधिक की सुरक्षा जमा राशि को ध्यान में रखा जाता है।

21. अन्य गैर–वर्तमान देयताए

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
स्थगित आय	151.55	159.11	108.51
	151.55	**159.11**	**108.51**

22. प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
कर्मचारी लाभों के लिए (गैर–चालू)			
छुट्टी नकदीकरण	145.19	103.08	56.96
ग्रेच्युटी	66.78	51.35	26.43
	211.97	154.43	83.39
कर्मचारी लाभों के लिए (चालू)			
छुट्टी नकदीकरण	3.84	11.82	7.09
ग्रेच्युटी	0.16	5.39	0.12
अन्य (छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान)	65.36	70.21	74.46
कुल (i)	**कुल** (i) **69.36**	**87.42**	**81.67**
अन्य प्रावधान			
अनुबंध भुगतान के लिए प्रावधान	1,683.68	1,455.43	1,004.30
मध्यस्थता के लिए प्रावधान	25.00	25.00	-
	कुल (ii) **1,708.68**	**1,480.43**	**1,004.30**
	कुल (i) +(ii) **1,778.04**	**1,567.85**	**1,085.97**

23. अल्पकालिक ऋण

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
मांग पर चुकाने योग्य ऋण असुरक्षित: बैंक ओवरड्राफ्ट	0.19	0.21	-
	0.19	**0.21**	**-**

24. व्यापार देयताएँ

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	147.38	385.48	175.97
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	498.77	509.18	678.42
	646.16	**894.66**	**854.39**

25. अन्य चालू देनदारियां

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	01 अप्रैल 2023 को
दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए अग्रिम	159.03	13,437.11	23,130.49
मार्ग प्रबंधन मंत्रालय से अग्रिम – दोहरीकरण परियोजना			
दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) – सामग्री	169.63	145.33	-
ईएमडी	115.19	13.11	12.44
कर्मचारी संबंधी देयताएं	40.56	44.18	17.00
प्रतिधारण देयता	152.60	87.80	70.22
सुरक्षा जमा	2,579.07	896.08	-
दावणगेरे–हरिहर यूडीए देयता	37.09	37.09	37.09
रोकी गई राशियां	599.25	512.69	129.16
भारत सरकार से लिए गए ऋणों पर देय प्रबंधन शुल्क	972.00	294.47	-
– केएफडबल्यू ओडीए ऋण	9.70	151.51	-
भूमि पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना मुआवजा देयता	43.43	162.77	71.72
अन्य देयताएं			
वैधानिक भुगतान:			
स्रोत पर कर कटौती देयता	291.02	270.03	107.58
वस्तु एवं सेवा कर देयता	204.55	101.28	495.09
जीएसटी टीडीएस देयता	197.02	185.79	58.94
श्रम उपकर	111.17	65.53	28.76
रॉयल्टी देय	74.82	62.79	-
अन्य	1,378.94	-	-
	7,135.08	**16,467.58**	**24,158.51**

26. परिचालन से राजस्व

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
निर्माण राजस्व – दोहरीकरण परियोजना	21,920.52	18,855.36
	21,920.52	**18,855.36**

27. अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 को
क) ब्याज आय		
बैंक जमा पर	1,577.52	3,451.04
ख) अन्य गैर–परिचालन आय		
आयकर रिफंड पर ब्याज	44.65	32.86
सुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज	11.06	7.02
स्वीकृत सुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज	102.67	56.50
विविध आय	42.26	23.75
	1,778.17	**3,571.17**

28. परिचालन व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 को
निर्माण व्यय – दोहरीकरण परियोजना	19,688.13	16,111.40
उपभोग की गई सामग्री की लागत		
भंडार और अतिरिक्त सामग्री		
प्रारंभिक स्टॉक	1,743.40	1,804.93
वर्ष के दौरान की गई खरीद	82.25	1,366.13
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	1,354.14	1,743.40
	471.51	**1,427.66**
	20,159.64	**17,539.06**

29. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 को
वेतन, मजदूरी और भत्ते	1,168.95	827.70
पीएफ/एनपीएस अंशदान, ग्रेच्युटी	69.49	56.29
कर्मचारी कल्याण व्यय	15.76	5.22
	1,254.19	**889.21**

30. वित्त लागत

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 को
पट्टे की देनदारी पर ब्याज व्यय	9.12	18.05
अधीनस्थ ऋण के उचित मूल्य पर ब्याज व्यय	457.81	2,012.89
सुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज व्यय	101.61	52.99
	568.53	**2,083.92**

31. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 को
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4.09	5.08
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	0.05	0.21
आरओयू (भूमि)	4.85	4.47
	8.98	**9.75**

32. **अन्य व्यय:**

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ऑडिट शुल्क	2.36	2.36
आंतरिक ऑडिट शुल्क	4.26	2.00
कर ऑडिट शुल्क	2.00	0.77
विज्ञापन	12.90	15.41
मध्यस्थता	-	25.00
बैंक शुल्क	0.56	0.00
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	0.89	1.36
सीआरएस निरीक्षण	-	0.48
निदेशकों की बैठक का शुल्क	1.35	0.68
बिजली शुल्क	9.24	9.16
बीमा	23.51	20.82
सदस्यता शुल्क का भुगतान	0.04	0.04
कार्यालय रखरखाव	63.23	56.04
मुद्रण और स्टेशनरी	34.82	28.05
पेशेवर और परामर्श सेवाएँ	29.02	13.80
परियोजना प्रबंधन परामर्श – शुल्क दोगुना करना	192.37	157.32
दरें और कर	0.73	105.72
किराया और साझा क्षेत्र रखरखाव	31.76	26.78
रिटेनर शुल्क	46.85	50.56
आरओसी फाइलिंग शुल्क	0.15	0.38
सुरक्षा शुल्क – स्टोर	3.78	4.12
सॉफ्टवेयर व्यय	0.98	0.33
टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क	13.21	11.28
यात्रा और परिवहन	227.29	200.39
प्रदर्शनी व्यय –बीएसआरपी	3.61	-
	704.90	**732.86**

अ. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान परियोजनाओं (जैसे दोहरीकरण और बीएसआरपी) से संबंधित व्यय का आवंटन निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

1) किसी विशेष परियोजना से सीधे संबंधित व्यय पूरी तरह से उसी परियोजना को आवंटित किया गया है।
2) कर्मचारियों से संबंधित व्यय (जैसे वेतन, कर्मचारियों को व्यय की प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति लाभ आदि) को उस विशेष परियोजना में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है, जबकि निदेशक (पी एंड पी) का व्यय 67:33 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात बीएसआरपी के लिए 67% और दोहरीकरण के लिए 33% – वर्ष के दौरान उस विशेष परियोजना पर किए गए व्यय के आधार पर)। वित्त, मानव संसाधन, आईटी, प्रशासन जैसे सहायक विभागों से संबंधित व्यय और सामान्य ओवरहेड व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।
3) परियोजना से संबंधित व्यय जैसे मूल्यह्रास, परिसंपत्ति बीमा और सॉफ्टवेयर लाइसेंस को 95:05 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात् बीएसआरपी के लिए 95% और दोहरीकरण के लिए 5% – जो किसी विशेष परियोजना की कुल लागत है)।
4) किराया और साझा क्षेत्र रखरखाव, बिजली शुल्क, कर्मचारी बीमा, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क आदि जैसे व्यय जो ऊपर शामिल नहीं हैं, उन्हें 46:33:21 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात् बीएसआरपी के लिए 46%, दोहरीकरण के लिए 33% और साझा क्षेत्र के लिए 21%)।
5) बीएसआरपी से संबंधित सभी व्यय, जिनमें आनुपातिक लागत भी शामिल है, को पूंजीगत कार्य प्रगति में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि दोहरीकरण/प्रशासनिक और सामान्य ओवरहेड व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।

ब. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान परियोजनाओं (जैसे दोहरीकरण और बीएसआरपी) से संबंधित व्यय का आवंटन निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

1) किसी विशेष परियोजना से सीधे संबंधित व्यय पूरी तरह से उसी परियोजना को आवंटित किया गया है।
2) कर्मचारियों से संबंधित व्यय (जैसे वेतन, कर्मचारियों को व्यय की प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति लाभ आदि) को उस विशेष परियोजना में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है, जबकि निदेशक (पी एंड पी) के व्यय को 69:31 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात बीएसआरपी के लिए 69% और दोहरीकरण के लिए 31% – वर्ष के दौरान उस विशेष परियोजना पर किए गए व्यय के आधार पर)। वित्त, मानव संसाधन, आईटी, प्रशासन जैसे सहायक विभागों से संबंधित व्यय और सामान्य ओवरहेड व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।
3) परियोजना से संबंधित व्यय जैसे मूल्यह्रास, परिसंपत्ति बीमा और सॉफ्टवेयर लाइसेंस को 95:05 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात् बीएसआरपी के लिए 95% और दोगुनी लागत के लिए 5%)।

4) किराया और साझा क्षेत्र रखरखाव, बिजली शुल्क, कर्मचारी बीमा, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क आदि जैसे व्यय, जो ऊपर शामिल नहीं हैं, उन्हें कर्मचारी अनुपात 49:32:19 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात् बीएसआरपी के लिए 49%, दोहरीकरण के लिए 32% और साझा क्षेत्र के लिए 19%)।

5) बीएसआरपी से संबंधित सभी व्यय, जिनमें आनुपातिक लागत भी शामिल है, पूंजीगत कार्य प्रगति में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जबकि दोहरीकरण/प्रशासनिक एवं सामान्य ओवरहेड व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।

स. रिपोर्टिंग तिथि तक प्रगति पर चल रही दोहरीकरण परियोजनाओं का विवरण:	**31 मार्च, 2025 तक**	**31 मार्च, 2024 तक**
(क) कुल व्यय की गई लागत;	₹52,434.28	₹32,082.26
(ख) रिपोर्टिंग तिथि तक प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानियों को घटाकर);	₹ 3,462.89	₹1,894.39
(ग) प्राप्त अग्रिम राशि; और	₹159.03	₹13,437.11
(घ) रोकी गई राशि।	₹141.52	₹ 77.29

33. पहली बार इंड एएस को अपनाना

रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के ये स्वतंत्र वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं। यह कंपनी के इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का पहला सेट है। भारतीय लेखा मानकों (IND -S) में संक्रमण के उद्देश्य से, कंपनी ने भारतीय लेखा मानकों (IND-AS) में निर्धारित मार्गदर्शन का पालन किया है। 101 – भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना, संक्रमण तिथि 1 अप्रैल 2023 और पूर्ववर्ती GAAP के रूप में IGAAP।

(IND-AS) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, उनसे संबंधित टिप्पणियों में प्रकटीकरण और लेखांकन नीतियों एवं सिद्धांतों में परिवर्तन हुए हैं। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र वित्तीय विवरण और तुलनात्मक जानकारी तैयार करने में नोट 1 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को लागू किया गया है। पिछले ऋ––झ से खछऊ–ड में परिवर्तन ने कंपनी की बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि विवरण और IND-AS 101 के अनुसार पहली बार IND-AS को अपनाने पर प्राप्त छूटों का विवरण नीचे दिया गया है।

34. IND-AS 101 को पहली बार अपनाने पर प्राप्त छूटें

इंड –एएस 101 पहली बार IND-AS के अंतर्गत कुछ आवश्यकताओं के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से कुछ छूटें प्रदान करता है।

कंपनी ने तदनुसार निम्नलिखित छूटों का उपयोग किया है।

34(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित लागत: कंपनी ने खछऊ–ड 101 के परिशिष्ट ऊके पैरा ऊ7–– के तहत छूट का लाभ उठाया है, जो पहली बार अपनाने वाले को खछऊ–ड में संक्रमण की तिथि पर अपने झझए के वहन मूल्य को पिछले ऋ––झ के अनुसार मापे जाने की अनुमति देता है।

34(ख) प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन: वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण खछऊ–ड में संक्रमण की तिथि पर मौजूद तथ्यों के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त पैरा इ8उ और पैरा ऊ20 के तहत छूट खछऊ–ड 109 की आवश्यकताओं को संक्रमण की तिथि पर या उसके बाद किए गए लेन–देन पर भावी रूप से लागू करने की अनुमति देती है।

34(ग) निवेश:

इंड एएस 101 के पैरा डी–15 में निर्दिष्ट अनुसार, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश
पहली बार इंड एएस अपनाने वाली कंपनी अपने अलग प्रारंभिक इंड एएस बैलेंस शीट में निवेश को निम्नलिखित में से किसी एक राशि पर मापती है:

(क) इंड एएस 27 के अनुसार निर्धारित लागत; या

(ख) अनुमानित लागत। ऐसे निवेश की अनुमानित लागत निम्न होगी:

(i) कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों में इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर उसका उचित मूल्य; या

(ii) उस तिथि पर पिछला जीएएपी वहन मूल्य।

पहली बार इंड एएस अपनाने वाली कंपनी प्रत्येक सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी में अपने निवेश को मापने के लिए ऊपर दिए गए (i) या (ii) में से किसी एक को चुन सकती है, जिसका मूल्यांकन वह अनुमानित लागत का उपयोग करके करना चाहती है।

तदनुसार, कंपनी ने अपने सभी निवेशों को उनके पिछले जीएएपी वहन मूल्य पर मापने का विकल्प चुना है।

35. मिलान

निम्नलिखित मिलान, इंड एएस 101 के अनुसार आईजीएएपी से इंड एएस में परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाते हैं:

क. 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 को इक्विटी

ख. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय

ग. 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 को कुल इक्विटी

घ. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ

35(क). इक्विटी मिलान

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2024	दिनांक 1 अप्रैल, 2023
पिछली जीएएपी के अनुसार रिपोर्ट की गई इक्विटी	10,50,99,66,432	37,43,54,033
इंड एएस समायोजन	1,25,32,99,163	1,40,66,49,534
उचित मूल्य समायोजन:		
दी गई प्रतिभूति जमा	27,42,646	20,40,938
पट्टे	1,87,41,183	2,09,92,864
ऋण पर ईआईआर समायोजन का प्रभाव	(60,72,53,965)	(60,72,53,965)
आरओयू परिसंपत्ति का परिशोधन	(2,42,05,384)	(3,10,29,287)
स्वीकृत प्रतिभूति जमा	5,78,353	2,26,615
ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण का उचित मूल्य – ओसीआई	1,86,16,60,347	2,02,16,72,369
स्थगित कर	10,35,982	-
इंड.एस. के अनुसार इक्विटी	**11,76,32,65,595**	**1,78,10,03,567**

35(ख). 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए कुल व्यापक आय का मिलान

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
पिछले जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ	33,16,90,829
इंड–एएस समायोजन	(19,41,21,386)
उचित मूल्य समायोजन:	
प्रतिभूति जमा	10,53,446
पट्टे	50,18,936
अमोर्टाइजेशन	(4,46,714)
ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण	(20,12,88,785)
स्थगित कर	10,35,982
कर्मचारी लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	5,05,748
इंड–एएस के अनुसार कर पश्चात शुद्ध लाभ	13,75,69,444
अन्य व्यापक आय (कर रहित)	(5,05,748)
इंड एएस के अनुसार कुल व्यापक आय	**13,70,63,696**

36. पिछले जीएएपी और इंड एएस के बीच सामंजस्य पर टिप्पणियाँ

36(क) प्रतिभूति जमा

पिछले जीएएपी के तहत, ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा को उनके लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है। इंड एएस – 109 के तहत, इन जमाओं को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत पर मापा जाता है। तदनुसार, इन जमाओं के लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों या पूर्व भुगतान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे क्रमशः पट्टे की अवधि या जमा समझौते की अवधि में परिशोधित किया जाता है। इसके अलावा, इन प्रतिभूति जमाओं के वर्तमान मूल्य पर ब्याज अर्जित किया जाता है। परिवर्तन तिथि पर कंपनी ने प्रतिभूति जमा पर छूट को समाप्त करने के लिए प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य के सापेक्ष 22.67 लाख रुपये की संचित आय को समायोजित किया है।

36(ख) पट्टा

पूर्व जीएएपी के तहत, पट्टेदार किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े लगभग सभी जोखिमों और लाभों के हस्तांतरण के आधार पर पट्टे को परिचालन पट्टा या वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत करता था। परिचालन पट्टों को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता था। इंड एएस – 116 के लागू होने के बाद, उन परिचालन पट्टों को छोड़कर जिनके लिए कंपनी ने अल्पकालिक या कम मूल्य की छूट का विकल्प चुना है, कंपनी ने उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों को दर्ज किया है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का परिशोधन पट्टा अवधि या पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर किया जाता है और पट्टा देनदारियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है और ब्याज व्यय को मान्यता दी जाती है। इंड एएस में परिवर्तन के बाद, पुस्तकों में दिखाई देने वाले पट्टे समतुल्य आरक्षित को किराए की सीधी रेखा विधि के अनुसार उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के माध्यम से उलट दिया गया। कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण (अर्थात पट्टे की देनदारियां = आरओयू) को चुना है और पट्टे की देनदारी का मापन संक्रमण की तिथि पर शेष पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

36(ग) उधारों पर ईआईआर समायोजन का प्रभाव

पूर्व जीएएपी के तहत, उधारों पर होने वाली लेनदेन लागत लाभ और हानि विवरण में दर्ज की जाती थी, जबकि औद्योगिक एएस के तहत, ऐसी लागतें उधारों की प्रारंभिक मान्यता राशि में शामिल की जाती हैं और उधारों की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके ब्याज व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होती हैं।

36(घ) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन

पूर्व जीएएपी के तहत, बीमांकिक लाभ और हानि लाभ और हानि विवरण में दर्ज किए जाते थे। औद्योगिक एएस के तहत, बीमांकिक लाभ और हानि शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का हिस्सा बनते हैं, जिसे संबंधित अवधियों में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त होती है।

36(ङ) संचित आय

उपरोक्त औद्योगिक एएस समायोजन के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2023 तक संचित आय को समायोजित किया गया है।

36(च) सामग्री का पुनर्वर्गीकरण

इन वित्तीय विवरणों में, जहां भी आवश्यक हो, आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की संबंधित मदों के पुनर्वर्गीकरण द्वारा उचित समायोजन किए गए हैं, ताकि इन्हें औद्योगिक मानक विचलन (इंड.एस.) की आवश्यकताओं के अनुरूप लाया जा सके।

वित्तीय विवरणों में दिए गए तुलनात्मक आंकड़े, औद्योगिक मानक विचलन (इंड.एस.) के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए, पिछले औद्योगिक मानक विचलन (इंड.एस.) के तहत संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवश्यक औद्योगिक मानक विचलन समायोजन करने के बाद संकलित किए गए हैं।

37. औद्योगिक मानक विचलन (आईजीएएपी) के तहत पूर्व में रिपोर्ट की गई इक्विटी का औद्योगिक मानक विचलन (इंड.एस.) से मिलान

विवरण	31.3.24 को समाप्त वर्ष के अनुसार पिछला जीएएपी	समायोजन	31.3.24 को समाप्ति तिथि के अनुसार इंड.एस.	31.3.23 को समाप्त वर्ष के अनुसार पिछला जीएएपी	समायोजन	31.3.23 को समाप्ति तिथि के अनुसार इंड.एस.
संपत्तियां						
गैर–चालू संपत्तियां						
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	35,831.56	-	35,831.56	6,568.62	-	6,568.62
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	14,892.10	12.72	14,904.82	4,910.51	-	4,910.51
(ग) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां	-	120.11	120.11	-	184.70	184.70
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	-	-	3.02	6.53	-	6.53
(ङ) विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां	309.80	-	306.79			-
(ङ) वित्तीय संपत्तियां	-		-	-		
(ळ) निवेश	210.00	-	210.00	210.00	-	210.00
ळ) अन्य वित्तीय संपत्तियां	21,037.01	(20,944.34)	92.67	24,484.12	(24,401.98)	82.14
(च) आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	193.61	10.36	203.97	-	-	-
(छ) अन्य गैर–चालू संपत्तियां संपत्ति	0.23	20,939.66	20,939.89	0.23	24,386.78	24,387.01
	72,474.30	**138.52**	**72,612.83**	**36,180.01**	**169.49**	**36,349.50**
चालू परिसंपत्तियाँ						
(क) इन्वेंट्री	1,743.40	-	1,743.40	1,804.93	-	1,804.93
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
(i) व्यापार प्राप्य	9,555.93	-	9,555.93	-	-	-
(ii) नकद और नकद समतुल्य	35,701.16	-	35,701.16	14,531.69	-	14,531.69
(iii) अन्य बैंक शेष	20,100.00	-	20,100.00	38,000.00	-	38,000.00
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	26.50	-	26.50	25.39	-	25.39
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	881.22	-	881.22	782.17	-	782.17
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	3,949.74	7.86	3,957.60	10,827.42	13.28	10,840.70
कुल	**71,957.95**	**7.86**	**71,965.81**	**65,971.60**	**13.28**	**65,984.89**
कुल संपत्तियाँ	**1,44,432.26**	**146.38**	**1,44,578.65**	**1,02,151.60**	**182.77**	**1,02,334.37**
II. **इक्विटी और देनदारियां**						
(1) इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	**1,01,039.22**	**-**	**1,01,039.22**	**3,000.00**	**-**	**3,000.00**
(ख) अन्य इक्विटी	**4,060.45**	**12,532.99**	**16,593.44**	**743.54**	**14,066.50**	**14,810.04**
कुल इक्विटी	**1,05,099.66**	**12,532.99**	**1,17,632.66**	**3,743.54**	**14,066.50**	**17,810.04**

कुल इक्विटी	**1,05,099.66**	**12,532.99**	**1,17,632.66**	**3,743.54**	**14,066.50**	**17,810.04**
(2) शेयर आवेदन राशि				**5,000.00**	**-**	**5,000.00**
लंबित आवंटन						
(3) देनदारियां						
(i) **गैर–चालू देनदारियां**						
(क) वित्तीय देनदारियां						
(i) उधार	**18,502.61**	**(12,544.06)**	**5,958.54**	**66,000.00**	**(14,144.18)**	**51,855.82**
(ii) पट्टा देनदारियां	**-**	**29.05**	**29.05**	**-**	**145.90**	**145.90**
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	**1,739.05**	**(165.83)**	**1,573.22**	**1,225.80**	**(110.78)**	**1,115.03**
(ख) अन्य गैर–चालू देनदारियां		**159.11**	**159.11**	**-**	**108.51**	**108.51**
(ग) प्रावधान – गैर वर्तमान	**154.43**	**-**	**154.43**	**83.39**	**-**	**83.39**
कुल	**20,396.09**	**(12,521.74)**	**7,874.35**	**72,309.19**	**(14,000.55)**	**58,308.65**
(ii) **चालू देनदारियां**						
(क) वित्तीय देनदारियां						
(i) उधार	0.21	-	0.21	-	-	-
(ii) पट्टा देनदारियां	-	141.33	141.33	-	116.82	116.82
(iii) व्यापार देय	-	-	-	-	-	-
– एमएसएमई की कुल बकाया राशि	385.48	-	385.48	175.97		175.97
– एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	509.18	-	509.18	678.42	-	678.42
(ख) अन्य चालू देनदारियां	16,473.79	(6.21)	16,467.58	24,158.51	-	24,158.51
(ग) प्रावधान – चालू	1,567.85	-	1,567.85	1,085.97	-	1,085.97
कुल	**18,936.51**	**135.12**	**19,071.63**	**26,098.87**	**116.82**	**26,215.69**
कुल इक्विटी और देनदारियां	**1,44,432.26**	**146.38**	**1,44,578.65**	**1,02,151.60**	**182.77**	**1,02,334.37**

38. लाभ और हानि विवरण पर प्रभाव के लिए पिछले जीएएपी और इंड–एएस के बीच सामंजस्य

विवरण	31.3.24 को समाप्त वर्ष के अनुसार पिछला जीएएपी	समायोजन	31.3.24 को समाप्ति तिथि के अनुसार इंड.एस.	31.3.23 को समाप्त वर्ष के अनुसार पिछला जीएएपी
राजस्व:				
परिचालन से राजस्व	26	18,855.36	-	18,855.36
अन्य आय	27	3,507.65	63.52	3,571.17
कुल आय		**22,363.00**	**63.52**	**22,426.53**
व्यय:				
परिचालन व्यय	8	17,539.06	-	17,539.06
कर्मचारी लाभ व्यय	29	894.26	(5.06)	889.21
वित्तीय लागत	30	-	2,083.92	2,083.92
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	3 & 31	5.28	4.47	9.75
अन्य व्यय	32	801.10	(68.24)	732.86
कुल व्यय		**19,239.71**	**2,015.10**	**21,254.80**
अपवाद मदों और कर से पहले लाभ				
अपवाद मदें		3,123.30	(1,951.57)	1,171.72
कर से पहले लाभ		**3,123.30**	**(1,951.57)**	**1,171.72**
कर व्यय:				
(1) चालू कर				
(2) आस्थगित कर	6	**(193.61)**	**(10.36)**	**(203.97)**
कर के बाद लाभ		**3,316.91**	**(1,941.21)**	**1,375.69**
अन्य व्यापक आय/(हानि)				
अ. (i) वे मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं किया जाएगा		-	(5.06)	(5.06)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं किया जाएगा				-
ब. वे मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में किया जाएगा				-
कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)		**-**	**(5.06)**	**(5.06)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**-**	**(5.06)**	**1,370.64**

39. आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
आकस्मिक देनदारियां:		
कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (मध्यस्थता के अधीन मामला/ ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत दावे – इनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन द्वारा दावों को स्वीकार नहीं किया गया है)।	1,793.22	1,786.31
प्रतिबद्धताएं:		
पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
क. मूर्त संपत्तियां (केवल स्वीकृत अनुबंध)	3,53,580.15	2,06,492.07
ख. अमूर्त संपत्तियां	71.31	388.24
अन्य प्रतिबद्धताएं (कार्य अनुबंधों के कारण निष्पादित होने वाले और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे अनुबंधों की अनुमानित राशि)	37,779.73	38,379.13

लेखा परीक्षक को भुगतान

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
1. वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	2.36	2.36
2. कर लेखापरीक्षा (जीएसटी सहित)	2.00	0.77
3. प्रमाणन (जीएसटी सहित)	4.26	2.00
	8.62	**5.13**

कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। व्यापार प्राप्य राशियों के संबंध में, कंपनी ग्राहकों को नियमित चालान/पुष्टिकरण पत्र भेजती है और भुगतान की अनिश्चितता होने पर, देय अवधि की परवाह किए बिना, प्रावधान किए जाते हैं और अप्राप्यता स्थापित होने पर उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। कुछ व्यापार प्राप्य राशियाँ मिलान के अधीन हैं। जहाँ तक वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार/अन्य देय राशियों और ऋणों और अग्रिमों का संबंध है, संबंधित पक्षों को शेष राशि की पुष्टिकरण पत्र भेजे गए थे। कुछ शेष राशियाँ पुष्टिकरण/मिलान के अधीन हैं, यदि कोई समायोजन आवश्यक हो, तो पुष्टिकरण/मिलान के बाद उसका हिसाब किया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रकटीकरण

40. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी

विवरण	2024–25	2023–24
1. किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि:		
क) मूलधन	147.38	385.48
ख) उस पर देय ब्याज	-	-
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही आपूर्तिकर्ता को निर्धारित तिथि के बाद भुगतान की गई राशि।	-	-
3. भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जो भुगतान किया जा चुका है लेकिन निर्धारित तिथि के बाद वर्ष के दौरान), लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।	-	-
4. अर्जित और बकाया ब्याज की राशि।	-	-
5. आगे आने वाले वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान वास्तव में लघु उद्यम को नहीं कर दिया जाता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से।	-	-

भारतीय लेखा मानकों की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ:

41. भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस–1) के संबंध में प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

41(क) पूंजी प्रबंधन:

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी ऋण–इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी संरचना की निगरानी करती है, जो दीर्घकालिक ऋण को कुल मालिक पूंजी से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। चालू वर्ष और पिछले वर्ष के लिए ऋण–इक्विटी अनुपात अनुपातों का प्रकटीकरण तालिका में दिखाया गया है।

41(ख) अनुपातों का प्रकटीकरण

अनुपात विश्लेषण:		2024-25	प्रतिशत %	2023-24	प्रतिशत %
(क) चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	51,465.08	5.37	71,965.81	3.77
	चालू देनदारियाँ	9,579.51		19,071.63	
(ख) ऋण–इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	23,352.14	0.23	5,958.75	0.06
	शेयरधारक इक्विटी	1,01,039.22		1,01,039.22	
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	EBITDA– पूंजीगत व्यय	1,579.95	0.07	3,265.40	0.41
	ब्याज + मूलधन	23,920.67		8,042.67	
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	शुद्ध आय	1,031.30	0.01	1,375.69	0.03
	औसत शेयरधारक इक्विटी	1,01,039.22		52,019.61	
(ङ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	सीओजीएस COGS	471.51	0.30	1,427.66	0.80
	औसत इन्वेंटरी	1,548.77		1,774.17	
(च) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री	21,920.52	2.02	18,855.36	3.95
	औसत प्राप्य खाते	10,859.50		4,777.97	
(छ) व्यापार देय खाते टर्नओवर अनुपात,	शुद्ध ऋण खरीद	19,770.38	25.66	17,477.53	19.99
	औसत देय खाते	770.41		874.53	
(ज) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात,	शुद्ध बिक्री	21,920.52	0.46	18,855.36	0.41
	औसत कार्यशील पूंजी	47,389.88		46,331.69	
(झ) शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	1,031.30	0.05	1,375.69	0.07
	बिक्री	21,920.52		18,855.36	
(ञ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न	EBIT	1,570.97	0.01	3,255.65	0.03
	नियोजित पूंजी	1,84,098.78		1,23,591.41	
(ट) निवेश पर रिटर्न	लाभ पर प्रतिफल	1,031.30	0.01	1,375.69	0.01
	निवेश लागत	1,01,039.22		1,01,039.22	

अनुपात:	पिछले वर्ष की तुलना में 25% से अधिक के अनुपात परिवर्तन का स्पष्टीकरण:
(क) चालू अनुपात,	आमतौर पर वित्त मंत्रालय और कोरिया सरकार से अग्रिम रूप से धनराशि प्राप्त होती है। वर्ष 2023–24 में यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण व्यापार प्राप्य में वृद्धि और अन्य चालू देनदारियों में कमी आई है।
(ख) ऋण–इक्विटी अनुपात,	वर्ष के दौरान अतिरिक्त अधिकार शेयरों के निर्गम के कारण।
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात,	कोरोना सरकार द्वारा दिए गए अधीनस्थ ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने से ऋण राशि में कमी आई है। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में वृद्धि के कारण ऋण सेवा कवरेज अनुपात में सुधार हुआ है।
घ) इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात (आरओई),	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में वृद्धि के कारण आरओई में सुधार हुआ है।
(ई) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात,	दोहरीकरण परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खपत में वृद्धि के कारण।
(एफ) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात,	वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि और दोहरीकरण परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम राशि में कमी के कारण।
(स) व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात,	परियोजना के दोहरीकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऋण खरीद में वृद्धि के कारण।
(ह) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात,	वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि के कारण।
(I) शुद्ध लाभ अनुपात,	वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि के कारण।
(क्ष) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल,	वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि के कारण।
(ज्ञ) निवेश पर प्रतिफल,	वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि के कारण।

42. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–115) के संबंध में प्रकटीकरण: ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आय का विखंडन

ग्राहक का नाम	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	अनुबंध देनदारियां	व्यापार प्राप्य
निर्माण राजस्व			
परियोजना को दुगुना करना	21,920.52	-	12,163.07

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आय का विखंडन

ग्राहक का नाम	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	अनुबंध देनदारियां	व्यापार प्राप्य
निर्माण राजस्व			
परियोजना को दुगुना करना	18,855.36	-	9,555.93

वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि के कारण।

43. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी एक अवसंरचना परियोजना विकास कंपनी है और वर्तमान में कर्नाटक सरकार (जीओके) तथा रेल मंत्रालय (एमओआर) के बीच नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय एसपीवी, बेंगलुरु के माध्यम से बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना का कार्यान्वयन करना है। के–राइड, एसडब्ल्यूआर के लिए दो दोहरीकरण परियोजनाओं, (i) बैयप्पनहल्ली – होसुर (48 किमी) और (ii) यशवंतपुर – चन्नासंद्रा (21.7 किमी) के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है, जिन्हें लागत साझाकरण के आधार पर (50% कर्नाटक सरकार और 50% वित्त मंत्रालय से) निष्पादन के लिए एसडब्ल्यूआर से के–राइड को हस्तांतरित किया गया है।

कंपनी भारत के भीतर ही परिचालन करती है और विभिन्न जोखिमों और प्रतिफलों वाले आर्थिक वातावरण में परिचालन/परियोजनाएं नहीं चलाती है। इसलिए इसे एक ही भौगोलिक खंड और परिचालन खंड में कार्यरत माना जाता है।

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–116) पट्टे के संबंध में प्रकटीकरण:

कंपनी ने साइट कार्यालय और कार्यालय स्थान के लिए पट्टे/किराए पर परिसर लिया है। ये पट्टा व्यवस्थाएं आमतौर पर आपसी सहमति से नवीकरणीय होती हैं लेकिन रद्द की जा सकती हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने साइट कार्यालय के मामले में पट्टा किराया चुकाया है। 70.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष के 74.98 लाख रुपये) के कार्यालय को पट्टे पर दिया गया है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बीएसआरपी कॉरिडोर–2 के लिए 85.707 एकड़ और बीएसआरपी कॉरिडोर–4 के लिए 115.472 एकड़ रेलवे भूमि को के–राइड को 35 वर्षों की अवधि के लिए क्रमशः 22.12.2022 और 02.04.2024 को नाममात्र पट्टे पर हस्तांतरित किया है। रेलवे बोर्ड के कार्यालय ज्ञापन में भूमि (उपयोग का अधिकार) के रूप में दर्शाए गए अनुसार, पट्टा शुल्क 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष है। दोनों पट्टा समझौते 02.04.2024 को पंजीकृत किए गए हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 कर्मचारी लाभ के संबंध में प्रकटीकरण:

45. विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है:

45(क) भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) द्वारा किया जाता है। कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व–निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और देयता को उपार्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

45(ख) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस):

एनपीएस का विकल्प चुनने वाले नियमित कर्मचारियों के लिए मूल वेतन + महंगाई भत्ता पर 14% की दर से निश्चित अंशदान किया जाता है और देयता को उपार्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

45(ग) ग्रेच्युटी

कंपनी की एक परिभाषित लाभ योजना है। नियमित कर्मचारी / कंपनी के साथ सीधे अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, वे प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन के वेतन (15/26 गुणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन / महंगाई भत्ता) / समेकित वेतन 15/26 की दर से ग्रेच्युटी के पात्र हैं।

45(घ) पेंशन

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में पेंशन अंशदान की गणना ऋणदाता संगठन/भारत सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार की जाती है और उपार्जन के आधार पर इसका लेखा–जोखा किया जाता है।

45(ई) अवकाश

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो प्रतिवर्ष क्रमशः 30 दिन और 20 दिन की दर से संचित होते हैं। सेवाकाल के दौरान केवल अर्जित अवकाश को ही भुनाया जा सकता है और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों तक भुनाया जा सकता है। इस मद पर देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में, अवकाश वेतन अंशदान उनके मूल विभाग को प्राप्त वेतन (मूल वेतन जिसमें महंगाई वेतन और विशेष वेतन शामिल है) के 11% की दर से देय है और इसका लेखा–जोखा उपार्जन के आधार पर किया जाता है।

46. लाभ एवं हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (जउख) और बैलेंस शीट तथा अन्य खुलासों में मान्यता प्राप्त विभिन्न लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

46(क) शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
परिभाषित लाभ दायित्व	66.94	56.74	149.02	114.90
योजना और परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	–	–	–	–
शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व	66.94	56.74	149.02	114.90

46(ख) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
परिभाषित लाभ दायित्व–वर्ष की शुरुआत में	**57.74**	**26.55**	**114.90**	**64.06**
सेवा लागत	**24.51**	**23.15**	**62.27**	**31.61**
ब्याज लागत	**3.97**	**1.99**	**8.04**	**4.79**
भुगतान किए गए लाभ	**-**	**-**	**(42.07)**	**(19.36)**
पिछली सेवा लागत-योजना संशोधन और अधिग्रहण	**-**	**-**	**-**	**-**
पुनर्मूल्यांकन – बीमांकिक हानि/(लाभ)	**(18.28)**	**5.06**	**5.88**	**33.80**
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	**66.94**	**56.74**	**149.02**	**114.90**

46(ग) योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
ब्याज आय	–	–	–	–
नियोक्ता अंशदान	–	–	**(42.07)**	**(19.36)**
भुगतान किए गए लाभ	–	–	**(42.07)**	**(19.36)**
पुनर्मूल्यांकन–एक्चुअरी (हानि)/लाभ	–	–	–	–
पुनर्मूल्यांकन–योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल छूट दर से अधिक/(कम)	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–

46(घ) ग्रेच्युटी और अवकाश के लिए मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
वर्तमान सेवा लागत	24.51	23.15	62.27	31.61
पिछली सेवा लागत (कटौती लाभ/हानि सहित)	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन	-	-	-	-
सेवा लागत (क)	24.51	23.15	62.27	31.61
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्तियों पर शुद्ध ब्याज (ख)	3.97	1.99	8.04	4.79
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि (सी)	-	-	5.88	33.80
मान्यता प्राप्त लागत (ए+बी+सी)	28.49	25.13	76.19	70.20

*** लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि**

विवरण	विवरण लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित व्यय	कुल
ग्रेच्युटी	14.11	14.37	28.49
छुट्टी नकदीकरण	38.84	37.35	76.19
कुल	52.95	51.73	104.68

46(ङ) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	ग्रेच्युटी	
	2024–25	2023–24
लाभ एवं हानि खाते के बाहर ओसीआई में मान्यता प्राप्त प्रारंभिक राशि	-	-
देनदारियों पर एक्चुअरियल लाभ/(हानि)	18.28	(5.06)
परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
लाभ एवं हानि खाते के बाहर ओसीआई में मान्यता प्राप्त समापन राशि	18.28	(5.06)

46(च) संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	ग्रेच्युटी		प्रभाव (पूर्ण)		प्रभाव %	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
आधार देयता	66.94	56.74	-	-	-	-
छूट दर में 1.00% की वृद्धि	58.34	53.28	(8.60)	(3.46)	-13.00%	-6.09%
छूट दर में 1.00% की कमी	77.40	60.55	19.06	3.81	16.00%	6.72%
वेतन मुद्रास्फीति में 1.00% की वृद्धि	77.40	64.79	-	8.05	16.00%	14.19%
वेतन मुद्रास्फीति में 1.00% की कमी	58.19	50.02	(19.21)	(6.72)	-13.00%	-11.84%
निकासी दर में 1.00% की वृद्धि	66.69	53.30	8.50	(3.44)	-	-6.06%
निकासी दर में 1.00% की कमी	67.04	57.34	0.34	0.60	-	1.06%

विवरण	अर्जित अवकाश		प्रभाव (पूर्ण)		प्रभाव %	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
आधार देयता	149.02	114.90	-	-	-	-
छूट दर में 0.50% की वृद्धि	129.58	108.32	(19.45)	(6.58)	-13.00%	-5.73%
छूट दर में 0.50% की कमी	172.66	122.15	43.08	7.24	16.00%	6.30%
वेतन मुद्रास्फीति में 1.00% की वृद्धि	172.66	129.80	-	14.90	16.00%	12.97%
वेतन मुद्रास्फीति में 1.00% की कमी	129.24	102.35	(43.42)	(12.55)	-13.00%	-10.92%
निकासी दर में 1.00% की वृद्धि	151.11	122.70	21.86	7.80	12.00%	6.79%
निकासी दर में 1.00% की कमी	146.64	109.81	(4.42)	(5.10)	-2.00%	-4.44%

46(जी) बीमांकिक अनुमान

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
प्रयुक्त विधि	अनुमानित इकाई ऋण (पीयूसी), बीमांकिक विधि		अनुमानित इकाई ऋण (पीयूसी), बीमांकिक विधि	
छूट दर	7.00% प्रति वर्ष	7.21% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष	7.21% प्रति वर्ष
वेतन स्तर में वृद्धि की दर	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष
निकासी दर	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012–14 का 100%		आईएएलएम 2012–14 का 100%	
औसत भावी सेवा (वर्षों में)	23.00 वर्ष	24.07 वर्ष	23.00 वर्ष	24.07 वर्ष

46(ह) परिभाषित लाभ दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल

विवरण	ग्रेच्युटी	
	2024–25	2023–24
वर्ष 1	0.16	5.76
वर्ष 2	0.44	0.21
वर्ष 3	0.54	3.33
वर्ष 4	5.99	1.43
वर्ष 5	0.41	1.67
वर्ष 5 के बाद	59.40	169.56

47. इंड–एएस–24 के संबंध में प्रकटीकरण संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

47(क) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति:

1. श्री गोविंदा रेड्डी — प्रबंध निदेशक (दिनांक 04–अगस्त–2025 से प्रभावी)
2. श्रीमती डॉ. मंजुला एन — प्रबंध निदेशक (4–अगस्त–2025 तक)
3. श्री गौरव गुप्ता — प्रबंध निदेशक (22–नवंबर–2023 तक)
4. श्री अवधेश मेहता — निदेशक (बीडी एंड एफ) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (दिनांक 20 जूवरी 2023 से प्रभावी)
5. श्री राजेश के सिंह — निदेशक (पी एंड पी) (दिनांक 21–सितंबर–2022 से प्रभावी)
6. श्रीमती अर्चना एम कुलकर्णी — कंपनी सचिव (दिनांक 01–जुलाई–2024 से प्रभावी)
7. श्री एस.एन. श्रीनिवासा — कंपनी सचिव (15–जून–2024 तक)

47(ख) लेन–देन का प्रकटीकरण प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों सहित कंपनी: (लाखों में)

विवरण	ग्रेच्युटी	अर्जित अवकाश
वेतन एवं भत्ते	143.92	157.93
अन्य लाभ	8.94	9.04
कुल	152.86	166.25

इंड–एएस–12–आयकर लेखांकन के संबंध में प्रकटीकरण

48. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त (लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 तक	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2025 तक
I) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क) अवशोषित न किया गया मूल्यह्रास	46.71	3.18	–	49.88
ख) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	28.92	8.59	–	37.51
ग) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	14.28	2.57	–	16.85
घ) अन्य अस्वीकृतियाँ	101.41	25.71	–	127.12
ङ) पट्टा देयता	42.88	(35.57)	–	7.31
उप–योग (i)	**234.20**	**4.47**	–	**238.67**

ii) आस्थगित कर देयताएँ इ) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	(30.23)	24.39	–	(5.84)
उप–योग (ii)	**(30.23)**	**24.39**	**–**	**(5.84)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	203.97	28.86	–	232.83

49. इंड एएस – 33 के संबंध में प्रकटीकरण: प्रति शेयर आय

विवरण	2024–25	2023–24
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार लाभ (पीएटी)	1,031.30	1,375.69
भारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या :	10,103.92	2,496.51
प्रति शेयर परिष्कृत आय (₹) (अंकित मूल्य) प्रति शेयर 10/– (अंकित मूल्य 10/– प्रति शेयर)	0.10	0.55
प्रति शेयर परिष्कृत आय (₹) (अंकित मूल्य 10/– प्रति शेयर)	0.10	0.55

50. इंड–एएस–36 – परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास के संबंध में प्रकटीकरण

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का आकलन किया है और वर्ष 2024–25 के दौरान कोई मूल्यह्रास नहीं पाया है।

(पूर्व वर्ष 2023–24 शून्य)।

51. इंड एएस –37– प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां के संबंध में प्रकटीकरण।

विवरण	01.04.2024 को शेष राशि	वर्ष के दौरान जोड़/अंतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पुन: लिखा गया	31.03.2025 को शेष राशि
सेवानिवृत्ति लाभ	56.74	10.20	–	–	–	66.94
सेवानिवृत्ति लाभ	114.90	34.12	–	–	–	149.02
कुल	171.64	44.32	–	–	–	215.97

विवरण	01.04.2024 को शेष राशि	वर्ष के दौरान जोड़/अंतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान पुन: लिखा गया	31.03.2025 को शेष राशि
सेवानिवृत्ति लाभ	26.55	30.19				56.74
व्यय (खर्चे)	64.06	50.85				114.90
कुल	90.61	81.03	–	–	–	171.64

इंड एएस 107 के संबंध में प्रकटीकरण – वित्तीय उपकरण : खुलासे

52. उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति विवरण में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। तीन स्तरों को मापन के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किया गया है, इस प्रकार:

स्तर 1– समान वित्तीय उपकरणों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिन तक इकाई मापन तिथि पर पहुंच सकती है।

स्तर 2– सक्रिय बाजार में कारोबार न करने वाले वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो प्रासंगिक के उपयोग को अधिकतम करते हैं प्रत्यक्ष बाज़ार इनपुट का उपयोग करें और अप्रत्यक्ष इनपुट के उपयोग को कम करें।

स्तर 3 – यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष बाज़ार इनपुट पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया जाता है।

52(क) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरण

विवरण	स्तर	2024–25	2023–24
उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
अन्य निवेश	स्तर 3	210.00	210.00
अमोर्टाइज्ड लागत पर			
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			

व्यापार प्राप्तियाँ	स्तर 3	12,163.07	9,555.93
नकद एवं नकदी समतुल्य	स्तर 1	32,770.89	35,701.16
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	120.85	119.16
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**45,264.82**	**45,586.26**
वित्तीय देनदारियाँ			
उधारी	स्तर 3	23,351.95	5,958.54
व्यापार देयताएँ	स्तर 3	646.16	894.67
पट्टा देयताएँ	स्तर 3	29.05	170.38
अन्य वित्तीय देयताएँ	स्तर 3	990.63	1,573.22
कुल वित्तीय देयताएँ		**25,017.78**	**8,596.81**

52(ख) उचित मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें और प्रक्रिया

क) 12 माह से कम परिपक्वता अवधि वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वहन मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

ख) परिशोधित लागत पर दर्ज अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य लेखा नीति के अनुसार परिभाषित छूट दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह पर छूट लगाकर निर्धारित किया जाता है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन:

53. वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी वित्तीय उपकरणों से संबंधित विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का श्रेणीवार विवरण उपरोक्त नोट में दिया गया है। जोखिमों के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिम को कम करके कंपनी के अल्प से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है।

कंपनी जिन सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

53(क) बाजार जोखिम

कंपनी के लिए बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है। कंपनी को मूल्य जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि उसके पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम को कवर करने के लिए कंपनी के पास कोई हेजिंग उपकरण भी नहीं है।

कार्य आदेश जारी करने की तिथि और सामग्री की प्राप्ति और उसके भुगतान की तिथि पर विनिमय दर के संदर्भ में विभिन्न वस्तुओं के आयात पर कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।

53(ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम से तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले वित्तीय नुकसान के जोखिम से है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों, जैसे कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम, ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि, प्रतिभूति जमा आदि के संबंध में इस जोखिम के प्रति संवेदनशील है।

रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से है:

-नकद और नकद समतुल्य

-व्यापार प्राप्य

-अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनका मूल्य परिशोधित लागत पर मापा जाता है

कंपनी ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों के उल्लंघनों की निरंतर निगरानी करती है, जिनकी पहचान व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा की जाती है, और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रणों में शामिल करती है। जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध हो, बाहरी ऋण रेटिंग और/या ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों पर रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है।

53(ग) ऋण जोखिम प्रबंधन

नकदी और नकद समतुल्य: नकदी और नकद समतुल्य से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निधि जमा करके किया जाता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं, और इन बैंकिंग संबंधों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है।

व्यापार प्राप्य: कंपनी के पास बकाया व्यापार प्राप्य हैं, जो आमतौर पर असुरक्षित होते हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं। व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम को ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेकर कम किया जाता है। कंपनी ग्राहकों की साख पर कड़ी निगरानी रखती है और केवल साख योग्य पक्षों के साथ ही लेन-देन करती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अपेक्षित ऋण हानियाँ

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करती है:

व्यापार प्राप्य:

व्यापार प्राप्य तब हानिग्रस्त माने जाते हैं जब कंपनी द्वारा व्यक्तिगत व्यापार प्राप्य के लिए किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर उनकी वसूली की संभावना संदिग्ध मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के लिए अपकृत और बकाया न होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ अच्छी ऋण गुणवत्ता की हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्य राशियों की आयु का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया गया है:

विवरण	2024-25	2023-24
(ii) **निर्विवाद – अच्छी स्थिति में**		
6 महीने से कम	12,163.07	9,553.45
6 महीने से 1 वर्ष	-	5.28
1 से 2 वर्ष	-	-
2 से 3 वर्ष	-	-
3 वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**12,163.07**	**9,558.74**
(ii) निर्विवाद – जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है		
6 महीने से कम	-	-
6 महीने से 1 वर्ष	-	-
1 से 2 वर्ष	-	-
2 से 3 वर्ष	-	-
3 वर्ष से अधिक **कुल**	-	-
	-	**-**
(iii) निर्विवाद – ऋण हानि		
6 महीने से कम	-	-
6 महीने से 1 वर्ष	-	-
1 से 2 वर्ष	-	-
2 से 3 वर्ष	-	-
3 वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-
(iv) विवादित – अच्छी स्थिति में माना गया		
6 महीने से कम	-	-
6 महीने से 1 वर्ष	-	-
1 से 2 वर्ष	-	-
2 से 3 वर्ष	-	-
3 वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**-**
(v) विवादित – जिनमें ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है		
6 महीने से कम	-	-
6 महीने से 1 वर्ष	-	-
1 से 2 वर्ष	-	-
2 से 3 वर्ष	-	-
3 वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**-**
(vi) विवादित – ऋण हानि		
6 महीने से कम	-	-
6 महीने से 1 वर्ष	-	-
1 से 2 वर्ष	-	-
2 से 3 वर्ष	-	-

3 वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**-**

कंपनी राशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई कर रही है और इसलिए खातों में दर्ज संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को छोड़कर, राशि को वसूली योग्य माना गया है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनका मूल्य परिशोधित लागत पर निर्धारित किया गया है:

कर्मचारी ऋणों से संबंधित ऋण जोखिम नगण्य माना जाता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन इन राशियों की वसूली योग्यता की निरंतर निगरानी करके किया जाता है, साथ ही साथ लागू आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियाँ निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं। रिपोर्टिंग तिथि पर इन वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध कोई हानि प्रावधान नहीं है। कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर इन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को अच्छी ऋण गुणवत्ता का मानती है।

53 (घ) तरलता जोखिम

कंपनी की तरलता आवश्यकताओं की निगरानी मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के तरलता के मुख्य स्रोत नकद और नकद समतुल्य, परिचालन से प्राप्त राजस्व, केएफडब्ल्यू बैंक से दीर्घकालिक ऋण, कोरिया सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, भारत सरकार और कोरिया सरकार से इक्विटी योगदान, कोरिया सरकार से अनुदान, कोरिया सरकार से नकद हानियों की प्रतिपूर्ति और ऋण चुकौती सहायता हैं। कंपनी अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और पर्याप्त नकद और नकद समतुल्य बनाए रखकर करती है। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए शुद्ध नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकद से की जाती है।

अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी बकाया और प्रतिधारण एवं जमा राशि शामिल होती है जो प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक सामान्य व्यवसाय के दौरान उत्पन्न होती है। कंपनी अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकद और नकदी समतुल्य बनाए रखती है।

नीचे दी गई तालिका में गैर–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता तिथियों के बारे में विवरण दिया गया है। यह तालिका वित्तीय देनदारियों के नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है, जो उस सबसे प्रारंभिक तिथि पर आधारित है जिस पर कंपनी को भुगतान करना पड़ सकता है। इस तालिका में मूलधन और ब्याज दोनों के नकदी प्रवाह शामिल हैं।

						2024-25
विवरण	**6 महीने से कम**	**6 महीने से 1 वर्ष**	**1 से 3 वर्ष तक से अधिक**	**3 से 5 वर्ष तक से अधिक**	**5 वर्ष से अधिक**	**कुल**
ऋण	0.19	-	-	-	23,351.95	23,352.14
अन्य वित्तीय देनदारियां	20.05	-	-	-	-	20.05
व्यापार देय	646.16	-	-	-	-	646.16
कुल योग	**666.39**	**-**	**-**	**-**	**23,351.95**	**24,018.34**

						2023-24
विवरण	**6 महीने से कम**	**6 महीने से 1 वर्ष**	**1 से 3 वर्ष तक से अधिक**	**3 से 5 वर्ष तक से अधिक**	**5 वर्ष से अधिक**	**कुल**
ऋण	0.21	-	-	-	5,958.54	5,958.75
अन्य वित्तीय देनदारिया	141.33	-	-	-	-	141.33
व्यापार देय	894.67	-	-	-	-	894.67
कुल योग	**1,036.21**	**-**	**-**	**-**	**5,958.54**	**6,994.75**

54. ऋणों के संबंध में प्रकटीकरण

54(क) अधीनस्थ ऋण:

कर्नाटक सरकार/वित्त मंत्रालय से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों (एसडी) को दीर्घकालिक ऋण के रूप में मान्यता दी गई है। अधीनस्थ ऋण ब्याज मुक्त हैं।

भूमि अधिग्रहण के लिए भारत सरकार से प्राप्त एसडी फंड में से ₹50,000 लाख रुपये इक्विटी शेयरों में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, जैसा कि भारत सरकार के आदेश संख्या यूडीडी 158 पीआरजे 2020 दिनांक 21.07.2023 और यूडीडी 158 पीआरजे 2020 पी1 दिनांक 8.11.2023 के अनुसार है। 19 फरवरी 2022 को आयोजित ईजीएम में शेयरधारकों ने उधार सीमा को बढ़ाकर ₹10,80,900 लाख रुपये तक करने की मंजूरी दी है, जो कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार से अधिक है।

54(ख) बाह्य वित्तपोषण:

I. बीएसआरपी स्वीकृत आदेशानुसार परियोजना को ₹7438 करोड़ रुपये (लगभग 800 मिलियन यूरो) के ऋण घटक द्वारा वित्तपोषित किया गया है। 15.12.2023 को जर्मनी के केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक (केएफडब्ल्यू) से 500 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और

14.06.2024 को लक्ज़मबर्ग स्थित यूरोपीय विकास बैंक (ईआईबी) से 300 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए। ऋणदाताओं (केएफडब्ल्यू और ईआईबी) और भारत सरकार (जीओआई) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
दोनों ऋणों के लिए निधि का प्रवाह रेल मंत्रालय के माध्यम से सहायता (पीटीए) के रूप में होगा, जो कि अन्य मेट्रो परियोजनाओं में अपनाई जा रही प्रक्रिया के समान है।

ii. उपरोक्त के अलावा, केएफडब्ल्यू विकास बैंक के साथ 4.5 मिलियन यूरो के अनुदान के लिए एक समझौते पर भी 15.12.2023 को हस्ताक्षर किए गए।

iii. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है।

55. कराधान:

कंपनी भारतीय रेलवे और कर्नाटक सरकार की भागीदारी के साथ रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य में एक नोडल एजेंसी है। बैंकों में अल्पकालिक ऋण जमा पर अर्जित ब्याज आय को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आयकर आयुक्त बनाम कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास एवं वित्त निगम मामले (आईटीए संख्या 78/2008) के निर्णय के आधार पर कर-मुक्त आय माना जाता है। अतः आयकर/न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

56. बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित घटनाएँ:

बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित महत्वपूर्ण समायोजन घटनाएँ (जो बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान स्थिति का प्रमाण प्रदान करती हैं) वित्तीय विवरणों में दर्ज की जाती हैं। बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित गैर-समायोजन घटनाएँ (जो बैलेंस शीट की तिथि के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों का संकेत देती हैं) जो वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, उनका खुलासा किया जाता है।

57. लाभांश:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

58. कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्रभारों या संतुष्टि का पंजीकरण:

वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास अभी तक कोई प्रभार या संतुष्टि पंजीकृत नहीं की गई है।

59. नियामकों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश:

नियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कंपनी के विरुद्ध किसी भी मामले पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

60. विदेशी मुद्रा में गतिविधि:

कंपनी ने चालू और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान कोई विदेशी लेनदेन नहीं किया है।

61. चालू परिसंपत्तियों के बदले सुरक्षित ऋण:

कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कोई ऋण नहीं लिया है।

62. जानबूझकर चूककर्ता:

कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

63. इक्विटी निवेश:

सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश लागत मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी ने 6 जनवरी, 2021 को बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (बी-राइड) को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया है, जिसमें शुरुआती निवेश के तौर पर 10,00,000 रुपये (दस लाख रुपये मात्र) की चुकता शेयर पूंजी में निवेश किया गया है, जो 10 रुपये प्रति शेयर के 1,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है, जिसका उद्देश्य बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना का संचालन करना है।

64. उधार ली गई निधियों और शेयर प्रीमियम का उपयोग:

कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों), जिनमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं (मध्यस्थ), को (चाहे लिखित रूप में दर्ज हों या अन्यथा) कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से, शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगा या निवेश करेगा, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;

कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था (विदेशी संस्थाओं सहित) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में हो या अन्यथा, इस समझ के साथ कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई वस्तु प्रदान करेगी।

65. **स्वीकृत व्यवस्था योजनाओं का अनुपालन:**

कंपनी ने किसी भी व्यवस्था योजना में प्रवेश नहीं किया है।

66. **अघोषित आय:**

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में चालू या पूर्व वर्ष के दौरान ऐसी कोई आय नहीं है जिसे आय के रूप में सरेंडर किया गया हो या घोषित किया गया हो, और जिसे पहले खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया हो।

67. **क्रिप्टोकरेंसी या आभासी मुद्रा का विवरण:**

कंपनी ने चालू या पूर्व वर्ष के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या आभासी मुद्रा में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

68. **निरस्त कंपनियों के साथ संबंध:**

कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत निरस्त कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

69. प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य खातों में बताए गए मूल्य से कम नहीं है, यदि उन्हें सामान्य व्यवसाय संचालन में वसूल किया जाता है।

70. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम तथा अल्पकालिक ऋण और अग्रिम के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, व्यापार देय और अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत दर्शाई गई देनदारियां संबंधित पक्षों से पुष्टि और मिलान के अधीन हैं।

71. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनी (खाते) नियम, 2014 के नियम 3(1) के तहत कंपनियों के लिए एक नई आवश्यकता निर्धारित की है, जिसे कंपनी (खाते) संशोधन नियम 2021 द्वारा जोड़ा गया है। इसके असार खातों की पुस्तकों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाली कंपनियों को केवल ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा, जिसमें प्रत्येक लेनदेन का ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने, खातों की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग बनाने, परिवर्तन की तिथि सहित रिकॉर्ड करने और यह सुनिश्चित करने की सुविधा हो कि ऑडिट ट्रेल को निष्क्रिय न किया जा सके।

कंपनी ने सभी लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए एप्लिकेशन स्तर पर ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए सक्रिय था।

72. 24 मार्च, 2021 की MCA व्यापक अधिसूचना ने कुछ खुलासों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन किया है। कंपनी ने इस वित्तीय विवरण में उचित परिवर्तन शामिल किए हैं।

73. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप संशोधित/पुनर्स्थापित किया गया है।

इसी दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।
पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 208698

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए28063

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
यूडीआईएन: 25208698बीएमकेडबल्यूवीएल6957

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

टिप्पणी 9 ए : व्यापार प्राप्य

विवरण	31 मार्च, 2025 तक						
	6 महीने से कम		6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ अच्छी मानी गईं	9,870.18	2,292.90	-	-	-	-	12,163.07
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ संदिग्ध मानी गईं	-	-	-	-	-	-	
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ अच्छी मानी गईं	-	-	-	-	-	-	
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ संदिग्ध मानी गईं	-	-	-	-	-	-	

विवरण	31 मार्च, 2024 तक						
	6 महीने से कम		6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ अच्छी मानी गईं	9,550.65	5.28	-	-	-	-	9,555.93
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ संदिग्ध मानी गईं	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ अच्छी मानी गईं	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ संदिग्ध मानी गईं	-	-	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2023 तक						
	6 महीने से कम		6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ अच्छी मानी गईं	-	-	-	-	-	-	
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्तियाँ संदिग्ध मानी गईं	-	-	-	-	-	-	
(iii) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ अच्छी मानी गईं	-	-	-	-	-	-	
(iv) विवादित व्यापार प्राप्तियाँ संदिग्ध मानी गईं	-	-	-	-	-	-	

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

टिप्पणी 24ए: व्यापार देयताएँ

विवरण	31 मार्च, 2025 तक					
	अभी तक देय नहीं	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएँ:						
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	147.38	-	-	-	-	147.38
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	**475.67**	**10.37**	**12.74**	-	**498.77**
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2024 तक					
	अभी तक देय नहीं	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएँ:						
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	385.48	-	-	-	-	385.48
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	496.45	12.74	-	-	509.18
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2023 तक					
	अभी तक देय नहीं	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएँ:						
(i) एमएसएमई की कुल बकाया राशि	175.97	-	-	-	-	175.97
(ii) एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	678.42	-	-	-	678.42
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	-

कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पक्ष प्रस्तुति ढांचे के अनुसार तैयार की गई रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रतिबद्ध राय

हमने रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और उसकी सहायक कंपनी (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को सामूहिक रूप से समूह कहा गया है) के साथ संलग्न स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 31 मार्च 2025 को समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और उस वर्ष के लिए समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है। यह रिपोर्ट हमारी 27 अक्टूबर 2025 की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का स्थान लेती है। कंपनी के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर, जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में संशोधित किया गया है।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के 'प्रतिबद्ध राय का आधार' अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी को उसी प्रकार से प्रदान करते हैं और इंड एएस और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2025 को समूह की स्थिति, लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं।

योग्यतापूर्ण राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा कार्य संपन्न किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के 'इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां' अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 एवं उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्यतापूर्ण राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

योग्य राय उत्पन्न करने वाले मामले

1. होल्डिंग कंपनी मुख्य रूप से रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं के निष्पादन में लगी हुई है और इनसे संबंधित निधियों का संचालन कर रही थी। हालांकि, पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान होल्डिंग कंपनी को कर्नाटक सरकार (इसके बाद जीओके कहा जाएगा) और रेल मंत्रालय (इसके बाद एमओआर कहा जाएगा) से बैंगलोर उपनगरीय रेलवे परियोजना (इसके बाद बीएसआरपी परियोजना कहा जाएगा) के कार्यान्वयन के लिए निधि प्राप्त होने लगी। प्राप्त निर्देशों के अनुसार, होल्डिंग कंपनी ने बीएसआरपी परियोजना के निष्पादन के लिए बीआरआईडीई को अपनी सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया है। इस बीच, बीएसआरपी परियोजना के निष्पादन के लिए सहायक कंपनी बनाने के बावजूद होल्डिंग कंपनी ने जीओके और एमओआर से प्राप्त निधियों को होल्डिंग कंपनी की शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया है। हालांकि होल्डिंग कंपनी बीएसआरपी परियोजना का निष्पादन कर रही है, फिर भी संपूर्ण बीएसआरपी निधि और संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों को बीआरआईडीई को हस्तांतरित करने के लिए बातचीत चल रही है।

   इस मुद्दे पर न तो कर्नाटक सरकार और न ही रेलवे मंत्रालय (एमओआर) की ओर से कोई स्पष्टता है। एमओआर को शेयर आवंटित करके होल्डिंग कंपनी ने एमओआर को अपने मौजूदा परिचालन के 49% हिस्से का शेयरधारक बना दिया है, जो कि उचित नहीं था। इससे होल्डिंग कंपनी के माध्यम से बीएसआरपी परियोजना कार्यान्वयन की निरंतरता पर संदेह पैदा हो गया है। इसका लेखांकन, शेयरधारिता और कंपनी के संचालन आदि पर प्रभाव पड़ता है। स्पष्टता के अभाव में हम होल्डिंग कंपनी पर वित्तीय और अन्य प्रभावों का आकलन करने में असमर्थ हैं।

2. होल्डिंग कंपनी दक्षिण–पश्चिम रेलवे (संक्षेप में एसडब्ल्यूआर) की दो रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। होल्डिंग कंपनी राजस्व की पहचान के लिए लागत–आधारित पूर्णता प्रतिशत विधि/इनपुट विधि (इंड एएस के तहत) का पालन कर रही है। चूंकि होल्डिंग कंपनी इनपुट विधि का उपयोग कर रही है, इसलिए वर्तमान अनुमानित लागत के आधार पर राजस्व की पहचान करना उचित है। हालांकि, होल्डिंग कंपनी 14.07.2022 की अनुमोदित लागत के आधार पर राजस्व की पहचान कर रही है। होल्डिंग कंपनी और एसडब्ल्यूआर के बीच दिनांक 14.07.2022 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार डीपीआर और विस्तृत अनुमान में किसी भी परिवर्तन को एसडब्ल्यूआर द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। होल्डिंग कंपनी ने वर्तमान दरों के आधार पर एक विस्तृत संशोधित अनुमानित लागत (डीपीआर) प्रस्तुत की है, जिसे तकनीकी टीम द्वारा विधिवत अनुमोदित और एमओआर को सौंप दिया गया है। मूल और संशोधित अनुमानों के बीच अंतर निम्नलिखित हैं:

(₹लाखों में)

परियोजना का नाम	यशवंतपुर–चन्नासंद्रा दोहरीकरण	बैयप्पनहल्ली–होसुर दोहरीकरण
मूल अनुमान दि. 14–07–2022	31,411	49,873
संशोधित अनुमान (एमओआर को प्रस्तुत किया गया, लेकिन अभी तक अनुमोदित नहीं):	68,357	1,16,077
अंतर:	-36,946	-66,204

हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, संशोधित अनुमानित लागत को अभी तक एसडब्ल्यूआर द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। संशोधित अनुमोदित अनुमानित लागत के अभाव में, हम राजस्व और लाभ पर इसके प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।

इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा है।

3. रिपोर्टिंग अवधि के लिए शुद्ध लाभ ₹1,027.05 लाख रुपये है, जिसमें ₹1,577.52 लाख रुपये की बैंक ब्याज आय शामिल है। होल्डिंग कंपनी, एक कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, पर्यवेक्षण शुल्क का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करती है और सामान्य व्यवसाय संचालन के दौरान परिचालन हानि नहीं उठा सकती है। हालांकि, ब्याज आय को छोड़कर, होल्डिंग कंपनी को करों से पहले 550.47 लाख रुपये की हानि हुई है। हानि का मुख्य कारण यह है कि होल्डिंग कंपनी ने रेल मंत्रालय के समक्ष अनुमोदन हेतु अपनी तकनीकी टीम द्वारा विधिवत अनुमोदित विस्तृत संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तिथि तक, रेल मंत्रालय ने संशोधित अनुमान को अनुमोदित नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व और प्राप्य शेष राशि में कमी आई है। पूर्ण जानकारी के अभाव में, हम कम राजस्व और संबंधित प्राप्य राशि के मूल्य का निर्धारण करने में असमर्थ हैं। इससे आगामी वित्तीय वर्षों में औद्योगिक मानक वापसी(इंड.एस.) संबंधी समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि औद्योगिक मानक वापसी (इंड.एस.) के अनुसार पिछले वित्तीय वर्षों से संबंधित पुस्तकों में किए गए किसी भी समायोजन को उन वित्तीय वर्षों पर लागू किया जाना चाहिए और पिछले वित्तीय वर्षों के आंकड़ों को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

4. निर्दिष्ट मार्गों पर रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना होल्डिंग कंपनी द्वारा रेल मंत्रालय (संक्षेप में एमओआर) और कर्नाटक सरकार (संक्षेप में जीओके) की संयुक्त भागीदारी से चलाई जा रही है। एमओआर और जीओके दोनों ने इस परियोजना में बराबर अनुपात में योगदान दिया है। कार्यप्रणाली यह है कि होल्डिंग कंपनी सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार रेल मंत्रालय को बिल जारी करेगी। इन बिलों के बदले एमओआर और जीओके दोनों से धनराशि प्राप्त की जाएगी। यद्यपि जीओके अपने 50% शेयर का योगदान दे रही है, फिर भी होल्डिंग कंपनी द्वारा सभी बिलिंग समझौते की शर्तों के अनुसार एमओआर को की जाएगी। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार जीओके होल्डिंग कंपनी को सीधे धनराशि सौंपेगी। एमओआर होल्डिंग कंपनी द्वारा बिल जारी किए जाने पर अपना हिस्सा जारी करेगी।

विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए और होल्डिंग कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष चित्रण करने के लिए होल्डिंग कंपनी को होल्डिंग कंपनी, एमओआर और जीओके के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार अनुबंध राजस्व का लेखा-जोखा रखना आवश्यक है। चूंकि प्रत्येक भागीदार परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि का 50% योगदान देता है, इसलिए आदर्श रूप से होल्डिंग कंपनी के प्राप्य शेष में जीओके और एमओआर से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण होना चाहिए।

जैसा कि खातों से देखा जा सकता है, एमओआर ने बिल जारी होने पर अपना हिस्सा जारी कर दिया है। हालांकि, अनुबंध राजस्व, जारी की गई धनराशि और प्राप्य शेष के संबंध में जीओके या एमओआर से कोई लिखित शेष पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। होल्डिंग कंपनी के लिए एमओआर और जीओके बाहरी ग्राहकों की तरह हैं, और होल्डिंग कंपनी जीओके के बजट आवंटन से बाध्य नहीं है। सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में कंपनी को इंड-एएस 115 के अनुसार राजस्व का लेखा-जोखा रखना होता है और प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त होने वाली धनराशि को लेखा-पुस्तकों में दर्ज करना आवश्यक है। होल्डिंग कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोहरीकरण परियोजनाओं के संबंध में 31 मार्च 2025 तक निष्पादित कार्य और प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि की स्थिति निम्न प्रकार है:

(₹लाखों में)

दोहरीकरण	अनुमान	31.03.2025 तक व्यय	31.03.2025 तक जारी की गई राशि	कमी/ (अधिकता)
जीओके	40,642	35,336	10000	25,336
एमओआर	40,642	35,336	43,483	-8,147
	81,283	70,672	53,483	17,189

हमारे विचार में एमओआर ने अतिरिक्त धनराशि जारी की है, और जीओके को होल्डिंग कंपनी को अपना बकाया चुकाना होगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि एमओआर से प्राप्त अतिरिक्त राशि अग्रिम राशि है या राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रस्तुत विवरण के अनुसार जीओके ने आज की तारीख में ₹10000 लाख रुपये दिए हैं और प्राप्य शेष राशि ₹25,336 लाख रुपये है। मान लीजिए कि एमओआर ने ₹8,147 लाख अतिरिक्त जारी किए हैं, तो कंपनी को एमओआर से प्राप्त अग्रिम और संबंधित शेष राशि ₹25,336 लाख दिखानी होगी। इससे खातों के सही और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण पर असर पड़ा है क्योंकि चालू परिसंपत्तियों को ₹25,336 लाख कम दिखाया गया है और चालू देनदारियों को ₹8,147 लाख कम दिखाया गया है।

5. इसके अलावा चूंकि कर्नाटक सरकार (जीओके) ने अपना बकाया नहीं चुकाया है, इसलिए ठेकेदार को देय राशि उस सीमा तक बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन हमारे सत्यापन पर यह पाया गया कि बीएसआरपी परियोजना के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का उपयोग ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया गया है और परिणामस्वरूप ठेकेदारों को कोई बकाया राशि देय नहीं है। बीएसआरपी परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधियों से ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए, होल्डिंग कंपनी प्रबंधन को कर्नाटक सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी, क्योंकि निधियां कर्नाटक सरकार के निर्दिष्ट बजटीय आवंटन से आवंटित की जाती हैं और चूंकि यह कर्नाटक विधानसभा में अनुमोदित है और परियोजना-विशिष्ट निधियां प्राप्त होती हैं, इसलिए एक परियोजना से दूसरी परियोजना में निधियों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप होल्डिंग कंपनी को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण कर्नाटक सरकार की लिखित अनुमति के बिना ₹25,336 लाख रुपये की निधियों का हस्तांतरण हुआ है।

6. होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना से संबंधित मूल लागत अनुमान में, विद्युत, सिग्नलिंग और दूरसंचार तथा ओएचई जैसे अलग–अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में त्रुटियाँ हैं।₹269.92 लाख रुपये के शुद्ध अंतर को कुल अनुमानित लागत में जोड़ दिया गया है। हालांकि, इन परिवर्धनों या परिवर्धनों के कारण निर्देशन एवं सामान्य शुल्कों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राजस्व की पहचान के लिए केवल विद्युत, सिग्नलिंग और दूरसंचार तथा ओएचई जैसे अलग–अलग प्रकार के कार्यों से संबंधित अनुमानों में उल्लिखित निर्देशन एवं सामान्य शुल्कों की सटीक राशि पर ही विचार किया जाता है। इस संबंध में, हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का मात्रात्मक आकलन करने में असमर्थ हैं।

इस मामले की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी और यह अनसुलझी बनी हुई है।

7. होल्डिंग कंपनी ने बृहत् बेंगलुरु महानगर पालिका अधिनियम, 2020 के तहत होल्डिंग कंपनी द्वारा अधिग्रहित भूमि पर संपत्ति कर की देयता का निर्धारण नहीं किया है। वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी द्वारा संपत्ति कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम लाभ पर इसके प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।

इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा है।

8. होल्डिंग कंपनी दोहरीकरण परियोजना से संबंधित प्रत्यक्ष व्यय के लिए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रही है और सीजीएसटी/केजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट के लिए पात्र न होने के बहाने बीएसआरपी परियोजना से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा रही है। हालांकि, चूंकि बीएसआरपी परियोजना को हमारी राय में एक अलग इकाई को हस्तांतरित किया जाना है, होल्डिंग कंपनी रेल मंत्रालय को कार्य अनुबंध की आपूर्ति कर रही है और मोरंडी रेलवे और ओके सरकार से प्राप्त निधियों से न्यासी क्षमता में पूंजीगत व्यय कर रही है। इसलिए, होल्डिंग कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकती थी। इसके अलावा, दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए आवंटित सामान्य व्यय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया गया है और इसे लाभ और हानि विवरण में डेबिट किया गया है। जानकारी के अभाव में हम लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं। बीएसआरपी परियोजना के संबंध में इनपुट राशि₹3,365.57 लाख रुपये है।

इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा है।

9. होल्डिंग कंपनी ने शेयर पूंजी में हस्तांतरण के बाद ₹16,541.82 लाख रुपये का प्रारंभिक शेष दिखाया है, जिसे भारत सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (भारत सरकार से अग्रिम – बीएसआरपी परियोजना – भूमि अधिग्रहण) के रूप में दर्शाया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी को भारत सरकार से बीएसआरपी परियोजना – भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम के रूप में ₹59,000 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। भारत सरकार के दिनांक 05–12–2024 के पत्र के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि ₹16,541.82 लाख रुपये की राशि को अधीनस्थ ऋण माना जाना चाहिए। शेष ₹59,000 लाख रुपये की राशि के लिए, भारत सरकार से न तो इसे अधीनस्थ ऋण और न ही अनुदान के रूप में मानने की कोई पुष्टि प्राप्त हुई है।

हमारी राय में, भूमि अधिग्रहण के लिए भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम राशि ₹59,000 लाख रुपये को, इंड एएस 20 – आस्थगित सरकारी अनुदान के अनुच्छेद 12 और 13 के अनुसार, पूंजीगत व्यय के लिए सरकारी अनुदान के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। इससे आस्थगित सरकारी अनुदानों का कम आकलन हुआ है और दीर्घकालिक ऋणों का ₹17,101.25 लाख रुपये तथा अन्य इक्विटी का ₹ 41,898.75 लाख रुपये अधिक आकलन हुआ है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II का अनुपालन नहीं हुआ है।

10. होल्डिंग कंपनी को 31.03.2024 तक शेयर आवेदन राशि के रूप में एमओआर से ₹50,000 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। कुल 50,000 लाख रुपये की राशि में से, होल्डिंग कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान शेयर पूंजी में ₹48,039.22 लाख रुपये हस्तांतरित किए हैं और शेष ₹1,960.79 लाख रुपये को दीर्घकालिक ऋण के तहत एमओआर–बीएसआरपी से अनुदान के रूप में दिखाया गया है।

हमारी राय में उपरोक्त शेष ₹1,960.79 लाख रुपये को आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि का कम आकलन और दीर्घकालिक ऋण का ₹1,960.79 लाख रुपये का अधिक आकलन हुआ है, और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II का भी अनुपालन नहीं हुआ है।

इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अभी भी अनसुलझा है।

11. भारत सरकार और वित्त मंत्रालय से प्राप्त अप्रयुक्त धनराशि को होल्डिंग कंपनी द्वारा बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया है।

31.03.2025 तक ऐसी सावधि जमाओं पर अर्जित ₹5166.00 लाख रुपये (शुद्ध राशि) तक के ब्याज को लेखा नोटों के नोट संख्या 3(घ) में उल्लिखित पूंजी कार्य–प्रगति से घटा दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा ₹16,541.82 लाख रुपये तक के अनुदान को अधीनस्थ ऋण के रूप में लेखांकन विधि से अनुमोदित किया गया है, लेकिन शेष ₹59,000 लाख रुपये की राशि के लिए भारत सरकार ने अभी तक अनुमोदन नहीं किया है। इसके अलावा 97वीं बोर्ड बैठक के निर्णय के अनुसार वित्त मंत्रालय से प्राप्त शेयर आवेदन राशि के शेष को अनुदान के रूप में माना गया है और इसे अभी तक वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इसलिए धनराशि की सही प्रकृति के अभाव में हम पूंजी कार्य–प्रगति से घटाई गई ब्याज आय के लेखांकन विधि के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं।

यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।

12. होल्डिंग कंपनी ने कर्नाटक पशु चिकित्सा, पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (KV-FSU) से ₹27,36,17,300/– रुपये में भूमि का अधिग्रहण किया है (धनराशि का भुगतान 13.04.2023 को किया गया और कब्जा 04/05/2023 को मिला)। कार्यालय नोट के क्रमांक 54 के अनुसार होल्डिंग कंपनी को परिसर की दीवार का निर्माण सुनिश्चित करना आवश्यक है। कंपनी ने ऐसा नहीं किया है।

कंपाउंड दीवार के निर्माण लागत की देयता का निर्धारण किया गया है, लेकिन होल्डिंग कंपनी द्वारा इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए, हम पूंजीकृत भूमि की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में असमर्थ हैं।

इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी और यह अनसुलझा ही रहा।

13. 31 मार्च 2025 तक ₹570.41 लाख रुपये की राशि मेसर्स आरएमएनआईएल एंड बीआईडीपीएल (जेवी), हैदराबाद से सुरक्षा जमा के रूप में अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत लेखा नोटों के नोट संख्या 25 के अनुसार शामिल है, हालांकि यह राशि वास्तव में ठेकेदार से वसूल नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, चालू देयताएं और चालू परिसंपत्तियां इस राशि से अधिक दर्शायी गई हैं। यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2025 तक लेखापरीक्षा नोट संख्या 14 के अनुसार ₹299.54 लाख रुपये की राशि को ''आरएमएनआईएल और बीआईडीपीएल (संयुक्त उद्यम) से रिकवरी'' अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वसूली के रूप में दर्ज किया गया है। होल्डिंग कंपनी ने खुलासा किया है कि यह राशि असुरक्षित है और संदिग्ध मानी जाती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, चालू परिसंपत्तियां और लाभ ₹299.54 लाख रुपये से अधिक दर्शाए गए हैं।

यह मामला 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दर्ज किया गया था और अभी तक अनसुलझा है।

14. 31 मार्च 2025 तक मेसर्स बावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से वसूल की गई ₹74.28 लाख रुपये की राशि सुरक्षा जमा के रूप में दर्ज की गई है। इसे लेखा संबंधी नोट्स के नोट संख्या 25 के अनुसार अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह राशि वास्तव में ठेकेदार से वसूल नहीं की गई है, हालांकि कंपनी की नीति के अनुसार इसे जब्त कर लिया जाना चाहिए था और अनुबंध की समाप्ति पर आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां ₹74.28 लाख रुपये से अधिक दर्शाई गई हैं। इस मामले की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी की गई थी और यह अनसुलझी बनी हुई है।

इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2025 तक उसी ठेकेदार से संबंधित प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) के संबंध में ₹18.30 लाख रुपये की राशि नोट संख्या 25 के अनुसार अन्य चालू देनदारियों में सुरक्षा जमा के अंतर्गत शामिल की गई है। यह राशि वसूल नहीं की गई है, हालांकि कंपनी की नीति के अनुसार इसे जब्त कर लिया जाना चाहिए था और आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप, चालू देनदारियां और चालू परिसंपत्तियां ₹18.30 लाख रुपये से अधिक दर्शाई गई हैं। इस मामले की जानकारी 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी दी गई थी। यह मामला अभी भी अनसुलझा है।

15. हम इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर निम्नलिखित शेषों के प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं, जो केवल होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों में दिखाई देते हैं और जिनकी पुष्टि उन पक्षों द्वारा नहीं की गई है जिन्हें शेषों की सीधी पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे।

(₹ लाखों में)

खाते का विवरण	पुष्टि के लिए भेजे गए पत्र में शामिल राशि	जिस राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है	जिस राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है
व्यापार देयताएँ	612.74	158.40	454.34
व्यापार प्राप्तियाँ	12,163.07	-	12,163.07

उक्त अपुष्ट शेष केवल होल्डिंग कंपनी की स्वतंत्र पुस्तकों से संबंधित हैं और समेकन में शामिल किसी भी सहायक कंपनी से संबंधित नहीं हैं। परिणामस्वरूप, संभावित प्रभाव केवल होल्डिंग कंपनी के स्टैंडअलोन बैलेंस तक ही सीमित है जो समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

हम इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क. होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों में दर्ज और केआईएडीबी के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व विलेख ₹44,086.01 लाख रुपये, बीडीए से अधिग्रहित भूमि 642.99 लाख रुपये, बीडब्ल्यूएसएसबी से अधिग्रहित भूमि ₹86.67 लाख रुपये, लिडकार से अधिग्रहित भूमि ₹361.63 लाख रुपये और केवीएएफएसयू से अधिग्रहित भूमि ₹2,736.17 लाख रुपये होल्डिंग कंपनी के नाम पर नहीं हैं, जैसा कि खातों के नोट्स के नोट संख्या 3 के व्याख्यात्मक नोट ज्ञ में खुलासा किया गया है।

ख. होल्डिंग कंपनी भूमि अधिग्रहण के लिए केआईएडीबी को अग्रिम भुगतान कर रही है। चालू वर्ष के अंत तक अग्रिम राशि के रूप में ₹23,769.41 लाख रुपये की शेष राशि है। केआईएडीबी ने कुल 2,34,743.45 वर्ग मीटर भूमि अधिसूचित की है, जिसमें से 1,05,364.02 वर्ग मीटर भूमि के लिए केआईएडीबी ने उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया है और 31.03.2025 तक इसका पूंजीकरण किया जा चुका है। शेष 1,29,379.43 वर्ग मीटर भूमि का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है और भूमि का मूल्य खातों के नोट संख्या 3 के व्याख्यात्मक नोट सी में उल्लिखित अनुसार उपरोक्त अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केआईएडीबी के माध्यम से निजी पक्षों से (अनिवार्य अधिग्रहण के तहत) 31.03.2025 तक अधिग्रहित 1,91,593.21 वर्ग मीटर भूमि में से, जिसका पंजीकरण अभी तक होल्डिंग कंपनी के नाम पर नहीं हुआ है, 3,776.13 वर्ग मीटर भूमि विवादित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

एसए–701 के अनुसार मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होती है। चूंकि समूह एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है, इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त जानकारी

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करते समय, विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत हैं, या क्या हमें ऑडिट के दौरान या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत जानकारी प्राप्त हुई है।

अन्य सूचनाओं को पढ़ने के बाद यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत जानकारी है, तो हमें इस मामले को प्रशासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सूचित करना और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करना अनिवार्य है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) के अंतर्गत उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिसमें इन इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी शामिल है, जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित अन्य व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं। ये विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जिनमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) और संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अनुसार निर्धारित मानक शामिल हैं। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग के लिए उत्तरदायी हैं। उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रभावी ढंग से निर्माण, कार्यान्वयन और रखरखाव करना, जो इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हों, ताकि सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत किया जा सके और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हो।

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह में शामिल प्रबंधन, समूह की निरंतर संचालन क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर संचालन से संबंधित मामलों का खुलासा करने और संचालन आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन समूह को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प न हो।

समूह में शामिल संबंधित निदेशक मंडल, संबंधित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ:

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण त्रुटि से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में मौजूद होने पर भी महत्वपूर्ण त्रुटि का पता चल जाएगा। त्रुटियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से इन इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में हम पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर विवेक का प्रयोग करते हैं और पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण औद्योगिक आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण त्रुटियों के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और उनका निष्पादन करना, और अपनी राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। धोखाधड़ी के कारण होने वाली महत्वपूर्ण त्रुटि का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के कारण होने वाली त्रुटि की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।

परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या समूह के पास औद्योगिक आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन द्वारा निरंतर संचालन के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित करें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की निरंतर संचालन क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह का निरंतर संचालन बंद हो सकता है।
- इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और यह भी जांचें कि क्या इंड एएस समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के अनुरूप प्रस्तुत करते हैं।
- हम लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय-सीमा, साथ ही लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में पाई गई कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, के संबंध में शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से संवाद करते हैं।
- हम शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को यह भी सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकते हैं और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी जानकारी देते हैं।

अन्य मामले

1. पिछले वर्ष के इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा मेसर्स प्रकाश एस.डी एंड कंपनी द्वारा किया गया है। उन्होंने 10 सितंबर, 2024 को मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की। इसके बाद, उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के आलोक में 8 नवंबर, 2024 को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय जारी की। हमने अपनी राय तैयार करते समय उनकी योग्य राय पर विचार किया है।
2. हमने सहायक कंपनी बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (बी-राइड) के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा नहीं किया है, जो समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल है, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 को कुल संपत्ति ₹2.39 लाख, कुल राजस्व शून्य और उस वर्ष के लिए शुद्ध नकद बहिर्वाह ₹5.97 लाख दर्शाया गया है। इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण मेसर्स बी.एन. पाई एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय जहां तक उक्त सहायक कंपनी के लिए शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

   इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के तहत जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार हम अनुलग्नक-क में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जहां तक लागू हो, विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, उल्लिखित आपत्तियों को छोड़कर, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-पुस्तकों का पालन समूह द्वारा किया गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ-हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए रखी गई लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरण, उक्त संशोधन को छोड़कर, अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के परिशिष्ट बी में हमारी अलग रिपोर्ट देखें, जो इसकी होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर आधारित है।

छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

I. समूह ने अपने इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है – इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 39 का संदर्भ लें।

ii. जैसा कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के 'प्रतिबद्ध राय का आधार' अनुभाग में उल्लेख किया गया है, हमारी राय है कि यदि होल्डिंग कंपनी को एसडब्ल्यूआर से परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत प्राप्त नहीं होती है, तो दीर्घकालिक अनुबंधों पर पर्याप्त अनुमानित नुकसान होगा। समूह ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है।

iii. लेखा–पुस्तकों के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार बैलेंस शीट की तिथि तक होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई बकाया राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

iv. क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा–नोट्स में प्रकट की गई जानकारी के अलावा समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों), जिनमें विदेशी संस्थाएँ भी शामिल हैं (मध्यस्थ), को कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई धनराशि से, शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से), इस समझ के साथ चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समूह द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में प्रकट की गई जानकारी के अलावा, समूह को किसी भी व्यक्ति या संस्था (विदेशी संस्थाओं सहित) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, (वित्तपोषक पक्ष), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा कि समूह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषक पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई वस्तु प्रदान करेगा; और

(ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त उप–खंड (क) और (ख) के अंतर्गत दिए गए कथनों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

v. समूह ने वर्ष के दौरान न तो कोई लाभांश घोषित किया है और न ही किसी लाभांश की सिफारिश की है। अतः अधिनियम की धारा 123 के प्रावधान समूह पर लागू नहीं होते हैं।

3. अधिनियम की धारा 197(16) के अंतर्गत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषय के संबंध में:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा निदेशकों को देय कुल अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक को संदर्भित करती है। कंपनी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) के प्रावधान समूह पर लागू नहीं होते हैं।

4. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल थी, समूह ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर पूरे वर्ष सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

5. होल्डिंग कंपनी की सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म MR-3, दिनांक 30 सितंबर 2025 में कहा गया है कि

क) **दो बोर्ड बैठकों के बीच अंतराल:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 की उपधारा 1 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी निगम की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल की पहली बैठक आयोजित करेगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करेगी कि बोर्ड की दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल न हो। हमारे अवलोकन के अनुसार कंपनी ने 2 मार्च, 2024 को और उसके बाद 31 अगस्त, 2024 को बोर्ड बैठक आयोजित की, इसलिए दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल था।

ख) **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्ति पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, या जिसका कारोबार एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, या जिसका शुद्ध लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, उसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों का पालन करना होगा। हमारे अवलोकन के अनुसार सीएसआर प्रावधान होल्डिंग कंपनी पर लागू होते हैं और कंपनी सीएसआर प्रावधानों का पालन करने की प्रक्रिया में है।

ग) **कंपनी के नियमों का अनुपालन:** कंपनी ने अनुच्छेद 32 के अनुसार एपेक्स (APEX) का गठन नहीं किया है।

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस
दिनांक: 04.12.2025
स्थान: बेंगलुरु

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 208698
UDIN: 25208698BMKXAJ8084

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के इंड एस समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट–क

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 में अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट शीर्षक के अंतर्गत संदर्भित: इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्टों में लेखा परीक्षकों द्वारा कुछ आपत्तियां या प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं। आपत्तियां या प्रतिकूल टिप्पणियां वाली सीएआरओ रिपोर्ट की कंपनियों का विवरण और खंड संख्याएँ निम्न हैं:

क्रम संख्या	इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनी का नाम	सीआईएन CIN	होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी/ सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम	सीएआरओ रिपोर्ट के खंड संख्या जिसमें योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां शामिल हैं
1.	रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड	U60100K-2000SGC028171	होल्डिंग कंपनी	(1) (d), 20
2.	बेंगलुरु एकीकृत रेल अवसंरचना विकास उद्यम लिमिटेड	U60230K-2021SGC142876	सहायक कंपनी	(xvii)

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 208698
UDIN: 25208698BMKXAJ8084

दिनांक: 04–12–2025
स्थान: बेंगलुरु

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के इंड एस समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट–ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत
इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और उसकी सहायक कंपनी के 31 मार्च, 2025 तक के इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है, साथ ही उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा भी की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन, संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (खउ–ख) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक शामिल हैं। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों, जिसमें संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी ज़िम्मेदारी संबंधित कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है, जो हमारे ऑडिट पर आधारित है। हमने अपना ऑडिट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिट मानकों के अनुसार किया है, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं। ये दोनों मानक और मार्गदर्शन नोट खउ–ख द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और ऑडिट की योजना बनाकर उसे इस प्रकार निष्पादित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य संबंधित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए तैयार किए जाते हैं। किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

I) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में, कंपनी के लेन–देन और परिसंपत्तियों के निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं।

ii) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन को इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, और यह कि होल्डिंग कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं। और

iii) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतियाँ हो सकती हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। साथ ही, इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का भविष्य की अवधियों के लिए अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

प्रतिबद्ध राय

हमारी राय में नीचे वर्णित महत्वपूर्ण कमियों के नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर पड़ने वाले प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर संबंधित कंपनियों ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, 31 मार्च, 2025 तक निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियां पाई गई हैं:

1. होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना के विद्युत कार्य (वाईपीआर–सीएचएन) और सिग्नलिंग कार्य (बीवाईपीएल–एचएसआर) के संबंध में, वास्तविक व्यय अनुमानित लागत से क्रमशः 195.21 लाख रुपये और 1,063.05 लाख रुपये अधिक हैं। इस अतिरिक्त व्यय के लिए एसडब्ल्यूआर से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 03/2022 दिनांक 13.07.2022 के माध्यम से जीएसटी दर 12% से बढ़कर 18% होने के तुरंत बाद कोई संशोधित अनुमानित लागत प्राप्त नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप समय पर संशोधित अनुमानित लागत प्राप्त करने में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली रही है।
2. क्रमांक के अनुसार... होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना से संबंधित दिनांक 14 जुलाई 2022 के समझौता ज्ञापन संख्या 6 के अनुसार, परियोजना को जुलाई 2020 से 36 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था। लेकिन आज तक परियोजना पूरी नहीं हुई है। अवधि बढ़ाने के लिए कोई आपसी सहमति लिखित में नहीं है। इसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने के लिए अवधि बढ़ाने हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है।
3. होल्डिंग कंपनी द्वारा शुरू की गई दोहरीकरण परियोजना से संबंधित दिनांक 14 जुलाई 2022 के समझौता ज्ञापन के क्रमांक 14 के अनुसार अंतिम स्थान सर्वेक्षण के बाद रेलवे को आवश्यक भूमि का विवरण प्रस्तुत किया जाना था। दोनों दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे परियोजना के पूरा होने में देरी हो सकती है।
4. होल्डिंग कंपनी के पास नियमित अंतराल पर संबंधित पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कोई उचित नियंत्रण प्रणाली नहीं है।
5. हम आज ही प्रकाशित अपनी रिपोर्ट के पैरा 5 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 25,336 लाख रुपये की धनराशि को बीएसआरपी परियोजना से रेलवे दोहरीकरण लाइन परियोजना में स्थानांतरित किया गया है।

हमने कंपनी के 31 मार्च 2025 के वित्तीय विवरणों के अपने ऑडिट में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने में ऊपर पहचानी और रिपोर्ट की गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है, और ये महत्वपूर्ण कमियां कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 208698
UDIN: 25208698BMKXAJ8084

दिनांक: 04–12–2025
स्थान: बेंगलुरु

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	1 अप्रैल 2023 को
I. **परिसंपत्तियाँ**				
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियाँ				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3(क)	55,591.05	35,831.56	6,568.62
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3(ख)	40,694.37	14,904.82	4,910.51
(ग) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ	3(ग)	23.21	120.11	184.70
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3(घ)	2.03	3.02	6.53
(ङ) विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3(ङ)	648.81	306.79	-
(च) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश	4	200.00	200.00	200.00
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5	100.55	92.67	82.14
(छ) आस्थगित कर (शुद्ध) परिसंपत्तियाँ	6	232.83	203.97	
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	7	46,073.31	20,939.89	24,387.01
(2) चालू परिसंपत्तियाँ				
(झ) भंडार	8	1,354.14	1,743.40	1,804.93
(ञ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) व्यापार प्राप्य	9	12,163.07	9,555.93	
(ii) नकद और नकद समतुल्य	10	32,773.18	35,709.41	14,539.96
(iii) अन्य बैंक शेष	11	-	20,100.00	38,000.00
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	20.30	26.50	25.39
(ट) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	245.06	881.22	782.17
(ठ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	4,911.71	3,957.60	10,840.70
कुल परिसंपत्तियां		**1,95,033.64**	**1,44,576.91**	**1,02,332.63**
II. **इक्विटी और देनदारियां**				
(1) इक्विटी				
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	15	1,01,039.22	1,01,039.22	3,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	16	59,699.61	16,589.88	14,807.86
(2) आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	17	-	-	5,000.00
(3) देनदारियां				
(i) गैर–चालू देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां	18	23,351.95	5,958.54	51,855.82
(i) उधार	19	9.00	29.05	145.90
(ख) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	20	990.63	1,573.22	1,115.03
(ii) पट्टा देनदारियां	21	151.55	159.11	108.51
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	22	211.97	154.43	83.39
(ख) अन्य गैर–चालू देनदारियां				
(ग) प्रावधान	23	0.19	0.21	-
(ii) चालू देनदारियां				
(क) वित्तीय देनदारियां	19	20.05	141.33	116.82
(i) उधार	24	147.38	385.48	176.14
(ii) पट्टा देनदारियां				
(iii) व्यापार देय				
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		498.77	509.18	678.42
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि				
(ख) अन्य चालू देनदारियां	25	7,135.27	16,469.40	24,158.76
(ग) प्रावधान	22	1,778.04	1,567.85	1,085.97
कुल इक्विटी एवं देनदारियां		**1,95,033.64**	**1,44,576.91**	**1,02,332.63**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां — 2
साथ में संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं। — 01-73

इसी दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 20869

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
UDIN : 25208698BMKWVM6826

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

हस्ताक्षर/–
अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए28063

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व:			
परिचालन से राजस्व	26	21,920.52	18,855.36
अन्य आय	27	1,778.17	3,571.17
कुल आय		**23,698.68**	**22,426.53**
व्यय:			
परिचालन व्यय	28	20,159.64	17,539.06
कर्मचारी लाभ व्यय	29	1,254.19	889.21
वित्त लागत	30	568.53	2,083.92
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	31	8.98	9.75
अन्य व्यय	32	709.15	734.25
कुल व्यय		**22,700.49**	**21,256.19**
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ		998.19	1,170.33
असाधारण मद		-	-
कर से पहले लाभ		998.19	1,170.33
कर व्यय:			
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर	6	(28.86)	(203.97)
कर के बाद लाभ		**1,027.05**	**1,374.30**
अन्य व्यापक आय/(हानि)			
क. (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		18.28	(5.06)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
ख. वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)		**18.28**	**(5.06)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**1,045.33**	**1,369.25**
प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य 10):			
मूल		0.10	0.55
पतला		0.10	0.55
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या			

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां **2**
साथ में संलग्न नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं। **01-73**

इसी दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 208698

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
UDIN : 25208698BMKWVM6826

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

हस्ताक्षर/–
अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए 28063
स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि – 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि,	पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन,	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्मूल्यांकित शेष राशि,	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन,	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
इक्विटी शेयर पूंजी	**1,01,039**	-	-	-	**1,01,039**

पिछली रिपोर्टिंग अवधि – 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में शेष राशि,	पिछली अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन,	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनर्मूल्यांकित शेष राशि,	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन,	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
इक्विटी शेयर पूंजी	3,000	-	-	98,039	1,01,039

ख. अन्य इक्विटी

	आरक्षित और अधिशेष							
	नोट	सामान्य आरक्षित	धारा 36(1)(vii) के तहत विशेष आरक्षित	धारा 45–IC के तहत विशेष आरक्षित	पूंजी आरक्षित	अन्य आरक्षित	संचित आय	कुल
1 अप्रैल, 2023 को शेष		-	-	-	-	14,066.50	2,115.67	16,182.17
वर्ष के लिए जोड़ें		-	-	-	-	412.77	-	412.77
घटाएँ : हस्तांतरण		-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय		-	-	-	-	18.28	(5.06)	13.23
31 मार्च, 2024 को शेष		-	-	-	-	**14,479.55**	**2,110.62**	**16,608.16**
वर्ष के लिए जोड़ें		-	-	-	-	42,064.40	1,027.05	17,034.15
घटाएँ : हस्तांतरण		-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय		-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को शेष		**-**	**-**	**-**	**-**	**56,561.95**	**3,137.67**	**59,699.61**

साथ में दिए गए नोट्स वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस
हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 208698
स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
UDIN : 25208698BMKWVM6826

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

हस्ताक्षर/–
अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए28063

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अ. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		
गैर–परिचालन मामलों के लिए समायोजन:	998.19	1,170.33
– मूल्यह्रास और परिशोधन	8.98	9.75
– ब्याज व्यय	568.53	2,083.92
– ब्याज आय	(1,778.17)	(3,571.17)
– बीमांकिक लाभ/हानि	18.28	(5.06)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**(184.18)**	**(312.22)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
– व्यापार प्राप्य में कमी/वृद्धि	(2,607.14)	(9,555.93)
– इन्वेंट्री में कमी/वृद्धि	389.26	61.53
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी/वृद्धि	(1.69)	(11.63)
– अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/वृद्धि	(954.11)	6,883.10
– अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में कमी/वृद्धि	(25,133.42)	3,447.11
– जमा खाते में कमी/वृद्धि (परिपक्वता 3 महीने से अधिक)	20,100.00	17,900.00
– चालू परिसंपत्तियों में कमी/वृद्धि	636.16	(99.05)
– उधार में कमी/वृद्धि	(0.02)	0.21
व्यापार देयताओं में कमी/वृद्धि	(248.51)	40.10
अन्य चालू देयताओं में कमी/वृद्धि	(9,334.13)	(7,689.37)
अल्पकालिक प्रावधानों में कमी/वृद्धि	210.19	481.88
पट्टा देयताओं में कमी/वृद्धि	(141.33)	(92.35)
अन्य वित्तीय देयताओं में कमी/वृद्धि	(582.59)	458.19
दीर्घकालिक प्रावधानों में कमी/वृद्धि	57.53	71.04
अन्य गैर–चालू देयताओं में कमी/वृद्धि	(7.52)	50.57
परिचालनों से प्राप्त नकद	**(17,801.50)**	**11,633.18**
–प्रत्यक्ष कर भुगतान		
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त/उपयोग किया गया शुद्ध नकद	**(17,801.50)**	**11,633.18**
ब. नकद प्रवाह निवेश गतिविधियाँ		
स्थिर परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय, जिसमें चालू निवेश (सीडबल्यूआईपी) और पूंजीगत अग्रिम शामिल हैं (शुद्ध)	(45,803.30)	(39,507.71)
स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री	1.15	2.02
ब्याज आय	1,778.17	3,571.17
निवेश गतिविधियों से प्राप्त/उपयोग की गई शुद्ध नकदी (अ)	**(44,023.99)**	**(35,934.52)**
स. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी का निर्गमन	-	98,039.22
आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि	-	(5,000.00)
दीर्घकालिक ऋण और अनुदान से प्राप्त राशि	59,457.79	(45,484.50)
ब्याज व्यय	(568.53)	(2,083.92)
वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त/उपयोग की गई शुद्ध नकदी (ब)	**58,889.26**	**45,470.79**
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी (अ + ब + स)	**(2,936.23)**	**21,169.44**
नकदी और नकदी समतुल्य (प्रारंभिक शेष)	**35,709.41**	**14,539.96**
नकदी और नकदी समतुल्य (अंतिम शेष)	**32,773.18**	**35,709.41**
नकदी और नकदी समतुल्य के घटक		
क) हाथ में नकदी	0.12	0.12
ख) बैंकों में शेष:		
चालू खाते में और बचत खाते	32,773.06	32,709.29
जमा खाते में (परिपक्वता अवधि 3 महीने से कम)	-	3,000.00
हाथ में चेक/ड्राफ्ट	-	-
	32,773.18	**35,709.41**

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 20869

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
UDIN : 25208698BMKWVM6826

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

हस्ताक्षर/–
अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए28063

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले नोट्स

नोट 1: कंपनी संबंधी जानकारी:

समेकित वित्तीय विवरणों में रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (जिसे होल्डिंग कंपनी या कंपनी या के-राइड कहा जाता है) और इसकी सहायक कंपनी बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल ढांचा विकास उद्यम लिमिटेड (जिसे सहायक कंपनी या बी-राइड कहा जाता है) शामिल हैं, जो 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हैं।

होल्डिंग कंपनी कंपनी अधिनियम,1956 के तहत कर्नाटक राज्य, भारत में निगमित है (सीआईएन संख्या U60100K-2000SGC028171)। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। होल्डिंग कंपनी चिन्हित रेलवे परियोजनाओं के सुचारू समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और कर्नाटक सरकार को रिपोर्ट करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। रेल मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर कंपनी का पुनर्गठन कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय के बीच 51:49 के इक्विटी अनुपात में राज्य संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया, जैसाकि दिनांक 17.10.2018 के संशोधित शेयरधारक समझौते में दर्शाया गया है।

सहायक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत (सीआईएन संख्या: U60230K-2021SGC142876) भारत के कर्नाटक राज्य में निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कंपनी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड- के-राइड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह कंपनी के-राइड (नोडल एजेंसी) द्वारा बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु में एक विशेष उद्यम (एसपीवी) के रूप में गठित की गई है।

नोट 2 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1.1 विवरण तैयार करने का आधार

समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित है और समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट/घोषणाओं को भी, जहां लागू हो, ध्यान में रखा गया है, जैसा कि कंपनी द्वारा लगातार अपनाया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष तक की सभी अवधियों के लिए, समूह ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसार, कंपनी (खाते) नियम, 2014 (भारतीय GAAP या पूर्ववर्ती GAAP) के साथ पढ़े जाने पर, अपने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए। 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ये समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय लेखा मानकों (IndAS) के अनुसार तैयार किए गए समूह के पहले वित्तीय विवरण हैं। तदनुसार समूह ने इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इंड-एएस 101 भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाने का पालन किया है।

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है, और सभी मूल्यों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा इंगित किया गया हो।

2.1.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा:

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (INR) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है, और सभी मूल्यों को निकटतम लाख तक पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा इंगित किया गया हो।

2.2 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण समान लेन-देन और समान परिस्थितियों में होने वाली अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं।

यदि समूह का कोई सदस्य समान लेन-देन और समान परिस्थितियों में होने वाली घटनाओं के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अलावा अन्य लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है, तो समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उस समूह सदस्य के वित्तीय विवरणों में उचित समायोजन किए जाते हैं ताकि समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित हो सके।

समेकन के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरण होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि तक, यानी 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष तक, तैयार किए जाते हैं।

2.2.1 मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित के: -

(i) वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिनका मापन उचित मूल्य पर किया जाता है (वित्तीय उपकरणों के संबंध में लेखांकन नीति देखें)।

(ii) परिभाषित लाभ योजना - योजना परिसंपत्तियाँ जिनका मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

उचित मूल्यों के मापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स में आगे चर्चा की गई है।

2.2.2 सहायक कंपनियाँ

सहायक कंपनियाँ वे सभी संस्थाएँ हैं जिन पर होल्डिंग कंपनी का नियंत्रण होता है। होल्डिंग कंपनी किसी संस्था को तब नियंत्रित करती है जब

होल्डिंग कंपनी इकाई के साथ अपने जुड़ाव से परिवर्तनीय प्रतिफल के लिए उत्तरदायी है, या उसे प्राप्त करने का अधिकार है, और इकाई की संबंधित गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। सहायक कंपनियां होल्डिंग कंपनी को नियंत्रण हस्तांतरित होने की तिथि से पूर्णतः समेकित मानी जाती हैं। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से वे गैर–समेकित मानी जाती हैं।

समूह मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति संयोजित करता है, जिसमें समान मदों जैसे परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय को एक साथ जोड़ा जाता है। समूह कंपनियों के बीच अंतर–कंपनी लेनदेन, शेष राशि और लेनदेन पर अवास्तविक लाभ को हटा दिया जाता है। अवास्तविक हानियों को भी हटा दिया जाता है, जब तक कि लेनदेन हस्तांतरित परिसंपत्ति के मूल्यह्रास का प्रमाण न दे।

2.2.3 सहायक कंपनी के लिए समेकित प्रक्रिया

1. मूल कंपनी की संपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की समान मदों को उसकी सहायक कंपनियों के साथ मिलाएं।
2. प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी की इक्विटी के हिस्से को समायोजित (समाप्त) करें।
3. समूह की संस्थाओं के बीच लेन–देन से संबंधित समूह के भीतर की संपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को पूरी तरह से समाप्त करें (समूह के भीतर के लेन–देन से होने वाले लाभ या हानि जिन्हें परिसंपत्तियों, जैसे कि इन्वेंट्री और अचल संपत्तियों में मान्यता दी जाती है, को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है)।
4. समूह के भीतर की हानियां मूल्यह्रास का संकेत दे सकती हैं जिसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता आवश्यक है।
5. लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय (जउख) के प्रत्येक घटक को समूह की मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को आवंटित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किए जाते हैं ताकि उनकी लेखांकन नीतियां समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप हो जाएं। समूह के भीतर की सभी संपत्तियां और देनदारियां, इक्विटी, आय, व्यय और समूह के सदस्यों के बीच लेनदेन से संबंधित नकदी प्रवाह समेकन पर पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाते हैं।

2.3 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण:

समूह बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है। किसी परिसंपत्ति को चालू परिसंपत्ति तब माना जाता है जब वह:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने की उम्मीद हो, या बेची या उपभोग की जानी हो;
  मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो;
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो; या
- नकद या नकद समतुल्य हो, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीनों के बाद किसी देनदारी के निपटान के लिए विनिमय या उपयोग पर प्रतिबंध न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

किसी देनदारी को चालू परिसंपत्ति तब माना जाता है जब वह:

- सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद हो;
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो;
- इसका निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीने के भीतर होना तय है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम बारह महीने बाद तक देनदारी के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.3.1 परिचालन चक्र:

परिचालन चक्र परिसंपत्तियों के प्रसंस्करण हेतु अधिग्रहण और नकद तथा नकद समतुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। कंपनी ने बारह महीने को अपना परिचालन चक्र निर्धारित किया है।

2.4 अनुमानों और निर्णयों का उपयोग:

इंड एएस के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ बनानी पड़ती हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि तथा आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर समीक्षा की जाती है और लेखांकन अनुमानों में संशोधन को भविष्य में मान्यता दी जाती है। इसके अलावा, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम ज्ञात या साकार होते हैं।

महत्वपूर्ण अनुमानों या निर्णयों से संबंधित क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा लागत के घटकों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण कंपनी के परिसंपत्ति आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन, उसके उपयोगी जीवन के अंत में अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य और मूल्यह्रास विधि का अनुमान निर्धारित करने के बाद निकाला जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय किया जाता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल्यह्रास विधि के साथ इसकी समीक्षा की जाती है। उपयोगी जीवन समान परिसंपत्तियों के ऐतिहासिक अनुभव के साथ–साथ भविष्य की घटनाओं की प्रत्याशा पर आधारित होते हैं, जो

प्रौद्योगिकी में परिवर्तन जैसे कारक उनके जीवनकाल को प्रभावित कर सकते हैं। उपयोगी जीवनकाल के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधियों में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है। यह भी आकलन किया जाता है कि किन घटकों और लागतों को पूंजीकृत किया जा सकता है।

ख) अमूर्त परिसंपत्तियों और लागत घटकों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण: आवधिक परिशोधन के संबंध में शुल्क परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और परिशोधन विधि के निर्धारण के बाद प्राप्त किया जाता है। उपयोगी जीवनकाल का निर्धारण प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय किया जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित समय-समय पर परिशोधन विधि के साथ इसकी समीक्षा की जाती है। उपयोगी जीवनकाल समान परिसंपत्तियों के ऐतिहासिक अनुभव के साथ-साथ भविष्य की उन घटनाओं की प्रत्याशा पर आधारित होते हैं जो उनके जीवनकाल को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन।

ग) प्रावधान: प्रावधान तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और संभावना होती है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में तकनीकी मूल्यांकन और पिछले अनुभव के आधार पर एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, वहां प्रावधान का निर्धारण और रखरखाव अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को, जहां भी लागू हो, उचित छूट दर के साथ छूट देकर किया जाता है। जहां छूट का उपयोग किया जाता है, वहां समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ) आकस्मिक देनदारियां: कोई भी संभावित दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हो सकता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, आकस्मिक देनदारी के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाला कोई भी वर्तमान दायित्व, जिसे मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता दायित्व के निपटान के लिए होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, उसे भी आकस्मिक देयता के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयता की ऐसी मदों की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

ई) सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ योजनाएँ: कर्मचारी लाभ दायित्वों का मापन बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर किया जाता है, जिनमें मृत्यु दर और निकासी दर के साथ-साथ छूट दरों, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर में भविष्य के विकास से संबंधित मान्यताएँ शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि उसके दायित्वों के मापन के लिए उपयोग की गई मान्यताएँ उचित और प्रलेखित हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

च) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का हानि परीक्षण: पीपीई की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की मान्यताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के मापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान: कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की समीक्षा करती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान किस हद तक की जा सकती है, यह कंपनी की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमाओं के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण विवेक की आवश्यकता होती है।

उचित मूल्यों का मापन

समूह की लेखांकन नीतियों के अनुसार वित्तीय उपकरणों का मापन उचित मूल्यों पर किया जाना आवश्यक है। समूह ने उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक नियंत्रण ढांचा स्थापित किया है। समूह मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों के अनुरूप हों और जिनके लिए उचित मूल्य मापने हेतु पर्याप्त डेटा उपलब्ध हो, ताकि प्रासंगिक प्रदर्शित इनपुट का अधिकतम उपयोग हो सके और अदृश्य इनपुट का न्यूनतम उपयोग हो सके।

प्रबंधन नियमित रूप से महत्वपूर्ण अदृश्य इनपुट की समीक्षा करता है। उचित मूल्यों को मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

स्तर 1 इनपुट: सक्रिय बाजार में उद्धृत, बिना समायोजन वाले मूल्य।
स्तर 2 इनपुट: उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य वे इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।
स्तर 3 इनपुट: अदृश्य इनपुट।

2.6 राजस्व पहचान:

राजस्व को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि कंपनी को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। राजस्व को प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें अनुबंध में परिभाषित भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखा जाता है और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या शुल्कों को शामिल नहीं किया जाता है।

बाह्य परियोजना कार्य से प्राप्त राजस्व को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है:

(i) अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, जहाँ समय के साथ निष्पादन दायित्वों की पूर्ति हो जाती है और जहाँ प्रतिफल के मापन या वसूली के संबंध में कोई अनिश्चितता नहीं होती, उसे पूर्णता प्रतिशत विधि के अनुसार मान्यता दी जाती है।

(ii) कर्नाटक सरकार और रेलवे मंत्रालय द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्तपोषित दोहरीकरण कार्य। के-राइड और एसडब्ल्यूआर के बीच दिनांक 14.07.2022 के समझौता ज्ञापन के अनुसार विस्तृत रिपोर्ट और विस्तृत अनुमान में कोई भी परिवर्तन एसडब्ल्यूआर द्वारा, के-राइड द्वारा पूर्ण दस्तावेज़ और लागत विवरण प्रस्तुत करने के बाद उचित समयावधि के भीतर, मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा। वर्तमान में राजस्व पूर्व स्वीकृत अनुमान के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

समझौते के परिसंपत्तियों का चालू करना और अधिग्रहण शीर्षक के अंतर्गत सभी परिसंपत्तियों को रखरखाव के लिए चालू करने के तुरंत बाद रेलवे द्वारा अधिग्रहित माना जाएगा। इस प्रकार संपूर्ण दोहरीकरण परियोजना परिसंपत्तियाँ रेलवे की हैं और तदनुसार रेलवे/आईआरएफसी पर चालान जारी किए जा रहे हैं।

व्यय/प्रावधान लेखा-पुस्तकों में तभी दर्ज किए जाते हैं जब किए गए कार्य का माप-जोख कर लिया गया हो।

पुस्तकों में दर्ज किए गए व्यय/प्रावधान राशि का इंजीनियर/नामित अधिकारियों द्वारा सत्यापन और प्रमाणीकरण कर दिया गया हो। वित्तीय वर्ष 2024–25 से संबंधित परियोजना व्यय और पीवीसी राशि, जिनका संबंधित इंजीनियरों द्वारा 30.04.2025 तक प्रमाणीकरण किया गया हो और जो अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान किए गए कार्य से संबंधित हों, उन्हें वित्तीय वर्ष 2024–25 के व्यय और राजस्व की मान्यता के लिए विचार किया जाता है।

ब्याज आय

ब्याज आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

अन्य आय

अन्य आय/जुर्माने को तब मान्यता दी जाती है जब ऐसी आय कंपनी को प्राप्त होती है।

2.7 **भूमि:**

विभिन्न सरकारी निकायों और विभागों सहित भूस्वामियों द्वारा कंपनी को सौंपी गई और कंपनी द्वारा कब्जे में ली गई भूमि को कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेख के पंजीकरण की प्रतीक्षा किए बिना, भूमि पर कब्जा लेने के समय ही पूंजीकृत कर दिया गया है।

यदि कोई बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति राशि है, तो उसे देय तिथि पर ही दर्ज और पूंजीकृत किया जाएगा, क्योंकि राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

भूमि लागत में क्षतिपूर्ति, पंजीकरण और स्वामित्व तथा पुनर्वास/पुनर्वास से संबंधित अन्य वैधानिक और आकस्मिक शुल्क तथा अधिग्रहण/कब्जे की तिथि तक का ब्याज (यदि कोई हो) शामिल है, जो भी पहले हो।

अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/लागत या क्षतिपूर्ति के लिए प्रदान किए गए दायित्व का अनुरूप प्रभाव, जिसमें कब्जे में ली गई पट्टेदार भूमि भी शामिल है, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत में से ध्वस्त की गई ऐसी संरचनाओं की बिक्री से प्राप्त राशि को घटाकर, भूमि या पट्टेदार भूमि की लागत माना जाता है।

अस्थायी रूप से किए गए भुगतान/अस्थायी आधार पर अधिग्रहित भूमि/सड़क चौड़ीकरण, विद्युत उपयोगिता बिछाने के लिए उपयोग की गई भूमि के लिए प्रदान किए गए दायित्व का संगत प्रभाव भूमि पर निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है।

2.8 **संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:**

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करने पर उधार लागत और परिसंपत्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लागत शामिल होती है। क्रय मूल्य निर्धारित करते समय किसी भी व्यापार छूट और प्रतिपूर्ति को घटाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण मद से संबंधित अनुवर्ती व्यय को उसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता है जब यह मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के लाभों को उसके पूर्व मूल्यांकित प्रदर्शन मानक से अधिक बढ़ा देता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण मद पर अन्य सभी व्यय, जिनमें दैनिक मरम्मत एवं रखरखाव व्यय और पुर्जों को बदलने की लागत शामिल है, उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं जिसके दौरान ऐसे व्यय किए जाते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता समाप्त कर दी जाती है। मान्यता समाप्त होने पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ–हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

परियोजना निर्माण के लिए सरकार/अन्य एजेंसियों से निःशुल्क प्राप्त भूमि उपयोग की अनुमतियों को उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

2.9 **अमूर्त संपत्तियां:**

इसकी सभी अमूर्त संपत्तियों का वहन मूल्य, जैसा कि इसके पिछले ऋ––झ समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, संक्रमण तिथि पर अनुमानित लागत के रूप में माना जाता है।

अलग से अधिग्रहित अमूर्त संपत्तियों (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) का प्रारंभिक मान्यता पर लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद अमूर्त संपत्तियों को संचित परिशोधन और संचित हानि (यदि कोई हो) घटाकर लागत पर दर्ज किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त संपत्तियों का तीन वर्षों की अवधि में लिखित मूल्य के आधार पर परिशोधन किया जाता है, जिसे प्रबंधन द्वारा संपत्ति का उपयोगी जीवन माना जाता है।

अमूर्त संपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन और परिशोधन विधियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो भविष्य में समायोजित किया जाता है।

संतुलन पत्रक तिथि पर उपयोग के लिए तैयार नहीं संपत्तियों की लागत को विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियों के अंतर्गत प्रकट किया जाता है।

2.10 **पूंजीगत कार्य प्रगति:**

क) बैलेंस शीट की तिथि पर स्थापना और/या निर्माणधीन परिसंपत्तियों को पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में दर्शाया जाता है।

ख) मूल्य भिन्नताओं सहित दावों को स्वीकृति मिलने पर लेखांकित किया जाता है।

ग) अंतिम बिल के निपटान पर निर्धारित क्षतिपूर्ति को लेखांकित किया जाता है और लागत से घटाया जाता है।

घ) बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना (बीएसआरपी) से सीधे संबंधित व्यय को पूंजीगत कार्य प्रगति मद के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।

ङ) बीएसआरपी निधियों और जुटाव अग्रिमों से प्राप्त ब्याज आय, वसूल किए गए जुर्माने, निविदा दस्तावेज शुल्क प्राप्त राशि को पूंजीगत कार्य प्रगति के मूल्य से घटाया जाता है।

च) वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार ओडीए और ऋण के लिए देय प्रबंधन शुल्क को पूंजीगत कार्य प्रगति में प्रभारित किया गया है।

छ) दोनों परियोजनाओं (बीएसआरपी और दोहरीकरण) से संबंधित सामान्य व्ययों को अलग-अलग किया गया है और आवंटन का आधार लाभ एवं हानि विवरण के नोट्स में विस्तृत रूप से दिया गया है।

2.11 मूल्यह्रास और परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, मूल्यह्रास योग्य राशि तक लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) विधि से प्रदान किया जाता है। परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख में निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया गया है, अवशिष्ट मूल्य का 5% या बहीखातों में दर्ज मूल्य को आगे ले जाया जाता है, बिना उस पर कोई और मूल्यह्रास लागू किए।₹5,000 रुपये से कम (या उसके बराबर) मूल्य पर अधिग्रहीत व्यक्तिगत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से खरीद के वर्ष में ही उनके वाणिज्यिक जीवन को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है और इसे पूंजीकृत नहीं किया जाता है। कर्मचारियों को दिए गए मोबाइल हैंडसेट कंपनी की नीति के अनुसार 3 वर्षों की अवधि में मूल्यह्रास किए जाते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन अवधि और उसका विवरण निम्न तालिका के अनुसार है:

परिसंपत्ति का विवरण	वर्षों की संख्या
संयंत्र एवं मशीनरी	15
कार्यालय उपकरण	5
कंप्यूटर	3
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10
कार्यालय का आंतरिक साज-सज्जा	10
कर्मचारी मोबाइल हैंडसेट (5,000 रुपये से अधिक लागत वाले)	3

2.12 मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास:

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, कंपनी परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास की समीक्षा करती है। यदि मूल्यह्रास का कोई संकेत मिलता है, तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और मूल्यह्रास को मान्यता दी जाती है। यदि परिसंपत्ति का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो लाभ एवं हानि विवरण में मूल्यह्रास हानि को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिस सीमा तक वहन मूल्य वसूली योग्य राशि से अधिक है। मूल्यह्रास के बाद, परिसंपत्ति के संशोधित वहन मूल्य पर उसके शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर बढ़ाया या रद्द किया जा सकता है। हालाँकि, रद्द करने के बाद वहन मूल्य उस वहन मूल्य से अधिक नहीं बढ़ाया जाता जो सामान्य मूल्यह्रास लगाने पर प्राप्त होता, यदि कोई हानि नहीं होती।

2.13 विदेशी मुद्रा लेनदेन:

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेनदेन लेनदेन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक मदों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में उसी वर्ष में दर्ज किया जाता है जिस वर्ष ये अंतर उत्पन्न होते हैं।

2.14 इन्वेंट्री:

इन्वेंट्री का मूल्यांकन लागत और अप्रचलन एवं अन्य हानियों (यदि कोई हो) के लिए प्रावधान करने के बाद प्राप्त शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर ऋखऋज विधि का पालन करते हुए किया जाता है। इन्वेंट्री की लागत में खरीद की सभी लागतें, रूपांतरण की लागतें और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में हुई अन्य लागतें शामिल हैं।

2.15 कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ:

क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

भविष्य निधि/राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) वाली परिभाषित अंशदान योजना में भुगतान किया गया/देय अंशदान व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है और उपार्जन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी की अर्जित अवकाश संबंधी देनदारी का निर्धारण बीमांकिक रूप से किया जाता है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।

एक्चुअरियल लाभ/हानि तथा योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/परिसंपत्तियों पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि के बीच के अंतर को अन्य व्यापक आय (OCI) में आयकर के बाद शामिल किया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

अवकाश नकदीकरण: संचित अवकाश, जिसका उपयोग अगले बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है, को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ माना जाता है। कंपनी ऐसी अनुपस्थितियों की अपेक्षित लागत को उस अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जो रिपोर्टिंग तिथि तक संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की उम्मीद है।

कंपनी बारह महीनों से आगे ले जाने योग्य संचित अवकाश को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ मानती है। मापन उद्देश्यों के लिए, ऐसे दीर्घकालिक सवैतनिक अवकाशों का प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। एक्चुअरियल लाभ/हानि को तुरंत लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है। कंपनी संचित अवकाश देयता को बैलेंस शीट में चालू देयता के रूप में दर्शाती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तिथि के बाद बारह महीनों तक इसके निपटान को स्थगित करने का कंपनी के पास कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, अवकाश वेतन अंशदान संबंधित मूल विभाग को प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार भेजा जाता है। अनुबंध कर्मचारियों के मामले में, एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिनों की दर से भुनाए जाने योग्य अर्जित अवकाश और/या अनुबंध की समाप्ति के समय जमा अर्जित अवकाश, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार भुनाए जाने के योग्य हो, का प्रावधान स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ग्रेच्युटी:

ग्रेच्युटी, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, बैलेंस शीट की तिथि पर प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि के आधार पर किए गए स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित की जाती है। कंपनी अपनी बैलेंस शीट में परिभाषित लाभ योजना के शुद्ध दायित्व को परिसंपत्ति या देयता के रूप में दर्शाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है। इंड एएस के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन लाभ और हानि को ओसीआई में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ योजनाओं को बाद में लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। इंड एएस के अनुरूप अनुसूची III के अनुसार कंपनी परिभाषित लाभ योजनाओं (कर के बाद) पर पुनर्मूल्यांकन लाभ और हानि को संचित आय में दर्ज करती है।

कंपनी की एक परिभाषित लाभ योजना है। प्रत्येक नियमित कर्मचारी जिसने पाँच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, विकलांगता या मृत्यु पर प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 गुणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन/महंगाई भत्ता) की दर से ग्रेच्युटी का हकदार है।

के-राइड के साथ सीधे संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारी, जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए समेकित वेतन के 70% गुणा 15/26 की दर से ग्रेच्युटी के हकदार हैं।

प्रतिनियुक्त कर्मचारी:

सरकार/अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ संबंधित मूल संगठन के सेवा नियमों द्वारा शासित होते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ अंशदान के लिए अर्जित राशि को प्रतिनियुक्ति की शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2.16 **अग्रिम भुगतान मदें:**

₹5,000/- रुपये से अधिक के अग्रिम भुगतान व्यय की व्यक्तिगत मदों को मान्यता दी जाती है।

2.17 **बीमा दावे:**

बीमा दावों का लेखा-जोखा बीमा कंपनी द्वारा दावों की स्वीकृति के आधार पर किया जाता है।

2.18 **अनुदान सहायता**

संपत्तियों के निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय के लिए सरकार/गैर-सरकारी या अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त अनुदान जब इन्हें जारी करने के लिए स्वीकृत किया जाता है, तब मान्यता प्राप्त करते हैं और प्रारंभ में इन्हें 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। बाद में इन्हें संबंधित परिसंपत्तियों के जीवनकाल में प्रत्येक वर्ष उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

जहां कंपनी गैर-मौद्रिक अनुदानों को मान्यता देती है, वहां परिसंपत्ति और अनुदान (जिसे आस्थगित आय के रूप में दर्शाया जाता है) उचित मूल्यों पर सकल रूप से दर्ज किए जाते हैं और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल और उपभोग के पैटर्न के अनुसार आय विवरण में जारी किए जाते हैं।

2.19 **ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण**

कोरोना सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (एसडी) का भुगतान, केएफडब्ल्यू विकास बैंक द्वारा व्यवस्थित ब्याज सहित ऋण निधि की संपूर्ण राशि के पुनर्भुगतान के बाद किया जाना है (वरिष्ठ अवधि ऋण)। इन ऋणों को दीर्घकालिक ऋण के रूप में मान्यता दी गई है।

2.20 **उधार लागत:**

योग्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादकता से संबंधित उधार लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतें उसी अवधि में व्यय के रूप में दर्ज की जाती हैं जिस अवधि में वे घटित होती हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल हैं जो कोई संस्था निधि उधार लेने के संबंध में वहन करती है।

परियोजना के लिए विशेष रूप से उधार ली गई और उससे संबंधित निधि पर होने वाली उधार लागत, जिसमें विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय दर अंतर भी शामिल है, जहाँ तक इसे ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है, परियोजना या उसके किसी भाग के चालू होने की तिथि तक पूंजीकृत की जाती है और उसके बाद राजस्व में उस सीमा तक प्रभारित की जाती है जहाँ तक परिसंपत्तियाँ वाणिज्यिक संचालन के अधीन हैं।

किसी परिसंपत्ति पर पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत का निर्धारण उस अवधि के दौरान उस उधार पर हुई वास्तविक उधार लागत में से उस उधार के अस्थायी निवेश पर प्राप्त आय को घटाकर किया जाता है।

एक पात्र परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

2.21 **आय पर कर (इंड-एएस 12):**

आयकर व्यय, जिसमें चालू और आस्थगित कर शामिल हैं, लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब यह अन्य व्यापक आय (OCI) या इक्विटी में सीधे दर्ज मदों से संबंधित हो, ऐसी स्थिति में इसे अन्य व्यापक आय/इक्विटी में दर्ज किया जाता है।

चालू कर का निर्धारण संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर को बैलेंस शीट विधि का उपयोग करके मान्यता दी जाती है, जो बैलेंस शीट में किसी परिसंपत्ति या देयता के वहन मूल्य और उसके कर आधार के बीच अस्थायी अंतर को दर्शाती है।

आस्थगित कर का मापन उन कर दरों पर किया जाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या सारतः अधिनियमित कानूनों के आधार पर, अस्थायी अंतर के वास्तविक होने या निपटाने पर लागू होने की उम्मीद होती है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

2.22 **नकद और नकद समतुल्य:**

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में मौजूद नकद, बैंक बैलेंस और बारह महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियाँ शामिल हैं, जो आसानी से ज्ञात राशि के नकद और नकद समतुल्य में परिवर्तनीय हैं और जिनके मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य है।

2.23 **नकद प्रवाह विवरण:**

नकद प्रवाह की रिपोर्ट इंड एएस-7 के तहत निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके अनुसार असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।

2.24 **वित्तीय उपकरण**

पहचान, प्रारंभिक मापन और अपहृत करना

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को लेनदेन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर प्रारंभिक रूप से मान्यता दी जाती है और उनका मापन किया जाता है, सिवाय उन वित्तीय परिसंपत्तियों के जिन्हें आरंभ में लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (ऋत्तढझड) पर वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब अपहृत किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से प्राप्त नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय परिसंपत्ति और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ हस्तांतरित हो जाते हैं। वित्तीय देनदारी को तब अपहृत किया जाता है जब वह समाप्त, समाप्त, रद्द या समाप्त हो जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और बाद का मापन

बाद के मापन के उद्देश्य से, प्रारंभिक मान्यता के समय वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

(i) प्रभावी ब्याज दरों (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(ii) लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(iii) अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित परिसंपत्तियों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कम से कम एक बार मूल्यह्रास के लिए समीक्षा की जाती है।

2.25 **प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) की गणना इस प्रकार की जाती है:**

बाजार दरों पर ब्याज देने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियाँ: इन मामलों में ईआईआर, साधन की ब्याज दर के बराबर होती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों के लिए जो उचित मूल्य पर नहीं हैं: एसबीआई-एमसीएलआर/वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उच्चतम उपलब्ध अवधि के लिए आधार दर।

ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण: परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए सबसे लंबी अवधि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि पर जी–सेक सममूल्य उपज (FBIL) दर।

उपयोग का अधिकार (ROU) **परिसंपत्तियाँ:** उच्चतम उपलब्ध अवधि के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ड्इख–चउडठ/आधार दर।

2.26 प्रति शेयर आय (इंड –एएस 33):

मूल प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के शुद्ध लाभ या हानि को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

डायल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के शुद्ध लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी संभावित तनुकरण इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.27 पट्टे:

समूह की पट्टा परिसंपत्ति श्रेणियों में मुख्य रूप से भूमि और भवन के पट्टे शामिल हैं। समूह किसी अनुबंध के प्रारंभ में यह आकलन करता है कि क्या वह अनुबंध पट्टा है या उसमें पट्टा शामिल है। कोई अनुबंध पट्टा तब होता है, या उसमें पट्टा शामिल होता है, जब वह अनुबंध किसी निश्चित अवधि के लिए किसी निर्दिष्ट परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसके बदले में प्रतिफल दिया जाता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी निर्दिष्ट अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है, कंपनी निम्नलिखित का आकलन करती है:

(I) क्या अनुबंध में किसी निर्दिष्ट अंतर्निहित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है,

(ii) क्या कंपनी को पट्टा अवधि के दौरान अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से प्राप्त होने वाले लगभग सभी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, और

(iii) क्या कंपनी को अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर, कंपनी एक उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति (आरओयू) और एक संबंधित पट्टा देयता को उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए मान्यता देती है जिनमें वह एक पट्टेदार है, सिवाय उन पट्टों के जो रद्द किए जा सकते हैं और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों के।

आरओयू परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, जिसे पट्टा प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और कोई भी पट्टा प्रोत्साहन घटाया जाता है।

आरओयू परिसंपत्तियों का मूल्यांकन बाद में संचित मूल्यह्रास और हानि हानि (यदि कोई हो) को घटाकर लागत पर किया जाता है।

आरओयू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा पद्धति के आधार पर पट्टा अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

पट्टा देयता का मूल्यांकन प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके छूट दी जाती है। पट्टा देयता का मूल्यांकन बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाकर किया जाता है।

पट्टा अवधि में परिवर्तन या पट्टा भुगतानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में परिवर्तन जैसी कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टा देयता का मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन में सामान्यतः पट्टे पर दी गई संपत्तियों का भी समायोजन किया जाता है।

पट्टे की देनदारी और आरओयू संपत्तियों को बैलेंस शीट में अलग–अलग दर्शाया गया है और पट्टे के भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा परियोजनाओं के लिए पूर्ण भुगतान करके पट्टे पर अधिग्रहित भूमि पार्सल का कंपनी के पास अनंत/स्थायी कब्जा रहेगा और प्रभावी नियंत्रण भी कंपनी के पास ही रहेगा। कंपनी द्वारा किया गया कुल पट्टा भुगतान लेनदेन मूल्य होने के कारण, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत भूमि (आरओयू) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2.28 रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित होने वाली महत्वपूर्ण समायोजन घटनाओं (जो बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद स्थिति का प्रमाण प्रदान करती हैं) को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है। बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित होने वाली गैर–समायोजन घटनाओं (जो बैलेंस शीट की तिथि के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों का संकेत देती हैं) जो वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, का खुलासा किया जाता है।

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

नोट 3: संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियाँ
समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले नोट्स
(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

विवरण	(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण					(ख) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	
	भूमि	फर्नीचर और फिक्स्चर	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	कुल (क)	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल (ख)
लागत							
1 अप्रैल 2023 को	6,303.06	76.94	123.21	389.07	6,892.27	38.53	38.53
		-	-	-	- 29,365.40	-	-
संयोजन	29,319.33	1.89	21.94	22.24		0.64	0.64
निपटान	-	-	1.50	0.52	2.02	-	-
31 मार्च, 2024 को	**35,622.40**	**78.82**	**143.64**	**410.79**	**36,255.65**	**39.17**	**39.17**
संयोजन	19,776.43	2.74	38.88	24.27	19,842.32		
निपटान	-	-	4.79	1.49	6.28		
31 मार्च, 2025 को	**55,398.82**	**81.56**	**177.73**	**433.57**	**56,091.69**	**39.17**	**39.17**
संचित मूल्यह्रास/अमोर्टाइजेशन और हानि							
1 अप्रैल, 2023 को	0.00	35.86	87.11	200.67	323.64	32.00	32.00
वर्ष के लिए प्रभार	0.01	10.87	28.04	62.60	101.51	4.15	4.15
निपटान	-	-	0.67	0.39	1.06	-	-
31 मार्च, 2024 को	**0.01**	**46.73**	**114.48**	**262.88**	**424.10**	**36.15**	**36.15**
लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित (नोट-बी)	0.00	0.43	1.13	2.53	4.09	0.05	0.05
सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित (नोट-बी)	0.01	8.20	21.41	48.01	77.63	0.94	0.94
वर्ष के लिए कुल प्रभार	**0.01**	**8.63**	**22.54**	**50.53**	**81.71**	**0.99**	**0.99**
निपटान	-	-	4.12	1.05	5.17	-	-
31 मार्च 2025 को	**0.01**	**55.36**	**132.90**	**312.36**	**500.64**	**37.14**	**37.14**
नेट ब्लॉक							
31 मार्च 2023 को	**6,303.06**	**41.08**	**36.09**	**188.40**	**6,568.62**	**6.53**	**6.53**
31 मार्च 2024 को	**35,622.39**	**32.10**	**29.16**	**147.91**	**35,831.56**	**3.02**	**3.02**
31 मार्च 2025 को	**55,398.81**	**26.21**	**44.83**	**121.21**	**55,591.05**	**2.03**	**2.03**

स्पष्टीकरणात्मक नोट संख्या 3 के लिए नोट

क) इंड एएस 101 पहली बार अपनाने वाली कंपनी को यह विकल्प देता है कि वह इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद का उचित मूल्य पर मूल्यांकन करे और उस उचित मूल्य को उस तिथि पर अनुमानित लागत के रूप में उपयोग करे, या इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वहन मूल्य के साथ जारी रखे, जैसा कि पिछले जीएएपी के अनुसार है, और डीकमीशनिंग देनदारियों के लिए आवश्यक समायोजन करने के बाद उस मूल्य को परिवर्तन की तिथि पर अनुमानित लागत के रूप में उपयोग करे। तदनुसार, कंपनी ने अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों का उनके पिछले जीएएपी वहन मूल्य पर मूल्यांकन करने का विकल्प चुना है।

ख) वर्ष के लिए मूल्यह्रास का विभाजन 05:95 के आधार पर किया गया है (अर्थात् दुगुना करने के लिए 5% और बीएसआरपी के लिए 95% – जो किसी विशेष परियोजना की कुल परियोजना लागत है)। इस प्रकार ₹82.70 लाख रुपये का 5% यानी ₹4.14 लाख रुपये लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया गया है और शेष 95% यानी ₹78.56 लाख रुपये पूंजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ग) भूमि का अधिग्रहण कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के माध्यम से किया गया है। केआईएडीबी द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 28(8) के माध्यम से के–राइड को भूमि सौंपे जाने के बाद भूमि का स्वामित्व के–राइड को हस्तांतरित माना जाता है। 31.03.2025 तक 189 निजी संपत्तियों (85,578.68 वर्ग मीटर) और 118 सरकारी संपत्तियों (19,785.34 वर्ग मीटर) के लिए केआईएडीबी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर राशि को पूंजीकृत किया गया है। शेष 530 संपत्तियों (1,29,379.43 वर्ग मीटर) के लिए भुगतान प्रक्रियाधीन है और केआईएडीबी के पास जमा अग्रिम राशि ₹23,769.41 लाख रुपये को शेष संपत्तियों के लिए समायोजित किया जाएगा।

केआईएडीबी (अनिवार्य अधिग्रहण के तहत) के माध्यम से अधिग्रहित संपत्तियों की स्थिति 31.03.2025 तक इस प्रकार है:

बीएसआरपी परियोजना गलियारे	अधिग्रहित संपत्तियों की कुल संख्या			अभी पंजीकृत नहीं की गई संपत्तियां			कंपनी के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों की संख्या		
	सरकारी	निजी	कुल #	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
कॉरिडोर-2 (संख्या)	64	422	486	64	375	439	0	47	47
कॉरिडोर-2 (वर्ग मीटर)	9858.13	150641.38	160499.51	9858.13	139550.75	149408.88	0	11090.63	11090.63
केआईएडीबी (अनिवार्य अधिग्रहण के तहत) के माध्यम से अधिग्रहित 486 संपत्तियों (160499.51 वर्ग मीटर) में से 19 संपत्तियां (3,776.13 वर्ग मीटर) विवादित हैं।									

बीएसआरपी परियोजना गलियारे	अधिग्रहित संपत्तियों की कुल संख्या			अभी पंजीकृत नहीं की गई संपत्तियां			कंपनी के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों की संख्या		
	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
कॉरिडोर-4 (संख्या)	54	297	351	53	160	213	1	137	138
कॉरिडोर-4 (वर्ग मीटर)	9927.21	64316.73	74243.94	9121.05	33063.28	42184.33	806.16	31253.45	32059.61

घ) कंपनी के नाम पर स्वामित्व का पंजीकरण पूरा होने पर लागू स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क को मान्यता दी जाएगी।

ङ) बैंगलोर उपनगरीय रेलवे परियोजना के लिए मुआवजा एवं पुनर्वास पैकेज (सीआरपी) नीति को कर्नाटक सरकार द्वारा के-राइड द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण के संबंध में अनुमोदित किया गया है (यह के-राइड की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।
अनुमोदित सीआरपी नीति के अनुसार मुआवजा एवं पुनर्वास प्रक्रिया एवं भुगतान किए जा रहे हैं और भूमि विभाग द्वारा 31.03.2025 तक प्रमाणित सीमा तक, पुस्तकों में पहले से ही पूंजीकृत भूमि को भूमि के रूप में दर्ज किया गया है।

च) बीडीए (1,100.71 वर्ग मीटर), बीडब्ल्यूएसएसबी (121.9 वर्ग मीटर), लिडकर (2,031.63 वर्ग मीटर) और केवीएएफएसयू (9,151 वर्ग मीटर/2.2613 एकड़) भूमि के-राइड को सौंप दी गई है। हालांकि, पंजीकरण एवं खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।

छ) दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बीएसआरपी कॉरिडोर-2 के लिए 85.707 एकड़ और बीएसआरपी कॉरिडोर-4 के लिए 115.472 एकड़ रेलवे भूमि के-राइड को क्रमशः 22.12.2022 और 02.04.2024 को 35 वर्षों की अवधि के लिए नाममात्र पट्टे पर हस्तांतरित कर दी है। रेलवे बोर्ड के कार्यालय ज्ञापन में भूमि (उपयोग का अधिकार) के रूप में दर्शाए गए अनुसार, पट्टा शुल्क 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष है। दोनों पट्टा समझौते 02.04.2024 को पंजीकृत हैं। कंपनी रेलवे भूमि को कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के रूप में पट्टे पर देने के लिए इंड एएस 116 के तहत प्रदान की गई छूट का लाभ उठाती है।

ज) केवीएएफएसयू से खरीदी गई भूमि पर खरीद की शर्त के हिस्से के रूप में चारदीवारी का निर्माण करना अनिवार्य है।
हालांकि, इस समय के-राइड कंपाउंड दीवार के निर्माण के मूल्य का अनुमान लगाने की स्थिति में नहीं है और इसे तदनुसार पूंजीकृत किया जाएगा, जब भी यह कार्य शुरू किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

झ) कंपनी बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (45 ऑफ 1988) के तहत कोई बेनामी संपत्ति नहीं रखती है।

ञ) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों और अमूर्त संपत्तियों सहित किसी भी पीपीई का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

ट) अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	स्वामित्व विलेख धारित का नाम	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/ निदेशक का रिश्तेदारया प्रवर्तक/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से नाम पर ह	कंपनी के नाम पर न होने का कारण	संपत्ति विवरण (वर्ग मीटर में)	संपत्तियों की संख्या	विवादित संपत्ति (वर्ग मीटर में)
पीपीई	भूमि (कॉरिडोर-2)	43,142.62	नीचे दिए गए नोट देखें	नहीं - केआईएडीबी	वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	1,49,408.88	439	3,776.13
पीपीई	भूमि (कॉरिडोर-2)	943.39		नहीं - केआईएडीबी		खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	42,184.33	213	-
पीपीई	भूमि (कॉरिडोर-2)	642.99	बीडीए	नहीं	31.01.2024	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	1,100.71	1	-
पीपीई	भूमि (कॉरिडोर-2)	86.67	बीडबल्यूएसएसबी	नहीं	10.11.2022	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	121.90	1	-
पीपीई	भूमि (कॉरिडोर-2)	361.63	लिडकर	नहीं	21.11.2022	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	2,031.63	1	-
पीपीई	भूमि (कॉरिडोर-2)	2,736.17	केवीएएफएसयू	नहीं	04.05.2023	खाता हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है	9,151.00	1	-

नोट: भूमि का अधिग्रहण केआईएडीबी के माध्यम से (अनिवार्य अधिग्रहण के तहत) किया गया है। केआईएडीबी द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 28(8) के माध्यम से भूमि के-राइड को सौंपे जाने के बाद भूमि का स्वामित्व के-राइड को हस्तांतरित माना जाएगा।

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

टिप्पणी 3 (ग) – उपयोग का अधिकार – परिसंपत्तियाँ और पट्टा देनदारियाँ

कंपनी ने एक पट्टेदार के रूप में कार्यालय स्थान के लिए कई पट्टा समझौते किए हैं। अधिकांश पट्टा अनुबंध सामान्य नियमों और शर्तों के तहत किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें एक निश्चित अवधि के लिए पट्टा बढ़ाने का विकल्प और सामान्य कार्यालय किराया बाजार की स्थितियों के अनुरूप वृद्धि खंड शामिल हैं। नवीनीकरण पर पट्टों की शर्तों पर पुनर्विचार किया जाता है।

कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था इंड एएस 116 की आवश्यकताओं के अनुसार पट्टा होने की योग्यता रखती है। पट्टा की पहचान के लिए महत्वपूर्ण विवेक की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टा अवधि और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण विवेक का उपयोग करती है।

कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, जिसमें पट्टे को बढ़ाने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि भी शामिल है, यदि कंपनी को उस विकल्प का प्रयोग करने की उचित निश्चितता है; और पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि भी शामिल है, यदि कंपनी को उस विकल्प का प्रयोग न करने की उचित निश्चितता है।

यह आकलन करते समय कि क्या कंपनी को पट्टे को बढ़ाने के विकल्प का प्रयोग करने या उसे समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग न करने की उचित निश्चितता है, वह उन सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करती है जो कंपनी को पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग न करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यदि पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि में कोई परिवर्तन होता है, तो कंपनी पट्टे की अवधि को संशोधित करती है। पट्टे की अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए नोट–(iii) भी देखें।

(I) **बैलेंस शीट में दर्ज राशि**

बैलेंस शीट में उपयोग के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित राशियाँ दर्शाई गई हैं।

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
सकल वहन राशि			
प्रारंभिक शेष	209.46	184.70	184.70
जोड़	-	24.76	-
निपटान	-	-	-
अंतिम शेष	**209.46**	**209.46**	**184.70**
संचित परिशोधन			
प्रारंभिक शेष	89.34	-	-
संयोजन (जोड़)	96.91	89.34	-
निपटान	-	-	-
अंतिम शेष	**186.25**	**89.34**	-
शुद्ध वहन राशि	**23.21**	**120.11**	**184.70**

पट्टा देयता का स्थानांतरण

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
प्रारंभिक पट्टा देयता	170.38	262.73	-
जोड़	-	-	262.73
जोड़ें: अर्जित ब्याज	9.12	42.35	-
घटाएँ: पट्टा भुगतान	-150.45	-134.70	-
समापन पट्टा देयता	**29.05**	**170.38**	**262.73**

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
पट्टा देयताएँ			
वर्तमान	20.05	141.33	116.82
गैर– वर्तमान	9.00	29.05	145.90
कुल	**29.05**	**170.38**	**262.73**

(ii) **लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आरओयू परिसंपत्तियों का परिशोधन**

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित *	4.85	4.47	-
सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित *	92.06	84.88	-
कुल	**96.91**	**89.34**	**-**

*वर्ष के लिए परिशोधन 05:95 के आधार पर विभाजित किया गया है (अर्थात् दोहरीकरण के लिए 5% और बीएसआरपी के लिए 95% – जो किसी विशेष परियोजना की कुल लागत है)। इस प्रकार, 96.91 लाख रुपये का 5% यानी 4.85 लाख रुपये लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया गया है और शेष 95% यानी 92.06 लाख रुपये पूंजीगत कार्य प्रगति में दर्शाया गया है।

(iii) **पट्टा अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय:**

पट्टा अवधि निर्धारित करते समय, प्रबंधन उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो पट्टा विस्तार विकल्प का प्रयोग करने या समाप्ति विकल्प का प्रयोग न करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। पट्टा विस्तार विकल्प (या समाप्ति विकल्पों के बाद की अवधि) को पट्टा अवधि में तभी शामिल किया जाता है जब पट्टा के विस्तारित होने (या समाप्त न होने) की उचित रूप से निश्चितता हो।

पट्टों के लिए सामान्यतः निम्नलिखित कारक सबसे अधिक प्रासंगिक होते हैं:

- यदि समाप्ति (या विस्तार न करने) पर महत्वपूर्ण दंड भुगतान करना हो, तो कंपनी के लिए पट्टा विस्तारित करना (या समाप्त न करना) आमतौर पर उचित रूप से निश्चित होता है।
- यदि किसी पट्टे पर दी गई संपत्ति में किए गए सुधारों का महत्वपूर्ण शेष मूल्य होने की उम्मीद हो, तो कंपनी के लिए पट्टा विस्तारित करना (या समाप्त न करना) आमतौर पर उचित रूप से निश्चित होता है।
- अन्यथा, कंपनी अन्य कारकों पर विचार करती है, जिनमें ऐतिहासिक पट्टा अवधि और पट्टे पर दी गई संपत्ति को बदलने के लिए आवश्यक लागत और व्यावसायिक व्यवधान शामिल हैं।

जब कंपनी और पट्टादाता दोनों को दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना केवल मामूली दंड के साथ पट्टा समाप्त करने का अधिकार हो, तो पट्टा की प्रवर्तनीय अवधि उस समय समाप्त हो जाती है जब दोनों पक्ष अनुबंध और उसके संविदात्मक दायित्वों को समाप्त कर सकते हैं।

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

टिप्पणी 3(घ). पूंजीगत कार्य प्रगति पर

समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 01.04.2024 को	वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन	स्थानांतरण/ हटाना	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 31.03.2025 को
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य:					
	रेल गलियारा:					
	बेंगलुरु उपनगरीय परियोजनाएं					
1	सरेखण, निर्माण और हवाई अड्डा संपर्क	5,543.88	17,873.73	-	-	23,417.61
2	सामान्य प्रभार और आकस्मिक व्यय	8,230.23	4,970.27	-	-	13,200.51
3	भूमि पुनर्स्थापन	31.37	44.92	-	-	76.29
4	स्टेशन भवन	1,220.44	-	-	-	1,220.44
5	कर्षण और विद्युत आपूर्ति सहित ओएचई, एएसएस आदि	6.37	118.20	-	-	124.57
6	डिपो	38.62	197.44	-	-	236.07
7	उपयोगिताएँ और सड़क निर्माण कार्य	4,124.82	1,483.38	-	-	5,608.20
8	भू-तकनीकी जांच और सिविल कार्य	177.40	-	-	-	177.40
9	वृक्षारोपण (वृक्षारोपण सहित)	960.90	1,472.70	-	-	2,433.60
10	ब्याज आय – बीएसआरपी	(5,504.13)	(495.93)	-	-	(6,000.06)
11	रोलिंग स्टॉक	74.90	124.84	-	-	199.74
	कुल	**14,904.82**	**25,789.55**	**-**	**-**	**40,694.37**

क्रम संख्या	विवरण	दिनांक 01.04.2024 को	वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन	स्थानांतरण/ हटाना	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	दिनांक 31.03.2025 को
	प्रगति पर पूंजीगत कार्य:					
	रेल गलियारा:					
	बेंगलुरु उपनगरीय परियोजनाएं					
1	सरेखण, निर्माण और हवाई अड्डा संपर्क	-	**5,543.88**	-	-	**5,543.88**
2	सामान्य प्रभार और आकस्मिक व्यय	**4,804.73**	**3,425.50**	-	-	**8,230.23**
3	भूमि पुनर्स्थापन	**44.47**	**13.02**	**26.12**	-	**31.37**
4	स्टेशन भवन	**1,220.44**	-	-	-	**1,220.44**
5	कर्षण और विद्युत आपूर्ति सहित ओएचई, एएसएस आदि	**6.25**	**0.12**	-	-	**6.37**
6	डिपो	-	**38.62**	-	-	**38.62**
7	उपयोगिताएँ और सड़क निर्माण कार्य	**2,563.96**	**1,560.86**	-	-	**4,124.82**
8	भू-तकनीकी जांच और सिविल कार्य	**162.96**	**14.44**	-	-	**177.40**
9	वृक्षारोपण (वृक्षारोपण सहित)	**6.94**	**953.96**	-	-	**960.90**
10	ब्याज आय – बीएसआरपी	**(3,945.38)**	**(1,558.75)**	-	-	**(5,504.13)**
11	रोलिंग स्टॉक	**46.13**	**28.78**	-	-	**74.90**
	कुल	**4,910.51**	**10,020.43**	**26.12**	-	**14,904.82**

क्रम संख्या	**सीबल्यूआईपी अवधि अनुसूची:**	दिनांक 31.03.2024 को				कुल
	सीबल्यूआईपी (संचयी परियोजना)	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	प्रगति पर परियोजनाएं					
	बेंगलुरु उपनगरीय परियोजनाएं	**25,789.55**	**9,994.31**	**1,154.24**	**3,756.27**	**40,694.37**
2	अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
		25,789.55	**9,994.31**	**1,154.24**	**3,756.27**	**40,694.37**

क्रम संख्या	सीडबल्यूआईपी अवधि अनुसूची:	दिनांक 31.03.2024 को				कुल
	सीडबल्यूआईपी (संचयी परियोजना)	1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	प्रगति पर परियोजनाएं बेंगलुरु उपनगरीय परियोजनाएं	**9,994.31**	**1,154.24**	**2,486.56**	**1,269.71**	**14,904.82**
2	अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
		9,994.31	**1,154.24**	**2,486.56**	**1,269.71**	**14,904.82**

स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी:

भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस)–23 के अनुसार उधार लागत ब्याज आय 495.93 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 1,558.75 रुपये) वर्ष के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित कर दी गई है और परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के समय उधार लागत के मुकाबले समायोजित की जाएगी।

टिप्पणी 3(ई). विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां:

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2024 तक	वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन	स्थानांतरण/ हटाना	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31.03.2025 को
विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां:					
एसएपी सॉफ्टवेयर	**306.79**	**342.02**	**-**	**-**	**648.81**
कुल	**306.79**	**342.02**	**-**	**-**	**648.81**

विवरण	31.03.2024 तक	वर्ष के दौरान - किए गए परिवर्धन	स्थानांतरण/ हटाना	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31.03.2025 को
विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां:					
एसएपी सॉफ्टवेयर	-	**306.79**	-	-	**306.79**
कुल	-	**306.79**	-	-	**306.79**

स्पष्टीकरणात्मक नोट्स:

एसएपी सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के लिए किए गए खर्च को विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि उक्त सॉफ्टवेयर विकास के चरण में है।

क्रम संख्या	विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां आयु निर्धारण अनुसूची:	दिनांक 31.03.2025 तक				कुल
	सीडब्ल्यूआईपी	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	प्रगति पर परियोजनाएं एसएपी सॉफ्टवेयर	342.02	306.79	-	-	648.81
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
		342.02	**306.79**	**-**	**-**	**648.81**

क्रम संख्या	विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां आयु निर्धारण अनुसूची:	दिनांक 31.03.2024 तक				कुल
	सीडब्ल्यूआईपी	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
1	प्रगति पर परियोजनाएं एसएपी सॉफ्टवेयर	306.79	-	-	-	306.79
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
		306.79	**-**	**-**	**-**	**306.79**

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

4. गैर–चालू निवेश:

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2025 तक	दिनांक 31 मार्च 2024 तक	दिनांक 01.04 2023 को
इक्विटी उपकरण – अपुष्ट (पूर्ण भुगतान, ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर):			
(क) हसन मंगलौर रेल विकास कंपनी	200.00	200.00	200.00
20,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का	-	-	
(ख) बी–राइड (के–राइड की 100% सहायक कंपनी)			-
1,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का			
	200.00	**200.00**	**200.00**

नोट: इंड एएस 101 के पैरा डी15 में निर्दिष्ट अनुसार, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश।
पहली बार इंड एएस अपनाने वाली कंपनी अपने अलग प्रारंभिक इंड एएस बैलेंस शीट में निम्न में से किसी एक राशि पर निवेश का मूल्यांकन करती है:
(क) इंड एएस 27 के अनुसार निर्धारित लागत; या
(ख) अनुमानित लागत। ऐसे निवेश की अनुमानित लागत होगी:
(i) इकाई के अलग वित्तीय विवरणों में इंड एएस में संक्रमण की तिथि पर उसका उचित मूल्य; या
(ii) उस तिथि पर पूर्व GAAP वहन मूल्य।
पहली बार अपनाने वाला प्रत्येक सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी में अपने निवेश को मापने के लिए उपरोक्त (ळ) या (ळळ) में से किसी एक को चुन सकता है,
जिसे वह अनुमानित लागत का उपयोग करके मापना चाहता है।
तदनुसार, कंपनी ने अपने सभी निवेशों को उनके पूर्व GAAP वहन मूल्य पर मापने का विकल्प चुना है।

5. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2025 तक	दिनांक 31 मार्च 2024 तक	दिनांक 01.04 2023 को
सुरक्षा जमा – किराया	100.55	92.67	82.14
	100.55	**92.67**	**82.14**

6. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2025 तक	दिनांक 31 मार्च 2024 तक	दिनांक 01.04 2023 को
i) **आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ**			
(क) अवशोषित नहीं मूल्यह्रास	49.88	46.71	-
(ख) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	16.85	14.28	-
(ग) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	37.51	28.92	-
(घ) अन्य	134.44	144.30	-
उप–योग (i)	**238.67**	**234.200**	**-**
ii) **आस्थगित कर देयताएं**			
(क) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	5.84	30.23	-
उप–योग (ii)	**5.84**	**30.23**	**-**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	**232.83**	**203.97**	**-**

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के पास ₹203.24 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹192.68 लाख रुपये) का अशोषित मूल्यह्रास है। अप्रयुक्त मूल्यह्रास को कर योग्य आय के विरुद्ध असीमित अवधि तक समायोजित किया जा सकता है, जबकि ₹1,162.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹1,085.04 लाख रुपये) की अप्रयुक्त व्यावसायिक हानि को हानि होने की तिथि से अधिकतम आठ वर्षों तक कर योग्य आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, अतः व्यावसायिक हानि पर आस्थगित कर को मान्यता नहीं दी गई है।

स्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे उस सीमा तक कम किया जाता है जहाँ तक यह संभावना न रह जाए कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे आस्थगित कर परिसंपत्ति का पूर्ण या आंशिक उपयोग किया जा सके।अपुष्ट आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किया जाता है और उन्हें उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ तक यह संभावना हो जाती है कि भविष्य के कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की अनुमति देंगे।

कर व्यय/(आय) और भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए लेखा लाभ का मिलान।

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2024 को
कर से पूर्व लाभ/(हानि)			
कंपनी की घरेलू कर दर 25.168% (पूर्वोत्तर वर्ष 25.168%) का उपयोग करके कर	998.19	1,170.33	(324.81)
कर प्रभाव:			
ग्रेच्युटी प्रावधान			
छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	16.85	14.28	-
आयकर और कंपनी अधिनियम के तहत अलग-अलग मूल्यह्रास दर के कारण प्रभाव	37.51	28.92	-
अन्य	49.88	46.71	-
लाभ एवं हानि विवरण में कुल कर व्यय/(आय)	134.44	114.07	-
	238.67	**203.97**	**-**

7. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2024 को
i) **पूंजी अग्रिम**			
सुरक्षित, मान्य माना गया			
अग्रिम संग्रहण (बैंक गारंटी द्वारा सुरक्षित)	4,557.67	4,893.01	2,556.59
असुरक्षित, मान्य माना गया			
केआईएडीबी को अग्रिम	23,769.41	3,393.44	20,384.31
बीडीए भूमि के लिए अग्रिम		-	642.99
परिसर की दीवार का निर्माण – लिडकार (डीसीडब्ल्यू)	74.30	74.30	74.30
परिसर की दीवार का निर्माण – बीडब्ल्यूएसएसबी (डीसीडब्ल्यू)	-	65.00	65.00
जमा अंशदान कार्य – बीडब्ल्यूएसएसबी	4,596.04	1,588.94	-
जमा अंशदान कार्य – केपीटीसीएल	2,720.25	663.59	663.59
कोर-2-बीएसआरपी को रक्षा भूमि के हस्तांतरण के लिए अग्रिम	10,261.40	10,261.40	-
ii) **जमा और अन्य**			
सुरक्षित जमा	94.25	0.23	0.23
	46,073.31	**20,939.89**	**24,387.01**

8. इन्वेंट्री

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2024 को
भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का स्टॉक (लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो कम हो, उस पर मूल्यांकित)	1,354.14	1,743.40	1,804.93
	1,354.14	**1,743.40**	**1,804.93**

9. व्यापार प्राप्य

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2024 को
असुरक्षित, अच्छी स्थिति में मानी गई			
व्यापार प्राप्य	12,163.07	9,555.93	-
ऋण बाधित	-	-	-
व्यापार प्राप्य ऋण बाधित	-	-	-
घटाएँ: ऋण हानि के लिए भत्ता प्रावधान			
	12,163.07	**9,555.93**	**-**

व्यापार प्राप्य बकाया राशि के आयु निर्धारण के लिए नोट 9– देखें

10. नकद और नकद समतुल्य

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2024 को
नकद और नकद समतुल्य			
हाथ में नकद	0.12	0.12	0.53
बैंकों में शेष राशि:			
–चालू खाते और बचत खातों में	32.773.06	32.709.29	14.39.43
–जमा खातों में (परिपक्वता अवधि 3 से कम) (महीने)	-	3.000.00	-
	32,773.18	**35.709.41**	**14,539.96**

11. अन्य बैंक शेष

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2024 को
– जमा खातों में (परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम)*	-	20,100.00	38,000.00
*उल्लिखित जमा खातों में जमा राशि एमओआर और जीओके से बीएसआरपी परियोजना के लिए प्राप्त हुई है।			
	-	**20,100.00**	**38,000.00**

12. चालू – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2024 को
असुरक्षित, अच्छी स्थिति में मानी गई			
अन्य			
सुरक्षा जमा – किराया	-	7.74	7.74
अन्य अग्रिम	20.30	18.76	17.65
	20.30	**26.50**	**25.39**

13. चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2024 को
टीडीएस क्रेडिट सी/एफ – एसडब्ल्यूआर	11.79	79.99	168.93
आयकर – वापसी योग्य	233.27	801.23	613.24
	245.06	**881.22**	**782.17**

14. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2025 को	दिनांक 31 मार्च 2024 को	दिनांक 01 अप्रैल 2024 को
सुरक्षित, अच्छी स्थिति में			
भौतिक अग्रिम (क्षतिपूर्ति बांड द्वारा सुरक्षित)	1,081.59	1,134.25	1,717.86
असुरक्षित, अच्छी स्थिति में			
जमा अंशदान कार्य – टीईजीडीसी	-	11.24	11.24
जमा अंशदान कार्य – बीबीएमपी	1,581.37	1.22	-
जमा – मध्यस्थता केंद्र कर्नाटक	-	-	5.54
जमा – वृक्ष अधिकारी एवं डीसीएफ बीबीएमपी बैंगलोर	-	-	94.00
एमओआर से प्राप्य – दोहरीकरण परियोजना	-	-	6,500.00
अग्रिम – इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.54	2.54	-
अग्रिम – बीडीए – क्षतिपूर्ति वनीकरण	486.81		
अग्रिम – राष्ट्रीय सूचना केंद्र सेवाएँ इंक.	3.84	-	-
एसडब्ल्यूआर से वसूली योग्य – धारवाड़ बेलगम नई लाइन परियोजना	36.51	36.51	36.51
(मेसर्स द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) और डीपीआर की तैयारी के लिए) (राइट्स लिमिटेड)	2.68	7.22	25.21
अन्य प्राप्य	95.22	20.92	23.42
पूर्वदेय व्यय	12.95	853.17	1,264.42
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	3.99	8.97	97.92
जुटाव अग्रिम पर अर्जित ब्याज			
वैधानिक प्राधिकरणों के पास शेष राशि			
जीएसटी – इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर	1,019.39	1,036.25	-
अग्रिम पर भुगतान किया गया जीएसटी	222.34	542.68	882.57
अदावाकृत जीएसटी इनपुट	62.93	3.11	182.00
असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	299.54	299.54	-
वसूली–आरएमएनआईएल–बीआईडीपीएल (संयुक्त उद्यम)			
	4,911.71	**3,957.60**	**10,840.70**

15. शेयर पूंजी

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को		दिनांक 31.03.2024 को	
	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)	शेयरों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)
(i) **अधिकृत:** 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च 2024 – 500,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का)	**5,00,00,00,000**	**5,00,000.00**	**5,00,00,00,000**	**5,00,000.00**
	5,00,00,00,000	**5,00,000.00**	**5,00,00,00,000**	**5,00,000.00**
(ii) **जारी, अभिस्वीकृत और भुगतान किये गये :** 1,01,03,92,157 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च 2024 – 3,00,00,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10 रुपये मूल्य का)	**1,01,03,92,157**	**1,01,039.22**	**1,01,03,92,157**	**1,01,039.22**
	1,01,03,92,157	**1,01,039.22**	**1,01,03,92,157**	**1,01,039.22**
(iii) **शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान:**				
प्रारंभिक शेयर पूंजी	1,01,03,92,157	1,01,039.22	3,00,00,000	3,000.00
जोड़ें: शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान जारी/अधिग्रहित शेयर पूंजी			98,03,92,157	98,039.22
समापन शेयर पूंजी	**1,01,03,92,157**	**1,01,039.22**	**1,01,03,92,157**	**1,01,039.22**

(iv) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर:	51,53,00,000	51,530.00	51,53,00,000	51,530.00
कर्नाटक के राज्यपाल/कर्नाटक सरकार (जीओके) 51%				
रेल मंत्री/भारत के राष्ट्रपति (जीओआई) 49%	**49,50,92,157**	**49,509.22**	**49,50,92,157**	**49,509.22**

इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम/अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के शेयर हैं, अर्थात् इक्विटी शेयर, जिनका अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य लेनदारों को वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों (या) प्रवर्तकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कंपनी के अभिलेखों के अनुसार, जिसमें शेयरधारकों/सदस्यों का रजिस्टर भी शामिल है, उपरोक्त शेयरधारिता पैटर्न बैलेंस शीट की तिथि पर शेयरों के कानूनी स्वामित्व को दर्शाता है, जिसमें भारत सरकार/कश्मीर सरकार के नामांकित व्यक्तियों का स्वामित्व भी शामिल है।

1. बैलेंस शीट तैयार करने की तिथि से ठीक पहले के 5 वर्षों की अवधि के दौरान:
   (i) किसी भी श्रेणी के शेयरों को नकद भुगतान प्राप्त किए बिना अनुबंध के अनुसार पूर्ण रूप से भुगतानित शेयरों के रूप में आवंटित नहीं किया गया था।
   (ii) किसी भी श्रेणी के शेयरों को नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए बोनस शेयरों के रूप में पूर्ण रूप से भुगतानित शेयरों के रूप में आवंटित नहीं किया गया था।
   (iii) कंपनी द्वारा किसी भी श्रेणी के शेयरों को वापस नहीं खरीदा गया था।
2. कोई भी कॉल बकाया नहीं है।
3. कोई भी शेयर जब्त नहीं किया गया है।

16. अन्य इक्विटी

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
प्रतिधारित आय			
प्रारंभिक शेष	2,110.62	741.37	1,067.66
जोड़ें: चालू वर्ष का लाभ	1,027.05	1,374.30	(326.29)
जोड़ें: वर्ष की अन्य व्यापक आय	18.28	(5.06)	-
अंतिम शेष	**3,155.95**	**2,110.62**	**741.32**
अन्य आरक्षित निधि			
प्रारंभिक शेष	14,479.26	14,066.50	-
जोड़ें: अन्य व्यापक आय			
ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण (OCI पर माना गया)	42,064.40	412.77	20,216.72
– अन्य	-	-	(6,150.23)
अंतिम शेष	**56,543.66**	**14,479.26**	**14,066.50**
अंतिम शेष	**59,699.61**	**16,589.88**	**14,807.86**

नोट: अन्य आरक्षित निधि

कंपनी को कर्नाटक सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण प्राप्त हुआ है। कर्नाटक सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण को इंड एएस सिद्धांतों के अनुसार उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है। उक्त ऋण की अंकित राशि और उचित मूल्य के बीच के अंतर को इंड एएस सिद्धांतों को अपनाने के वर्ष में आरक्षित निधि और अधिशेष के अंतर्गत अन्य इक्विटी/अन्य आरक्षित निधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

17. शेयर आवेदन राशि आवंटन के लिए लंबित

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
प्रारंभिक शेष	-	**5,000.00**	**5,000.00**
जारी की गई इक्विटी शेयर पूंजी –	-	**(5,000.00)**	-
अंतिम शेष:	-	-	**5,000.00**

स्पष्टीकरणात्मक नोट्स :–

1. वर्तमान तिथि तक अधिकृत शेयर पूंजी की शेष राशि 398,960.78 लाख रुपये है (पिछले वर्ष की तुलना में 497,000.00 लाख रुपये)।
2. भारत सरकार और कर्नाटक सरकार से समान अंशदान प्राप्त होने पर शेयर जारी किए जाएंगे।

18. दीर्घकालिक ऋण

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
दीर्घकालिक ऋण – असुरक्षित चीन सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण चीन सरकार से अग्रिम – बीएसआरपी परियोजना – भूमि अधिग्रहण (जमीन अधिग्रहण के लिए भारत सरकार से प्राप्त धनराशि में से 500 करोड़ रुपये को शेयरों के आवंटन हेतु इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि भारत सरकार के आदेश संख्या UDD 158 PRJ 2020 दिनांक 21.07.2023 और UDD 158 PRJ 2020 P1 दिनांक 8.11.2023 के अनुसार है।) (सरकारी आदेश संख्या UDD 27 PRJ 2020 बेंगलुरु दिनांक 07.07.2020 के अनुसार स्वीकृत वित्तपोषण पैटर्न के तहत अधीनस्थ ऋण के रूप में वर्गीकृत)	21,391.17	3,997.76	51,855.82
वित्तपोषण मंत्रालय से अनुदान – बीएसआरपी वित्तपोषण मंत्रालय से अनुदान – बीएसआरपी (97वीं बोर्ड बैठक में यह संकल्प लिया गया कि के–राइड में जीओके और एमओआर द्वारा बीएसआरपी के तहत इक्विटी निवेश के लिए शेयरों का आवंटन के–राइड के एओए में निहित प्रावधानों के अनुसार 51:49 के अनुपात में होगा और बीएसआरपी के तहत इक्विटी के लिए असमान शेयरधारिता से बचने के लिए। यह भी संकल्प लिया गया कि बीएसआरपी के तहत जीओके की 50% इक्विटी हिस्सेदारी, जो समय–समय पर बीएसआरपी के तहत जारी की जाती है, को 51% इक्विटी माना जाएगा और एमओआर की आनुपातिक 49% इक्विटी की गणना बीएसआरपी के तहत एमओआर की 50% इक्विटी हिस्सेदारी, जो समय–समय पर जारी की जाती है, और शेष अतिरिक्त राशि से की जाएगी।) समय–समय पर बीएसआरपी के तहत एमओआर से प्राप्त इक्विटी को एमओआर से प्राप्त अनुदान माना जाएगा।	1,960.78	1,960.78	-
	23,351.95	**5,958.54**	**51,855.82**

19. पट्टा देनदारियां

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
गैर–चालू पट्टा देनदारी	9.00	29.05	145.90
	9.00	29.05	145.90
चालू पट्टा देनदारी	20.05	141.33	116.82
	20.05	**141.33**	**116.82**

20. गैर–चालू – अन्य वित्तीय देनदारियां

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
सुरक्षा जमा	990.63	1,573.22	1,115.03
	990.63	**1,573.22**	**1,115.03**

नोट: उचित मूल्यांकन के उद्देश्य से, 50 लाख से अधिक की सुरक्षा जमा राशियों को ध्यान में रखा जाता है।

21. अन्य गैर–चालू देनदारियां

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
स्थगित आय	151.55	159.11	108.51
	151.55	**159.11**	**108.51**

22. प्रावधान

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
कर्मचारी लाभों के लिए (गैर–चालू)			
अवकाश नकदीकरण	145.19	103.08	56.96
ग्रेच्युटी	66.78	51.35	26.43
	211.97	**154.43**	**83.39**
कर्मचारी लाभों के लिए (चालू)			
अवकाश नकदीकरण	3.84	11.82	7.09
ग्रेच्युटी	0.16	5.39	0.12
अन्य (अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान)	65.36	70.21	74.46
कुल (i)	**69.36**	**87.42**	**81.67**
अन्य प्रावधान			
अनुबंध भुगतान के लिए प्रावधान	1,683.68	1,455.43	1,004.30
मध्यस्थता के लिए प्रावधान	25.00	25.00	-
कुल (ii)	**1,708.68**	**1,480.43**	**1,004.30**
कुल (i) + (ii)	**1,778.04**	**1,567.85**	**1,085.97**

23. अल्पकालिक ऋण

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
मांग पर चुकाने योग्य ऋण			
असुरक्षित:			
बैंक ओवरड्राफ्ट	0.19	0.21	-
	0.19	**0.21**	**-**

24. व्यापार देय राशियाँ

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशियाँ।	147.38	385.48	176.14
ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशियाँ।	498.77	509.18	678.42
	646.16	**894.66**	**854.57**

व्यापार देय राशियों के बकाया आयु निर्धारण अनुसूची के लिए नोट 24ए देखें

25. अन्य चालू देयताएँ

विवरण	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को	दिनांक 01.04.2023 को
दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए अग्रिम	159.03	13,437.11	23,130.49
मार्गदर्शन मंत्रालय से अग्रिम – दोहरीकरण परियोजना		-	
दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) – सामग्री	169.63	145.33	-
ईएमडी	115.19	13.11	12.44
कर्मचारी संबंधी देयताएं	40.56	44.18	17.00
धारण देयता	152.60	87.80	70.22
सुरक्षा जमा	2,579.07	896.08	-
दावणगेरे–हरिहर यूडीए देयता	37.09	37.09	37.09
रोकी गई राशियां	599.25	512.69	129.16
भारत सरकार से लिए गए ऋणों पर देय प्रबंधन शुल्क			
– केएफडब्ल्यू ओडीए ऋण	-	-	
भूमि सुधार एवं पुनर्निर्माण मुआवजा देयता	972.00	294.47	-
अन्य देयताएं	9.70	151.51	-
वैधानिक प्रेषण:	43.43	162.77	71.72
स्रोत पर कर कटौती देयता	291.05	270.06	107.60
वस्तु एवं सेवा कर देयता	204.57	101.31	495.11
जीएसटी टीडीएस देयता	197.02	185.79	58.94
श्रम उपकर	111.17	65.53	28.76
रॉयल्टी देय	74.82	62.79	-
अन्य	1,379.09	1.76	0.23
	7,135.27	**16,469.40**	**24,158.76**

26. परिचालन से राजस्व

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
निर्माण राजस्व – दोहरीकरण परियोजना	21,920.52	18,855.36
	21,920.52	**18,855.36**

27. अन्य आय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क) ब्याज आय		
बैंक जमा पर	1,577.52	3,451.04
ख) अन्य गैर–परिचालन आय		
आयकर वापसी पर ब्याज	44.65	32.86
सुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज	11.06	7.02
स्वीकृत सुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज	102.67	56.50
विविध आय	42.26	23.75
	1,778.17	**3,571.17**

28. परिचालन व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
निर्माण व्यय – दोहरीकरण परियोजना	19,688.13	16,111.40
उपभोग की गई सामग्री की लागत		
भंडार और अतिरिक्त सामग्री		
प्रारंभिक स्टॉक	1,743.40	1,804.93
वर्ष के दौरान की गई खरीद	82.25	1,366.13
घटाएँ: अंतिम स्टॉक	1,354.14	1,743.40
	471.51	**1,427.66**
	20,159.64	**17,539.06**

29. कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और भत्ते	1,168.95	827.70
पीएफ/एनपीएस में अंशदान, ग्रेच्युटी	69.49	56.29
कर्मचारी कल्याण व्यय	15.76	5.22
	1,254.19	**889.21**

30. वित्त लागत

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
पट्टे की देनदारी पर ब्याज व्यय	9.12	18.05
अधीनस्थ ऋण के उचित मूल्य पर ब्याज व्यय	457.81	2,012.89
सुरक्षा जमा के उचित मूल्य पर ब्याज व्यय	101.61	52.99
	568.53	**2,083.92**

31. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4.09	5.08
अमूर्त संपत्तियां	0.05	0.21
आरओयू (भूमि)	4.85	4.47
	8.98	**9.75**

32. अन्य व्यय:

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षा शुल्क	2.51	2.46
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	4.26	2.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	2.00	0.77
विज्ञापन	12.90	15.41
मध्यस्थता	-	25.00
बैंक शुल्क	0.58	0.01
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	0.89	1.36
सीआरएस निरीक्षण	-	0.48

निदेशकों की बैठक का शुल्क	1.70	1.09
बिजली शुल्क	9.24	9.16
बीमा	23.51	20.82
सदस्यता शुल्क का भुगतान	0.04	0.04
कार्यालय रखरखाव	63.33	56.04
मुद्रण एवं स्टेशनरी	36.95	28.39
पेशेवर एवं परामर्श सेवाएं	30.02	14.23
परियोजना प्रबंधन परामर्श – शुल्क दोगुना	192.37	157.32
दरें एवं कर	1.15	105.74
किराया एवं सार्वजनिक क्षेत्र रखरखाव	31.76	26.78
प्रतिधारण शुल्क	46.85	50.56
आरओसी फाइलिंग शुल्क	0.22	0.46
सुरक्षा शुल्क – स्टोर	3.78	4.12
सॉफ्टवेयर व्यय	0.98	0.33
टेलीफोन एवं इंटरनेट शुल्क	13.21	11.28
यात्रा एवं परिवहन	227.29	200.39
प्रदर्शनी व्यय –बीएसआरपी	3.61	-
	709.15	**734.25**

अ. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान परियोजनाओं (जैसे दोहरीकरण और बीएसआरपी) से संबंधित व्यय का आवंटन निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

1) किसी विशेष परियोजना से सीधे संबंधित व्यय पूरी तरह से उसी परियोजना को आवंटित किया गया है।

2) कर्मचारियों से संबंधित व्यय (जैसे वेतन, कर्मचारियों को व्यय की प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति लाभ आदि) को उस विशेष परियोजना में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है, जबकि निदेशक (पी एंड पी) के व्यय को 67:33 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात बीएसआरपी के लिए 67% और दोहरीकरण के लिए 33% – वर्ष के दौरान उस विशेष परियोजना पर किए गए व्यय के आधार पर)। वित्त, मानव संसाधन, आईटी, प्रशासन और सामान्य ओवरहेड जैसे सहायक विभागों से संबंधित व्यय को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

3) परियोजना से संबंधित व्यय जैसे मूल्यह्रास, परिसंपत्ति बीमा और सॉफ्टवेयर लाइसेंस को 95:05 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात् बीएसआरपी के लिए 95% और डबलिंग के लिए 5% – जो किसी विशेष परियोजना की कुल लागत है)।

4) किराया और साझा क्षेत्र रखरखाव, बिजली शुल्क, कर्मचारी बीमा, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क आदि जैसे व्यय, जो ऊपर शामिल नहीं हैं, को 46:33:21 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात् बीएसआरपी के लिए 46%, डबलिंग के लिए 33% और साझा क्षेत्र के लिए 21%)।

5) आनुपातिक लागत सहित बीएसआरपी से संबंधित सभी व्यय पूंजीगत कार्य प्रगति में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।
जबकि, दोहरीकरण/प्रशासनिक एवं सामान्य ओवरहेड व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।

ब. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान परियोजनाओं (जैसे डबलिंग और बीएसआरपी) से संबंधित व्यय का आवंटन निम्नलिखित आधार पर किया गया है:

1) किसी विशेष परियोजना से सीधे संबंधित व्यय पूरी तरह से उसी परियोजना को आवंटित किया गया है।

2) कर्मचारियों से संबंधित व्यय (जैसे वेतन, कर्मचारियों को व्यय की प्रतिपूर्ति, सेवानिवृत्ति लाभ आदि) को उस विशेष परियोजना में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की संख्या के आधार पर विभाजित किया गया है, जबकि निदेशक (पी एंड पी) का व्यय 69:31 के अनुपात में विभाजित किया गया है (अर्थात बीएसआरपी के लिए 69% और डबलिंग के लिए 31% – वर्ष के दौरान उस विशेष परियोजना पर किए गए व्यय के आधार पर)। वित्त, मानव संसाधन, आईटी, प्रशासन और सामान्य ओवरहेड जैसे सहायक विभागों से संबंधित व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।

3) मूल्यह्रास, परिसंपत्ति बीमा और सॉफ्टवेयर लाइसेंस जैसे परियोजना से संबंधित व्यय को 95:05 के अनुपात में विभाजित (अर्थात् बीएसआरपी के लिए 95% और दोहरीकरण के लिए 5% – जो किसी विशेष परियोजना की कुल परियोजना लागत है)।

4) किराया और साझा क्षेत्र रखरखाव, बिजली शुल्क, कर्मचारी बीमा, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क आदि जैसे व्यय, जो ऊपर शामिल नहीं हैं, कर्मचारी अनुपात के अनुसार 49:32:19 के अनुपात में विभाजित किए गए हैं (अर्थात् बीएसआरपी के लिए 49%, दोहरीकरण के लिए 32% और साझा क्षेत्र के लिए 19%)।

5) बीएसआरपी से संबंधित सभी व्यय, जिनमें आनुपातिक लागत भी शामिल है, पूंजीगत कार्य प्रगति में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जबकि दोहरीकरण/प्रशासन और सामान्य ओवरहेड व्यय लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।

स.	रिपोर्टिंग तिथि तक प्रगति पर चल रही दोहरीकरण परियोजनाओं का विवरण:	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	कुल व्यय लागत:	₹ 52,434.28	₹ 32,082.26
(ख)	रिपोर्टिंग तिथि तक मान्यता प्राप्त लाभ (मान्यता प्राप्त हानियों को घटाकर):	₹3,462.89	₹ 1,894.39
(ग)	प्राप्त अग्रिम राशि:	₹ 159.03 13	₹ 437.11
घ)	संचित राशि:	₹141.52	₹ 77.29

33. **पहली बार इंड एएस को अपनाना**

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के ये समेकित वित्तीय विवरण, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों का पहला सेट है जो भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) के अनुरूप है। भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) में परिवर्तन के उद्देश्य से, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) 101 – भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना, में निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन किया है, जिसमें 1 अप्रैल 2023 को परिवर्तन तिथि और पूर्व में भारतीय लेखा मानक (आईजीएएपी) के रूप में भारतीय लेखा मानक (जीएएपी) को शामिल किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, उनके नोट्स में प्रकटीकरण और लेखांकन नीतियों और सिद्धांतों में परिवर्तन हुए हैं। नोट 1 में निर्धारित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण और तुलनात्मक जानकारी तैयार करने में लागू किया गया है। निम्नलिखित का स्पष्टीकरण:

पूर्व जीएएपी से इंड–एएस में परिवर्तन ने कंपनी की बैलेंस शीट, लाभ–हानि विवरण और (इंड–एएस) 101 के अनुसार इंड–एएस को पहली बार अपनाने पर प्राप्त छूटों पर क्या प्रभाव डाला है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

34. **इंड–एएस 101 को पहली बार अपनाने पर प्राप्त छूटें**

इंड–एएस 101, इंड–एएस के अंतर्गत कुछ आवश्यकताओं के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से कुछ छूटें प्रदान करता है।

कंपनी ने तदनुसार निम्नलिखित छूटों का उपयोग किया है।

34(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित लागत: कंपनी ने इंड–एएस 101 के परिशिष्ट ऊके पैरा ऊ7–– के तहत छूट का लाभ उठाया है, जो पहली बार अपनाने वाले को खछऊ–ड में संक्रमण की तिथि पर अपने झझए के वहन मूल्य को पिछले ऋ––झ के अनुसार मापते रहने की अनुमति देता है।

34(ख) प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन: वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण इंड–एएस में संक्रमण की तिथि पर मौजूद तथ्यों के आधार पर किया गया है।

इसके अतिरिक्त पैरा B8C और पैरा D20 के तहत छूट संक्रमण की तिथि को या उसके बाद किए गए लेन–देन पर खछऊ–ड 109 की आवश्यकताओं के भावी अनुप्रयोग की अनुमति देती है।

34(ग) निवेश:

इंड एएस 101 के पैरा डी15 में निर्दिष्ट अनुसार, 'सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश' पहली बार इंड एएस अपनाने वाली कंपनी अपने अलग प्रारंभिक इंड एएस बैलेंस शीट में निवेश को निम्नलिखित में से किसी एक राशि पर मापती है:

(क) इंड एएस 27 के अनुसार निर्धारित लागत; या

(ख) अनुमानित लागत। ऐसे निवेश की अनुमानित लागत निम्न होगी:

(I) कंपनी के अलग वित्तीय विवरणों में इंड एएस में परिवर्तन की तिथि पर उसका उचित मूल्य; या

(ii) उस तिथि पर पिछला जीएएपी वहन मूल्य।

पहली बार इंड एएस अपनाने वाली कंपनी प्रत्येक सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी संस्था में अपने निवेश को मापने के लिए ऊपर दिए गए (i) या (ii) में से किसी एक को चुन सकती है,

जिसका मूल्यांकन वह अनुमानित लागत का उपयोग करके करना चाहती है।तदनुसार, कंपनी ने अपने सभी निवेशों को उनके पिछले जीएएपी वहन मूल्य पर मापने का विकल्प चुना है।

35. **मिलान**

निम्नलिखित मिलान, इंड एएस 101 के अनुसार आईजीएएपी से इंड एएस में परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाते हैं:

क) 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 को इक्विटी

ख) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय

ग) 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 को कुल इक्विटी

घ) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ

35 (क). इक्विटी मिलान

विवरण	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 01.04.2023 तके
पिछली जीएएपी के अनुसार इक्विटी	10,50,96,10,204	37,41,36,759
इंड एएस समायोजन	1,25,32,99,163	1,40,66,49,534
उचित मूल्य समायोजन:		
दी गई सुरक्षा जमा	27,42,646	20,40,938
पट्टे	1,87,41,183	2,09,92,864
ऋण पर ईआईआर समायोजन का प्रभाव	(60,72,53,965)	(60,72,53,965)
आरओयू परिसंपत्ति का परिशोधन	(2,42,05,384)	(3,10,29,287)
स्वीकृत सुरक्षा जमा	5,78,353	2,26,615
ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण का उचित मूल्य – ओसीआई	1,86,16,60,347	2,02,16,72,369
स्थगित कर	10,35,982	-
इंड एएस के अनुसार इक्विटी	**11,76,29,09,367**	**1,78,07,86,293**

35 (बी). 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए कुल व्यापक आय का मिलान

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
पिछले जीएएपी के अनुसार कर पश्चात लाभ	33,15,51,875
इंड–एएस समायोजन	
उचित मूल्य समायोजन:	(19,41,21,386
सुरक्षा जमा	
पट्टे	10,53,446
अमोर्टाइजेशन	50,18,936
ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण	(4,46,716)
स्थगित कर	(20,12,88,785)
कर्मचारी लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	10,35,982
इंड–एएस के अनुसार कर पश्चात शुद्ध लाभ	5,05,748
अन्य व्यापक आय (कर रहित)	13,7430,490
	(5,05,748)
इंड–एएस के अनुसार कुल व्यापक आय	**13,69,24,742**

36. पूर्व जीएएपी और इंड–एएस के बीच सामंजस्य स्थापित करने संबंधी टिप्पणियाँ

36(क) सुरक्षा जमा

पूर्व जीएएपी के अंतर्गत, ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा को उनके लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है। इंड–एएस – 109 के अंतर्गत, ये जमा राशियाँ प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त करती हैं और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। तदनुसार, इन जमाओं के लेनदेन मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों या पूर्व भुगतान व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे क्रमशः पट्टे की अवधि या जमा समझौते की अवधि में परिशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सुरक्षा जमाओं के वर्तमान मूल्य पर ब्याज अर्जित किया जाता है। संक्रमण तिथि पर कंपनी ने सुरक्षा जमा पर छूट को समाप्त करने के लिए 22.67 लाख रुपये की राशि से सुरक्षा जमाओं के उचित मूल्य के लिए संचित आय को समायोजित किया है।

36(ख) पट्टा

पूर्व जीएएपी के तहत, पट्टेदार पट्टे को परिचालन पट्टा या वित्त पट्टा के रूप में वर्गीकृत करता था, इस आधार पर कि पट्टा किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े लगभग सभी जोखिमों और लाभों को हस्तांतरित करता है या नहीं। परिचालन पट्टों को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता था। इंड एएस–116 के लागू होने के बाद, उन परिचालन पट्टों के अलावा जिनके लिए कंपनी ने अल्पकालिक या कम मूल्य की छूट का विकल्प चुना है, कंपनी ने उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों को दर्ज किया है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का परिशोधन पट्टा अवधि या पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर किया जाता है और पट्टा देनदारियों का परिशोधन लागत पर किया जाता है और ब्याज व्यय को मान्यता दी जाती है। इंड एएस में संक्रमण के दौरान, पुस्तकों में दिखाई देने वाले पट्टे समतुल्य आरक्षित को उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के माध्यम से उलट दिया गया था। कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण (अर्थात पट्टे की देनदारियां = आरओयू) को चुना है और पट्टे की देनदारी का मापन संक्रमण की तिथि पर शेष पट्टे के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है।

36(ग) उधारों पर ईआईआर समायोजन का प्रभाव

पूर्व जीएएपी के तहत, उधारों पर होने वाली लेनदेन लागत लाभ और हानि विवरण में दर्ज की जाती थी, जबकि इंड एएस के तहत, ऐसी लागतें उधारों की प्रारंभिक मान्यता राशि में शामिल की जाती हैं और उधारों की अवधि के दौरान प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके ब्याज व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त होती हैं।

36(घ) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन

पूर्व जीएएपी के तहत, बीमांकिक लाभ और हानि लाभ और हानि विवरण में दर्ज किए जाते थे। इंड एएस के तहत, अधिनियमिक लाभ और हानि शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का हिस्सा बनते हैं, जिसे संबंधित अवधियों में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त होती है।

36(ङ) संचित आय

उपरोक्त इंड एएस समायोजन के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2023 तक संचित आय को समायोजित किया गया है।

36(च) सामग्री का पुनर्वर्गीकरण

इन वित्तीय विवरणों में, जहां भी आवश्यक हो, आय, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की संबंधित मदों के पुनर्वर्गीकरण द्वारा उचित समायोजन किए गए हैं, ताकि इन्हें इंड एएस की आवश्यकताओं के अनुरूप लाया जा सके।

वित्तीय विवरणों में दिए गए तुलनात्मक आंकड़े, इंड एएस के अनुसार सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए, पिछले जीएएपी के तहत संबंधित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवश्यक इंड एएस समायोजन करने के बाद संकलित किए गए हैं।

37. आईजीएएपी के तहत पहले रिपोर्ट की गई इक्विटी का इंड एएस से मिलान

विवरण	31.3.24 को समाप्त वर्ष तक पिछला जीएएपी	समायोजन	31.3.24 को समाप्त वर्ष तक पिछला इंड एएस	31.3.23 को समाप्त वर्ष तक पिछला जीएएपी	समायोजन	31.3.23 को समाप्त वर्ष तक पिछला इंड एएस
संपत्तियां						
गैर–चालू संपत्तियां						
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	35,831.56	-	35,831.56	6,568.62	-	6,568.62
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	14,892.10	12.72	14,904.82	4,910.51	-	4,910.51
(ग) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां	-	120.11	120.11	-	184.70	184.70
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	3.02		3.02	6.53	-	6.53
(ङ) विकास के अधीन अमूर्त संपत्तियां	306.79	-	306.79	-	-	-
(च) वित्तीय संपत्तियां	-	-	-			
(i) निवेश	200.00	-	200.00	200.00	-	200.00
I) अन्य वित्तीय संपत्तियां	21,037.01	(20,944.34)	92.67	24,484.12	(24,401.98)	82.14
(छ) आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)	193.61	10.36	203.97	-	-	-
(ज) अन्य गैर–चालू संपत्तियां	0.23	20,939.66	20,939.89	0.23	24,386.78	24,387.01
कुल	**72,464.31**	**138.52**	**72,602.83**	**36,170.01**	**169.49**	**36,339.50**
चालू संपत्तियां						
(क) इन्वेंट्री	1,743.40	-	1,743.40	1,804.93	-	1,804.93
(ख) वित्तीय संपत्तियां		-				
(i) व्यापार प्राप्य	9,555.93	-	9,555.93	-	-	-
(ii) नकद और नकद समतुल्य	35,709.41	-	35,709.41	14,539.43	-	14,539.43
(iii) अन्य बैंक शेष	20,100.00		20,100.00	38,000.53	-	38,000.53
(iv) अन्य वित्तीय संपत्तियां	26.50	-	26.50	25.39	-	25.39
(ग) चालू कर संपत्तियां (शुद्ध)	881.22	-	881.22	782.17	-	782.17
(घ) अन्य चालू संपत्ति	3,948.16	9.45	3,957.60	10,827.39	13.31	10,840.70
कुल	**71,964.62**	**9.45**	**71,974.07**	**65,979.84**	**13.31**	**65,993.15**
कुल संपत्ति	**1,44,428.94**	**147.96**	**1,44,576.91**	**1,02,149.85**	**182.80**	**1,02,332.63**
II. **इक्विटी और देनदारियां**						
(1) इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	1,01,039.22	-	1,01,039.22	3,000.00	-	3,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	4,056.89	12,532.99	16,589.88	741.37	14,066.50	14,807.86
कुल इक्विटी	**1,05,096.10**	**12,532.99**	**1,17,629.09**	**3,741.37**	**14,066.50**	**17,807.86**

(2) शेयर आवेदन राशि	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
आवंटन लंबित						
(3) देनदारियां						
(i) गैर–चालू देनदारियां						
(क) वित्तीय देनदारियां						
(I) उधारी	18,502.61	(12,544.06)	5,958.54	66,000.00	(14,144.18)	51,855.82
(ii) पट्टा देनदारियां	-	29.05	29.05	-	145.90	145.90
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	1,739.05	(168.83)	1,573.22	1,225.80	(110.78)	1,115.03
(ख) अन्य गैर–चालू देनदारियां	-	159.11	159.11	-	108.51	108.51
(ग) प्रावधान – गैर वर्तमान	154.43	-	154.43	83.39	-	83.39
कुल	**20,396.09**	**(12,521.74)**	**7,874.35**	**72,309.19**	**(14,000.55)**	**58,308.65**
(ii) चालू देनदारियां						
(क) वित्तीय देनदारियां						
(I) उधारी	0.21	-	0.21	-	-	-
(ii) पट्टा देनदारियां	-	141.33	141.33	-	116.82	141.33
(iii) व्यापार देय	-	(168.83)	1,573.22	1,225.80	(110.78)	1,115.03
– एमएसएमई की कुल बकाया राशि	385.48	-	385.48	176.14	-	176.14
– एमएसएमई के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	509.18 -	-	509.18	678.42	-	678.42
(ख) अन्य चालू देनदारियां	16,474.02	(4.62)	16,78.42	24,158.	-	24,158.
(ग) प्रावधान – वर्तमान	1,567.85	-	1,567.85	1,085.97	-	1,085.97
कुल	**18,936.74**	**136.71**	**19,073.45**	**26,099.30**	**116.82**	**26,216.13**
कुल इक्विटी और देनदारियां	**1,44,428.94**	**147.96**	**1,44,576.91**	**1,02,149.85**	**182.80**	**1,02,332.63**

38. लाभ और हानि विवरण पर प्रभाव के लिए पिछले जीएएपी और इंड–एएस के बीच सामंजस्य

विवरण	नोट संख्या	31.3.24 को समाप्त वर्ष तक पिछला जीएएपी	समायोजन	31.3.24 को समाप्त वर्ष तक पिछला इंड एएस
राजस्व:				
परिचालन से राजस्व	26	18,855.36	-	18,855.36
अन्य आय	27	3,507.65	63.52	3,571.17
कुल आय		**22,363.00**	**63.52**	**22,426.53**
व्यय :				
परिचालन व्यय	28	17,539.06	-	17,539.06
कर्मचारी लाभ व्यय	29	894.26	(5.06)	889.21
वित्तीय लागत	30	-	2,083.92	2,083.92
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	3 एवं 31	5.28	4.47	9.75
अन्य व्यय	32	802.49	(68.24)	734.25
कुल व्यय		**19,141.10**	**2,015.10**	**22,426.53**
असाधारण मदों और कर से पहले लाभ				
असाधारण मद		3,121.91	(1,951.57)	1,170.33
कर से पहले लाभ		**3,121.91**	**(1,951.57)**	**1,170.33**
कर व्यय:				
(1) चालू कर	6	(193.61)	(10.36)	(203.97)
(2) आस्थगित कर				
कर के बाद लाभ		**3,315.52**	**(1,951.57)**	**22,426.53**
अन्य व्यापक आय/(हानि)				
अ. (i) वे मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं किया जाएगा		-	(5.06)	(5.06)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर, जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं किया जाएगा		-	-	-
ब. वे मदें जिनका पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में किया जाएगा		-	-	-

कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)		-	**(5.06)**	**(5.06)**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	**(5.06)**	**1,369.25**

39. आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

विवरण	दिनांक 31 मार्च 2025 तक	दिनांक 31 मार्च 2024 तक
आकस्मिक देनदारियां:		
कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (मध्यस्थता के अधीन मामला/ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत दावे – इनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन द्वारा दावों को स्वीकार नहीं किया गया है)।	1,739.22	1,786.31
प्रतिबद्धताएँ:		
पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
क. मूर्त संपत्तियाँ (केवल स्वीकृत अनुबंध)	3,53,580.15	2,06,492.07
ख. अमूर्त संपत्तियां	71.31	388.24
अन्य प्रतिबद्धताएं (कार्य अनुबंध के कारण निष्पादित होने वाले और प्रावधानित नहीं किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि)	37,779.73	38,379.13

लेखा परीक्षक को भुगतान

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
1. वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क (जीएसटी सहित)	**2.51**	**2.36**
2. कर लेखापरीक्षा (जीएसटी सहित)	**2.00**	**0.77**
3. प्रमाणन (जीएसटी सहित)	**4.26**	**2.00**
	8.77	**5.13**

कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। व्यापार प्राप्य राशियों के संबंध में, कंपनी ग्राहकों को नियमित रूप से चालान/पुष्टिकरण पत्र भेजती है और भुगतान की अनिश्चितता होने पर, देय अवधि की परवाह किए बिना, प्रावधान किए जाते हैं और अप्राप्यता स्थापित होने पर उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। कुछ व्यापार प्राप्य राशियों का मिलान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार/अन्य देय राशियों और ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में, संबंधित पक्षों को शेष राशि की पुष्टिकरण पत्र भेजे गए थे। कुछ शेष राशियों की पुष्टि/मिलान किया जाना बाकी है। यदि कोई समायोजन आवश्यक हो, तो पुष्टि/मिलान के बाद उसका हिसाब किया जाएगा, जो प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रकटीकरण

40. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में सूचना

विवरण	2024–25	2023–24
1. किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया राशि:		
क) मूलधन	147.38	385.48
ख) उस पर देय ब्याज	-	-
2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज, साथ ही आपूर्तिकर्ता को निर्धारित तिथि के बाद भुगतान की गई राशि।	-	-
3. भुगतान में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज (जो भुगतान किया जा चुका है लेकिन निर्धारित तिथि के बाद) लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को शामिल किए बिना।	-	-
4. अर्जित और बकाया ब्याज की राशि।	-	-

5. आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान वास्तव में लघु उद्यम को नहीं हो जाता, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से देय ब्याज की राशि।	-	-

भारतीय लेखा मानकों की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ:

41. भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस–1) के संबंध में प्रकटीकरण वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना

41(क) पूंजी प्रबंधन:

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। कंपनी ऋण–इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी संरचना की निगरानी करती है, जो दीर्घकालिक ऋण को कुल मालिक की पूंजी से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। चालू वर्ष और पूर्व वर्ष के लिए ऋण–इक्विटी अनुपात अनुपातों का प्रकटीकरण तालिका में दर्शाया गया है।

41(ख) अनुपातों का प्रकटीकरण।

अनुपात विश्लेषण:		2024-25	% प्रतिशत	2023-24	% प्रतिशत
(क) चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	51,467.47	5.37	71,974.07	3.77
	चालू देनदारियाँ	9,579.70		19,073.45	
(ख) ऋण–इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	23,352.14	0.23	5,958.75	0.06
	शेयरधारक इक्विटी	1,01,039.22		1,01,039.22	
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	EBITDA – पूंजीगत व्यय	1,575.70	0.07	3,264.01	0.41
	ब्याज + मूलधन	23,920.67		8,042.67	
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल अनुपात, (आरओई)	शुद्ध आय	1,027.05	0.01	1,374.30	0.03
	औसत शेयरधारक इक्विटी	1,01,039.22		52,019.61	
(ई) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	सीओजीएस COGS	471.51	0.30	1,427.66	0.80
	औसत इन्वेंटरी	1,548.77		1,774.17	
(एफ) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री	21,920.52	2.02	18,855.36	3.95
	औसत प्राप्य खाते	10,859.50		4,777.97	
(जी) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद	19,770.38	25.66	17,477.53	19.98
	औसत देय खाते	770.41		874.62	
(ह) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	21,920.52	0.46	18,855.36	0.41
	औसत कार्यशील पूंजी	47,394.19		46,338.82	
(ख) शुद्ध लाभ अनुपात,	शुद्ध लाभ	1,027.05	0.05	1,374.30	0.07
	बिक्री	21,920.52		18,855.36	
(क्ष) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	EBIT	1,566.72	0.01	3,254.26	0.03
	नियोजित पूंजी	1,84,090.97		1,23,587.84	
(ज्ञ) निवेश पर प्रतिफल (रिटर्न)	प्रतिफल (लाभ)	1,027.05	0.01	1,374.30	0.01
	निवेश (लागत)	1,01,039.22		1,01,039.22	

अनुपात:	पिछले वर्ष की तुलना में 25% से अधिक के अनुपात परिवर्तन का स्पष्टीकरण:
(क) चालू अनुपात,	आमतौर पर, ऋण प्राधिकरण और भारत सरकार से अग्रिम रूप से धनराशि प्राप्त होती है। वर्ष 2023–24 में यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण व्यापार प्राप्य में वृद्धि और अन्य चालू देनदारियों में कमी आई।
(ख) ऋण–इक्विटी अनुपात,	वर्ष के दौरान अतिरिक्त अधिकार शेयरों के निर्गम के कारण।
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात,	भारत सरकार द्वारा दिए गए अधीनस्थ ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने से ऋण राशि में कमी आई है। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में वृद्धि के कारण डीएससीआर में सुधार हुआ है।
(घ) इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)	पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में वृद्धि के कारण आरओई में सुधार हुआ है।
(श) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात,	परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपभोग में वृद्धि के कारण
(ष) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात,	दोहराव परियोजना परियोजना राजस्व में वृद्धि और दोहरीकरण परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम राशि में कमी के कारण
(स) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात,	वर्ष के दौरान दोहरीकरण परियोजना।
(ह) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात,	परियोजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्रेडिट खरीद में वृद्धि के कारण
(ळ) शुद्ध लाभ अनुपात,	दोहराव परियोजना वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि के कारण।
(क्ष) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल,	वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि के कारण।
(ज्ञ) निवेश पर प्रतिफल।	वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि के कारण। वर्ष के दौरान परियोजना राजस्व में वृद्धि के कारण।

42. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–115) के संबंध में प्रकटीकरण: ग्राहक के साथ अनुबंध से राजस्व।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आय का विखंडन

ग्राहक का नाम	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	अनुबंध देनदारियां	व्यापार प्राप्य
निर्माण राजस्व	-	-	-
दोहरीकरण परियोजना	21,920.52	-	12,163.07

ग्राहक का नाम	वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	अनुबंध देनदारियां	व्यापार प्राप्य
निर्माण राजस्व			
दोहरीकरण परियोजना	18,855.36	-	9,555.93

43. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी एक अवसंरचना परियोजना विकास कंपनी है और वर्तमान में कर्नाटक सरकार (जीओके) और रेल मंत्रालय (एमओआर) के बीच नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। कंपनी का मुख्य व्यवसाय बेंगलुरु में एसपीवी के माध्यम से बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना का कार्यान्वयन करना है। के–राइड दो दोहरीकरण परियोजनाओं, (i) बैयप्पनहल्ली – होसुर (48 किमी) और (ii) यशवंतपुर – चन्नासंद्रा (21.7 किमी) के लिए एसडब्ल्यूआर की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है, जिनका निष्पादन लागत साझाकरण के आधार पर (जीओके से 50% और एमओआर से 50%) एसडब्ल्यूआर से के–राइड को हस्तांतरित किया गया है।

कंपनी भारत के भीतर काम करती है और उसके पास कोई अन्य कंपनी नहीं है। विभिन्न जोखिमों और प्रतिफल वाले आर्थिक वातावरण में परिचालन/परियोजनाओं में शामिल होने के कारण, इसे एक ही भौगोलिक और परिचालन खंड में कार्यरत माना जाता है।

तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दिखाई देने वाली राशियाँ कंपनी के एकल व्यावसायिक खंड से संबंधित हैं।

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–116) पट्टे के संबंध में प्रकटीकरण:कंपनी ने साइट कार्यालय और कार्यालय स्थान के लिए पट्टे/किराए पर परिसर लिया है। ये पट्टा व्यवस्थाएँ आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती हैं, लेकिन रद्द की जा सकती हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने साइट कार्यालय और कार्यालय स्थान के लिए पट्टे के आधार पर 70.59 लाख रुपये (पिछले वर्ष 74.98 लाख रुपये) का किराया अदा किया है।

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बीएसआरपी कॉरिडोर–2 के लिए 85.707 एकड़ रेलवे भूमि और बीएसआरपी कॉरिडोर–4 के लिए 115.472 एकड़ रेलवे भूमि के–राइड को 22.12.2022 को 35 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर हस्तांतरित की है। 2 अप्रैल 2024 को क्रमशः नाममात्र पट्टे शुल्क पर रेलवे बोर्ड के कार्यालय ज्ञापन में भूमि (उपयोग का अधिकार) के रूप में दर्शाई गई भूमि के लिए 1/– रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष का शुल्क निर्धारित किया गया था। दोनों पट्टा समझौते 2 अप्रैल 2024 को पंजीकृत किए गए थे।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–19 कर्मचारी लाभ के संबंध में प्रकटीकरण:

45. विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है:

45(क) भविष्य निधि:

कंपनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) द्वारा किया जाता है। कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व–निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और देयता को उपार्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

45(ख) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस):

एनपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए, नियमित कर्मचारियों के लिए मूल वेतन + महंगाई भत्ता पर 14% की दर से निश्चित अंशदान किया जाता है और देयता को उपार्जन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

45(ग) ग्रेच्युटी

कंपनी की एक परिभाषित लाभ योजना है। नियमित कर्मचारी / कंपनी के साथ सीधे अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, ग्रेच्युटी के हकदार हैं। ग्रेच्युटी प्रति 15 दिन का वेतन (15/26 गुणा अंतिम प्राप्त मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन / महंगाई भत्ता) / समेकित वेतन गुणा 15/26 प्रति वर्ष सेवा पूर्ण होने पर देय है।

45(घ) पेंशन

प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, पेंशन अंशदान ऋणदाता संगठन/भारत सरकार/राजकुमारी सरकार के नियमों के अनुसार परिकलित किया जाता है और उपार्जन के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

45(ङ) अवकाश

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश और अर्ध–वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो क्रमशः 30 दिन और 20 दिन की दर से वार्षिक रूप से उपार्जित होते हैं। सेवाकाल के दौरान केवल अर्जित अवकाश ही भुनाया जा सकता है और सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिन तक भुनाया जा सकता है। इस मद पर देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, अवकाश वेतन अंशदान उनके मूल विभाग को प्राप्त वेतन (महंगाई वेतन और विशेष वेतन सहित मूल वेतन) के 11% की दर से देय है और उपार्जन के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

46. लाभ–हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (जउख) और बैलेंस शीट तथा अन्य खुलासों में मान्यता प्राप्त विभिन्न लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

46(क) शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
परिभाषित लाभ दायित्व	66.94	56.74	149.02	114.90
योजना और परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–	–	–	–
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	–	–	–	–
शुद्ध परिभाषित लाभ देयताएं	66.94	56.74	149.02	114.90

46(ख) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
परिभाषित लाभ दायित्व–वर्ष की शुरुआत म	56.74	26.55	114.90	64.06
सेवा लागत	24.51	23.15	62.27	31.61
ब्याज लागत	3.97	1.99	8.04	4.79
भुगतान किए गए लाभ	–	–	(42.07)	(19.36)
पिछली सेवा लागत – योजना संशोधन और अधिग्रहण	–	–	–	–
पुनर्मूल्यांकन – बीमांकिक हानि/(लाभ)	(18.28)	5.06	5.08	33.80
परिभाषित लाभ दायित्व – वर्ष के अंत में	66.94	56.74	149.02	114.90

46(ग) योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन।

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-
ब्याज आय	-	-	-	-
नियोक्ता अंशदान	-	-	42.07	19.36
भुगतान किए गए लाभ	-	-	(42.07)	(19.36)
पुनर्मूल्यांकन–एक्चुअरियल (हानि)/लाभ	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन–योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल छूट दर से अधिक/(कम)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	-	-

46(घ) ग्रेच्युटी और अवकाश के लिए मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
	24.51	23.15	62.27	31.61
वर्तमान सेवा लागत	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत (कटौती लाभ/हानि सहित)	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन सेवा लागत (क)	24.51	23.15	62.27	31.61
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्तियों) पर शुद्ध ब्याज (ख)	3.97	1.99	8.04	4.79
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि (ग)	-	-	5.88	33.80
मान्यता प्राप्त लागत (–+इ+उ)	28.49	25.13	76.19	70.20

*लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित व्यय कुल	कुल
ग्रेच्युटी	14.11	14.37	28.49
छुट्टी नकदीकरण	38.84	37.35	76.19
कुल	**52.95**	**51.73**	**104.68**

46(ङ) अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	ग्रेच्युटी	
	2024-25	**2023-24**
लाभ एवं हानि खाते के बाहर ओसीआई में मान्यता प्राप्त प्रारंभिक राशि	-	-
देनदारियों पर एक्चुअरियल लाभ/(हानि)	18.28	(5.06)
एक्चुअरियल परिसंपत्तियों पर लाभ/(हानि)	-	-
लाभ एवं हानि खाते के बाहर ओसीआई में मान्यता प्राप्त समापन राशि	18.28	(5.06)

46(च) संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	ग्रेच्युटी		प्रभाव (पूर्ण)		प्रभाव %	
	2024-25	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**
आधार देयता	66.94	56.74	-	-	-	-
छूट दर में 1.00% की वृद्धि	58.34	53.28	(8.60)	(3.46)	-13.00%	-6.09%
छूट दर में 1.00% की कमी	77.40	60.55	19.06	3.81	16.00%	6.72%
वेतन मुद्रास्फीति में 1.00% की वृद्धि	77.40	64.79	-	8.05	16.00%	14.19%
वेतन मुद्रास्फीति में 1.00% की कमी	58.19	50.02	(19.21)	(6.72)	-13.00%	-11.84%
निकासी दर में 1.00% की वृद्धि	66.69	53.30	8.50	(3.44)	-	-6.06%
निकासी दर में 1.00% की कमी	67.04	57.34	0.34	0.60	-	1.06%

विवरण	ग्रेच्युटी		प्रभाव (पूर्ण)		प्रभाव %	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
मूल देयता	149.02	114.90	-	-	-	-
छूट दर में 0.50% की वृद्धि	129.58	108.32	(19.45)	(6.58)	-13.00%	5.73%
छूट दर में 0.50% की कमी	173.66	122.15	43.08	7.24	16.00%	6.30%
वेतन मुद्रास्फीति में 1.00% की वृद्धि	173.66	129.80	-	14.90	16.00%	12.97%
वेतन मुद्रास्फीति में 1.00% की कमी	129.24	102.35	(43.42)	(12.55)	-13.00%	-10.92%
निकासी दर में 5.00% की वृद्धि	151.11	122.70	21.80	7.80	12.00%	6.79%
निकासी दर में 5.00% की कमी	146.64	109.81	(4.47)	5.10	2.00%	-4.44%

46(छ) बीमांकिक अनुमान

विवरण	ग्रेच्युटी		अर्जित अवकाश	
	2024–25	2023–24	2024–25	2023–24
प्रयुक्त विधि:	अनुमानित इकाई ऋण (पीयूसी) एक्चुरियल विधि		अनुमानित इकाई ऋण (पीयूसी) एक्चुरियल विधि	
छूट दर: 7.00% प्रति वर्ष, 7.21% प्रति वर्ष,	7.00% प्रति वर्ष	7.21% प्रति वर्ष	7.00% प्रति वर्ष	7.21% प्रति वर्ष
मुआवजे के स्तर में वृद्धि की दर	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष	6.00% प्रति वर्ष
निकासी दर:	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012–14 का 100%		आईएएलएम 2012–14 का 100%	
औसत भविष्य सेवा (वर्षों में)	23.00 वर्ष	24.07 वर्ष	23.00 वर्ष	24.07 वर्ष

46(ज) परिभाषित लाभ दायित्व का परिपक्वता प्रोफाइल

विवरण	ग्रेच्युटी	
	2024–25	2023–24
वर्ष 1	0.16	5.76
वर्ष 2	0.44	0.21
वर्ष 3	0.54	3.33
वर्ष 4	5.99	1.43
वर्ष 5	0.41	1.67
वर्ष 5 के बाद	59.40	169.56

47. इंड एएस–24 के संबंध में प्रकटीकरण संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

47(क) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति:

1. श्री गोविंदा रेड्डी — प्रबंध निदेशक (दिनांक 04–अगस्त–2025 से प्रभावी)
2. श्रीमती डॉ. मंजुला एन — प्रबंध निदेशक (4–अगस्त–2025 तक प्रभावी)
3. श्री गौरव गुप्ता — प्रबंध निदेशक (22–नवंबर–2023 तक प्रभावी)
4. श्री अवधेश मेहता — निदेशक (बेड एंड एफ) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (20–जनवरी–2023 से प्रभावी)
5. श्री. राजेश के. सिंह — निदेशक (पी एंड पी) (दिनांक 21–सितंबर–2022 से प्रभावी)
6. श्रीमती. अर्चना एम. कुलकर्णी — कंपनी सचिव (दिनांक 01–जुलाई–2024 से प्रभावी)
7. श्री. एस.एन. श्रीनिवासा — कंपनी सचिव (15 जून 2024 तक)

47(ख) प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों के साथ कंपनी के लेन–देन का खुलासा:

(₹ लाखों में)

विवरण	दिनांक 31.03.2025 तक	दिनांक 31.03.2024 तक
वेतन एवं भत्ते 143.92 157.93	143.92	157.93
अन्य लाभ 38.94 43.04	38.94	43.04
कुल	**182.86**	**166.25**

इंड एएस–12 – आय पर करों के लेखांकन के संबंध में खुलासा

48. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2024 तक	लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31 मार्च 2025 तक
i) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ				
क) अवशोषित न किया गया मूल्यह्रास	46.71	3.18	-	49.88
ख) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	28.92	8.59	-	37.51
ग) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	14.28	2.57	-	16.85
घ) अन्य अस्वीकृतियाँ	101.41	25.71	-	127.12
ङ) पट्टा देयता	42.88	(35.57)	-	7.31
उप–योग (i)	**234.20**	**4.47**	**-**	**238.67**
ii) आस्थगित कर देयताएँ				
च) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	(30.23)	24.39	-	(5.84)
उप–योग (ii)	**(30.23)**	**24.39**	**-**	**(5.84)**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**203.97**	**28.86**	**-**	**232.83**

49. खछऊ–ड – 33 के संबंध में प्रकटीकरण: प्रति शेयर आय

विवरण	2024-25	2023-24
लाभ एवं हानि विवरण (झ–ढ) के अनुसार लाभ	1,027.05	1,374.30
भारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या:	10,103.92	2,496.51
प्रति शेयर तनु आय (.) (अंकित मूल्य) 10/– प्रति शेयर का)	0.10	0.55
प्रति शेयर तनुकृत आय (.) (10/– प्रति शेयर का अंकित मूल्य)	0.10	0.55

50. इंड–एएस–36 – परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास के संबंध में प्रकटीकरण

प्रबंधन ने परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का आकलन किया है और वर्ष 2024–25 के दौरान कोई मूल्यह्रास नहीं पाया है (पूर्वोत्तर वर्ष 2023–24 शून्य)

51. इंड–एएस–37 – प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां के संबंध में प्रकटीकरण:

विवरण	01.04.2024 को शेष	वर्ष के दौरान जोड़/स्थानांतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	31.03.2025 को शेष
सेवानिवृत्ति लाभ	56.74	10.20				66.94
सेवानिवृत्ति लाभ	114.90	34.12	-	-	-	149.02
कुल	**171.64**	**44.32**	**-**	**-**	**-**	**215.97**

विवरण	01.04.2024 को शेष	वर्ष के दौरान जोड़/स्थानांतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया	31.03.2025 को शेष
सेवानिवृत्ति लाभ	26.55	30.19				56.74
व्यय	64.06	50.85				114.90
कुल	**90.61**	**81.03**	**-**	**-**	**-**	**171.64**

52. उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति विवरण में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। ये तीन स्तर माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकन के आधार पर परिभाषित किए गए हैं, इस प्रकार हैं:

स्तर 1– समान वित्तीय उपकरणों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) जिन तक इकाई माप की तिथि पर पहुंच सकती है।

स्तर 2– सक्रिय बाजार में कारोबार न करने वाले वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो प्रासंगिक अवलोकन योग्य बाजार इनपुट के उपयोग को अधिकतम और गैर–अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करते हैं।

स्तर 3 – यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार इनपुट पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया जाता है।

52(क) श्रेणीवार वित्तीय उपकरण

विवरण	स्तर	2024-25	2023-24
उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
अन्य निवेश स्तर	स्तर–3	200.00	200.00
अमोर्टाइज्ड लागत पर			
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
व्यापार प्राप्य स्तर	स्तर–3	12,163.07	9,555.93
नकद और नकद समतुल्य स्तर	स्तर–3	32,773.18	35,709.41
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ स्तर	स्तर–3	120.85	119.16
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**45,257.10**	**45,584.51**
वित्तीय देनदारियाँ			
ऋण स्तर	स्तर–3	23,352.14	5,958.75
व्यापार देय स्तर	स्तर–3	646.16	894.67
पट्टा देनदारियां स्तर	स्तर–3	29.05	170.38
अन्य वित्तीय देनदारियां स्तर	स्तर–3	990.63	1,573.22
कुल वित्तीय देनदारियां		**25,017.97**	**8,597.02**

52 (ख) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें और प्रक्रिया

क) 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वहन मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

ख) परिशोधित लागत पर दर्ज अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य लेखा नीति के अनुसार परिभाषित छूट दर का उपयोग करके नकदी प्रवाह पर छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

वित्तीय जोखिम प्रबंधन:

53. वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी वित्तीय उपकरणों से संबंधित विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील है। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का श्रेणीवार सारांश उपरोक्त नोट में दिया गया है। जोखिमों के मुख्य प्रकार बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन अस्थिर वित्तीय बाजारों के जोखिम को कम करके कंपनी के अल्प से मध्यम अवधि के नकदी प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित है। कंपनी जिन सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील है, उनका वर्णन नीचे दिया गया है:

53 (क) बाजार जोखिम

कंपनी को बाजार जोखिम के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी को मूल्य जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्ति नहीं है। कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम को कवर करने के लिए कोई हेजिंग उपकरण नहीं है। कंपनी को विभिन्न वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जो कार्य आदेश जारी करने की तिथि और सामग्री प्राप्ति तथा उसके भुगतान की तिथि पर लागू हो सकता है।

53 (ख) ऋण जोखिम

ऋण जोखिम से तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों के उल्लंघन से होने वाले वित्तीय नुकसान से है। कंपनी विभिन्न वित्तीय साधनों, जैसे कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम, ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि, सुरक्षा जमा आदि के संबंध में इस जोखिम के प्रति संवेदनशील है।

रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि से है:

– नकद और नकद समतुल्य

– व्यापार प्राप्य

– परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

कंपनी ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों के उल्लंघनों की निरंतर निगरानी करती है, जिनकी पहचान व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा की जाती है, और इस जानकारी को अपने ऋण जोखिम नियंत्रणों में शामिल करती है। जहाँ उचित लागत पर उपलब्ध हो, ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षों की बाहरी ऋण रेटिंग और/या रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं और उनका उपयोग किया जाता है।

53 (ग) ऋण जोखिम प्रबंधन

नकदी और नकद समतुल्य: नकदी और नकद समतुल्य से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन अनुसूची वाणिज्यिक में निधि रखकर किया जाता है।

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं, और इन बैंकिंग संबंधों की निरंतर समीक्षा की जाती है।

व्यापार प्राप्य: कंपनी के पास बकाया व्यापार प्राप्य हैं, जो आमतौर पर असुरक्षित होते हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं। व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिमों को ग्राहकों से सुरक्षा जमा लेकर कम किया जाता है। कंपनी ग्राहकों की साख पर कड़ी नज़र रखती है और केवल साख योग्य पक्षों के साथ ही लेन–देन करती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का मूल्यांकन परिशोधित लागत पर किया जाता है।

अपेक्षित ऋण हानियाँ

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानियाँ प्रदान करती है:

व्यापार प्राप्य:

व्यापार प्राप्य तब हानिकृत माने जाते हैं जब कंपनी द्वारा व्यक्तिगत व्यापार प्राप्यों के लिए किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली की संभावना संदिग्ध मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के लिए देय तिथि से अधिक और अप्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियाँ अच्छी साख वाली हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्य की आयु का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है:

विवरण	2024-25	2023-24
(I) **निर्विवाद – अच्छी स्थिति में**		
6 महीने से कम	12,163.07	9,553.45
6 महीने से 1 वर्ष	-	5.28
1 से 2 वर्ष	-	-
2 से 3 वर्ष	-	-
3 वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**12,163.07**	**9,558.74**
(ii) **निर्विवाद – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है**		
6 महीने से कम	-	-
6 महीने से 1 वर्ष	-	-
1 से 2 वर्ष	-	-
2 से 3 वर्ष	-	-
3 वर्ष से अधिक	-	-
कुल	**-**	**-**
(ळळळ) निर्विवाद – ऋण बाधित		
6 महीने से कम	**-**	**-**
6 महीने से 1 वर्ष	**-**	**-**
1 से 2 वर्ष	**-**	**-**
2 से 3 वर्ष	**-**	**-**
3 वर्ष से अधिक	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**
(iv) **विवादित – अच्छा माना गया**		
6 महीने से कम	**-**	**-**
6 महीने से 1 वर्ष	**-**	**-**
1 से 2 वर्ष	**-**	**-**
2 से 3 वर्ष	**-**	**-**
3 वर्ष से अधिक	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**
(ं) विवादित – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		
6 महीने से कम	**-**	**-**
6 महीने से 1 वर्ष	**-**	**-**
1 से 2 वर्ष	**-**	**-**
2 से 3 वर्ष	**-**	**-**
3 वर्ष से अधिक	**-**	**-**

कुल	-	-
(vi) **विवादित – ऋण बाधित**		
6 महीने से कम	-	-
6 महीने से 1 वर्ष	-	-
1 से 2 वर्ष	-	-
2 से 3 वर्ष	-	-
3 वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

कंपनी राशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई कर रही है, इसलिए राशि को वसूली योग्य माना गया है। बहीखातों में दर्ज संदिग्ध ऋणों के लिए मौजूदा प्रावधान को छोड़कर।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनका मूल्य परिशोधित लागत पर निर्धारित किया गया है:

कर्मचारी ऋणों से संबंधित ऋण जोखिम नगण्य माना जाता है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन इन राशियों की वसूली योग्यता की निरंतर निगरानी द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ लागू आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशियाँ निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं। रिपोर्टिंग तिथि पर इन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई हानि प्रावधान नहीं है।

कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर इन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को अच्छी ऋण गुणवत्ता का मानती है।

53 (घ) तरलता जोखिम

कंपनी की तरलता आवश्यकताओं की निगरानी मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी की तरलता के मुख्य स्रोत नकद और नकद समतुल्य, परिचालन से प्राप्त राजस्व, केएफडब्ल्यू बैंक से दीर्घकालिक ऋण, कोरिया सरकार से ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋण, भारत सरकार और कोरिया सरकार से इक्विटी योगदान, कोरिया सरकार से अनुदान, नकद हानि की प्रतिपूर्ति और कोरिया सरकार से ऋण चुकौती सहायता हैं। कंपनी नकद प्रवाह की निरंतर निगरानी और पर्याप्त नकद और नकद समतुल्य बनाए रखकर अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करती है। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए शुद्ध नकद आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकद से की जाती है। अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, कर्मचारी बकाया और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रतिधारण और जमा राशि शामिल हैं। कंपनी अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकद और नकद समतुल्य बनाए रखती है। नीचे दी गई तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के संबंध में विवरण प्रदान करती है। यह तालिका कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने की सबसे प्रारंभिक तिथि के आधार पर वित्तीय देनदारियों के नकद प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है।

इस तालिका में मूलधन और ब्याज दोनों के नकदी प्रवाह शामिल हैं।

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण	0.19	-	-	-	23,351.95	23,352.14
अन्य वित्तीय देनदारियां	20.05	-	-	-	-	20.05
व्यापार देय	646.16	-	-	-	-	646.16
कुल योग	**666.39**	**-**	**-**	**-**	**23,351.95**	**24,018.34**

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण	0.21	-	-	-	5,958.54	5,958.75
अन्य वित्तीय देनदारियां	141.33	-	-	-	-	141.33
व्यापार देय	894.67	-	-	-	-	894.67
कुल योग	**1,036.21**	**-**	**-**	**-**	**5,958.54**	**6,994.75**

54. उधारों के संबंध में प्रकटीकरण

54(क) अधीनस्थ ऋण:

राजकोष सरकार/ऋण मंत्रालय से प्राप्त ब्याज मुक्त अधीनस्थ ऋणों (एसडी) को दीर्घकालिक उधार के रूप में मान्यता दी गई है। अधीनस्थ ऋण ब्याज मुक्त हैं।

भूमि अधिग्रहण के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त एसडी निधि में से ₹50,000 लाख रुपये भारत सरकार के आदेश संख्या यूडीडी 158 पीआरजे 2020 दिनांक 21.07.2023 और यूडीडी 158 पीआरजे 2020 पी1 दिनांक 8.11.2023 के अनुसार इक्विटी शेयरों में स्थानांतरित किए गए हैं। 19 फरवरी 2022 को आयोजित पूर्व आम बैठक में शेयरधारकों ने उधार लेने की सीमा को बढ़ाकर ₹10,80,900 लाख रुपये तक करने की मंजूरी दी है, जो कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार से अधिक है।

54(ख) बाह्य वित्तपोषण:

i. बीएसआरपी स्वीकृत आदेश के अनुसार, परियोजना का वित्तपोषण 7438 करोड़ रुपये (लगभग 800 मिलियन यूरो) के ऋण घटक द्वारा किया जाता है। 15.12.2023 को जर्मनी के केएफडब्ल्यू विकास बैंक (केएफडब्ल्यू) से 500 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए और 14.06.2024 को लक्ज़मबर्ग के यूरोपीय विकास बैंक (ईआईबी) से 300 मिलियन यूरो के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए। ऋणदाताओं (केएफडब्ल्यू और ईआईबी) और भारत सरकार (जीओआई) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों ऋणों के लिए निधि का प्रवाह रेल मंत्रालय के माध्यम से पास-थ्रू असिस्टेंस (पीटीए) द्वारा किया जाएगा, जो अन्य मेट्रो परियोजनाओं में अपनाई जा रही प्रक्रिया के समान है।

ii. उपरोक्त के अतिरिक्त, 15.12.2023 को केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ 4.5 मिलियन यूरो के अनुदान के लिए एक समझौता भी हस्ताक्षरित किया गया था।

iii. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है।

55. कराधान:

कंपनी भारतीय रेलवे और कर्नाटक सरकार की भागीदारी के साथ रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य में एक नोडल एजेंसी है। बैंकों में अल्पकालिक जमा पर अर्जित ब्याज आय को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आयकर आयुक्त बनाम कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास एवं वित्त निगम, आईटीए संख्या 78/2008 के मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर कर-मुक्त आय माना जाता है, और इसलिए आयकर/न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

56. बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित घटनाएँ:

बैलेंस शीट की तिथि के बाद घटित महत्वपूर्ण समायोजन घटनाएँ (जो बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद स्थिति का प्रमाण प्रदान करती हैं) वित्तीय विवरणों में दर्ज की जाती हैं। बैलेंस शीट की तारीख के बाद घटित होने वाली गैर-समायोजनकारी घटनाओं (जो बैलेंस शीट की तारीख के बाद उत्पन्न हुई स्थितियों का संकेत देती हैं) जो वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती हैं, का खुलासा किया जाता है।

57. लाभांश:

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

58. कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास प्रभारों या संतुष्टि का पंजीकरण:

वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास अभी तक कोई प्रभार या संतुष्टि पंजीकृत नहीं की गई है।

59. नियामकों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और आवश्यक आदेश: नियामकों, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कंपनी के विरुद्ध किसी भी मामले पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

60. विदेशी मुद्रा में गतिविधि:

कंपनी ने चालू और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान कोई विदेशी लेनदेन नहीं किया है।

61. चालू परिसंपत्तियों के बदले सुरक्षित ऋण:

कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कोई ऋण नहीं लिया है।

62. जानबूझकर चूककर्ता:

कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

63. इक्विटी निवेश:

सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश लागत मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी ने 6 जनवरी, 2021 को बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (बी-राइड) को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया है। इस कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में प्रारंभिक निवेश 10,00,000 रुपये (दस लाख रुपये मात्र) है, जो 10 रुपये के 1,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु उपनगरीय रेल परियोजना का संचालन करना है।

64. उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग:

कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों), जिनमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं (मध्यस्थ), को (उधार ली गई धनराशि, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) कोई धनराशि अग्रिम, उधार या निवेश नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;

कंपनी को किसी भी व्यक्ति या संस्था (विदेशी संस्थाओं सहित) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी, जिनकी पहचान किसी भी तरह से वित्तपोषक संस्था द्वारा या उसकी ओर से की गई हो (अंतिम लाभार्थी), या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई वस्तु प्रदान करेगी।

65. स्वीकृत व्यवस्था योजनाओं का अनुपालन:

कंपनी ने किसी भी व्यवस्था योजना में प्रवेश नहीं किया है।

66. अघोषित आय:

चालू या पिछले वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में ऐसी कोई आय नहीं है जिसे आय के रूप में सरेंडर किया गया हो या घोषित किया गया हो, जिसे पहले खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया हो।

67. क्रिप्टोकरेंसी या आभासी मुद्रा का विवरण:

कंपनी ने चालू या पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या आभासी मुद्रा में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया है।

68. निरस्त कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत निरस्त कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

69. प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य खातों में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं है, यदि इन्हें सामान्य व्यवसाय संचालन में वसूल किया जाता है।

70. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम तथा अल्पकालिक ऋण और अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाए गए शेष, व्यापार देय और अन्य चालू देनदारियों के अंतर्गत दर्शाई गई देनदारियां संबंधित पक्षों से पुष्टि और मिलान के अधीन हैं।

71. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के परंतुक के तहत कंपनियों के लिए एक नई आवश्यकता निर्धारित की है, जिसे कंपनी (लेखा) संशोधन नियम 2021 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार, ऐसी कंपनियों को, जो अपने लेखा–पुस्तकों के रखरखाव के लिए लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करती हैं, केवल ऐसे लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा, जिसमें प्रत्येक लेनदेन का ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने, लेखा–पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का संपादन लॉग बनाने (परिवर्तन की तिथि सहित) और यह सुनिश्चित करने की सुविधा हो कि ऑडिट ट्रेल को निष्क्रिय न किया जा सके।

कंपनी ने सभी लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। लेखांकन सॉफ़्टवेयर के लिए एप्लिकेशन स्तर पर ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन–देन के लिए कार्यरत था।

72. दिनांक 24 मार्च, 2021 की एमसीए व्यापक अधिसूचना ने कुछ खुलासों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खखख में संशोधन किया है।

कंपनी ने इस वित्तीय विवरण में उचित परिवर्तन शामिल किए हैं।

73. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्गठित/पुनर्स्थापित किया गया है।

इसी दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

पी.के. सुब्रमण्यम एंड कंपनी के लिए,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
फर्म रजि.नं.: 004135एस

हस्ताक्षर/–
सी.ए. वीरबासन गौड़ा एस.
साझेदार,
एम.नं.: 208698

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 27.10.2025
UDIN : 25208698BMKWVM6826

रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड के
निदेशक मंडल की ओर से एवं के लिए

हस्ताक्षर/–
गोविंदा रेड्डी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11103031

हस्ताक्षर/–
राजेश कुमार सिंह
निदेशक
डीआईएन: 08601529

हस्ताक्षर/–
अवधेश मेहता
सीएफओ

अर्चना एम कुलकर्णी
कंपनी सचिव
एसीएस: ए28063

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 06.10.2025

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

(अन्यत्र उल्लेखित को छोड़कर सभी राशियाँ भारतीय रुपये लाख में हैं)

टिप्पणी 9 क : व्यापार प्राप्य

विवरण	31 मार्च, 2025 तक					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए	9,870.18	2,292.90	-	-	-	12,163.07
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य संदिग्ध प्राप्य राशियाँ	-	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2025 तक					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए	9,550.65	5.28	-	-	-	9,555.93
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य संदिग्ध प्राप्य राशियाँ	-	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2025 तक					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य संदिग्ध प्राप्य राशियाँ	-	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2025 तक					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए						
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	147.38	-	-	-	-	147.38
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए	-	475.67	10.37	12.74	-	498.77
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य संदिग्ध प्राप्य राशियाँ	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2025 तक					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए						
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	385.48	-	-	-	-	385.48
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए	-	496.45	12.74	-	-	509.18
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य संदिग्ध प्राप्य राशियाँ	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2025 तक					
	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए						
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – संदिग्ध माने गए	176.14	-	-	-	-	176.14
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – मान्य माने गए	-	678.42	-	-	-	678.42
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य संदिग्ध प्राप्य राशियाँ	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

अनुलग्नक – ग

परिशिष्ट–1

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड, बेंगलुरु, के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड, बेंगलुरु के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार राय देने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनके द्वारा 04 दिसंबर 2025 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो उनकी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 27 अक्टूबर 2025 का स्थान लेती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड, बेंगलुरु के वित्तीय विवरणों का 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों से पूछताछ तक सीमित है, और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक।

वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधन को देखते हुए, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई और टिप्पणी या पूरक नहीं देना चाहता।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर/–
(अशोक सिन्हा)
प्रधान लेखापरीक्षक जनरल (लेखापरीक्षा–11)
कर्नाटक, बेंगलुरु

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 19.12.2025

परिशिष्ट–1

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड, बेंगलुरु, के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड, बेंगलुरु के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के साथ धारा 129(4) के तहत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के साथ धारा 129(4) के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर राय देने के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। यह उनके द्वारा दिनांक 04 दिसंबर 2025 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो उनकी पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 27 अक्टूबर 2025 का स्थान लेती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड, बेंगलुरु के समेकित वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया है, जो वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के साथ धारा 129(4) के तहत किया गया है। हमने रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड, बेंगलुरु और बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल ढांचा विकास उद्यम लिमिटेड, बेंगलुरु के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा किया।

यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को देखते हुए, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के साथ धारा 129(4) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई और टिप्पणी या पूरक नहीं देना चाहता।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताक्षर/–
(अशोक सिन्हा)
प्रधान लेखापरीक्षक जनरल (लेखापरीक्षा–11)
कर्नाटक, बेंगलुरु

स्थान: बेंगलुरु
दिनांक: 19.12.2025

परिशिष्ट – III
फॉर्म एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
फॉर्म संख्या एमआर–3
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार

प्रति,

सदस्यगण,

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

(सीआईएन: U60100K-2000SGC028171)

संख्या 8, प्रथम मंजिल, संपर्क सौधा, डॉ. राजकुमार रोड,

राजाजीनगर, 1 ब्लॉक, बेंगलुरु, कर्नाटक: 560010

प्रिय महोदय,

मैंने रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (जिसे आगे कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और सुचारु कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है। सचिवालय लेखापरीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जिससे मुझे कंपनी के आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर,और साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालय लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता/करती हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र उस सीमा तक, उस तरीके से और उसके अधीन मौजूद हैं, जैसा कि नीचे दी गई रिपोर्टिंग में बताया गया है।

मैंने 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जाँच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत निर्मित नियम;

2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित सीमा तक:

1. कंपनी अधिनियम, 2013

– दो बोर्ड बैठकों के बीच अंतराल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 की उपधारा I के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को अपने निगमन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल की पहली बैठक आयोजित करनी होगी और उसके बाद प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल की कम से कम चार बैठकें इस प्रकार आयोजित करनी होंगी कि निदेशक मंडल की दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल न हो। हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी की बोर्ड बैठक 2 मार्च, 2024 को और उसके बाद 31 अगस्त, 2024 को हुई, इस प्रकार दोनों बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का अंतराल था।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्ति पाँच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका कारोबार एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या जिसका शुद्ध लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में पाँच करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधानों का पालन करना होगा। हमारे अवलोकन के अनुसार, सीएसआर प्रावधान कंपनी पर लागू होते हैं और कंपनी सीएसआर प्रावधानों का पालन करने की प्रक्रिया में है।

आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का अनुपालन

हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी ने अनुच्छेद 32 के तहत अपेक्षित –झएद का गठन नहीं किया है।

2. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। कंपनी ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के लागू खंडों का यथासंभव अनुपालन किया है और उसे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

रेलवे उद्योग का अपना औद्योगिक नियामक रेल विकास प्राधिकरण ऑफ इंडिया है, जिसे 2017 में अनुमोदित किया गया था, लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए इसके अनुपालन पर कार्य करने में असमर्थ हैं। हमने रेलवे बोर्ड के निर्देशों/परिपत्रों की जाँच नहीं की है, जो अधिकतर मंत्रालय और उसके कामकाज से संबंधित हैं। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी के क्षेत्र/उद्योग के आधार पर कोई विशेष कानून लागू नहीं होता है।

मैं आगे यह भी सूचित करता हूँ कि

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

बोर्ड और समिति की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा कम से कम सात दिन पहले भेजा जाता है और कुछ मामलों में इससे कम समय में भी भेजा जाता है, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने की व्यवस्था मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय सर्वसम्मति से पारित किए गए, जैसा कि निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज है।

मैं आगे यह सूचित करता/करती हूँ कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए हैं।

मैं आगे यह भी सूचित करता/करती हूँ कि कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय, विशिष्ट घटना/कार्य नहीं हुआ है जिसका कंपनी के कामकाज पर उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि के अनुपालन में कोई बड़ा प्रभाव पड़ता हो।

मैंने कंपनी की सरकारी कंपनी स्थिति और रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में इस रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

मिलिंद कुलकर्णी एंड एसोसिएट्स के लिए

हस्ताक्षर/–
मिलिंद मोहन कुलकर्णी
एफसीएस नं.: 4857
सीपी नं.: 3204
UDIN: F004857G001404662

स्थान: पुणे
दिनांक: 30 सितंबर, 2025

परिशिष्ट – III

सेवा में,
सदस्यगण,
रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड
(सीआईएन: U60100K-2000SGC028171**)**
संख्या 8**, प्रथम मंजिल, संपर्क सौधा, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजीनगर,**
1 ब्लॉक, बेंगलुरु, कर्नाटक: 560010

इस पत्र के साथ हमारी दिनांक की रिपोर्ट भी पढ़ी जानी चाहिए।

1) सचिवालयी अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसे सचिवालयी अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2) हमने सचिवालयी अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हमारा सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रविष्टियाँ वैधानिक रूप से की गई हैं। आवश्यकताओं। हमारा मानना है कि इस उद्देश्य के लिए हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया, उन्होंने हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहां भी आवश्यक हो, हमने वर्ष के दौरान कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कंपनी पर लागू सीमा तक परीक्षण के आधार पर सचिवीय अभिलेखों के सत्यापन तक सीमित थी।

6) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

मिलिंद कुलकर्णी एंड एसोसिएट्स के लिए

हस्ताक्षर/–
मिलिंद मोहन कुलकर्णी
एफसीएस नं.: 4857
सीपी नं.: 3204
UDIN: F004857G001404662

स्थान: पुणे
दिनांक: 30 सितंबर, 2025

कॉरिडोर–2 प्रगति अपडेट (बैय्यप्पनहल्ली – चिक्कबाणावरा) मल्लिगे लाइन





शेट्टीहल्ली–मैदेरहल्ली स्टेशनों के बीच एमआईबी–407 की दीवारों और स्लैब का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ईआरएस की पहली लिफ्ट रीइन्फोर्समेंट बाइंडिंग का कार्य प्रगति पर है, हेब्बल में पी9 पाइल कैप बाइंडिंग का कार्य प्रगति पर है।

कॉरिडोर–2, केआरआईडीई (के–राइड) के प्रबंध निदेशक ने बीएसटीपी कार्यों का निरीक्षण किया –



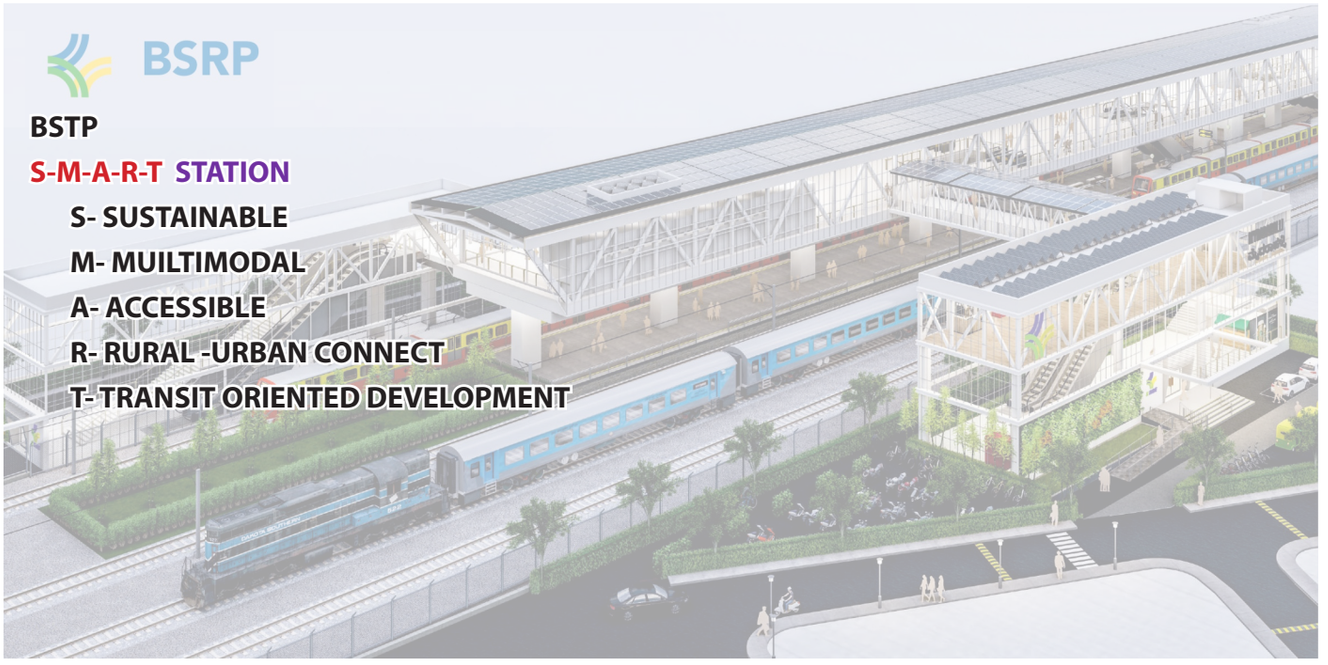


श्री लक्ष्मण सिंह, प्रबंध निदेशक, केआरआईडीई, ने बीएसटीपी कार्यों का निरीक्षण किया और हेब्बल और यशवंतपुर के बीच मट्टीकेरे सर्कल पर एलिवेटेड खंड की प्रगति की समीक्षा की, जिसमें यशवंतपुर रेलवे स्टेशन भी शामिल है।

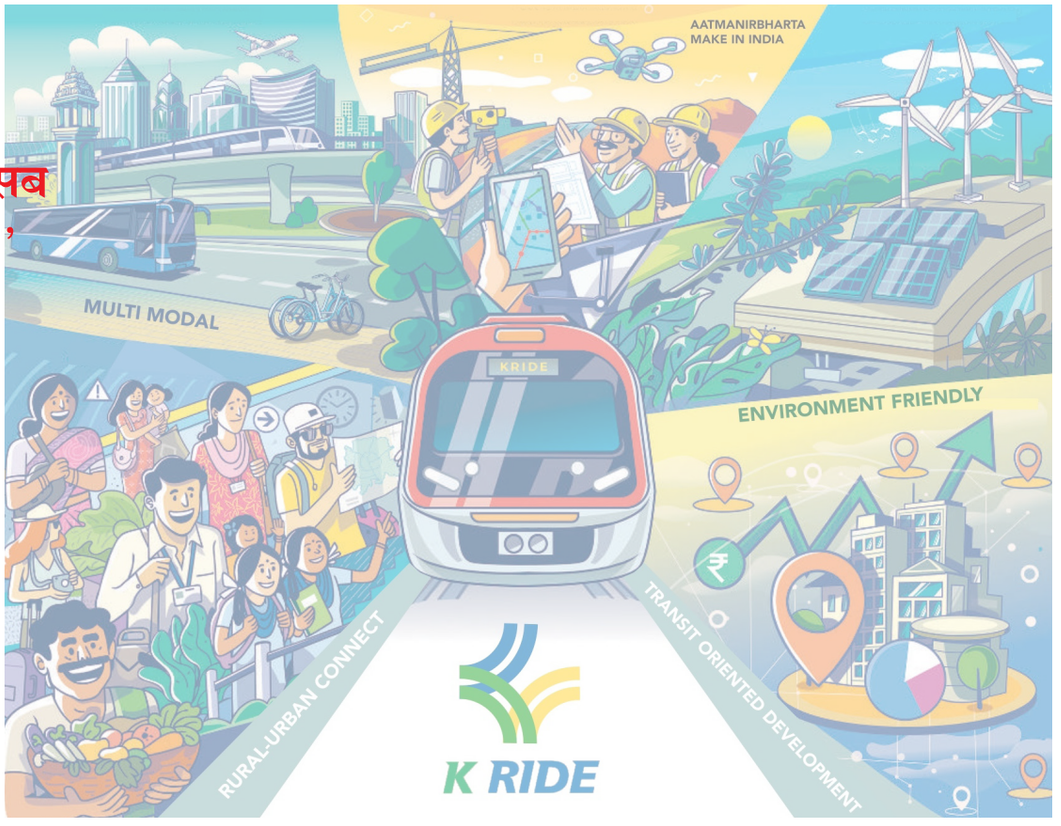


जलाहल्ली में 533 मीटर लंबी वायुसेना की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य।

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड



"रेल के लिए सब
रेल सबके लिए"



ಕ-ರೈಡ್
K RIDE

रेल ढांचा विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड

(कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय का संयुक्त उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: संपर्क सौधा, प्रथम मंजिल, सर्वे नंबर 8, (बी.ई.पी. परिसर)
ओरियन मॉल के सामने, डॉ. राजकुमार रोड, राजाजिंगर, प्रथम ब्लॉक, बेंगलुरु - 560010